खण्ड–15, अंक–08
सोमवार, 27 चैत्र, शक संवत् 1928
(17 अप्रैल, 2006 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2006)

(खण्ड 15 में 10 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2006

मूल्य:–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
कतिपय विषयों को नियम 311 के अन्तर्गत सुने जाने की मांग...	1–2
प्रश्नोत्तर	3–28
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	28–58
विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अनेक गांवों में जानवरों के किसी अज्ञात बीमारी से मरने एवं चिकित्सा सुविधा न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद रुद्रप्रयाग में मारी, पपड़ासू, चौरास नहरों के पूर्ण निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	59
राजकीय महाविद्यालय, द्वाराहाट में वाणिज्य विषय सहित प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में रोजगारपरक विषयों को खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	59–60
दिनांक 14–4–2006 की रात्रि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत जाख क्षेत्र में हुए भयंकर अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नगर के अन्तर्गत दिनांक 14–4–06 को सायं ब्रिटिश कालीन नियाज बिल्डिंग में अचानक लगी आग से प्रभावितों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60–61
जनपद चमोली में गैरसैंण वि०ख० के अन्तर्गत ग्राम सभा के अम्बेडकर ग्राम कनखली में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद पौढ़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पूर्वी नयार नदी पर ग्राम खैरासैंण (खैरा) व ग्राम चौमासा के मध्य बने जीर्ण-शीर्ण झूला पुल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	61–62
औचित्य के प्रश्न की सूचना	62
रा०इ०कॉ०, घाट, जिला चमोली तथा ग्रायट, टिन्डा एवं कोल्ड स्टोरेज मटेला, अल्मोड़ा के भवनों के सदुपयोग के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना	62–63

विषय	पृष्ठ संख्या

वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदान-
अनुदान संख्या-11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग, अनुदान संख्या-16, श्रम और रोजगार विभाग (स्वीकृत)... 63-101

अनुदान संख्या-24, परिवहन विभाग (स्वीकृत) ... 102-113

अनुदान संख्या-12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वीकृत) 114-131

अनुदान संख्या-8, आबकारी विभाग (स्वीकृत) ... 131-133

अनुदान संख्या-26, पर्यटन विभाग (स्वीकृत) - ... 133-149

अनुदान संख्या-17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग (स्वीकृत) ... 149-157

अनुदान संख्या-06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन (स्वीकृत) ... 157-163

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 163-164

उत्तरांचल राज्य के कुमाऊं एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुल सचिव, उप कुल सचिव एवं सहायक कुल सचिवों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जन्तवाल, स०वि०स० द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 164

जनपद पिथौरागढ़ के नाचनी गांव में सिंचाई हेतु रामगंगा नदी से लिफ्ट योजना की मांग के सम्बन्ध में श्री विशन सिंह चुफाल, स०वि०स० द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य ... 164-165

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह माजिला
9. " काशी सिंह ऐरी
10. " किशोर उपाध्याय
11. " कैलाश शर्मा
12. " कौल दास
13. " गणेश प्रसाद गोदियाल
14. " गोपाल सिंह
15. " गोविन्द लाल
16. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
17. " चन्द्रशेखर
18. " जोत सिंह
19. " तसलीम अहमद
20. " तिलक राज बेहड़
21. " तेजपाल सिंह रावत
22. " दिनेश अग्रवाल
23. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24. " नव प्रभात
25. " नारायण पाल
26. " नारायण राम आर्य
27. " नारायण सिंह जंतवाल
28. श्री प्रकाश पंत
29. डा0 प्रताप बिष्ट
30. श्री प्रदीप टम्टा
31. " प्रीतम सिंह
32. श्री प्रीतम सिंह पंवार
33. " प्रेमानन्द महाजन
34. " पुष्पेश त्रिपाठी
35. " फूल सिंह बिष्ट
36. " बलबीर सिंह नेगी
37. " बिजयपाल सिंह सजवाण
38. " बिशन सिंह चुफाल
39. " भगत सिंह कोश्यारी
40. " मदन कौशिक
41. " मंत्री प्रसाद नैथानी
42. " महेन्द्र भट्ट
43. " महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
44. " माखबर सिंह
45. " माल चन्द्र
46. " रणजीत सिंह
47. " राम प्रसाद टम्टा
48. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49. श्री शूरवीर सिंह
50. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
51. श्री शहजाद
52. " साधू राम
53. " सुबोध उनियाल
54. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
55. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
56. डा0 हरक सिंह रावत
57. श्री हरबंस कपूर
58. " हरभजन सिंह चीमा
59. " हरीदास
60. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
61. " हीरा सिंह बिष्ट
62. " हेमेश खर्कवाल
63. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सोमवार, दिनांक 17 अप्रैल, 2006 ई०

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

कतिपय विषयों को नियम 311 के अन्तर्गत सुने जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्यों के अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर शोर व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मातबर सिंह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य व बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य वेल में आ गये) (शोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, गंगोलीहाट में 11 तारीख की रात को एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है, इसे 311 में सुन लिया जाय।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पूरा प्रदेश जल रहा है, यह साधारण घटना नहीं है, इसे 311 में सुना जाय।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, यह दलित महिला के साथ बलात्कार की घटना है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अपने–अपने स्थानों पर बैठिये, मैं प्रश्नकाल के बाद सबको सुन लूंगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, गंगोलीहाट के विधायक की बात सुन ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन लूँगा। कृपया बैठिये।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने प्रश्नकाल के बाद सुनने की बात कही है। मान्यवर, आप इसे किस नियम में सुन लेंगे?

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में मैं सुन लूँगा, कृपया बैठिये।

आज नियम 311 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री मातबर सिंह, श्री भगत सिंह कोश्यारी, श्री अजय भट्ट, श्री प्रकाश पंत तथा अन्य मा0 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित 11 अप्रैल, 2006 की रात्रि में गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ में शराब विरोधी आन्दोलनकारी महिला के साथ किये गये सामूहिक बलात्कार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त हुई है।

दूसरी सूचना श्री मदन कौशिक, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, श्री चन्द्रशेखर, श्री सुरेश चन्द्र तथा श्री हरबंस कपूर जी की है जो देहरादून के थाना गढ़ी कैन्ट में दिनांक 16-4-2006 को सन्तला देवी मन्दिर के पास एक 8 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना मा0 श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी की है। जो गंगोलीहाट, जनपद पिथौरागढ़ की दिनांक 11-4-2006 की घटना के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री हरीदास, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री तसलीम अहमद, चौ0 यशवीर सिंह एवं अन्य मा0 सदस्यों की है। अपनी सूचना में उन्होंने तीन बिन्दुओं–पहली पिरान कलियर शरीफ मेले में बाहर से आये जायरीन की पुलिस पिटाई से हुई मौत के सम्बन्ध में, दूसरी जिला ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में दलित महिला की हत्या के सम्बन्ध में तथा तीसरी गंगोलीहाट, जिला पिथौरागढ़ की दलित महिला के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 311 की सूचना उठाई है। नियमों में किसी एक महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख किया जाना चाहिए। मा0 सदस्यों ने एक ही सूचना में कई बिन्दुओं को उठाया है।

मैं उपर्युक्त सभी सूचनाओं को नियम 311 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ लेकिन मैं इनके बारे में ग्राह्यता पर नियम 56 में सुन लूँगा।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, क्षेत्रीय विधायक को बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं सुन लूँगा।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत की योजना

**1. श्री बिशन सिंह चुफाल-

श्री अजय भट्ट-

एवं

श्री प्रकाश पन्त-

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के अधिकांश असिंचित क्षेत्रों में रबि की फसल नष्ट हो चुकी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित परिवारों को राहत देने की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)-

जी हाँ।

जी हाँ।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना संचालित नहीं है, वहाँ सामान्य तथा सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगारपरक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। पेयजल आपूर्ति, पशुचारे, खाद्यान्न, चिकित्सा, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रभावितों में खरीफ में कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में राहत सहायता वितरित की जायेगी। भारत सरकार को भी सूखा राहत सहायता हेतु मैमोरेण्डम भेजा गया है।

श्री बिशन सिंह चुफाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मैंने प्रश्न किया था कि प्रदेश के अधिकांश असिंचित क्षेत्रों में रबि की फसल नष्ट हो चुकी है? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित परिवारों को राहत देने की कोई योजना बना रही है? उत्तर दिया जी हाँ। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने जो रोजगारपरक योजना की बात की है, वह कौन सी योजना है? दूसरा प्रश्न यह है कि प्रदेश में अभी तक जितने क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कितना रुपया खर्च किया गया?

कृषि मंत्री [श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)]–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि सूखा राहत कार्यक्रम कई तरीके के हैं जो स्टेट में दिये जाने वाले हैं। सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों की आगामी खरीफ फसल तक कृषकों के राजस्व मुख्य देयों (भू राजस्व एवं सिंचाई देयों) की वसूली स्थगित करने तथा प्रदेश की इन सूखाग्रस्त तहसीलों में कृषकों के उक्त अवधि में विभिन्न देयों यथा बैंक देय, विद्युत देय, व्यापार कर आदि की वसूली हेतु जोर दबाव न किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

मान्यवर, एक तो यह है। दूसरा अनेक प्रकार के राहत कार्यक्रम हमारी सरकार द्वारा चलाये गये हैं। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संचालित नहीं है, वहाँ पर सामान्य तथा सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगारपरक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पशुचारा, खाद्यान्न, चिकित्सा, सिंचाई विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। खरीफ में इनपुट सब्सिडी वितरित की जायेगी।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैंने जानना चाहा था कि अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गयी है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, 50 प्रतिशत के ऊपर प्रभावित क्षेत्रों को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसमें जांच जिलाधिकारी के माध्यम से आती है। इसमें भारत सरकार को रिपोर्ट जाती है। उसके बाद भारत सरकार ने दोनों मंडलों में सर्वे की टीम भेजी है और सर्वे का कार्य जारी है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्र जहाँ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना संचालित नहीं है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन तीन जिलों को इससे वंचित रखा जायेगा?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, जो 50 प्रतिशत के ऊपर घोषित हो चुके हैं, उनमें यह राहत मान्य होगी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, तो इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जिक्र क्यों आया? आपकी सूखा राहत की अलग योजना होगी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)-

मान्यवर, 11 जनपदों की डिमांड भेजी गयी है। प्रदेश में 11 जनपद सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं।

श्री प्रकाश पंत-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रबी की फसल नष्ट हो चुकी है। यह मूल प्रश्न भी था और माननीय मंत्री जी ने इसे स्वीकार भी किया है। मैं जानना चाहूँगा कि कितना क्षेत्रफल इससे प्रभावित हुआ है और कितनी फसल नष्ट हो गयी है? क्या इसका आकलन सरकार ने किया है? सूखा प्रभावित क्षेत्र में क्या सम्पूर्ण प्रदेश को लिया गया है? जैसी कि मांग भी है। क्या सम्पूर्ण प्रदेश को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का माननीय मंत्री जी प्रयास करेंगे? आपने कहा कि खरीफ में इनपुट सब्सिडी वितरित की जायेगी, तो इसमें कितनी राशि वितरित की जायेगी और तीसरा प्रश्न यह है कि भारत सरकार को सूखा राहत हेतु मेमोरेन्डम भेजा गया है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि दो मण्डलों में सर्वेक्षण हो रहा है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रकाश पंत जी को बताना चाहता हूँ कि राजस्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 11 जनपद राज्य सरकार के सर्वे में आये हैं, उसके अनुसार भारत सरकार के .... (व्यवधान)

मान्यवर, इन जनपदों में अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, चम्पावत, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल एवं टिहरी हैं। (व्यवधान)

हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर का नाम इनमें शायद इसलिए नहीं आया होगा, जैसा कि मैंने पहले भी अपने उत्तर में कहा कि जहाँ पर पहले से सिंचाई के संसाधन नहीं हैं और राजस्व विभाग के, भारत सरकार के जो मानक हैं, उन मानकों को राज्य सरकार को भी मानना होता है। उन्हीं मानकों के आधार पर सर्वे हुआ। मान्यवर, पर्वतीय अंचलों में जहाँ पर सिंचाई के संसाधन मात्र 10 प्रतिशत ही हैं। आज ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में 90 प्रतिशत संसाधन उपलब्ध हैं। इस प्रकार से राजस्व विभाग के आंकड़ों के आधार पर केवल 11 जनपद इसमें आये हैं। इन 11 जनपदों की जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें 14,174 गांव सूखाग्रस्त रूप में, राजस्व विभाग के अनुसार आये हैं तथा केवल 13575 गांव इसमें आये हैं जिसमें 599 अप्रभावित हुए हैं। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून की फसलें 50 प्रतिशत से कम क्षतिग्रस्त हुई हैं। जो राजस्व विभाग के आंकड़े हैं, उनके अनुसार यह स्थिति है।

श्री शहजाद-

मान्यवर, हरिद्वार जनपद में ट्यूबवैल भी कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज सूखे के कारण पूरा प्रदेश प्रभावित है, माननीय मंत्री जी आंकड़ों की बात कर रहे हैं। जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार तथा देहरादून इन जिलों पर प्रदेश की खाद्यान्न व्यवस्था निर्भर करती है और यह क्षेत्र भी सूखे से प्रभावित है। लेकिन मंत्री जी आंकड़ों की बात से इसे टाल रहे हैं। हमारी सुस्पष्ट जानकारी है कि यह क्षेत्र भी सूखे से प्रभावित है। मंत्री जी ने कहा कि 593 गांव भी छोड़ दिये गये और इन दो जनपदों को भी छोड़ दिया गया, जब कि इन जनपदों के 100 प्रतिशत क्षेत्र सूखे से प्रभावित हैं। मेरा यह प्रश्न है कि क्या पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए सरकार प्रयास करेगी?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय प्रकाश पंत जी को अवगत कराना चाहूंगा, जो कि हमारे सदन के बहुत ही विद्वान सदस्य हैं, मान्यवर, जो भी मानक प्रदेश सरकार बनाये या केन्द्र सरकार बनाये, जो भी मानक निर्धारित होते हैं, उन्हीं के अनुसार सर्वे का कार्य हमारे प्रदेश में किया गया। सम्पूर्ण प्रदेश तब सूखाग्रस्त घोषित होगा जब 50 प्रतिशत से ऊपर सूखे की रिपोर्ट राजस्व विभाग से आये। जहां तक मेरे व्यू की बात है तो यदि यह मेरे अधिकार में होता तो मैं पहले ही इसकी घोषणा कर देता। यह कृषि विभाग के अन्तर्गत नहीं है। जिस प्रकार से मानक हैं और जिस प्रकार से सर्वे की रिपोर्ट आई कि पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत ही सिंचाई संसाधन हैं और तराई के क्षेत्र में 90 प्रतिशत साधन हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, इस बारे में दोनों मण्डलों में अलग–अलग टीम आई है और सर्वे चल रहा है। मान्यवर, तीनों जनपदों की बात करें तो इन तीनों ही जनपदों में 50 प्रतिशत से कम सूखाग्रस्त खेती है, परन्तु प्रदेश सरकार सभी जनपदों को राहत दे रही है, केवल 11 जनपदों को ही राहत नहीं दे रही है, इसका लाभ सभी जनपदों को मिल रहा है।

श्री हरीदास–

मान्यवर, ये लाभ कौन–कौन से हैं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, मैं लाभों के बारे में बता देता हूं। सूखाग्रस्त घोषित तहसीलों की आगामी खरीफ फसल तक कृषकों के राजस्व मुख्य देयों भू–राजस्व एवं सिंचाई देयों की वसूली स्थगित करने तथा प्रदेश की इन सूखाग्रस्त तहसीलों में कृषकों से उक्त अवधि में विविध देयों, यथा बैंक देय, विद्युत देय, व्यापार कर आदि की वसूली हेतु जोर–दबाव न किये जाने का निर्णय लिया गया है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में, जहां राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना संचालित नहीं है, वहां सामान्य तथा सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगारपरक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। पेयजल

आपूर्ति, पशुचारे, खाद्यान्न, चिकित्सा, सिंचाई, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रभावितों में खरीफ में कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में राहत सहायता वितरित की जायेगी। मान्यवर, जो शंका जाहिर की गई है, आपने कहा कि हैण्डपम्प और ट्यूबवैल खराब हो गये हैं तो इनको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। ये तीनों जिले भी इसमें सम्मिलित हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि रोजगारपरक योजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी। सूखा करीब–करीब 9–10 महीनों से पड़ रहा है। तो अब तक क्या रोजगारपरक योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं? क्या इसका विवरण माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से देंगे? दूसरी बात, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं की जायेगी। यानि कि वसूली प्रारम्भ की गयी है। इसके मानक क्या हैं? इसको पूर्णतः निरस्त क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि केन्द्र की टीम में कितने सदस्य हैं? क्या ये लोग राजस्व विभाग और कृषि विभाग से मिले? ये लोग कहां–कहां पर गये? कितने विभागों का सर्वे इन्होंने कर लिया है? अभी कितना समय लग जाएगा,क्या कोई कट ऑफ डेट इसके लिए रखी गयी है? इसका विवरण भी माननीय मंत्री जी सदन में रखें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, वरिष्ठ सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना संचालित की है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह योजना आज थोड़ी लागू हो रही है। यह योजना सूखे के लिए थोड़ी है। यह योजना तो भारत सरकार की है। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार सूखे के कारण थोड़ी मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इसमें क्या फौरी इन्तजाम किये हैं? कई लोगों के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह बी0पी0एल0 के लोग हैं, क्या आप इनको अनाज पर सब्सिडी दे रहे हैं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, मैंने पहले भी बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना संचालित की जा रही है। इस बात को आप भी समझ रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह योजना सूखे के लिए नहीं है। यह योजना तो हमेशा चलती है, हर साल सूखा थोड़ी पड़ता है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी अपने बयान में संशोधन कर लें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना सूखे के लिए नहीं है। यदि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें तो इस पर हमको अवमानना का प्रश्न लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन में अपनी बात को कह रहे हैं। इसलिए इसमें संशोधन कर लें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, सम्भवतः मैं अपनी बात को ठीक तरह से कह नहीं पाया। रोजगार सृजन हेतु हमने भारत सरकार से धन की माँग की है, भारत सरकार की टीम राज्य में घूम रही है।

(माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट, श्री हरभजन सिंह चीमा और श्री काशी सिंह ऐरी जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सूखे के समय में राहत कार्यों से सम्बन्धित जो जानकारी दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें सारी जानकारी नहीं है। सरकार सूखा प्रभावित लोगों के लिए क्या करने जा रही है या करना चाहती है उसकी सही जानकारी नहीं है। सूखे के लिए भारत सरकार को क्या मेमोरेन्डम भेजा है आदि बहुत सारी जानकारियाँ हैं, तो मैं चाहूँगा कि आज बजट भी आने वाला है, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी तरफ से माननीय मंत्री जी को निर्देश चला जाए कि जब बजट पेश हो तो उस समय सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा क्या–क्या किया गया है और भारत सरकार से क्या मदद ली जा रही है, अन्य सभी जानकारियाँ उस वक्त सदन में रखें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सदन को सम्पूर्ण जानकारी दे सकता हूँ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हम तो बहुत छोटी जानकारी माँग रहे हैं। माननीय मंत्री जी मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर एक संदेश में दे सकते हैं। हम तो यह पूछ रहे हैं कि सरकार द्वारा भूखे लोगों को रोटी देने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? फौरी तौर पर क्या इंतजाम उन लोगों के लिए किये गये हैं?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

मान्यवर, ज्यादा दिक्कत कृषक भाइयों की वसूली से जुड़ी हुई है। उनसे विद्युत की वसूली, ट्यूबवैल चलते हैं, उसकी वसूली, पेयजल की वसूली, राजस्व की वसूली। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व ऋण बहुत कम होता है। मान्यवर, जितनी वसूलियाँ खरीफ की हैं, उन पर हमारी सरकार ने रोक लगा दी है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

*1. श्री प्रकाश पन्त-

(द्वितीय मंगलवार के तारा० प्र०सं०-1, नियम 29(4) हेतु स्था०)

तारांकित प्रश्न

निजी बी०एड० कॉलेजों में प्रवेश की नीति

*1. श्री मदन कौशिक

एवं

श्री नारायण सिंह जंतवाल-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि निजी बी०एड० कॉलेजों में प्रवेश हेतु क्या नीति बनायी गयी है?

अभी तक कितने निजी बी०एड० कॉलेजों को मान्यता दी गयी है?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

निजी बी०एड० कॉलेजों में कुल प्रवेश क्षमता का 50 प्रतिशत राज्य कोटा तथा 50 प्रतिशत प्रबन्धकीय कोटा निर्धारित किया गया है। राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बी०एड० प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर किये गये हैं तथा प्रबन्धकीय कोटे की सीटों पर भी प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर संस्थाओं द्वारा ही किये जाते हैं।

अभी तक 34 स्ववित्त पोषित संस्थाओं को बी०एड० पाठ्यक्रम संचालित किये जाने की मान्यता प्रदान की गयी है।

श्री मदन कौशिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मैरिट के आधार पर जो एडमिशन किये गये हैं, वह किस महीने किये गये हैं और जो प्रबन्धकीय कोटे में एडमिशन होंगे, वे किस महीने में होंगे? दूसरी बात यह है कि प्रबन्धकीय कोटे में प्रवेश की नीति क्या है? तथा जो वहाँ पर फॉर्म की बिक्री हो रही है, वह कितने रुपये में हो रही है? अन्य बहुत से प्रश्न हैं, वो मैं बाद में कहूँगा।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, राजकीय कोटे के अन्तर्गत जो एडमिशन किये गये हैं, उनमें फरवरी से पढ़ाई आरम्भ हो गई है। प्रबन्धकीय कोटे में अभी तक काउंसिलिंग नहीं हो पाई है। इसकी वजह से उस कोटे के अन्तर्गत जो विद्यार्थी चयनित हुए हैं, उनकी पढ़ाई अभी आरम्भ नहीं हो पाई है। प्रबन्धकीय कोटे की जो नीति है, वह इस प्रकार है कि सिद्धान्तः उन्हें मैरिट के अनुसार एडमिशन करने हैं। वर्ष 2005–06 में जो परीक्षा ली गई, उसकी मैरिट को इन लोगों ने मान लिया है। उस मैरिट में जो विद्यार्थी चयनित हैं, उन विद्यार्थियों को प्रबन्धकीय कोटे की सीट पर प्रवेश दिया जाना है। दिक्कत यह है कि ये विद्यार्थी किस विद्यालय में प्रवेश लेंगे? क्योंकि हर कॉलेज अपनी–अपनी काउंसिलिंग करेगा। क्योंकि किसी–किसी विद्यार्थी ने एक से अधिक कॉलेजों में अप्लाई कर रखा है और किसी ने दो–दो, तीन–तीन कॉलेजों में अप्लाई कर रखा है।

मान्यवर, कॉमन काउंसिलिंग के लिए तैयार नहीं हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि कॉमन काउंसिलिंग को पारदर्शी बना लिया जाय, ताकि प्रवेश शुरु हो सके।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि फरवरी में प्रवेश शुरु कर दिये थे और फरवरी से पढ़ाई शुरु हो गयी है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो प्रबन्धकीय कोटे में प्रवेश होने हैं, उनकी पढ़ाई का लॉस किस प्रकार सरकार पूरा करेगी? दूसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने कही है कि ये फार्म कितने में बेचे जा रहे हैं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है तो इस सम्बन्ध में मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ये फॉर्म 500 रु0 से लेकर 1000 रु0 तक में बेचे जा रहे हैं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूँ कि प्रबन्धकीय कोटे का स्ट्रक्चर क्या है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहाँ तक आपने फॉर्म की बिक्री की बात कही। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मुझे अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विज्ञापन में मैरिट 231 के ऊपर है और 34 संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं में हजारों छात्रों ने आवेदन किया है और आवेदन शुल्क इनसे लिया गया। मान्यवर, आज तक छात्रों को इन संस्थाओं में प्रवेश नहीं मिल पाया है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि फरवरी माह में पढ़ाई चालू हो गयी है और 50 प्रतिशत में अभी तक प्रवेश नहीं हो पाया है, इसमें प्रवेश की नीति नहीं बनायी गयी है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी परीक्षा कब तक संचालित की जायेगी? सरकार की स्पष्ट नीति न होने के कारण आज हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहाँ तक फॉर्म बिक्री की बात है तो इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी यहाँ पर काउंसिलिंग की बात आयी है, इस सम्बन्ध में जानना चाहता हूँ कि इसकी निश्चित तिथि क्या है? यह कब तक पूरी हो जायेगी? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि काउंसिलिंग पारदर्शी हो, इसके लिए क्या उपाय किये गये हैं? क्या यह भी निश्चित किया गया है कि प्रबन्धकीय कोटे में जो फीस निर्धारित की गयी है, उससे अधिक फीस वे संस्थान न लें?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह फीस हमने 24000 रु० से लेकर 28500 रु० तक फिक्स कर रखी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में तीन महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। पाई केस, इस्लाम केस, ईनामदार केस। मान्यवर, पाई केस में भी दो समितियां बनी हुई हैं। इनमें एक एडमिशन के लिए बनी हुई है और दूसरी फीस फिक्स करने के लिए बनी हुई है। मान्यवर, इस वर्ष काउंसिलिंग में व्यवधान पैदा हुआ है। इसको प्रबन्ध तंत्र देख रहा है, ताकि किसी भी बच्चे का उत्पीड़न न हो।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, कब तक करेंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, काउंसिलिंग करना उन्हीं के अधिकार में है, विश्वविद्यालय देखेगा कि 180 दिन न्यूनतम पढ़ाई हो जाए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सरकार यह देखेगी कि सत्र सही समय पर चले, यह सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सरकार की तरफ से बात हो रही है, कोर्ट में है इसलिए प्रबन्ध तंत्र को हमारे साथ निर्णय करना होगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यदि फॉर्म बेचे जा रहे हैं तो प्रमाण मिले, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि प्रमाण मिले तो क्या कार्यवाही करेंगे? मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रबन्ध कोटे में 24 से 29

हजार फीस है पर वर्तमान में एक से डेढ़ लाख फीस ली जा रही है. ऐसा क्यों? और तीसरा प्रश्न यह है कि ऐसे कितने विद्यालय शेष हैं जिन्होंने मानक पूरे किये थे, लेकिन मान्यता नहीं दी? इसके क्या कारण थे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने पहले भी 5 विद्यालयों के बारे में कहा था, सर्वोच्च न्यायालय माई केस में बच्चों से बढ़ी वसूली न कर सकें, उन्होंने कहा कि नो प्रॉफिटेबिल, मतलब बढ़ी वसूली न की जाये। मान्यवर, हाई कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने फीस स्ट्रक्चर जिस विद्यालय का जो तय किया, उतना ही लिया जाए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रमाण मिलने पर क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो प्रमाण मिलेंगे, उन कार्यवाही करेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरे पास रसीद भी है, एक से डेढ़ लाख लिया है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रमाण दे दें, वे कह रहे हैं कि कार्यवाही करेंगे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो कठोरतम कार्यवाही होगी, करेंगे।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार ने बताया है कि निजी संस्थानों द्वारा कोई तिथि तय नहीं की है, लेकिन कुमाऊँ में जितने भी निजी संस्थान हैं, तिथि तय की थी, लेकिन शासन द्वारा रोक दिया गया, निजी संस्थानों में काउंसिलिंग शुरु नहीं हुई है लेकिन मेरी जानकारी है कि रुड़की में एक कॉलेज को परमीशन भी दे दी है और उन्होंने एडमीशन किये हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कुछ संस्थानों ने सहयोग नहीं किया, इसी वजह से पूरी काउंसिलिंग व्यवधानित हो गई। मान्यवर, आदेश दिये जाएं कि सारे संस्थानों में काउंसिलिंग एक साथ हो।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा तय कर दी गयी थी, क्या रुड़की के किसी कॉलेज को एडमिशन के लिए अनुमति दे दी है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कुमाऊँ में जिन लोगों ने की थी, उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, इसलिए स्थगित करना पड़ा। मान्यवर, रुड़की की जानकारी मेरे पास नहीं है, जानकारी होगी तो बता देंगे। (व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार गलत जानकारी दे रही है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य में बी0एड0 के नाम पर बच्चों में ऐसी स्थिति हो गयी है और आज की तिथि में सरकार अपनी नीति निर्धारित नहीं कर सकी। मान्यवर, एक माननीय सदस्य ने अपनी सुस्पष्ट जानकारी दी है कि उत्तरांचल में एक निजी कॉलेज में प्रवेश प्रारम्भ हो गया है, सत्र प्रारम्भ हो गया है। बाकी जो 33 संस्थान हैं, उनमें अभी तक प्रवेश नहीं हुए हैं।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, कम अंक वाले को एडमिशन दे दिया गया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, श्री रावत जी ने सदन के समक्ष स्पष्ट जानकारी रखी कि एक विद्यालय ऐसा है जिसमें प्रवेश शुरु हो गये हैं, जो कट ऑफ मैरिट थी, उससे काफी नीचे प्रवेश दिये गये हैं, यह तथ्यात्मक जानकारी है। माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं हो सकती है। माननीय सदस्य की जानकारी को गलत नहीं माना जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार कर कार्यवाही करेंगे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आपकी जानकारी सही है, इसके लिए एक समिति है जिसने जाँच के उपरान्त अनुमति दी थी। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस पर चर्चा की जाय, 180 अंक वाले को प्रवेश नहीं दिया गया और 160 वाले को प्रवेश दे दिया गया है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि केवल एक संस्थान को मान्यता देना यह उजागर करता है कि सरकार पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्यवाही कर रही है। मैं चाहूँगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। जो छात्र छात्राएं बी0एड0 करना चाहते हैं, उनके साथ न्याय हो।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिटायर्ड न्यायमूर्ति की समिति बनाई है, इस प्रकार की दो समितियां हैं। उस समिति ने इस संस्थान के लिए संस्तुति की है इसलिए इसको अनुमति प्रदान की गई है। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, अगर मैरिट के आधार पर प्रवेश कर रहे हैं तो 180 अंक वाले को प्रवेश क्यों नहीं दिया गया, 160 वाले को प्रवेश क्यों दिया गया?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, क्या यह प्रदेश की न्याय समिति तय करेगी; आपने कहा कि न्याय समिति ने तय किया।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया तय की है।

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार ने कहा कि चयन काउंसिलिंग द्वारा किया जायेगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट मुद्दा है। (घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हम इस पर एक घंटे की चर्चा की मांग करते हैं। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इस पर सत्ता पक्ष भी बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह महत्वपूर्ण बिन्दु है। मैं इस पर सरकार से चर्चा की मांग करता हूं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, आपने जो प्रश्न उठाया है और उससे जो प्रश्न पैदा हुआ कि एक इंस्टीट्यूशन में लोअर मैरिट वाले को प्रवेश मिल गया। तो इसके साथ–साथ यह भी प्रक्रिया है कि इस तरह की यदि कोई शिकायत है तो जो अभ्यर्थी है, उसे उच्च शिक्षा निदेशक को (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि इस पर एक घंटे की चर्चा करायी जाये।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अगर कोई शिकायत है जैसे कि आपने बताया तो यह जांच का विषय है कि लोअर मैरिट वाले (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मेरा निवेदन है कि एक राज्य के अन्दर दो–दो नियम लागू किये जा रहे हैं, इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ पर पक्षपात हो रहा है, देयर इज नो आर्डर ऑफ लॉ। (व्यवधान)।

श्री गणेश गोदियाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गयी और उसने एडमिशन प्रक्रिया को हरी झंडी दी तो उस कमेटी को आधार मानते हुए अन्य अभ्यर्थियों को भी एडमिशन दिया जाये। यह मैं सरकार से जानना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो निर्धारित प्रक्रिया है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित कर रहा हूँ।

उत्तरकाशी में बस स्टैण्ड के समीप उद्योग विभाग के भवनों को हटाये जाने की कार्यवाही पर रोक की माँग

* 2–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में बस स्टैण्ड के समीप उद्योग विभाग के भवनों, बिक्री केन्द्र, कार्डिंग प्लान्ट, हस्तशिल्प इम्पोरियम, शॉल केन्द्र, नमदा केन्द्र, काष्ठ कला केन्द्र तथा अन्य प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्रों को जिला पंचायत व नगर पालिका परिषद् की क्षतिग्रस्त हुई दुकानों के निर्माण हेतु तुड़वाया जा रहा है?

क्या सरकार उद्योगविहीन जनपद उत्तरकाशी के हस्तशिल्पियों, बुनकरों, लघु उद्यमियों तथा बेरोजगारों के व्यापक हित में उद्योग विभाग के उक्त भवनों तथा केन्द्रों को हटाये जाने की कार्यवाही तत्काल रोकेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल)—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

मान्यवर, जनपद उत्तरकाशी में जो उद्योग विभाग का भवन है, उसमें कितनी भूमि है तथा वहाँ पर कितने भवन बने हैं?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल—

मान्यवर, उत्तरकाशी में जो उद्योग विभाग का भवन है, उसमें .80 हेक्टेयर जमीन है और उस जमीन पर 6 पक्के भवन तथा 2 टीन शेड हैं। उनमें उद्योग विभाग के विभिन्न कार्यकलाप होते हैं जिसमें कार्डिंग प्लांट, प्रदर्शन केन्द्र और मशीना केन्द्र के कार्य संचालित हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

मान्यवर, वहाँ पर इतने महत्वपूर्ण औद्योगिक विभाग के कार्य संचालित होते हैं तो क्या जरूरत थी कि इन भवनों को तोड़ने की एक बार चर्चा भी हुई और यह प्रक्रिया भी शुरु की गई?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल—

मान्यवर, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, इन भवनों को तोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं हुई और न ही यह भवन तोड़े गये।

श्री प्रीतम सिंह पंवार—

मान्यवर, इस भूमि में औद्योगिक विकास के लिए कुछ कार्यक्रम और संचालित किये जायेंगे?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार के समय से ही व्यय बचत आयोग के द्वारा जो विभागीय केन्द्र थे, उनको समाप्त करने की योजना स्वीकृत हो गई थी। जिसके तहत वहाँ पर जो भी केन्द्र संचालित थे, उनको बन्द कर दिया गया। वहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण केन्द्र था, कार्डिंग का उसे भी बन्द कर दिया था, तो लोगों की मांग पर और लोगों को रोजगार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से इसे पुनः चलाया गया।

श्री विजय पाल सिंह सजवाण—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि यह जो उद्योग विभाग की जमीन है, जब वरुणावत त्रासदी वहाँ पर हुई थी तो वहाँ पर जो जिला परिषद् और नगर पालिका की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। भारत

सरकार की इम्पावर्ड कमेटी वहाँ पर आई थी और उन्होंने कहा कि जिनकी दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें उद्योग विभाग की इस जमीन पर दुकानें बनाकर दी जायेंगी और उद्योग विभाग से इस जमीन को हस्तानांतरण किया जायेगा। मान्यवर, लेकिन यह नहीं हुआ। मेरा कहना यही है कि इस जगह पर जो नगर पालिका और जिला परिषद् की दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थीं उनके प्रभावितों को वहाँ पर दुकान बनाकर दी जानी चाहिए। ताकि उस त्रासदी के कारण जिनका व्यवसाय प्रभावित हो गया है, उनको वहाँ पर दुकानें बनाकर दी जानी चाहिए।

मान्यवर, जब उत्तरकाशी के 3-4 किलोमीटर के अन्दर भूमि उपलब्ध नहीं हुई, मान्यवर, वहाँ पर मात्र एक कटिंग सेंटर ही कार्य कर रहा है, इसके अलावा कोई गतिविधि वहाँ पर नहीं होती है और वहाँ पर दुकानों के निर्माण के लिए स्वीकृति और पैसा भी भारत सरकार द्वारा उपलब्ध है। तो वहाँ पर वरूणावत त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए दुकानों का निर्माण कराया जाना चाहिए। उद्योग विभाग से यह भूमि हस्तानांतरित करने का निर्णय और दुकानों के निर्माण का निर्णय भी लिया गया था। तो वहाँ पर उद्योग विभाग के केन्द्रों को कहीं और स्थानान्तरित कर वहाँ पर जिला परिषद् और नगर पालिका की दुकानों में व्यवसाय कर रहे व्यवसाइयों को इस भूमि पर दुकान बनाकर पूर्व में भारत सरकार की कमेटी द्वारा किये गये निर्णय, कि इसमें इन प्रभावितों को प्राथमिकता दी जावेगी, के आधार पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल-

मान्यवर, जहां तक सरकार की ओर से कोई निर्णय लेने के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। जहाँ तक विभागीय कार्यवाही की बात है तो उस समय भी सरकार ने उस जमीन को नगर पालिका को आवंटित करने का कोई निर्णय नहीं किया और वर्तमान में भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जहाँ तक वहाँ के लोगों को औद्योगिक सुविधा देने की बात है तो वहाँ पर ऐसे केन्द्रों की स्थापना और लोगों को दुकानें देने की बात है तो लोगों को रोजगार के प्रति जागरूक करने के लिए तथा प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उद्योग विभाग की यह जमीन बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर उसे तोड़कर जिला परिषद् या नगर पालिका को दुकान बनाने के लिए जमीन देने का कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया है।

श्री बिजय पाल सिंह सजवाण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अनुरोध करना चाहूँगा और माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि अभी तक के विकास के आंकड़े सदन में बता दिये जाएं कि कितने उद्योग वहाँ पर चल रहे हैं। कितने क्षेत्र इससे लाभान्वित हुए हैं? मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर्षिल और मोरी में भेड़ पालक हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय सदन से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इनकी भूमि को इसमें शामिल

न किया जाय। भारत सरकार की एक इम्पावर्ड कमेटी आयी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में भी एक बैठक हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था कि उद्योग विभाग के लिए जो जमीन है, वह कहीं और स्थानान्तरित कर दी जाय। वहाँ पर आस-पास व्यवसायिक संस्थान नहीं थे। मेरा अनुरोध है कि इस भूमि को यहाँ से स्थानान्तरित करने के लिए सरकार से कहें।

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल-

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य की पीड़ा को समझ रहा हूँ, वहाँ पर जो कार्डिंग प्लाण्ट है, वह परिवहन विभाग का जो स्टेशन है, उसके सामने है। उस क्षेत्र में ऊन का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, वह लोग यहाँ पर ऊन लाते हैं, और काट कर ले जाते हैं। इसलिए इसको स्थानान्तरित करना उस क्षेत्र के लोगों के हित में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो गलीचा केन्द्र और नमदा केन्द्र थे, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश के समय में व्यय-बचत आयोग की सिफारिशों के आधार पर इनको समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में हमारे यहाँ हथकरघा परिषद् का गठन कर दिया गया है ताकि हथकरघा की गतिविधियाँ सही तरीके से चल सकें। इसके लिए भी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में जो उद्योग विभाग के उपयोग की भूमि नहीं रहेगी, उसके बारे में सोच सकते हैं कि उसका क्या किया जाय। हमारा विभाग भी इसको नहीं देना चाहता है और सरकार भी इसको नहीं दे रही है।

प्रदेश में बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

*3. श्री हरबंस कपूर-

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में बाल विवाह कानून का उल्लंघन करते हुए, बाल विवाह हो रहे हैं?

यदि हाँ, तो बाल विवाह रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या मुख्यमंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि बाल विवाह कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

जी नहीं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि बाल विवाह से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण इस प्रदेश में नहीं है और कोई भी सूचना प्रदेश सरकार के पास नहीं है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि इस छोटे से प्रदेश में जहाँ सैकड़ों की संख्या में एन0जी0ओ0 काम कर रहे हैं और समाज कल्याण विभाग के रूप में सरकार का अपना विभाग भी है, परन्तु इसके पश्चात् भी अगर हम केन्द्र सरकार के सर्वेक्षण पर आधारित एक रिपोर्ट पर विचार करें तो आज 1 लाख 43 हजार लड़के–लड़कियां ऐसे हैं, जो कि 21 साल या 21 साल से कम उम्र के विवाहित हैं। यह बड़ी चिन्ता की बात है।

मान्यवर, 8008 उत्तरकाशी में, 18,209 देहरादून में, हरिद्वार में 25,823 तथा अन्य जनपदों में भी 18 साल से कम उम्र और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विवाह हुए हैं। क्या यह प्रकरण बाल विवाह की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। मान्यवर, जो उम्र बच्चों के लिखने–पढ़ने व खेलने–कूदने की होती है, उस उम्र में विवाह हो जाना अपने आप में चिन्ता का विषय है और उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है? और एन0जी0ओ0 से क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करते हुए समाज कल्याण विभाग ऐसे प्रकरणों को देखते हुए इन पर क्या कार्यवाही कर रहा है? छोटी उम्र में विवाह न हो, इस पर क्या कार्यवाही सरकार द्वारा, शासन द्वारा की जा रही है?

ऊर्जा मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

माननीय सदस्य ने बात कही कि 18 से 21 साल से कम उम्र में विवाह का कोई भी प्रकरण सरकार के समक्ष नहीं आया। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 21 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ है तो यह तो नियमानुकूल ही है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, बालिकाओं की उम्र तो 18 वर्ष है और बालकों की 21 वर्ष है किन्तु इनका विवाह इससे भी कम उम्र में हो रहा है। मेरे कहने में कुछ गलती हो गई होगी। कहने का आशय यह है कि कम उम्र में बाल विवाह हो रहे हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, एन0जी0ओज0 के माध्यम से भी लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है, उन्हें शिक्षित किया जा रहा है और लोगों को यह बात बताई जा रही है कि कम उम्र में विवाह होने पर क्या–क्या कानूनी कार्यवाही हो सकती है। इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग द्वारा 11 पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया है और प्रत्येक आँगनबाड़ी केन्द्रों में उन पुस्तकों को रखा जाता है और इसके माध्यम से भी जागरुकता फैलाई जा रही है। महिलाओं को उनके अधिकारों और

कर्तव्यों के बारे में बताया जा रहा है, यदि वे बाल विवाह को प्रोत्साहन देती हैं तो यह कानूनों का उल्लंघन होगा और इसमें दिये जाने वाले दण्ड के बारे में भी लोगों को बताया जा रहा है। बाल विवाह का एक प्रकरण प्रकाश में आया था जिसकी सूचना अमर उजाला और दैनिक जागरण में 18 तारीख को प्रकाशित हुई थी। हम लोग तत्काल गाँव में गये और विवाह को स्थगित करवाया। वह विवाह 21 तारीख को होना था, वहाँ पर ज्ञात हुआ कि उसका दादा अपने किसी रिश्तेदार के साथ छोटी बालिका का विवाह करना चाहता था। हमने उनके परिवार के सदस्यों को आगाह किया कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति की गई तो कठोर दण्ड दिया जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने एक स्पेसिफिक घटना का उल्लेख किया है और सम्मानित वरिष्ठ सदस्य ने मूल प्रश्न पर अपनी स्पेसिफिक जानकारी के आधार पर केन्द्र सरकार की रिपोर्ट का हवाला दिया है और केन्द्र सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण का उल्लेख है। उस सर्वेक्षण के आधार पर यह प्रमाण प्राप्त हुए हैं कि 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के मध्य प्रत्येक जनपद में कई बाल विवाह हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने अपने उत्तर में सीधे 'जी नहीं' कैसे कह दिया? इसका आधार क्या है? इसका मतलब है कि सरकार द्वारा कोई सर्वे नहीं कराया गया। क्या सरकार कोई सर्वे इस दिशा में करने पर विचार कर रही है? यदि करेगी तो कब करेगी और वह सर्वे का कार्य किस के माध्यम से होगा?

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, जहाँ तक सर्वे का सवाल है तो मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वे नहीं कराया गया है। समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर क्षेत्रीय जनता के माध्यम से अभी तक विभाग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। मान्यवर, ऐसी अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है, इस प्रकार का कोई शासनादेश हमारे पास नहीं आया है कि कोई बाल विवाह हुआ है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने केन्द्र सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसका संज्ञान लेकर कोई सर्वेक्षण करायेगी।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, अभी तक हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, यदि ऐसी कोई जानकारी है तो आप हमें उपलब्ध करा दीजिए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, रिपोर्ट की जानकारी उपलब्ध करा देंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार की एक घटना जिसका उल्लेख समाचार पत्र में हुआ था उसके बाद क्या

विभाग के अधिकारी वहाँ गये और उसको रोका गया, इसका सीधा अर्थ हुआ कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि कानूनन गलत हैं। इस घटना का उल्लेख अभी माननीय मंत्री जी ने भी किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इसका सर्वेक्षण किया गया था?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, यह एक सामाजिक दोष है, ऐसा प्रकरण जो शासन की जानकारी में आया तो उस पर तुरन्त रोक लगायी गयी। भारत सरकार की जो रिपोर्ट है, उसकी जानकारी, समय-समय पर सभी माननीय सदस्यों और जनता द्वारा उसका संज्ञान लिया जाता है। यह एक सामाजिक दोष है, इसके प्रति सभी दलों को दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर काम करना होगा और किया भी जाता है।

जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद औद्योगिक क्षेत्र "सिडकुल" में नव निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच

*4. श्री अजय भट्ट-

क्या औद्योगिक विकास मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जिले के रोशनाबाद स्थित औद्योगिक क्षेत्र "सिडकुल" में कराये गये नव निर्माण कार्य पहली बरसात में क्षतिग्रस्त हो गये हैं?

यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

क्या सरकार द्वारा उत्तरदायी निर्माण एजेन्सी के खिलाफ कार्यवाही या कोई जांच कराई गयी है?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्नगत कार्य नवम्बर, 2005 में ही पूर्ण हुआ है। गत बरसात में कार्य अधूरे थे, अर्थात अधूरे कार्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना समुचित प्रतीत नहीं होता। कार्य उच्च गुणवत्तानुसार कराये गये हैं एवं निर्धारित समय-सीमा में निर्माण करने पर सिडकुल की प्रशंसा भी की गयी है।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों को सबलेटिंग का कार्य दिया गया था। उन्होंने इस कार्य का सर्वेक्षण किया था?

यदि नहीं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? यदि कार्यवाही नहीं की गयी तो इसके क्या कारण हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सबलेटिंग की जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जिस विषय पर बात हो रही है, इस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सितारगंज में जो उद्योग लगे हैं, इनमें राज्य शासन ने जिनको काम दिया, उसके लिए कोई कांट्रेक्ट नहीं किया। मान्यवर, वहाँ पर जो निर्माणाधीन कम्पनियां हैं, इनमें नियमतः कार्य नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी मैं कागजों के साथ उपलब्ध करा रहा हूँ। मान्यवर, वहाँ पर जो एल्डिको के लोग हैं, वे वहाँ नहीं आते हैं और न ही हमारे सम्पर्क में आते हैं। मैंने अधिकारियों और मंत्रियों को अवगत कराया है कि जो टेंडर एल्डिको को दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सिडकुल द्वारा, जो उद्योग हरिद्वार के रोशनाबाद में हैं, इनमें निर्माण कार्यों में विभिन्न मदों में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पूरी जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है। 84 करोड़ 96 लाख रु० का निर्माण कार्य जो किया गया है और 76 करोड़ 90 लाख रु० का कार्य निर्माणाधीन है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि कार्य उच्च गुणवत्तानुसार कराये गये हैं एवं निर्धारित समय-सीमा में निर्माण करने पर सिडकुल की प्रशंसा भी की गयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सिडकुल की प्रशंसा किसके माध्यम से की गई?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सिडकुल की प्रशंसा, वहाँ पर जो उद्योगपति हैं, उनके द्वारा की गई है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सिडकुल का जो निर्माण कार्य हुआ है, जिससे सितारगंज की जनता प्रभावित है। मान्यवर, मैं आभारी हूँगा कि सिडकुल में आधारभूत सुविधायें विकसित करने का कार्य जो हमारी सरकार कर रही है तो यह कार्य किस तरह से देते हैं, कौन सी संस्था करती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, यह बता देंगे तो समस्या का समाधान हो सकेगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह कार्य टेण्डर के माध्यम से दिये गये हैं। चूँकि प्रश्न रोशनाबाद से सम्बन्धित था तो रोशनाबाद में कुल चार पैकेज बनाये, अलग–अलग सेक्टर में इन कार्यों को विकसित करने के लिए अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण ने विज्ञापन प्रकाशित किये और लोएस्ट टेण्डर को कार्य दिया गया।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जब औद्योगिक प्रक्रिया हुई तो उसका ढाँचा तैयार करने के लिए हैदराबाद की कम्पनी को दिया, उसके बाद एल्डिको को दिया।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रश्न रोशनाबाद का है, दूसरी जगह की बात न करें, मेरे पास जानकारी नहीं होगी।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, जब मैंने अधिकारियों से जानकारी ली।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, आप इसके लिए अलग से प्रश्न लगा लें, मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, तीन लोगों ने टेण्डर डाला। माननीय अध्यक्ष जी, सिडकुल की बात हो रही है, तब मैं कह रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप मूल प्रश्न से हटकर बात कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रोशनाबाद में जो सिडकुल संस्थान है, उसमें धेरजी इण्टरप्राइजेज लिमिटेड या धेरजी प्राइवेट कम्पनी ने काम किया है? यदि किया है तो क्या आप बतायेंगे कि यह कम्पनी काली सूची में दर्ज थी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, घेरजी कम्पनी कन्सलटेण्ट के रूप में है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कितने रुपये में कार्य दिया?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 85 लाख में दिया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह कम्पनी भारत के किसी स्थान में क्या काली सूची में दर्ज है या नहीं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं है।

प्रदेश को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय करों के अंश का विवरण

*5. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य को केन्द्रीय करों का अंश प्राप्त हो रहा है?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

क्या सरकार इसको बढ़ाये जाने के लिये प्रयास कर रही है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में वर्ष 2004–05 के आंकड़े निम्नानुसार हैं:– 2004–2005 : 515.97 (रु० करोड़ में)

राज्य को मिलने वाले केन्द्रीय करों के अंश का निर्धारण केन्द्र द्वारा किया जाता है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं कि हमारा प्रदेश एक हिमालय प्रदेश है, क्या सरकार ने अन्य हिमालय राज्यों के साथ कोई ऐसा तुलनात्मक अध्ययन किया है कि उनको कितनी धनराशि केन्द्र से मिलती है और हमें कितनी धनराशि मिलती है? मान्यवर, विशेष रूप से हिमाचल के साथ परिस्थितियाँ मिलती हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर अध्ययन किया है तो हिमाचल के साथ हमारी तुलनात्मक स्थिति क्या है?

मान्यवर, एक छोटा सा सवाल है कि जब हमारा राज्य अस्तित्व में आया था तो 11वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ जारी हो चुकी थीं, जो भी धनराशि मिली थी, वह उत्तर प्रदेश के साथ मिली।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जब 12वें वित्त आयोग के सामने हमने अपना पक्ष प्रस्तुत किया था और जो उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, हमारे राज्य द्वारा दिये गये सुझाव सम्मिलित हैं। मैं दूसरे राज्य की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। 12वें वित्त आयोग के समक्ष सभी ने, इसमें मुख्यमंत्री जी और मंत्रि परिषद् के सदस्य भी सम्मिलित थे, साथ ही हमारे विधान सभा के वरिष्ठ नेता विपक्ष का भी इसमें सुझाव गया था इसलिए हम लोगों को इसमें महत्वपूर्ण सफलता मिली। 11वें वित्त आयोग 01 अप्रैल, 2000 से लागू हो चुका था, 01 अप्रैल, 2005 को 12वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू हुई, उसमें जो हमारा प्रतिशत है, वह पहले के परिप्रेक्ष्य में बढ़ाकर .939 प्रतिशत कर दिया गया, इसमें लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह हमारी उपलब्धि है।

वर्ष 2005–2010 के बीच उत्तरांचल के लिए 5 हजार 762 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। जबकि पिछले वर्षों में 2001–2002 में 352 करोड़ फिर 374,434,418 हुआ। आपका कहना सही है कि 12वें वित्त आयोग में हमारी काफी अच्छी स्थिति रही है। वर्ष 2005–2006 में हमारा जो पुनरीक्षित अनुमान है, वह 858 करोड़ का है और वर्ष 2006–2007 में 1047 करोड़ है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, 12वें वित्त आयोग में हमको ज्यादा मिला है। 11वें वित्त आयोग में हम उत्तर प्रदेश का हिस्सा होने के नाते हमें उसी रेश्यो में मिला। हिमाचल पूरा राज्य था। जहाँ एक मंत्री जी ने कहा था कि हिमाचल को साढ़े 4 करोड़ मिला था, हमको बहुत कम मिला। 12वें वित्त आयोग में सरकार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया और हमारे सब लोगों ने प्रयास किया और हमको हिस्सा दिया गया। मंत्री जी ने कहा कि आगे भी 12वें वित्त आयोग से हमको मिलने की उम्मीद है।

मान्यवर, जब आपने जवाब दिया है कि राज्यों का कर का जो हिस्सा मिलता है। माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या सरकार इसको बढ़ाये जाने के लिये प्रयास कर रही है? जवाब है कि राज्य को मिलने वाले केन्द्रीय करों के अंश का निर्धारण केन्द्र द्वारा किया जाता है। यह बात भी सही है कि केन्द्र सरकार फार्मूला तय करती है, फार्मूले समय–समय पर बदलते हैं। राज्य भी कर की राशि की वसूली को देखते हैं तो राज्यों का हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

मान्यवर, माननीय सदस्य की जो भावना है और हमारी भी भावना है कि हमको प्रयास करना चाहिए, केन्द्र सरकार को अपना केस बनाकर देना चाहिए कि हमारा हिमालयी राज्य है, नया राज्य है और जो फार्मूला केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, यदि उस फार्मूले को यहाँ भी लागू किया जायेगा तो हमको फायदा कम

होगा। अतः जो केन्द्र सरकार का फार्मूला है, उसमें परिवर्तन कराने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमको ज्यादा फायदा हो सके। क्या इसके लिए सरकार प्रयास करेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहाँ तक करों में हिस्सेदारी का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को 0.522 प्रतिशत 12वें वित्त आयोग ने दिया है और हमको इससे ज्यादा दिया है, दूसरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बाकी है जिसे हम सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। इस बारे में केन्द्र सरकार से वार्ता चल रही है, लगभग 25 हजार करोड़ रुपये इससे केन्द्र सरकार को प्राप्त होने का अंदाज है। शायद अन्य सब करों को मिला कर भी इतनी धनराशि प्राप्त न हुई होगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात सुविधा हेतु सड़कों की सुधार योजना

1. श्री हरबंस कपूर–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में यातायात की सुविधा हेतु सड़क के सुधार की कोई योजना प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सिडकुल द्वारा विकसित क्षेत्र को छोड़कर अवशेष क्षेत्र में जो दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है, में प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य हेतु योजना बनायी गयी है।

सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा मुख्य कैम्प रोड का निर्माण कराया गया है तथा अटक फार्म एवं जमनीपुर औद्योगिक प्रखण्डीय मार्गों के सुधार कार्य हेतु रु0 15.63 लाख, छरबा (लांघा रोड) औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक

नोट–तारांकित प्रश्न संख्या (6) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रखण्डीय मार्ग के निर्माण हेतु रुपये 9.65 लाख, माजरी ग्रांट औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रखण्डीय मार्ग के निर्माण हेतु रुपये 5.75 लाख की योजना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून अन्तर्गत मसूरी स्थित घण्टाघर पर मरम्मत कार्य पर व्यय

2. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या आवास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मसूरी स्थित घण्टाघर पर वर्ष 2004–05 व 2005–06 में मरम्मत का कार्य किया गया?

यदि हाँ, तो इसका व्यय विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2004–05 में रुपये 9,62,099.46 एवं वित्तीय वर्ष 2005–06 में 25,000.00 की धनराशि का व्यय किया गया।

उपरोक्तानुसार।

श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव

3. श्रीमती आशा देवी–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु राजकीय कर्मचारियों की भांति 60 वर्ष किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है तथा इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती अमृता रावत–

जी हाँ।

इस सन्दर्भ में मन्दिर समिति से कतिपय बिन्दुओं पर विवरण मांगा गया है शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त ही इस सन्दर्भ में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मोथरोवाला–दूधली मोटर मार्ग पर नालों के निर्माण पर व्यय का विवरण

4. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत मोथरोवाला–दूधली मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि उक्त मार्ग पर ग्राम दोडवाला से दूधली के मध्य अनेक बरसाती नाले हैं, जिनसे बरसात में बाढ़ की स्थिति बन जाती है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त नालों पर पुलिया, स्कीपर, रपटे आदि बनाये जाने हेतु धन आवंटन किया गया है?

यदि हाँ, तो कितना?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों के लिये धन आवंटित करेगी?

श्रीमती अमृता रावत–

जी नहीं।

जी हाँ।

जी हाँ।

रू0 36.34 लाख।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 में प्राप्त सूचनाओं को मैं नियम 56 में सुन रहा हूँ और माननीय श्री हरभजन सिंह चीमा तथा श्री अरविन्द पाण्डे की सूचना को भी ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे दो–दो मिनट में अपनी बात रखें।

*श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को सम्मानित सदन के समक्ष उपस्थित करने का मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रीमन्, जनपद पिथौरागढ़ के दूरस्थ ग्रामीण अंचल की तहसील (व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि पहले स्थानीय विधायक की बात सुन ली जाये।

श्री अध्यक्ष–

जिन माननीय सदस्यों की सूचना प्राप्त हुई है, मैं उनको दो–दो मिनट में सुन लूँगा। (व्यवधान)

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पहली हमारी सूचना है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, गंगोलीहाट में अनुसूचित जाति बाहुल्य (व्यवधान) मान्यवर, चूँकि यह घटना किस बात की पृष्ठभूमि पर हुई है, इसकी जानकारी पूरे प्रदेश को है, पूरे राज्य में आन्दोलन और प्रदर्शन हो रहे हैं। मान्यवर, एक गांव है चलारवाड़ा जो अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम है। शराब की दुकान के बगल में यह गांव है। वहां की तीन पीढ़ियां शराब की दुकान की वजह से बरबाद हो चुकी हैं। इस कारण रीना आर्या, नंदी देवी, विमला देवी, हरी देवी, जयन्ती देवी, रेबुली देवी, बिकरी देवी, कमला, गोविन्दी देवी तथा शान्ति देवी सहित 11 महिलाएं शराब की दुकान के सामने धरना दे रही थीं।

यह 11 महिलायें 4 अप्रैल से शराब की दुकान के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई। यह धरना रात और दिन चल रहा है। श्रीमन्, यह घटना दिनांक 11 अप्रैल को प्रकाश में आई। 11 अप्रैल के दिन रात के 9.00 बजे एक व्यक्ति लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में पहुंचा जिसने लोक निर्माण विभाग के रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 96 में क्रमांक 524 में रात 9 बजे अपनी इन्ट्री की है, जिसमें उसने अपना नाम श्यामवीर लिखा है तथा उसने अपने को आबकारी विभाग का अधिकारी बताया। उसी दिन इस घटना से 5 घंटे पहले क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी धरनास्थल पर आये और धरने पर बैठी महिलाओं से कहा कि यदि आपने धरना समाप्त नहीं किया और यदि कोई घटना हो गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

इस बात को क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से कहा था कि धरनास्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जाय क्योंकि महिलायें दिन रात धरना दे रही हैं तथा शराब से जुड़े हुए विभिन्न लोग तथा अराजक तत्व कोई भी घटना कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। 11 अप्रैल की रात में जब सारी महिलायें धरना स्थल पर सो गईं। 12 अप्रैल की सुबह एक महिला श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री किशन राम धरनास्थल पर नहीं मिली। जब अन्य महिलाओं द्वारा उन्हें ढूंढने का प्रयास किया गया तो शराब की दुकान से थोड़ी दूर पर अर्धनग्न और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बेहोशी की हालत में मिलीं, उनका ब्लाउज फटा हुआ था और उनकी मुट्ठी में रेत तथा मिट्टी भरी थी। उनकी हालत बयां कर रही थी कि कुछ न कुछ अनहोनी उनके साथ हुई है। उसके बाद वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा उनके ही शॉल से ढककर उन्हें 7 बजे चिकित्सालय ले जाया गया। चिकित्सालय पहुंचने के बाद उन्हें आनन-फानन में जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के लिए 8 बजे भेज दिया गया। श्रीमन्, गंगोलीहाट से पिथौरागढ़ का वाहन से रास्ता मात्र 70 किलोमीटर का है तथा वाहन से वहां पहुंचने में ढाई घंटे ही लगते हैं, लेकिन वह महिला वहां पर 3 बजे तक नहीं पहुंची थी और मैं स्वयं पिथौरागढ़ में था और लगातार सम्पर्क कर रहा था।

जब इन्हें 3 बजे जिला चिकित्सालय में लाया गया तो सम्पर्क करने पर पता चला कि इनकी प्राथमिक सूचना दर्ज ही नहीं की गई है, उसके बाद जब हमने यहां के नागरिकों और जन प्रतिनिधियों को अवगत कराया तो 12.00 बजे इस घटना की चश्मदीद गवाह रीना आर्या द्वारा इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और रिपोर्ट के आधार को लेकर के हमने पुलिस के अधिकारियों से कहा कि पीड़ित महिला की मेडिकल जांच कराई जाय। यह पहला प्रश्न है कि इस घटना की एफ0आई0आर0 क्यों नहीं दर्ज की गई और किसी ने उस पीड़ित महिला का बयान भी नहीं लिया। दूसरा प्रश्न यह है कि इस घटना के 6 दिन बीतने के बाद भी घटना स्थल पर जिले से शीर्षस्थ प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे जबकि वहां पर सारा काम-काज बन्द पड़ा हुआ है और लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और न ही सरकार का कोई प्रतिनिधि वहां पर पहुंचा है।

श्रीमन्, 14 अप्रैल को रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई और 14 अप्रैल को वहां पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा आम सभा के माध्यम से 6 लोगों को नामजद किया है और जो आन्दोलनकारी महिलायें थीं उन्होंने खुले मंच से आरोप लगाया है कि इन लोगों पर हमें शक है। मान्यवर, प्रशासन ने वहां पर घटना से पहले और घटना के बाद भी रात्रि में पुलिस गश्त का कोई इन्तजाम नहीं किया है।

श्रीमन्, इसके साथ ही एक और तथ्य सम्मानित सदन के सामने लाना चाहूंगा। आज की तिथि तक वहां पर जिला प्रशासन इस घटना की लीपापोती करने पर तुला हुआ है। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन महिलाओं को बार-बार गुपचुप तरीके से ले जाया जा रहा है, उनके माध्यम से कलमबद्ध बयान दर्ज कराकर इस मामले में लीपापोती की जा रही है। एक बात और कही गयी कि इसमें बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। निश्चित रूप से इस दलित महिला के साथ न्याय नहीं हुआ। वहां के क्षेत्रवासियों की मांग है कि इस मामले की जांच सी0बी0आई0 से की जाय और यदि सी0बी0आई0 से जांच कराना संभव न हो तो न्यायिक जांच करायी जाय। आज समाचार-पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि सरकार ने इसकी जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराने की घोषणा कर दी है। यदि इसकी सी0बी0आई0 या न्यायिक जांच नहीं की जाएगी तो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता है।

मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 गेस्ट हाउस में 11 अप्रैल की रात जो लोग रुके थे, वे कौन थे? रातों-रात इस घटना के बाद ये लोग कहां गायब हो गये? श्यामवीर कहां गायब हो गया? ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पीड़ित महिला को 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाय। मान्यवर, तीसरी बात, इस घटना के पीछे का प्रमुख बिन्दु,

जो इस घटना की पृष्ठभूमि में है, वह शराब की दुकान है। इस दुकान को अविलम्ब बन्द किया जाय, यह उस क्षेत्र के लोगों की माग है। मान्यवर, एक बात आयी कि बलात्कार नहीं हुआ। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375 में उल्लिखित है– "भारतीय परिप्रेक्ष्य में संपुष्टि की अनुपस्थिति में लैंगिक हमले के पीड़ित के साक्ष्य पर कार्य करने से इन्कार करना नियम के रूप में क्षति में अपमान जोड़ना है। सिद्धान्ततः लैंगिक हमले के पीड़ित का साक्ष्य और चोटिल साक्षी का साक्ष्य समान स्थान पर ही खड़ा है। यदि पीड़ित के साक्ष्य में कोई मूल कमी नहीं है, और सम्भावना घटक उसे अविश्वसनीय नहीं बनाते, सामान्य नियम यह है कि सिवाय चिकित्सीय साक्ष्य के जहाँ संपुष्टि की प्रत्याशा की जा सकती है।"

श्रीमन्, यह बात गुजरात के सम्मानित उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कही है। इसके अलावा पीड़ित महिला कह रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। कोई महिला ऐसा नहीं कहती है, यदि वह कह रही है और 164 का बयान दर्ज कराया है तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। पुलिस ने इस बात का स्पष्ट खुलासा नहीं किया है कि इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई हुई। मान्यवर, इन चार बिन्दुओं पर विचार करना है। आज उत्तरांचल की धरती शर्मसार हुई है। एक दलित महिला नहीं बल्कि उत्तरांचल की बेटी का बलात्कार हुआ है, इस विषय पर सत्ता पक्ष के भी कई सम्मानित सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि आज सदन का शेष कार्य रोक कर इस अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय पर चर्चा करायी जाय।

श्री नारायण राम आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रकरण है। अनुसूचित जाति के लोग जो सरकार पर विशेष आस्था रखते हैं, उनके साथ इस प्रकार की घटना होना अत्यधिक शर्मनाक है। मान्यवर, गंगोलीहाट के हाट ग्राम सभा में पतारवाड़ा ग्राम है, वहां पर 30 अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। उनके परिवार प्रायः शराब के नशे से निरन्तर उजड़ चुके है1 यहां तक कि उनकी जमीन पर भी धनाढ्य लोगों ने नियमों के विपरीत खरीद–फरोख्त करके उन पर अपने मकान आदि बना लिये हैं। वहां की महिलाओं ने पीड़ित होकर 4 अप्रैल, 2006 से शराब की दुकान को हटाने के लिए आन्दोलन किया था, जो कि 24 घण्टे रात दिन चलता रहा। उन्होंने इसके सम्बन्ध में एक नोटिस भी जिला प्रशासन को दिया था।

मान्यवर, इसकी कॉपी उन्होंने चौकी प्रभारी, अमर उजाला, दैनिक जागरण के सम्पादक, वहाँ के क्षेत्र प्रमुख को, वहां के छात्र संघ अध्यक्ष को, छात्र नेता विमल रावत, रोहित जोशी, समस्त युवक मंगल दलों, विमला, जयंती देवी, तारा देवी, कलावती देवी, गीता, रेवती, बबलू आदि 50 संगठनों को जिसकी प्रतिलिपि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी।

मान्यवर, इसके बाद 9 तारीख को जब मैं अपने क्षेत्र के भ्रमण पर गया, मैंने स्वयं घटना स्थल पर जाकर उपजिलाधिकारी, थाना प्रमुख को बुलाया और उनको निर्देशित किया कि यह महिलायें रात–दिन शराब की दुकानों को हटाने के विषय में लगातार धरने पर बैठी हुई हैं, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए लेकिन बड़े खेद के साथ मुझे माननीय सदन को अवगत कराना पड़ रहा है कि इन अधिकारियों के कानों पर जूँ तक नहीं रेंगी और उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गई। (क्षोभ की ध्वनि) 11 तारीख की रात को 11 बजे किसी नकाबपोश द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया, जो कि अत्यधिक शर्मनाक बात है। वह महिला प्रातः काल किसी खण्डहर में अचेत अवस्था में मिली लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब मैं अपने क्षेत्र भ्रमण से जिला मुख्यालय में आया तो मुझे इस बात की जानकारी मिली कि उक्त महिला को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला मुख्यालय में भेज दिया गया है और मैं जब उस महिला का हाल–चाल पूछने के लिए चिकित्सालय की तरफ अपनी गाड़ी को बढ़ रहा था तो शिलथान चौराहे पर हमारे मित्रों ने जुलूस निकालकर मेरे आने की सूचना से अवगत कराते हुए मेरे रास्ते को रोक दिया। मुझे जिला चिकित्सालय में जाने से रोका गया। मैं जबरदस्ती गाड़ी से उतरा और जिला चिकित्सालय में जाने का साहस किया। इस बीच मुझे वहाँ पर कुछ ही दूरी पर सम्मानित विधान सभा सदस्य मिले, मैंने उनसे भी उस पीड़ित महिला से मिलवाने का निवेदन किया।

मान्यवर, मुझे इस बात का दुख है कि संविधान के मूल अधिकारों में होने के बाद भी बलात्कार की घटना को तो पंजीकृत किया गया किन्तु एस0सी0 एक्ट के तहत इस अपराध को पंजीकृत नहीं किया गया, जो अत्यधिक दुख की बात है। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में व्याख्या की गई है कि 36 बिन्दुओं पर यदि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ इस प्रकार का अत्याचार होता है तो एस0सी0, एस0टी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस प्रशासन द्वारा एस0सी0, एस0टी0 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। जब मैंने जिला प्रशासन को निर्देशित किया और निवेदन भी किया कि वह एस0सी0, एस0टी0 एक्ट में मुकदमा दर्ज करे किन्तु फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया।

मान्यवर, जब मैं दूसरे दिन आक्रोशित जनता के बीच, अपने परिवार के सदस्यों के बीच आहत होकर गया तो कुछ राजनीतिक दलों के लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रहे थे, उन लोगों को उस दलित महिला के साथ और उनके परिवार की कोई चिन्ता नहीं थी। मान्यवर, एक समूह के रूप में जिन लोगों ने उन महिलाओं पर आक्रमण के लिए नीति बनायी थी और जिन लोगों के नाम महिला ने बताये हैं। मान्यवर, दो हजार से अधिक लोगों की भीड़ के सामने जिन लोगों के नाम बताये गये

हैं, इस सम्बन्ध में मैंने प्रशासन से अनुरोध किया कि आप इस गांव के लोगों की सुरक्षा करें, लेकिन आज तक वहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

मान्यवर, इन लोगों के पास एक समय का चूल्हा जलाने के लिए भी पैसा नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरह से रामपुर तिराहे काण्ड की सी0बी0आई0 जांच करायी गयी, ठीक उसी तरह से इस घटना की भी सी0बी0आई0 जांच करायी जाय, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों का विश्वास इस सरकार पर बना रहे। मान्यवर, यह इस क्षेत्र की पहली घटना नहीं है। इससे पूर्व भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ चार घटनाएं घटित हो चुकी हैं, यह पांचवी घटना है। मान्यवर, जैसा कि माननीय प्रकाश पन्त जी ने कहा है कि उस दिन वहाँ लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में कुछ शराब माफिया लोग थे, इस बिन्दु की जांच होनी चाहिए. जिन लोगों को इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी, उन्होंने सुरक्षा क्यों नहीं की, इनको निलम्बित किया जाय। मान्यवर, इस गांव में सुरक्षा के समुचित प्रबन्ध किये जायं। इनको समुचित मुआवजा दिया जाय, और इनकी सम्पत्ति को पुनः वापिस करा लिया जाय। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस घटना की सी0बी0आई0 जांच करायी जाय, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों का विश्वास इस सरकार पर बना रहे, इससे मुझे भी प्रसन्नता होगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह घटना पूरी तरह से आहत करने वाली है, इसने हमारी मानवता को भी कलंकित किया है। मान्यवर, हमने इस घटना को गम्भीरता से नियम 311 के अन्तर्गत उठाया था। आपने नियम 58 के अन्तर्गत सुना। मान्यवर, आपने इसमें बड़ी सहृदयता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है। मान्यवर, आपने नियमों और परम्पराओं के विपरीत भी हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी निर्विवाद रूप से बोलने का मौका दिया है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, विपरीत शब्द के स्थान पर शिथिल शब्द जोड़ दिया जाय।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यदि वही गम्भीरता और संवेदनशीलता हमारी सरकार ने और हमारे प्रशासन ने दिखायी होती तो मैं समझता हूँ कि यह शर्मनाक और घृणित घटना घटित नहीं होती। मान्यवर, पूरा विवरण माननीय सदस्यों के माध्यम से सदन में आ चुका है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मान्यवर, जो बिन्दु छूटे हैं, मैं उनकी ओर सदन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, धरने में बैठी कुछ महिलाओं को वहाँ के एस0डी0एम0 साहब के माध्यम से डाक बंगले में बुलाया गया। उन महिलाओं ने यह भी पब्लिक मीटिंग में कहा है कि एस0डी0एम0 साहब ने बुलाया और कहा कि समझौता कर लो, आंदोलन समाप्त कर दो। मान्यवर, ये बिन्दु भी जाँच में आने चाहिए कि प्रशासन जो भी वहाँ व्यवस्था करता है, वह माफियाओं के दबाव में था या शासन के दबाव में था,

क्योंकि एस0डी0एम0 ने पहल कर यह कहा कि आन्दोलन को कम करो, खत्म करो। यह रूटीन ड्यूटी में किया तो हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा कहना, कि जो कुछ आपको चाहिए, दे दिया जायेगा, इससे लगता है कि कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा शराब माफियाओं को संरक्षण तो नहीं दिया जा रहा है, यह स्थिति गलत है। मान्यवर, उसी तरह से अस्कोट में मामला चल रहा है, तो क्या सरकार इन्तजार कर रही है कि वहाँ भी हादसा हो जाये, तब वहाँ कार्यवाही करेंगे? मान्यवर, सरकार को उसके लिए सी0बी0आई0 से जाँच करानी चाहिए, लेकिन क्यों देरी की गई, अभी तो सीज कर दी, क्यों नहीं तब सीज की, जब से आन्दोलन–धरना शुरू हुआ, तब कदम क्यों नहीं उठाया गया, अस्कोट में अब तक क्यों नहीं देखा, यह मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि नोटिस दे दिया गया था और कहा गया था कि हमारी सुरक्षा की जाए। मान्यवर, बिना किसी नोटिस के भी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कहीं पर भी धरने प्रदर्शन हो रहे हों और खासकर जिनमें महिलायें हों तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी देख–रेख करें। पर पुलिस ने अपनी भूमिका कैसे निभाई, यह स्पष्ट है। मान्यवर, माननीय पंत जी ने कहा कि गंगोलीहाट से पिथौरागढ़ उस पीड़ित महिला को जब लाया गया तो कोई भी महिला आरक्षी नहीं थी, उसके साथ पुरुष आरक्षी था, इस घटना से पूरा प्रदेश सकते में आ गया, सरकार कटघरे में खड़ी हो गयी। मान्यवर, सरकार के कार्यों से किस तरह से अशान्ति और दुर्घटनायें घटित हो रही हैं, इस पर विचार करना चाहिए। सरकार के लिए आवश्यक है और सरकार इसका दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है और जनता से संशय हटाना चाहती है तो सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इसमें उच्च स्तरीय जाँच चाहे, सी0बी0आई0 से चाहे न्यायिक जाँच से हो। मैं समझता हूँ कि लोग सहमत नहीं होंगे इसलिए उस पर सी0बी0आई0 या न्यायिक जाँच होनी चाहिए और सरकार जो खुलेआम व्यवस्था करा रही है, उसके बारे में बाद में विचार करेंगे, लेकिन इस शर्मनाक घटना पर मेरा आग्रह है कि सी0बी0आई0 की जाँच होनी चाहिए और इसको सख्ती से रखना चाहिए। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इस पर विचार कराया जाए।

*श्री हरीदास–

मान्यवर, आपने मुझे नियम 311 की नोटिस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, आज लोगों का हमारी प्रदेश की पुलिस से विश्वास उठ गया है जैसा कि अभी पिथौरागढ़ की जानकारी दी गई। इसके साथ–साथ हमारे जनपद हरिद्वार में ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप गंगोलीहाट की सूचना पर बोलें।

श्री हरीदास–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आपने कहा था कि इस पर सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप गंगोलीहाट की सूचना पर बोलें।

श्री हरीदास–

मान्यवर, यह जो घटना हुई है, इसमें दलित महिला धरने पर बैठी थी और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इससे पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त है। इसमें एस0सी0, एस0टी0 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे माननीय विधायक चौ0 यशवीर सिंह जी भी वहाँ गये थे। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस महिला को दस लाख का मुआवजा देना चाहिए और सी0बी0आई0 जाँच होनी चाहिए। एस0सी0, एस0टी0 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि जो तीन–चार हमारे प्रकरण हैं, उन पर कार्यवाही की जाय।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गंगोलीहाट प्रकरण पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, इस विषय में लगभग सभी तथ्य सदन के सम्मुख आ चुके हैं। सत्तापक्ष के अधिकांश सदस्य इसमें भागीदार होना चाहते हैं, इस पर बोलना चाहते हैं और मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने इतने संवेदनशील विषय को नियमों से ऊपर उठकर जो आज्ञा दी है, इतिहास कायम किया है, उसके लिए मैं आपको कोटि–कोटि बधाई देना चाहता हूँ। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। एक महिला को रात में उठाकर ले जाया गया और वहां के डाक बंगले में कुछ बदमाश रुके थे और फिर महिला नग्न अवस्था में पायी गयी और दो, ढाई घंटे की जो यात्रा जिला मुख्यालय तक जाने की थी, उसमें 5–7 घंटे लगाये गये और मेडिकल में यह कह दिया गया कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। जब उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान माताओं, बहनों के साथ बलात्कार हुआ था तो उस समय जब उच्च न्यायालय के सामने यह प्रकरण गया तो माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि कोई भी महिला अपने खिलाफ ऐसा कोई आरोप लगाना उचित नहीं समझती है। विशेष कर पर्वतीय क्षेत्र की महिला, भारतीय संस्कृति की महिला। इसके लिए सी0बी0आई0 को कार्यवाही के लिए कहा गया था और उनके कथन को सत्य मानते हुए सी0बी0आई0 से कार्यवाही कराई गयी थी और दस–दस लाख रुपये पीड़ित महिलाओं को मुआवजा दिया गया था।

मान्यवर, प्रश्न यह है कि इतने लम्बे समय से जब महिलाएं वहाँ पर धरने पर बैठी हुई थीं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी? महिला पुलिसकर्मी

क्यों नही बुलायी गयीं? महिला पुलिसकर्मी छोड़ भी दें तो भी उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था तो करनी ही चाहिए थी। आपकी एल0आई0यू0 क्या कर रही थी? दूसरी एजेन्सियां क्या कर रही थीं? इससे साफ साबित होता है कि इस सरकार को माफिया चला रहे हैं, सरकार को विशेष कर शराब माफिया के लोग चला रहे हैं। शराब व्यवसायियों का पूरा-पूरा शिकंजा वहाँ पर था और प्रशासन को भी यह पता था। क्या कारण था कि परगनाधिकारी को आन्दोलनकारियों को बुलाना पड़ा कि कम्प्रोमाइज कर लो? जिले के डी0एम0 ने अभी तक वहाँ का दौरा नहीं किया, एस0एस0पी0 ने वहाँ का दौरा नहीं किया। हमारा 13 जिलों का प्रदेश है, सारी तहसीलें जल रही हैं- रामनगर, हल्द्वानी, रानीखेत कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहाँ पर इस घटना को लेकर आन्दोलन न चल रहे हों। जिस तरह उत्तराखण्ड आन्दोलन में लोग उतरे थे, उसी तरह आज भी लोग आन्दोलन कर रहे हैं, इसके बावजूद भी सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति वहाँ नही गया। इससे ज्यादा शर्मनाक और खेदजनक बात और क्या हो सकती है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ डाक्टरों का एक पैनल बनाकर भेजा जाये।

श्री नारायण राम आर्य-

मान्यवर, इसे कार्यवाही से हटा दिया जाये। मैं स्वयं वहाँ दो बार गया हूँ।

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, आप मंत्री नहीं हैं। आप विधायक हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार डाक्टरों का पैनल बनाकर भेजे और पुनः उनका मेडिकल कराया जाये और सी0बी0आई0 से कम किसी भी एजेन्सी से इसकी जांच न करायी जाये या फिर न्यायिक जांच इस प्रकरण की करायी जाये और पीड़ित महिला को 10 लाख रुपये मुआवजा, उसी तर्ज पर दिया जाये, जिस तर्ज पर उत्तराखण्ड आन्दोलन के दौरान पीड़ितों को दिया गया था तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसका आदेश दिया था। इसमें सम्बन्धित अधिकारियों को निलम्बित किया जाये और सार्वजनिक स्थानों से शराब की दुकानों को हटाया जाये। बाजारों के पास, मन्दिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों के पास कई जगह पर जैसा कि एक्ट में भी लिखा हुआ है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें न खोली जायें।

और मान्यवर, 376 आई0पी0सी0 में साफ लिखा गया है कि अगर कोई किसी पर आरोप लगाता है कि उसने उसके साथ बलात्कार किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ कि मैंने बलात्कार नही किया है, इसके लिए जो व्यक्ति आरोपित है, जिसका नाम एफ0आई0आर0 में लिखा गया है, वह करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है, इस घटना से पूरा प्रदेश आन्दोलित है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय भट्ट जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारा तो कहना यह है कि एस०सी०, एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत क्यों नहीं इसमें मुकदमा दर्ज किया जाय। क्योंकि जब यदि इशारा कर दिया जाय या कोई खरोंच लग जाती है तो उसमें लिखा है कि मुकदमा दर्ज होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि यह सरकार संवेदनहीन हो गई है और दलितों की कोई परवाह नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं समाप्त ही कर रहा हूँ। श्रीमन्, यह एक महत्वपूर्ण प्रकरण है और इससे महत्वपूर्ण प्रकरण कोई और हो ही नहीं सकता है इसलिए इस पर सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, कृपया संक्षेप में अपनी बात को रखें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस ज्वलंत मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जो यह गंगोलीहाट की घटना है, इसके बारे में हमारे सभी विद्वान सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपनी बात को रखा और आपने भी इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हमें सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, हमारे माननीय विधायक श्री प्रेमानन्द महाजन तथा चौधरी यशवीर सिंह कल ही घटना वाली जगह पर गये और वहाँ पर जो घटनाक्रम था और जो लोगों का आक्रोश है, उसे देखा और उस घटना पर हमारे आन्दोलन के बाद वहाँ से शराब की दुकान हटा ली गई है। वहाँ पर सी०बी०आई० जांच की भी मांग की जा रही है और तमाम जांचों की बात हो रही है। मान्यवर, जो वहाँ का सामाजिक परिवेश है और उस पीड़ित महिला को जितना रिलीफ दिया जा सकता है, उसे देना चाहिए। ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी शासन और प्रशासन तथा सरकार की होती है, उनकी जवाबदेही होती है, लेकिन सामाजिक हिसाब से भी इस घटना को देखा जाना चाहिए। अभी 4 दिन पहले सितारगंज में 82 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस उस घटना का फैसला कराने में ही ज्यादा प्रयत्नशील थी। बलात्कारी को गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस फैसला कराने में ज्यादा इंट्रेस्टेड थी। मान्यवर, 82 साल की महिला से बलात्कार की घटना तो सब के लिए शर्मनाक है, इसी प्रकार से खटीमा के लोहियाहैड में कक्षा 2 में पढ़ने वाली 8 साल की बालिका नीता से बलात्कार हो गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मेरा कहना है कि समाज में जो इस प्रकार की विकृति आ रही है उसके बारे में भी हमें आत्म चिंतन करना चाहिए। यह सही है कि घटना की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। अभी कुछ समय पहले हनेरा गांव की घटना हुई जिसमें बारात लूट ली गई थी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, अभी बाजपुर में मूर्ति देवी की हत्या हो गई। जिसमें एक विधायक का भी नाम आया है, उस मामले की जांच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पाल जी, आप कृपया बैठें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, इस मामले में विधायक जी का नाम भी आया है। मेरा कहना है कि इसकी जांच करा ली जाय तो हो सकता है कि उनका नाम आया है तो वे इसमें बरी भी हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठिये, समाप्त करें।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सारे तथ्य सामने आने चाहिए।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने गंगोलीहाट की घटना पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, दिनांक 4 अप्रैल से गंगोलीहाट से शराब की दुकानें हटायी जायं, इसको लेकर महिलाओं द्वारा वहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया था। लेकिन 11 तारीख तक वहाँ पर प्रशासन की ओर से रात्रि को पुलिस या किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गयी। यदि उनको सुरक्षा दी गयी होती तो 11 तारीख की यह घटना आज हमारे सामने नहीं आती। मान्यवर, 11 तारीख से

आज 17 तारीख तक गंगोलीहाट में जन–जीवन बिल्कुल अस्त–व्यस्त है। वहाँ पर सरकारी प्रतिष्ठान बन्द हैं, बाजार बन्द हैं, स्कूल बन्द हैं। गंगोलीहाट की घटना को देखते हुए जनपद पिथौरागढ़ में 14 तारीख को सारे सरकारी प्रतिष्ठान, विद्यालय और बाजार बन्द रहे। पूरे कुमाऊँ क्षेत्र में, पूरे उत्तरांचल राज्य में, आज लोग गंगोलीहाट की घटना को देख कर आन्दोलित हैं। यह घटना किसी एक राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित नहीं है। सभी दलों ने एक मंच पर आकर इस आन्दोलन को आगे बढ़ाया है। वहाँ पर यह घटना हुई और जन–जीवन अस्त–व्यस्त है, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है। बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, इस घटना के कारण परीक्षाएं प्रभावित हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार तत्काल इस पर कार्यवाही करे और जो दोषी व्यक्ति हैं, उनको गिरफ्तार करें। आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमारी नियम 311 की सूचना को नियम 56 की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, इस घटना के सम्बन्ध में माननीय प्रकाश पंत जी और माननीय विधायक गंगोलीहाट श्री नारायण राम आर्य जी ने जो बातें कहीं, वह 100 प्रतिशत सच है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि कल मैं 4–5 घण्टे गंगोलीहाट में था। मैं उस घटना के विवरण पर नहीं जाऊँगा। वहाँ जाकर शासन प्रशासन की गलती साफ तौर पर सामने आयी। वहाँ पर पुलिस वालों की तरफ से उल्टा यह कहा जा रहा है कि महिला गलत है। उसके साथ जिन लोगों ने गलत किया, उनको ढूँढना चाहिए था। उनका पता ही नहीं है कि वे लोग कहाँ हैं। वहाँ पर जब हम लोग गये तो पिथौरागढ़ के सर्किल सी०ओ० आये। गंगोलीहाट के सर्किल सी०ओ० को छुट्टी पर कहीं भेज दिया गया। पिथौरागढ़ के सी०ओ० से हमने बात की और उनसे पूछा कि अपराधी क्यों नहीं मिल रहे हैं। शराब के खिलाफ आन्दोलन है तो शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको पकड़िये। महिलाओं के द्वारा इस विषय में 5 लोगों के नाम बताये जा रहे हैं। होशियार सिंह बुंगला, नैन सिंह ठाकुर, कुट्टू ठाकुर, कल्याण सिंह ठाकुर और राजा राम भी हैं, जिसको कि पुलिस ने पकड़ कर छोड़ दिया। इसी प्रकार पुलिस ने विश्वकर्मा, जो शराब की दुकान का सेल्समैन है, उसको भी पकड़ कर छोड़ दिया है।

मान्यवर, रेप की घटना को छेड़–छाड़ की घटना में परिवर्तित किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से यह प्रयास किया जा रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा कुमाऊँ जल रहा है। इतनी बड़ी घटना घटित हो गई किन्तु जिलाधिकारी को आने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मान्यवर, उन महिलाओं की माँग बहुत बड़ी नहीं थी, वे तो वहाँ से दुकानें हटाने की माँग कर रही थी। एस०डी०एम० महोदय समझौते

की बात कर रहे हैं। जिन चार लोगों का नाम इसमें आया है, वे लोग महिलाओं को धमका रहे हैं। महिलाएं भरी सभा में बताती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो व्यक्ति डाक बंगले में आये, उसकी भी जाँच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब समाप्त करें।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, मैं अपनी बात को एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। मैं माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत, श्री हरीदास और नारायण राम आर्य जी द्वारा उठाई गई बात पर बल देते हुए सी0बी0आई0 जाँच की माँग करता हूँ और पीड़ित महिला को 10 लाख मुआवजा की भी माँग करता हूँ।

श्री सहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस ज्वलंत विषय पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पिथौरागढ़ जनपद ही क्यों ऐसा जनपद हो गया है जहाँ पर दलित महिलाओं के साथ अत्यधिक अत्याचार की घटना हुई है। वहाँ पर दलितों का रहना दूभर है, इससे पूर्व भी एक बार एक दलित की बारात को लूटा गया और दूल्हे को घोड़ी से गिरा दिया गया। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में दलितों और अल्पसंख्यकों का रहना दूभर हो गया है। खासतौर से पिथौरागढ़ में। मान्यवर, यह घटना यह दर्शाती है कि हमारा शासन और प्रशासन इन घटनाओं को रोकने के लिए अक्षम साबित हो रहा है। कोई न कोई व्यक्ति ऐसी घृणित घटना को अंजाम देने के लिए उकसा रहा है। वरना इतनी अधिक अत्याचार की घटना नहीं हो सकती है। मान्यवर, वह दलित महिला शराब की दुकानों को हटाने, शराब माफियाओं और बाहुबलियों से क्षेत्र के लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए आन्दोलन कर रही थी किन्तु उसके साथ इस तरह की शर्मनाक घटना हो गई। मान्यवर, 10 लाख रुपये मुआवजा दे देने से इस घटना की भरपाई नहीं की जा सकती है। इसमें पीठ से ऐसी व्यवस्था आनी चाहिए कि 10 दिन के अन्दर अपराधी को पकड़ा जाए और उसे फाँसी की सजा दी जाए। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान तीन-चार बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या कारण है कि शासन प्रशासन सात दिन तक मौन रहा? दूसरा बिन्दु यह है कि आरोपी गिरफ्तार है मगर उसके नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है इसका क्या रहस्य है, सरकार को इसमें क्या दुविधा है? तीसरा बिन्दु यह है कि वहाँ की जनता एस0डी0एम0 और एस0ओ0 और चौकी इन्चार्ज को निलम्बित करने की माँग कर रही है।

अर्थात जनता की माँग तीन व्यक्तियों के निलम्बन की है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शराब माफियाओं की साँठ–गाँठ है। मान्यवर, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और पीड़ित महिला को उचित मुआवजा दिया जाए।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल में पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से महिलाएं ही सदैव आन्दोलन की अगुवाई करती हैं। चाहे वह चिपको आन्दोलन हो, उत्तराखण्ड आन्दोलन हो या शराब से उत्तरांचल को मुक्ति दिलाने का आन्दोलन हो। मान्यवर, दिनांक 4–4–2006 से महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों को शहर से हटाने की मांग को लेकर धरना–प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्तमान में भी धरना जारी है। मान्यवर, दिनांक 12–4–2006 को श्रीमती रीना आर्या, निवासी पतारवाड़ा, चौकी गंगोलीहाट थाना बेरीनाग ने थाना बेरीनाग पर सूचना अंकित कराई कि वह दिनांक 11–4–2006 को महिला मंगल दल, पतारवाड़ा के बैनर तले गंगोलीहाट बाजार से शराब की दुकान को हटाये जाने के सम्बन्ध में चल रहे महिलाओं के आन्दोलन के धरने में सम्मिलित थी। उसके साथ 11 महिलायें थीं, जिनमें श्रीमती विमला देवी पत्नी किशन राम निवासी हाट पतारवाड़ा भी धरने पर बैठी थी। रात्रि में लगभग तीन बजे सभी महिलायें सोई हुई थी। प्रातः के करीब साढ़े पांच बजे के समय सभी महिलायें उठ गईं तथा उठने पर ज्ञात हुआ कि श्रीमती विमला देवी पत्नी किशन राम नहीं है। उनकी ढूंढ खोज की गई तो पता चला कि एक मकान, जिसके बाहर रोड़ी पत्थर पड़े हैं, वहां वह फटे कपड़ों में बेहोशी की अवस्था में मिली। उसे गंगोलीहाट चिकित्सालय में ले जाया गया जहां उसने होश आने पर बताया कि रात जब वह शौच के लिये बैठी हुई थी तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसकी आंख पर पट्टी बांध कर, मुंह बन्द कर पकड़ लिया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। मान्यवर, इस घटना का थाना बेरीनाग पर मु0अ0सं0 110/06, धारा 376 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दिनांक 12–4–2006 को ही महिला को जिला महिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में भर्ती करा कर महिला का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। मान्यवर, महिला के बयान के आधार पर ही उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया।

मान्यवर, चिकित्सकीय जो रिपोर्ट आयी है, उसके आधार पर बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। मान्यवर, महिला के बयानों, चिकित्सीय परीक्षण के आधार पर विवेचनाधिकारी द्वारा अभियोग को धारा 354 भा0द0वि0 में तरमीम किया गया है। अब तक प्रकरण में 16–17 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पूछताछ एवं बयानों के आधार पर विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त विनोद कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्याम लाल विश्वकर्मा निवासी डम्डे, चौकी गंगोलीहाट, थाना बेरीनाग को दिनांक 16–4–2006 को उसके भाई श्री राजेन्द्र प्रसाद विश्वकर्मा के ठकाना, पिथौरागढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मान्यवर, पीड़ित महिला के अनुसार जब वह

चिल्लाने लगी तो उसने उसका मुंह बन्द कर दिया और वहां से आगे की ओर ले गया तथा एक खेत में झाड़ी के पास फेंक दिया, वहां उसके साथ हाथापाई हुई फिर उसने उसे जोर से पटक दिया तो वह बेहोश हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसे नहीं मालूम, न ही यह पीड़िता द्वारा बताया गया। मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को सुनने के बाद इस विषय को गम्भीरता से लिया है। यह सही है कि इस प्रकार की वारदात का शिकार अधिकतर महिलाएं ही होती हैं। इसमें सभी राजनीतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए, जिससे कि पीड़ित महिला को समुचित लाभ मिल सके।

मान्यवर, कभी–कभी लाभ की प्रक्रिया लम्बी होती है, यहां पर दो तरह से लाभ दिलाने का जिक्र माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है। मान्यवर, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसमें कमिश्नर के द्वारा टाईम बाउण्ड जांच करायी जाय ताकि समय पर पीड़ित महिला को लाभ मिल सके। .... (व्यवधान) मान्यवर, न्यायिक जांच की घोषणा सरकार की ओर से करती हूँ। जो बिन्दु यहां पर उल्लिखित किये हैं, इन सभी बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए गृह विभाग को निर्देशित कर रही हूँ कि माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाएं हैं उन पर तत्काल प्रभावी कार्यवाही शुरू करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करें।

मान्यवर, सम्बन्धित अधिकारी जिन्होंने चिकित्सा के आधार पर जो जानकारी दी कि उसके बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई और यह प्रतीत होता है कि कहीं से शराब के लोगों का वर्चस्व दिखाई देता है तो जो लोग दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, महिलाओं का शोषण किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और बलात्कारियों को छूट नहीं दी जायेगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मुआवजे के लिए क्या किया?

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, एफ0आई0आर0 तो दर्ज हुई, लेकिन महिला के मूल अधिकारों का हनन हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वह स्वयं दलित जाति का है, वह विश्वकर्मा है। (व्यवधान)

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, यह शराब माफियाओं द्वारा यहाँ की महिलाओं की आवाज को दबाने का मामला था। मान्यवर, शराब माफियाओं के खिलाफ पूरे प्रदेश में हमारी माँ–बहनें संघर्ष कर रही हैं, शराब माफिया उनकी आवाज दबाना चाहता है। मान्यवर, महिलाओं का संघर्ष शराब बन्दी को लेकर है और इस बात पर सदन विचार नहीं करेगा तो इस

पहाड़ में शराब माफियाओं का आतंक नहीं खत्म किया जा सकता है। मान्यवर, यह कहा जा रहा है कि पकड़ा गया व्यक्ति क्योंकि एस0सी0 में आता है इसलिए एस0सी0/एस0टी0 एक्ट नहीं लगता है। मान्यवर, घटना के समय रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज थी इसलिए रिपोर्ट एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत पंजीकृत होनी चाहिए थी। मान्यवर, शराब माफिया उन्हीं कमजोर व्यक्तियों को फिर से अपना हथियार बनायेंगे। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने आयुक्त से जाँच की बात कही।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, न्यायिक जाँच घोषित कर दी है। मान्यवर, जो बिन्दु उठाये हैं, उनका संज्ञान गृह विभाग को देने के निर्देश दिये गये हैं, एस0सी0/एस0टी0 के बारे में कह दिया है कि बलात्कार की रिपोर्ट आने पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जो अधिकारी सम्मिलित हैं तो क्या सरकार उनके लिए कुछ करेगी, उनका स्थानान्तरण करेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जाँच के बाद होगा। (घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इसमें सुनिश्चित है कि शराब माफियाओं का इसमें हाथ है और शराब माफिया पैसों से भरपूर होते हैं, वह इस जाँच को प्रभावित करने में पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, जिन अधिकारियों ने इस मामले को लटकाया है, उनका स्थानान्तरण होना चाहिए।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर केवल मुकदमा कायम होने से घटना का पटाक्षेप नहीं हो सकता है। मान्यवर, वह गाँव शराब की वजह से बरबाद हो गया। (घोर व्यवधान)

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, विभाग शराब माफियाओं से मिला हुआ है। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह लोग स्वयं मिले हैं। (घोर व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, इस सरकार से इनको न्याय नहीं मिल पायेगा इसलिए हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर बाहर चले गये।)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने न्यायिक जाँच की बात कही, हम सहमत हैं। पीड़ित महिला को कम से कम 10 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। दूसरा बिन्दु, अस्कोट में भी आन्दोलन चल रहा है। क्या सरकार वहाँ ऐसी घटना का इन्तजार कर रही है? इन दोनों बिन्दुओं पर कोई जवाब नहीं आया। इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर रहा हूँ।

(उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्री काशी सिंह ऐरी और सभी माननीय सदस्यों तथा माननीया मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा तथा श्री अरविन्द पाण्डे का नाम पुकारे जाने पर वह उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत 12 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मातबर सिंह, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्री अनिल नौटियाल तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की सूचनाओं को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार कर रहा हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में आ गये)

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती विजय बड़थ्वाल का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमारी एक सूचना है जिसमें कि 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार और उसकी निर्मम हत्या के सम्बन्ध में है, उसे सुना जाय। मान्यवर, यह गम्भीर मामला है, इससे गम्भीर मामला और क्या हो सकता है। इस पर चर्चा कराई जाय। आपने इस पर मुझे समय दिया था कि इसको सुनेंगे।

(माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री हरबंस कपूर और श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपसे प्रार्थना है कि इसको सुन लें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस विषय से बड़ा विषय और क्या हो सकता है? हम इसको सदन में किस कारण से नहीं उठा सकते हैं? मान्यवर, जिसकी वह लड़की थी, वह देश की सीमाओं पर था। अब रिटायर्ड हो चुका है।

श्री अध्यक्ष–

इसे कल सुन लेंगे। मैं 301 ले रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इससे गम्भीर विषय और क्या हो सकता है। यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। (घोर व्यवधान)

मान्यवर, देश की सीमा की रक्षा करने वाले की आठ साल की बच्ची को बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी। इससे ज्यादा गम्भीर विषय और कोई नहीं हो सकता है। इस पर आपका विनिश्चय भी आया है। आप हमारे संरक्षक हैं। इस पर दो–दो मिनट का समय दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप इसे कल ले आएं, मैं सुन लूँगा। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप शासन को भी सुनना चाहेंगे या नहीं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप दो–दो मिनट सुन लें। इससे गम्भीर विषय और कोई नहीं हो सकता है। वे हमारे परिवार के सदस्य थे। अगर मैं इसे यहां नहीं उठा सकता तो कहां उठाऊँगा। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्रीमती विजय बड़थ्वाल का नाम नियम 301 की सूचना पढ़े जाने हेतु पुकारे जाने पर)

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

महोदय, विधानसभा क्षेत्र, यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कई–कई गांवों में कई जानवरों को किसी अज्ञात बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस अज्ञात बीमारी से ग्राम धनियाली, धूंगाधार, पम्बा, टोला एवं अन्य गांवों में लगभग 60–70 बकरियां मर गई हैं और सैकड़ों जानवर बीमारी की चपेट में हैं। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरी घोर आपत्ति है। स्पीकर महोदय ने जानकारी दी और आपने निर्णय लिया, आप इतना दबाव बना रहे हैं। वे आपके निर्णय का सम्मान नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपका विनिश्चय आया था कि आप इसको सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप कल इस सूचना को ले आए, मैं सुन लूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह 15 तारीख की घटना है और आज 17 तारीख हो गयी है। (व्यवधान)

*श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जिन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाना है, उस पर आप स्वयं विनिश्चय करते हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आपका ही विनिश्चय था। इससे गम्भीर विषय इस प्रदेश में क्या हो सकता है?

श्री अध्यक्ष–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप इसे कल दे दीजिए, मैं सुन लूँगा।

(भारतीय जनता पार्टी के श्री मदन कौशिक, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं श्री हरबंस कपूर के अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने के कारण घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कपूर साहब, हम आपका आदर करते हैं कृपया आप बैठें। यह सूचना आप कल दे दीजिए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इसमें आपका ही विनिश्चय था।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैंने गंगोलीहाट की सूचना पर विनिश्चय दिया था।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमारे तीन सदस्य इस सूचना पर अपनी बात को कहना चाहते हैं, 5 मिनट तो ऐसे ही बीत गये हैं। दो–दो मिनट इनकी बात को सुन लें तो 6 मिनट में वह अपनी बात को कह लेंगे। आपने उस पर अपना विनिश्चय भी दिया था।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैंने गंगोलीहाट वाली सूचना पर विनिश्चय दिया था और मैंने चीमा जी का नाम पुकारा था, लेकिन माननीय सदस्य सदन में नहीं थे, अब हम नियम 301 पर सुन रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी आप बैठ जायें, कल आप इस सूचना को दे दें। मैं सुन लूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह मेरे परिवार से जुड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि इस सूचना को आप कल दे दें, मैं सुन लूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण घटना है, हम सदन में अपनी बात को नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे, आप हमारे संरक्षक हैं, 2–2 मिनट हमें सुन लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, सुबह आपने इस मामले में संरक्षण दिया था तो आप माननीय सदस्यों को 2–2 मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैंने गंगोलीहाट वाली सूचना पर विनिश्चय दिया था और उस पर बोलने के लिए ही चीमा जी का नाम पुकारा था लेकिन वह अनुपस्थित थे। अब हम नियम 301 की सूचनाओं पर आ गये हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं तुरन्त आ गया था, अब यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मैंने कहा है कि कल आप इस सूचना को दे दें, मैं सुन लूँगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 2–2 मिनट का समय दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आप कल अपनी बात कह लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, दो–दो मिनट बोल लें, इस पर आप अपना विनिश्चय दे दीजिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरा अनुरोध है कि हमें सुन लीजिए। अगर सरकार के पास आज उत्तर नहीं है तो इसका उत्तर कल आ जाए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तर कल आने की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं, तो इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। माननीय सदन आज बैठा है तो इमीडिएट ऐसी सूचनाओं को माननीय सदस्य सदन में लाना चाहते हैं। माननीय सदस्य कह रहे हैं तो सरकार कल उत्तर दे दे। एक आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य को इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया जाय। इसका उत्तर कल आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, माननीय कौशिक जी आप अपनी बात रखें।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम 311 की हमारी सूचना पर नियम 56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर,

देहरादून के थाना कैण्ट के अन्तर्गत संतलादेवी मंदिर के परिसर में सड़क के किनारे यह घटना घटित हुई। गणेश क्षेत्री, जो मूल रूप से हरिद्वार के रहने वाले हैं, आजकल सहारनपुर में रहते हैं, उनका शेष परिवार अब ऋषिकेश में रहता है। गणेश क्षेत्री ने एक जवान के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा करने के बाद 3 साल पहले रिटायरमेंट लिया है। मान्यवर, 15 तारीख को प्रातःकाल एक बस लेकर गणेश क्षेत्री और उनका सम्पूर्ण परिवार संतलादेवी के दर्शन के लिए देहरादून आए। देवी के दर्शन करने के पश्चात् मंदिर परिसर के नीचे बैठकर इन्होंने भोजन किया और पौने 4 बजे उनकी 8 साल की एक बच्ची, जिसका नाम ममता क्षेत्री है और वह कक्षा 3 में पढ़ती है। उसने अपनी मम्मी की सैंडल पहन रखी थी, उनको धोने के लिए वह पानी के पास बैठ गयी। सारा परिवार भोजन कर रहा था। इसी बीच वह बालिका वहां से गायब हो गयी। 15–20 मिनट तक उसकी खोज की गयी। वह नहीं मिली तो 4 बजकर 5 मिनट पर थाने में इसकी सूचना दी गयी।

मान्यवर, गणेश क्षेत्री मेरे मित्र हैं, हम कक्षा एक से इण्टरमीडिएट तक एक साथ पढ़े हैं। साढ़े चार बजे गणेश क्षेत्री ने यह सोचकर मुझे फोन किया कि मेरे एक मित्र उत्तरांचल विधान सभा में सदस्य हैं, वह मेरी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ एक घटना घट गयी है। मेरी 8 साल की बच्ची गायब हो गयी है, इस सम्बन्ध में मेरी सहायता करें। साढ़े चार बजे मुझे यह सूचना मिली।

मान्यवर, 4.30 बजे से लेकर लगातार 8.30 बजे तक थाने में सम्पर्क किया गया। वहाँ एक मुंशी जी बैठे हुए थे। मैंने, उनसे त्वरित कार्यवाही करने की माँग की। किन्तु उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया तो मैंने एस०एस०पी०, डी०आई०जी०, देहरादून से सम्पर्क किया और मुख्यमंत्री निवास पर भी सम्पर्क किया। रात्रि 8.15 बजे पर मेरी डी०आई०जी०, देहरादून, गढ़वाल रेंज से बात हुई। मैंने उन्हें सारी घटना की जानकारी दी और यह भी कहा कि बहुत सैंसिटिव मामला है, इस पर गम्भीरता से त्वरित कार्रवाई करें। 15 मिनट बाद उन्होंने फोन पर अवगत कराया कि मैंने सम्बन्धित थाने के थाना अध्यक्ष को निर्देशित कर दिया है। 15 मिनट बाद एस०एस०पी०, देहरादून की काल बैक आई, मैंने उन्हें भी सम्पूर्ण घटना की जानकारी दी। लेकिन रात्रि 9.15 बजे मैंने दुबारा अपने मित्र से सम्पर्क किया, उस वक्त उसके साथ 20–25 आदमी थाने के अन्दर ही पुलिस की किसी त्वरित कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अभी कुछ नहीं हुआ है। मैंने पुन: थाने में सम्पर्क किया। मैंने अपने मित्र गणेश से पूछा कि मुंशी के पास डी०आई०जी० या मुख्यमंत्री आवास से कोई फोन आया है या कोई निर्देश उन्हें मिला है। रात्रि 10.15 बजे पर वे 20–25 लोग जो थाने में बैठे हुए थे, निराश होकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गये।

मान्यवर, प्रातःकाल 7.00 बजे एक मेरे दूसरे मित्र जो कि मिलेट्री में हैं, जब मैंने देखा कि कोई सुनवाई पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं हो रही है, तो मैंने उनसे सम्पर्क किया और कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी है, गणेश हमारा बचपन का

दोस्त है, आप तत्काल उसकी क्या सहायता कर सकते हैं। मान्यवर, वह अपनी यूनिट के 20–30 साथियों को लेकर संतलादेवी मंदिर परिसर में पहुँचा। उसने वहाँ तीन टीमें बनाई। इन तीन टीमों ने 2 कि0मी0 एरिया में तलाशी अभियान आरम्भ किया और उस स्थान से 250 मीटर की दूरी पर उस बालिका का क्षत–विक्षत शव मिल गया। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उस शव को देखकर दरिन्दगी की कोई सीमा नहीं हो सकती है। वह 8 वर्षीय बालिका नग्नावस्था में पड़ी मिली। उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसको पत्थरों से पीटा गया, जब वह उससे भी नहीं मरी तो उसे पत्थर पर पटका गया। मान्यवर, लड़की के अपहृत होने की घटना चार बजे के आस–पास हुई। कितने अफसोस की बात है कि वहाँ के थाना इंचार्ज द्वारा न कोई त्वरित कार्रवाई की गई और न ही कोई सहायता उपलब्ध कराई गई।

मान्यवर, जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, वह निश्चित रूप से न केवल सदन के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक घटना है। मान्यवर, आज जब हम लोग उसके अन्तिम संस्कार में गये तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सहारनपुर से आये लोग केवल एक ही बात कह रहे थे कि उत्तरांचल में भी इस तरह की घटना घटित होती है तो बहुत ही शर्म की बात है। यह बालिका किसी एक्सीडेंट में मर जाती, या डूबकर मर जाती तो इतना दुख न होता। मान्यवर, 8 वर्षीय बालिका के साथ इस तरह की घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, उनको पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से कोई सहायता न पहुँचना कितने शर्म की बात है। इसकी सी0बी0आई0 जाँच होनी चाहिए। जब इसकी सही जाँच होगी तो कहीं न कहीं खुलकर यह बात सामने आयेगी कि जिन लोगों के परिवार के लोग देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे देने को तत्पर रहते हैं उनके साथ भी पुलिस प्रशासन का रवैया इतना खराब है। इससे अधिक शर्म की बात और क्या हो सकती है। जिस व्यक्ति की बालिका के साथ यह अमानवीय घटना घटित हुई, उसका बड़ा भाई भी सेना में सिपाही है। यानि उनका पूरा परिवार देश की सीमाओं की रक्षा में लगा है। मान्यवर, यह विषय लोक महत्व का है। इससे बड़ा अन्य कोई विषय हो नहीं सकता है। मैं इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस अतिसंवेदनशील मामले की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसे कि माननीय श्री कौशिक जी ने यहां पर अपनी बात रखी। मैं उन्हीं बातों को पुनः दोहराना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने को श्री कौशिक जी की बातों से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ कि संतला देवी का मंदिर ऐतिहासिक धर्मस्थली है। यहाँ पर दर्शनों के लिए केवल देहरादून जनपद से ही नहीं अपितु अन्य जनपदों और अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। जैसा कि यहां पर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से दर्शनार्थी आये हुए थे। मान्यवर, जैसे कि माननीय कौशिक जी ने कहा है कि 4.30 बजे थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया गया था, परन्तु 09 बजे रात्रि तक वहां पर पुलिस विभाग की

ओर से कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा, यह निश्चित रूप से उत्तरांचल की मित्र पुलिस के लिए और उत्तरांचल शासन के लिए शर्म की बात है। उत्तरांचल पुलिस का बड़े जोर शोर से मित्र पुलिस के रूप में प्रचार प्रसार भी किया गया है, जगह-जगह इसके बोर्ड भी लगे हुए हैं, परन्तु मान्यवर, यह घटना उत्तरांचल मित्र पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। मान्यवर, मैंने स्वयं इस बच्ची का शव देखा। इस शव को देखकर कल मेरा मन बहुत व्यथित रहा। मान्यवर, 9 बजे रात्रि तक यहां पर कोई पुलिस कर्मचारी मौजूद नहीं था। मान्यवर, निश्चित रूप से उन वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा होनी चाहिए जिन्होंने सम्पर्क करने पर इसमें तुरन्त कार्रवाई प्रारम्भ की।

मान्यवर, यहां पर बलियां दी जाती हैं, जो बकरियों और अन्य जानवरों की दी जाती हैं। मान्यवर, यहां पर शनिवार और रविवार को बहुत भीड़ रहती है। मान्यवर, यहां पर जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इनको देखते हुए भविष्य में यहां पर इस तरह की और घटनाएं घटित हो सकती हैं। मान्यवर, इस बारे में यहां पर विचार होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाये। निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से निर्णय होना चाहिए। मान्यवर, पीड़ित परिवार की जिस तरह की सैनिक पृष्ठभूमि है, सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को कुछ न कुछ अनुदान मिलना चाहिए। मान्यवर, अपराधी ने घटना स्थल पर पर्याप्त साक्ष्य छोड़े हैं। यदि इस पर त्वरित कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से अपराधी जल्दी पकड़ा जायेगा। यदि इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो अपराधी साक्ष्य मिटाने का प्रयास कर सकता है। अपराधी के हाथों के निशान हैं, सर के बाल आदि पर्याप्त साक्ष्य हैं। मान्यवर, यदि अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से यह प्रशासन की लापरवाही होगी। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पर प्रभावी कार्रवाई की मांग करता हूँ।

श्री हरबंस कपूर-

मान्यवर, माननीय मदन कौशिक और माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी ने जो विषय रखा है, वह बहुत ही गम्भीर विषय है, इससे अधिक गम्भीर विषय और कोई हो ही नहीं सकता। मान्यवर, जिस तरह से घटनाक्रम घटित हुआ और जो तथ्य प्रकाश में आये, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि यह मात्र साधारण अपराध का विषय नहीं है। निश्चित रूप से इसके पीछे विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति का हाथ हो सकता है और जब पूरी तरह से तथ्य मौजूद हैं, वहाँ पर बाल और फिंगर प्रिन्ट प्राप्त हुए और जिस तरह से लड़की हाथ और चप्पल धोने गई थी तो मात्र 30 मीटर के दायरे में लाश मिली तो अगर ठीक से कार्रवाई होती तो हो सकता है कि जल्द ही सफलता मिल जाती और जो तथ्य प्रकाश में आये हैं, उसमें गम्भीरता से जाँच कराई जाये तो अपराधी सामने आयेगा, इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 8 वर्ष की बालिका के साथ बलात्कार होने की घटना अपने आप में विकृत मानसिकता का परिचायक है और इस प्रकार की विकृत मानसिकता का जो वातावरण बना है, उसके बारे में गम्भीर रूप से विचार करना होगा। मान्यवर, श्री गणेश बहादुर निवासी डी0–1, 5090 न्यू दुर्गापुरी कॉलोनी खलासी लाईन, सहारनपुर ने थाना कैण्ट पर दिनांक 15–4–2006 सूचना अंकित करायी कि वह सपरिवार सन्तला देवी आया था, जहाँ से उसकी पुत्री कुमारी ममता उर्फ मालती सम्भवतः किसी गाड़ी में बैठकर चली गयी है अथवा कहीं गुम हो गयी है। तलाश करने पर उसका कोई पता नहीं चला है। इस सूचना पर थाना कैण्ट में र0नं0–26, समय 17.08 बजे गुमशुदगी अंकित किये जाने के उपरान्त कुमारी ममता उर्फ मालती को स्थानीय पुलिस द्वारा तलाश किये जाने हेतु कण्ट्रोल रूम के माध्यम से समस्त थानों / चौकियों को सूचित किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त गुमशुदा कुमारी ममता की तलाश के दौरान दिनांक 16–4–2006 को जंगल सालावाला में कुमारी ममता का शव सूखे बरसाती नाले व पत्थरों भरे रास्ते के ऊपर कंटीली जंगली झाड़ियों के बीच बरामद हुआ। प्रथम दृष्टया मृतका के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या किया जाना पाया गया। श्री गणेश बहादुर निवासी न्यू दुर्गापुरी कॉलोनी खलासी लाईन, सहारनपुर द्वारा अंकित करायी गई गुमशुदगी को धारा 376 / 302 / 201 भा0द0वि0 में परिवर्तित कर विवेचना की जा रही है। घटना की सूचना पर अभियुक्त का पता लगाया जा रहा है तथा मृतका के शरीर पर आयी चोटों के निशान एवं पत्थर पर जो खून तथा कुछ अस्पष्ट छाप अंगुष्ठ एवं अन्य साक्ष्य मिले हैं, उनका वैज्ञानिक परीक्षण कराया जा रहा है। दो टीमें बनाकर सहारनपुर एवं पौड़ी क्षेत्र के लिए रवाना की गयी हैं। सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इस जघन्य अपराध के शीघ्र सफलतम अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा इस विवेचना का निकटता से पर्यवेक्षण किया जा रहा है। उन्हें निर्देशित किया जाता है कि इस मामले में सर्वोच्च वरीयता के तहत उन लोगों को, जो इस प्रकार का अपराध करते हैं या किसी अन्य विकृत सोच के आधार पर जो अपराध किया गया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, इस सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मुआवजे और भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार कुछ करेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पुलिस की गश्त ऐसे स्थानों पर लगातार रहती है, हो सकता है आपकी जानकारी को सत्य मानते हुए वहाँ पर पुलिस न हो। मान्यवर, मेले में असामाजिक तत्व भी रहते हैं, तो हो सकता है कि विकृत विचार वाले से यह घटना की गई, तो कार्रवाई के निर्देश दिये गये।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह भी सम्भव हो सकता है कि कोई उसका परिचित रहा हो। मान्यवर, कुछ दूर पर नदी है और वहाँ से लापता होना, यह भी सम्भव हो सकता है। मान्यवर, इस तरह से इस पर लीपा–पोती की जा रही है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं 5 बजे से 9 बजे तक उनके सम्पर्क में था। अगर पुलिस इन चार घंटों में वहाँ पर जाकर देखती तो वह लड़की बच सकती थी। मान्यवर, इस पर उत्तर आ जाना काफी नहीं है, इससे इसकी लीपा–पोती की जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि इन चार घंटों में क्या कार्रवाई की गई।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मुझे जो जानकारी दी है, वह है, इस पर तत्काल कार्रवाई की जायेगी और यह तत्काल वर्कआउट हो जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, चार घंटों तक वहाँ पुलिस क्यों नहीं पहुँची? क्यों एस०ओ० नहीं पहुँचा? सरकार इसको गम्भीरता से क्यों नहीं ले रही है? इस पर कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मान्यवर, लड़की का बाप थाने में सर पटक–पटक कर रो रहा था कि मेरी लड़की गुम हो गई है। मान्यवर, अगर वहाँ पर पुलिस पहुँच गई होती तो वह बच सकती थी। सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इन बिन्दुओं को देख लें, मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, जनपद नैनीताल के अन्तर्गत रामनगर वन क्षेत्र में अवैध रूप से शाखौन और खैर की लकड़ी का कटान किया जा रहा है, मान्यवर, जिसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर पकड़ी गई। मान्यवर, ये लोग आज तक अपने प्रभाव से बचते रहते थे, और बेकसूरों के ऊपर फर्जी मुकदमा दायर करते थे। मान्यवर, वन विभाग के सहयोग से जो ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई थी, उस पर स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों के संरक्षण में वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। मान्यवर, ट्रैक्टर ट्रॉली के मालिक, जो कि सीधे घटना से लिप्त थे और बैक डेट में इस ट्रैक्टर ट्रॉली को उस ड्राइवर के नाम कर दिया गया। मान्यवर, इससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, दिनांक 28–3–2008 को तराई पश्चिमी वन प्रभाग के बन्नाखेड़ा रेंज के करारी प्लाट संख्या–16 में सागौन प्रजाति के 4 वृक्षों का पातन हुआ था। इन वृक्षों का कुल मूल्य रुपये 37500/– है। इस केस में केहर सिंह पुत्र बीर सिंह, मदन सिंह पुत्र बीर सिंह निवासी ग्राम गोक, पोस्ट बाजपुर, थाना बाजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर व 10 अन्य के विरुद्ध मामला पंजीकृत हुआ है। केस में एक ट्रैक्टर व ट्रॉली भी सीज की गयी है और ट्रैक्टर व ट्रॉली पर 50000 रुपये का जुर्माना किया गया है। माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, मैं उसकी जांच करवाऊंगा और एक दिन के पश्चात् सदन को सूचित करूँगा कि इसमें क्या कार्रवाई हुई।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, मैंने इसकी जानकारी तत्काल दी थी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वह मुझे भी दे दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री अरविन्द पाण्डे जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपने मुझे जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर के किसानों और मजदूरों पर घटित एक ऐसी घटना के बारे में जो कि बड़ी ही दुखद घटना है, पर सुनने का वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जब से पूरे देश में खेती की जमीन के ऊपर सीलिंग सीमा निर्धारित हुई है, तब से हजारों एकड़ जमीन विभिन्न प्रान्तों में सीलिंग सम्पत्ति घोषित हुई और जहां–जहां भी यह सीलिंग सम्पत्ति घोषित हुई, वहां की सरकारों ने नियमानुसार कार्यवाही करके इस सम्पत्ति को वहां के ऐसे किसानों को जो स्वयं भूमिहीन हों या पिछड़ी जाति के हों, उनको आवंटित की। माननीय अध्यक्ष जी, सीलिंग सम्पत्ति के आवंटन की एक नियमावली है, उसमें किस तरीके से इस भूमि का आवंटन किया जायेगा, इसकी सारी प्रक्रिया दर्शित है। माननीय अध्यक्ष जी, काशीपुर में एस्कोर्ट फार्म के ऊपर सीलिंग वाद पिछले बहुत लम्बे समय 35–40 साल से चल रहा है। यह वाद विभिन्न न्यायालयों में निर्णीत होते–होते लम्बे समय के बाद उच्चतम न्यायालय में आया। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा फरवरी, 2004 में इसको निर्णीत किया गया क्योंकि यह मामला एस्कोर्ट लिमिटेड कम्पनी का था और इस कम्पनी को एक यूनिट माना गया।

महोदय, जब उच्चतम न्यायालय में यह वाद चल रहा था तो उच्चतम न्यायालय के जज के द्वारा एटर्नी जनरल से पूछे जाने पर कि इस समय इस भूमि की पोजीशन

क्या है, यह किसके कब्जे में है और इसमें व्यवस्था क्या है? बड़े दुख का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी कि उच्चतम न्यायालय को एटर्नी जनरल के द्वारा अंधकार में रखते हुए और गुमराह करके यह कहा गया कि यह सारी भूमि मौके पर खाली है।

जमीन सरकार के कब्जे में है और यह पूरी बंजर है, यह कहे जाने से माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मानकर कि उस जमीन पर कोई खेती नहीं कर रहा है, सारी जमीन सीलिंग सम्पत्ति के रूप में अतिरिक्त घोषित कर दी। अतिरिक्त घोषित होने के बाद यह सारी जमीन सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गई। उत्तरांचल सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने के डेढ़ साल तक उत्तरांचल सरकार ने उस भूमि के लिए कोई विशेष कार्रवाई नहीं की। उस क्षेत्र में लगभग 250 परिवार जो 30–35 सालों से वहां पर खेती करते आ रहे थे और वह छोटे काश्तकार हैं, 8–10 एकड़ से अधिक भूमि किसी के पास नहीं है। उन छोटे किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आकर गुहार लगाई और कई बार वे लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आते रहे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका इस क्षेत्र से राजनीतिक रिश्ता भी रहा है और वे यहां के लोगों से परिचित भी हैं, उन्होंने बाजपुर में एक आम सभा में घोषणा भी की थी कि आप लोगों को यहां से उजाड़ा नहीं जायेगा, आपको भगाया नहीं जायेगा, आप लोग परेशान होकर बार–बार मेरे पास क्यों आ रहे हैं, परेशान न हों। तो माननीय अध्यक्ष जी, इस घोषणा के बाद उन किसानों ने सुख की सांस ली।

लेकिन मान्यवर, इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि 2 जनवरी, 2006 की रात को लगभग तीन हजार पुलिस वालों ने काशीपुर के एस्कोर्ट फार्म को घेर कर एक छावनी बना दिया। मान्यवर, रात के समय पुलिस वालों ने 4 बजे एक्शन लिया और बड़े–बड़े बुलडोजर मकान तोड़ने के लिए और सैकड़ों ट्रैक्टर जिनमें पीछे हैरो और बोई फसल उजाड़ने हेतु यंत्र लगे थे और उसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को घरों से निकाला और लाठी के बल पर लोगों को एक किनारे खड़ा करके मकानों को गिराने की कार्यवाही की। मान्यवर, इस घटना से सारा काशीपुर कांप उठा और लोगों को यह डर लगने लगा कि यह कार्रवाई पूरे काशीपुर में तो नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मामले को लम्बा नहीं करूंगा, छोटा ही करूंगा, मेरी मंशा थी कि इस मामले को माननीय विधान सभा में उठाऊं। मान्यवर, 2 जनवरी की रात को 4 बजे प्रातः बुजुर्गों, महिलाओं एवं छोटे–छोटे बच्चों को उस ठंड वाली रात में सड़कों पर खड़ा कर दिया गया और लाठियों से दौड़ाया गया। मान्यवर, इस घटना के सबूत के रूप में जो वहां के समाचार–पत्रों में छपा था और जो उसकी वीडियो रिकार्डिंग हुई, वह इसका सबूत है। मान्यवर, यह सही है कि यह भूमि सीलिंग की थी और सरप्लस थी। लेकिन उसे खाली कराने के लिए जिस प्रकार की प्रक्रिया उत्तरांचल सरकार द्वारा अपनाई गई, वैसी प्रक्रिया आज तक हिन्दुस्तान में किसी भी सरकार ने नहीं अपनाई थी। मान्यवर, मेरा कहना है कि उच्चतम न्यायालय ने कहां पर कहा था कि जो किसान वहां पर रह रहे हैं, वहां पर ठंड की रात में बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे–छोटे बच्चों को बाहर निकाला जाय,उन पर लाठी बरसाई जाय?

मान्यवर, ऐसा कोई आदेश नहीं था लेकिन उसके बावजूद वहां पर पुलिस के द्वारा मकान गिराने की प्रक्रिया अपनाते हुए जो माहौल पैदा किया गया, उससे 25 से 30 किसानों के पक्के मकान बुल्डोजर लाकर तोड़–फोड़कर ढेर कर दिये गये। आज भी एस्कोर्ट फार्म में इसके अवशेष पड़े हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की बात कही, मुआवजा किस बात का दिया गया। किसानों के जो घर और मकान गिराये गये हैं, उनके लिए मुआवजा दिया गया। लेकिन जिस किसान का मकान 50 लाख रुपये का था, उसको 6 से 7 लाख रुपये दिये गये। जिसका मकान 10 लाख रुपये का था, उसको एक से डेढ़ लाख रुपया दिया गया। खेती खोदने का जो नुकसान हुआ था, उसके लिए भी सरकार ने थोड़ा–थोड़ा मुआवजा दिया।

इससे यह साबित होता है कि प्रशासन के द्वारा जिस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, सरकार ने उसको मान लिया और उसके एवज में मुआवजा दिया। बड़े दुःख की बात है कि मकान गिरने के बाद बच्चों के सिर ढकने के लिए वे लोग कपड़े के छोटे–छोटे तम्बू लगाकर वहां पर रह रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से स्थगन आदेश हुआ था कि कब्जे की स्थिति को यथा स्थिति बनाये रखा जाय। यह स्थगन आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया। 2 जनवरी से लेकर आज तक जो किसान वहां पर बैठे हैं, वह खेतों में बुआई कर रहे हैं। गेहूँ की फसल उन्होंने काट ली है और अब धान बो रहे हैं। लेकिन आज पुलिस उनको धान की फसल बोने से रोक रही है, वह कह रही है कि अगर धान की फसल लगायी तो बुल्डोजर लाकर तम्बू भी उखाड़ देंगे और खेतों को फिर से खोद देंगे। मान्यवर, इस प्रदेश में किसान खेती से जुड़ा है और खेती किसान से जुड़ी हुई है।

मान्यवर, प्रदेश के किसान एवं मजदूर दोनों की जीविका खेती पर आधारित है। किसान एवं मजदूर एक दूसरे के पूरक हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि 2 तारीख की रात को पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की गयी, उसमें एक ओर जहां किसानों को उजाड़ा गया, वहीं दूसरी ओर मजदूरों के झोपड़ों में आग लगा दी गयी। जब मजदूर बाहर निकले तो पुलिस ने अपने को बचाने के लिए किसानों के बच्चों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी और कहा कि आपने मजदूरों के झोपड़ों में आग लगा दी है। जिन किसानों के घर उजड़ रहे थे, उन्हीं के ऊपर आरोप लगा दिया।

वहां पर 250 किसान बैठे हैं, यदि उनको खेती करने से रोका जाता है तो यह उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। सरकार उनकी रोजी–रोटी को छीनना चाहती है, आज पूरे प्रदेश में जितने भी किसान और मजदूर हैं, उनके मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है। इस प्रदेश का किसान और मजदूर कांप उठा है, मैं अनुरोध करता हूँ कि आपकी तरफ से सरकार को निर्देशित किया जाय कि वहां पर बैठे हुए किसानों को खेती बोने से न रोका जाय। इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है, उसका पालन सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए, धन्यवाद।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय चीमा जी ने स्वयं बताया कि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। आपने इसकी पृष्ठभूमि बतायी कि यहां पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है। मान्यवर, जो यह एस्कोर्ट फार्म को लेकर घटना घटी, उससे बहुत अच्छी तरह माननीय चीमा जी परिचित हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जो सन् 1973 में संशोधित किया गया था, के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि किसी व्यक्ति के पास होने पर अधिक भूमि अतिरिक्त घोषित किये जाने की व्यवस्था थी। अतिरिक्त घोषित भूमि शासन में निहित हो जाती थी तथा खातेदार को मुआवजे के रूप में उक्त अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुरूप धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है। वर्ष 1992 में मैसर्स एस्कार्ट फार्म व अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 82 रिट याचिकायें दायर की गई जो दिनांक 15–05–1995 को निरस्त कर दी गई और आयुक्त कुमायूं मण्डल के आदेश 14–01–1992 को पुष्टि की गई और 74 क्रेताओं के बैनामे शून्य घोषित कर दिये गये। मैसर्स एस्कार्ट फार्म पर अन्तरिम स्थगन आदेश से निर्णय की तिथि तक अतिरिक्त घोषित भूमि का लाभ प्राप्त करने के एवज में 10,00,000.00 रुपये अदा करने का आदेश दिया गया।

इस आदेश के विरुद्ध जिन लोगों द्वारा उक्त भूमि को अनियमित रूप से निर्धारित तिथि के बाद क्रय किया गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय में एस0एल0पी0 प्रस्तुत की गई थी। सभी एस0एल0पी0 दिनांक 20–02–2004 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई और 10 लाख रुपया जमा करने के आदेश को निरस्त करते हुए क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई। दिनांक 09–07–2004 को स्थल निरीक्षण में कुल 251 परिवार 1489.82 एकड़ भूमि पर अवैध काबिज पाये गये जिनसे दिनांक 28–04–2005 को मौके पर भौतिक कब्जा लिया गया किन्तु अवैध कब्जेदारों द्वारा उक्त भूमि पर पुनः अतिक्रमण कर लिया गया। सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–472(एम/बी) वर्ष 2005 श्रीमती बन्ती वर्मा आदि बनाम उत्तरांचल सरकार माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरांचल में दायर की गई थी जो दिनांक 16–05–2005 को निरस्त कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बन्ता सिंह आदि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरांचल में रिट याचिका संख्या 527(एम/एस) वर्ष 2004 दायर की गई थी जिसमें उनके द्वारा भूमि उनके कब्जे में है, उन्हीं के नाम आवंटित करने का अनुरोध किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 03–06–2005 अस्वीकार करते हुए रिट कर्ताओं/अतिक्रमणकारियों से प्रति वर्ष 25000 रुपये की दर से वसूली कर कब्जा सरकार को देने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 28–04–2005 को भौतिक कब्जा प्राप्त की गई सीलिंग भूमि का सरकार द्वारा 18–06–2005 को गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है और विज्ञप्ति प्रकाशित होने के दिनांक 18–06–2005 से उक्त भूमि समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में हस्तान्तरित एवं निहित हो गई और अन्य के अधिकार एवं स्वत्व समाप्त हो गये। माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा लिये गये निर्णय एवं शासन के निर्देशों के क्रम में उक्त मैसर्स एस्कोर्ट फार्म की तहसील काशीपुर के विभिन्न ग्राम पच्चावाला दोहरीबकील में स्थित सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु उस क्षेत्र व ग्रामों में डुगडुगी पिटवाकर पर्याप्त प्रचार-प्रसार करवाया गया किन्तु किसी भी अवैध अतिक्रमणकारी द्वारा भूमि का कब्जा नहीं छोड़ा गया और अन्ततः एक रणनीति एवं अभियान के तहत दिनांक 02-01-2006 को उक्त सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि को स्थल पर अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। दिनांक 02 जनवरी एवं 03 जनवरी, 2006 को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान शान्ति व्यवस्था भंग करने वाले एवं कार्यवाही में अवरोध उत्पन्न करने वाले कतिपय लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन सभी गिरफ्तार किये गये 119 लोगों को दिनांक 03-01-2006 को सायं रिहा कर दिया गया। कार्यवाही के दौरान अवैध कब्जेदारों के अवैध निर्माण हटाये गये। जिन लोगों के अवैध निर्माण हटाये गये थे, उन सभी लोगों को मुआवजा के रूप में रु0 61,50,000.00 की धनराशि वितरित की गई है।

मान्यवर, इस कार्यवाही में जो लोग भूमिहीन हो गये थे, उन सभी को 400 एकड़ फार्म की भूमि आवंटित करने के निर्देश दिये गये हैं। मान्यवर, इस बीच जो लोग माननीय उच्चतम न्यायालय चले गये हैं। (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, माननीय उच्चतम न्यायालय की जो इच्छा है, उसके स्टेटमेंट में एक शब्द लिखा है कि कब्जे के प्रति यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हैं। जो जिस किसान का कब्जा है वह वहां पर खेती करेगा। यह कहीं नहीं लिखा है कि वह वहां खेती नहीं करेगा। मान्यवर, जब तक उच्चतम न्यायालय निर्णय नहीं देगा, तब तक उन लोगों को खेती बाड़ी से न रोका जाय। (व्यवधान)

श्री तिलकराज बेहड़-

मान्यवर, किसान चाहते हैं कि हमें पट्टे मिल जाय। मान्यवर, इस केस को उच्चतम न्यायालय में किसान नहीं ले गया है, बल्कि वह व्यक्ति ले गया है, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम 301 के अन्तर्गत श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री मातबर सिंह, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री प्रकाश पन्त, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री अजय भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल,

श्री अनिल नौटियाल तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कुल 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री मातबर सिंह, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री प्रकाश पन्त, श्री अजय भट्ट, श्री अनिल नौटियाल तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की सूचनाओं को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की जाती हैं।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अनेक गाँवों में जानवरों के किसी अज्ञात बीमारी से मरने एवं चिकित्सा सुविधा न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कई गांवों में कई जानवरों को किसी अज्ञात बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। इस अज्ञात बीमारी से ग्राम पनियाली, दुगावर, पम्बा, टोला एवं अन्य गांवों में लगभग 60–70 बकरियां मर गई हैं और सैकड़ों जानवर बीमारी की चपेट में हैं। पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं दवाईयों का अभाव होने के कारण ग्रामीण जनता को अपने जानवरों की बीमारी से सुरक्षा करने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग पशु पालन कर अपना जीवन–यापन करते हैं लेकिन अज्ञात बीमारी के कारण इन्हें भारी क्षति होने से जनता में निराशा व असंतोष है, क्योंकि शासन प्रशासन जनता को राहत दिलाने एवं बीमार जानवरों को चिकित्सा सुविधा देने में असमर्थ है।

जनपद रुद्रप्रयाग में धारी, पपड़ासू, चौरास नहरों के पूर्ण निर्माण न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग में धारी, पपड़ासू, चौरास नहरें विगत 15–16 वर्षों से अधर में लटकी हुई हैं। इन नहरों पर लाखों रुपये खर्च हो गये, किन्तु कृषि भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है। इन नहरों का पूर्ण निर्माण कम से कम पपड़ासू भरदार तक होना आवश्यक है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उक्त नहरों के शीघ्र निर्माण कराये जाने के निर्देश दिए जायें।

राजकीय महाविद्यालय, द्वाराहाट में वाणिज्य विषय सहित प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में रोजगारपरक विषयों को खोले जाने की माँग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट की स्थापना वर्ष 1983 में हुई। तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाविद्यालय में सभी विभागों के भवन निर्माण के साथ–साथ वाणिज्य विषय के भवन का भी निर्माण किया गया, लेकिन कई बार क्षेत्रीय जनता द्वारा वाणिज्य विषय खोले जाने की मांग किये जाने के बावजूद अभी तक कोई

सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई है। इसी तरह जहां एक ओर सरकार रोजगारपरक विषयों को खोलने की बात कर रही है। वहीं किसी भी राजकीय महाविद्यालय में रोजगार सम्बन्धी पाठ्यक्रम खोले जाने के सकारात्मक प्रयास सरकार द्वारा नहीं किये गये हैं, जिनमें प्रमुख रूप से वाणिज्य, वानिकी, बायोटैक्नोलॉजी, पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने हेतु कला एवं संस्कृति की शिक्षा सम्बन्धी विषय हैं।

अतः राजकीय महाविद्यालय द्वाराहाट में वाणिज्य विषय सहित प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में रोजगारपरक विषयों को खोले जाने सम्बन्धी मांग पर सरकार से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा करता हूं।

दिनांक 14-4-2006 की रात्रि जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत जाख क्षेत्र में हुए भयंकर अग्निकांड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के जाख क्षेत्र में स्थित बाजार में दिनांक 14-4-2006 की रात्रि 9.00 बजे अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिकों, अग्निशमन दल के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, परन्तु रात्रि 1.00 बजे अति कठिनाई से आग को नियंत्रित किया जा सका। आग के कारण 4 दुकानें पूर्ण रूप से तथा 3 दुकानें आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी हैं। जिसके कारण लाखों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त दुकानों में प्रारम्भिक आकलन के अनुसार श्री कैलाश चन्द्र भट्ट पुत्र चन्द्र बल्लभ भट्ट को 1.25 लाख रुपये, श्री नरेश गिरी पुत्र स्व0 दान गिरी को 2.40 लाख रुपये, श्री नारायण गिरी पुत्र जयमान गिरी को 0.75 लाख रुपये तथा श्री मदन मोहन भट्ट पुत्र वंशीधर भट्ट को 1.80 लाख रुपये का नुकसान अनुमानित है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दुकानों में श्री विनोद भट्ट पुत्र षष्ठी बल्लभ भट्ट, श्री त्रिलोक चन्द्र भट्ट पुत्र भूपाल भट्ट तथा श्री तिल राम पुत्र चिपड़ राम सम्मिलित हैं। अग्निकांड प्रभावित दुकानदारों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो चुकी है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए समस्त प्रभावित दुकानदारों को अविलम्ब उनकी दुकानों में हुई क्षति के प्रारम्भिक आकलन के अनुसार सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।

अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नगर के अन्तर्गत दिनाँक 14-4-06 को सायं ब्रिटिशकालीन नियाज बिल्डिंग में अचानक लगी आग से प्रभावितों को राहत प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नगर के अन्तर्गत दिनांक 14 अप्रैल, 2006 की सायं ब्रिटिशकालीन नियाज बिल्डिंग में अचानक आग लग जाने से पूरी

बिल्डिंग जल कर राख हो गई है, भवन में रहने वाले किरायेदारों की सारी सम्पत्ति जल चुकी है। कई लोगों के गोदाम जो इस भवन में थे, भी पूर्णतः जल कर राख हो गये हैं। कई लोगों के सामने अपने आवास एवं भरण–पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसमें कुल 18 परिवार प्रभावित हुए हैं। जो इस प्रकार हैं–1–श्री रॉबिरटन मलिक पुत्र श्री एल0 मलिक, 2–श्री इकबाल अहमद पुत्र इलियास, 3–श्री रमेश बिष्ट पुत्र श्री नित्यानन्द बिष्ट, 4–श्री जिग्नेश पटेल पुत्र मनु भाई पटेल, 5–श्री योगेश शाह पुत्र श्री बी0एल0 शाह, 6–कु0 प्रभा पदेलिया अध्यापिका, 7–श्री सुनील कुमार पुत्र श्री सुनेरा, 8–श्री जानेद रेडीमेड वाला, 9–श्री बाबू फलों के व्यवसाय वाला, 10–श्री अकबर अहमद, 11–श्री नूर अहमद रेडीमेड वाला, 12–श्रीमती मीना आर्या, 13–श्री अहमद अली रेडीमेड कपड़े वाला, 14–श्री मोहम्मद अली रेडीमेड कपड़े वाला, 15–श्री सुरेश राम पुत्र श्री बालीराम, 16–श्रीमती नसीमा पत्नी अनीश, 17–श्री एम0 अब्दुल्ला पुत्र खलील, 18–श्री मेहताब पुत्र अहमद उल्ला।

इस संकट के समय तत्काल राहत देनी आवश्यक है। अतः इस अविलम्बनीय तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर प्रभावितों को तुरन्त राहत देने के निर्देश देने का कष्ट करें।

जनपद चमोली में गैरसैंण वि0 ख0 के अन्तर्गत ग्राम सभा के अम्बेडकर ग्राम कनखली में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल नौटियाल–

जनपद चमोली में गैरसैंण विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम सभा के अम्बेडकर ग्राम कनखली में पेयजल की भारी किल्लत बनी हुई है। ग्रामवासी पानी लेने के लिए आज भी गांव से काफी दूर जाते हैं। गांव के चारों ओर घना जंगल भी है जिससे कोई बड़ी दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है, ग्रामवासियों द्वारा कई बार विभाग से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की मांग की गयी, किन्तु अभी तक ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे ग्रामवासियों में काफी आक्रोश व्याप्त हो रहा है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पूर्वी नयार नदी पर ग्राम खेरासैंण (खैरा) व ग्राम चौमारा के मध्य बने जीर्ण–शीर्ण झूला पुल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

नियम 301 की सूचना के माध्यम से जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत पूर्वी नयार नदी पर ग्राम खेरासैंण (खैरा) व ग्राम चौमारा के मध्य बने जीर्ण–शीर्ण झूला पुल के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, उक्त झूला पुल सतपुली से पूर्व की ओर विकास खण्ड जहरीखाल व ऐकेश्वर को जोड़ने वाला है। यह झूला पुल अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि नयार नदी पर 5 कि0मी0 पूर्व व पश्चिम से पहले नदी आर–पार करने की कोई व्यवस्था नहीं है, उक्त पुल पशुओं व यात्रियों, छात्र–छात्राओं के रोजमर्रा के कार्य में प्रयोग हेतु बनाया गया था। खैरासैंण ग्राम में राजकीय इण्टर कॉलेज व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जहाँ पर छात्र–छात्रायें पढ़ने के लिए व अस्वस्थ होने पर उपचार के लिए आते हैं। किसान खेती के लिए व पशुओं को चारागाह तक पहुँचाने के लिए पुल का उपयोग करते थे।

उक्त पुल की हालत इतनी खराब हो गई है कि पशु अब इस पर नहीं चल पाते। स्कूली छात्र–छात्रायें कई बार नदी में गिरते–गिरते बच गये हैं। पुल की फर्श पूरी तरह टूट गई है व झूला पुल के दोनों तरफ सुरक्षा हेतु लगाये गये लोहे के पाइप नष्ट हो गये हैं। पुल पर चलने में भय बना रहता है। छात्र पुल की बजाय नदी पार कर चलने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वर्षाकाल में नदी पार करना सम्भव नहीं होता, इस कारण कई बार छात्र–छात्रायें पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। कई बार स्थानीय लोग जिला पंचायत से उक्त सम्बन्ध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत माननीय नेता प्रतिपक्ष ने रा0इ0का0 घाट, जिला चमोली तथा डायट, टिन्डा एवं कोल्ड स्टोरेज, मटेला, अल्मोड़ा के भवनों के सदुपयोग के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न के रूप में सूचना दी है। औचित्य का प्रश्न संविधान के किसी अनुच्छेद एवं प्रक्रिया सम्बन्धी किसी नियम के उल्लंघन से उत्पन्न होता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष के रूप में आप अपनी बात कह सकते हैं।

रा0 इ0 कॉ0 घाट, जिला चमोली तथा डायट, टिन्डा एवं कोल्ड स्टोरेज, मटेला, अल्मोड़ा के भवनों के सदुपयोग के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया था कि राजकीय इन्टर कॉलेज, घाट (चमोली) के भवन को बने कई वर्ष हो चुके हैं, वह वीरान पड़ा है, उसका मालिक कौन है? शिक्षा विभाग उसको नहीं ले रहा है। टिहरी गढ़वाल में डायट का भवन बना है, उसका मालिक कौन है कि इसी तरह चम्पावत और मटेला में कोल्ड स्टोरेज बने हैं, उनका मालिक कौन है? मैं कहना चाहता हूँ कि इन पर करोड़ों रुपये खर्च हो चुके हैं, इनका सदुपयोग होना चाहिए, वह बर्बाद न हो। माननीय अध्यक्ष जी, आप सरकार को निर्देशित करें कि इनका सदुपयोग हो।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी है, मैं पूर्व में ही कह चुका हूँ कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो हमारी कार्यसूची के मद संख्या–8 में है, इसमें 9 अनुदान माँगें रखी जाने वाली हैं। मान्यवर, अभी तक की अद्यतन स्थिति यह है कि हमें बजट साहित्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। दूसरा यह कि एक सांख्यिकीय डायरी बनती है, वह वर्ष 2002–03 से प्राप्त नहीं हुई है, यह महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से हम बजट का अध्ययन करते हैं। मान्यवर, यह डायरी प्रतिवर्ष मिलनी चाहिए थी, इसके अध्ययन से जो नीतिगत चर्चा हो पाती थी, वह नहीं हो पाती है। हमारे द्वारा हमेशा इस बात को कहा गया है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे उपलब्ध करा दीजिए।

अब हम उठते हैं। अपराह्न 3.30 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 3.30 बजे पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2006–2007 के आय–व्ययक की माँगों पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग

अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग

*शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 14611880 हजार (एक हजार चार सौ इकसठ करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है और बड़ा विभाग होने के कारण इसमें बड़ी कठिनाईयां और बड़ी समस्याएं भी थी जिनके निराकरण के लिए बात होती रही, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं भी हमारे विद्यालयों की थीं जैसे उत्तर प्रदेश के समय में जो विद्यालय खुले थे, वर्षों तक उनमें नियुक्तियों का प्राविधान नहीं किया गया था, विषयों के अध्यापक नहीं थे। मान्यवर, यह कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्ववर्ती सरकारों की एक आम धारणा थी कि नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। हमने यह सोच कर कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाये, गुणवत्तापरक शिक्षा यहां पर दी जाये, इसके लिए सबसे पहले नियुक्तियों का प्राविधान किया गया और अभी तक 20 हजार नियुक्तियां कर चुका है यह विभाग, मान्यवर।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, साहित्य अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि नियम यह है कि दो दिन पूर्व साहित्य बंट जाता है। इससे ज्यादा आश्चर्य और क्या होगा?

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अब हम किस चीज पर चर्चा करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो गम्भीर स्थिति है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ब्योरेवार अनुदान तो आपको दे ही दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप शुरु करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, आज हमारे शिक्षा विभाग में 14 हजार 67 प्राथमिक विद्यालय हैं और 4 हजार उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और इसी तरह से 347 हाई स्कूल और 118 इण्टर कॉलेज हैं। कुल 22 लाख 98 हजार 331 विद्यार्थी शिक्षारत हैं। जन–जन तक शिक्षा पहुँचाने के लिए 2005–2006 में सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा में 13 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 2005 में 168 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसकी 91 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा चुकी है। 2007 में 25 प्रतिशत राज्यांश के लिए 40 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इसी तरह से हमारे जो विद्यालयों की मांग जनता बार–बार कर रही थी, दूर–दूर तक हाई स्कूल और इण्टर कॉलेज नहीं थे, इससे खास तौर से बालिका शिक्षा प्रभावित हो रही थी क्योंकि बालिकाओं का दूर–दूर पढ़ने जाना सम्भव नहीं था। इसलिए हमने 500 विद्यालयों का

उच्चीकरण किया है जिसमें जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से इण्टर कॉलेज में उच्चीकरण किया गया है। उसमें माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 302 जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर उच्चीकरण किया गया। जिनमें 169 हाई स्कूलों की 2005-06 में स्थापना की गई है। राज्य गठन के बाद अब तक 194 हाई स्कूल तथा 129 इण्टर कॉलेजों, लगभग कुल 500 विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है। और इस समय जो मई में हमारा सेशन शुरू होगा, उसमें यह विद्यालय भी प्रारम्भ हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश के समय से ही हमारी एक बड़ी योजना पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई थी। स्व0 हेमवती नन्दन बहुगुणा,जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रान्तीयकरण की योजना बनाई। अशासकीय विद्यालय जो जनता द्वारा संचालित होते थे और जनता उनको संचालित करने में असमर्थ महसूस करती थी तो उनका प्रान्तीयकरण होगा, ऐसा इस नीति में था। लेकिन हमारी जो गैर-कांग्रेसी सरकारें इस बीच रही उन्होंने प्रान्तीयकरण बन्द कर दिया था। लेकिन हमने इसे फिर से प्रारम्भ किया और 17 विद्यालयों का प्रान्तीयकरण हमने अब तक कर दिया है और इस व्यवस्था को हमने खुला भी रखा है, जो भी विद्यालय का प्रबन्ध तंत्र यह महसूस करे, कि हम विद्यालय चलाने में असमर्थ हैं तो वह आवेदन दें और सरकार उस पर विचार करेगी। एक अन्य बात भी थी, अशासकीय विद्यालयों में जो 1992 से नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी, उसमें धारा 16-क होती थी, जिसके आधार पर नियुक्तियों के अधिकार थे। उसके लिए भी हमने एक विधेयक के रूप में लाकर एक प्रावधान कर दिया कि एक चयन समिति के माध्यम से यह नियुक्तियां की जा सकेंगी। इसके अलावा अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य के रूप में जो कार्य कर रहे थे, उनका विनियमितीकरण नहीं हो पा रहा था। हमने उनके लिए भी व्यवस्था की है, एक महत्वपूर्ण काम हमने विद्यालयों को अनुदान सूची में लाने का किया है, उत्तर प्रदेश के जमाने से बहुत विद्यालय ऐसे थे जो महसूस करते थे कि वे विद्यालय संचालित नहीं कर पा रहे हैं और अनुदान सूची में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो हमने ऐसे 84 विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किया है तथा 27 विद्यालयों को आंशिक अनुदान सूची में शामिल किया है जिसमें उन्हें 1 लाख रुपये की वार्षिक सहायता मिलेगी।

ठीक इसी प्रकार से तदर्थ नियुक्तियों की जो बात थी। जो शिक्षा बन्धु और शिक्षा मित्र के रूप में तथा अंशकालिक अध्यापक थे, उनको तदर्थ नियुक्ति प्रदान की गई है। मान्यवर, जो हमारे बेसिक एजुकेशन में विद्यालयों में पहले अध्यापकों की कमी थी तो उसे हमने विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया और रेगुलर बी0टी0सी0 के माध्यम से भी इसका शुभारम्भ होगा। मध्याह्न भोजन के लिए जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश थे कि बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाय, उसमें जो कन्वर्जन कॉस्ट थी, वह एक रुपये थी, उसमें एक रुपया राज्य सरकार ने देकर के भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया है। विद्यालय में बच्चों को पोषक तत्व मिलें, इसके लिए फल और अन्य पोषक तत्व देने की व्यवस्था भी

प्रारम्भ की गई है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2005–06 में इसके लिए 45.23 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

पाठ्य पुस्तकें कक्षा एक से कक्षा आठ तक सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई भी छात्र पाठ्य पुस्तकें क्रय न कर पाने के कारण शिक्षा से वंचित न रह जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य जाति के सभी छात्र जो शासकीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबको यह निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही हैं। 15 लाख 97 हजार 109 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। मान्यवर, हमने जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल कर दिया है, हाई स्कूलों को इण्टरमीडिएट कर दिया है लेकिन जूनियर हाई स्कूल के भवनों में ही हाई स्कूल की कक्षाएं चल रही हैं। हाई स्कूल के भवनों में इण्टरमीडिएट की कक्षाएं चल रही हैं। अतिरिक्त कक्षा कक्षों के निर्माण के लिए 2005–06 में 11.22 करोड़ रुपये व्यय किये गये। इस समय हमने इसमें 30 करोड़ 90 लाख रुपये का प्राविधान किया है। महत्वाकांक्षी राजीव गांधी नवोदय विद्यालय अभी 6 जनपदों में हैं, सभी 13 जनपदों में इनको खोलना है, इसके लिए 12 करोड़ रुपये का प्रोविजन किया गया है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधा तथा नवीन प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लॉन के अन्तर्गत 53 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु 1135 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। जनजाति क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत भवनों के जीर्णोद्धार हेतु 21 लाख रुपये प्राविधानित हैं। राज्य के सभी राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना की जा चुकी है। वर्ष 2005–06 में 170 नवीन विद्यालयों में कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

कम्प्यूटर शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्य के राजकीय इण्टर कॉलेज गोलधार, नई टिहरी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। माइक्रोसाफ्ट द्वारा आयोजित इनोवेटिव टीचर लीडरशिप अवार्ड, 2005, एशिया पैसेफिक मीट, कोरिया के लिए राज्य के दो अध्यापकों को चयनित किया गया है। कम्प्यूटर शिक्षा जो इस प्रदेश में शुरु की गयी थी, उसके अच्छे परिणाम सामने आ गये हैं। इसी तरह से खेल–कूद के बारे में बताना चाहता हूँ, राज्य द्वारा 15वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का सफल आयोजन किया गया, जिसमें देश–विदेश के कुल 27 हजार प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। स्कूली खेलों में राज्य के बच्चों ने फुटबाल एवं कुश्ती के स्वर्ण पदक प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया है। मान्यवर, 'इन्फॉरमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल' आई0सी0टी0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 150.75 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रथम किश्त के रूप में 25 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के लिए 75 लाख की धनराशि प्रथम बार उत्तरांचल राज्य को अवमुक्त की गयी है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 12 जनपदों के 13 विकास खण्डों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना की गयी है जिनके द्वारा 529 बालिकाओं को विद्यालयी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

मान्यवर, इसी तरह से हमने हाई स्कूल एवं इण्टर की सार्वजनिक परीक्षा में प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया है। इसके अन्तर्गत उन स्कूलों के प्रधानाचार्य और उन अभिभावकों को भी सम्मानित किया जाता है। खेलकूद के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए भी यहाँ के छात्रों को सम्मानित किये जाने का प्राविधान है। चाहे वह साहसिक क्षेत्र से सम्बन्धित खेल हों या एन०सी०सी० से सम्बन्धित क्रियाकलाप हों, उनमें भी हमने छात्रों के प्रोत्साहन हेतु कई कार्य किये हैं। सरकार के गठन के पश्चात् जहाँ शिक्षा कार्यालयों के भवन नहीं थे, उनके भवनों का निर्माण किया गया। इसके अन्तर्गत जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), चमोली के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 10.57 लाख की स्वीकृति दी, जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), देहरादून के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 24 लाख की स्वीकृति, जिला शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 21.55 लाख की स्वीकृति, जिला शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के कार्यालय भवन निर्माण हेतु 67.18 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में शैक्षिक प्रबन्धन हेतु राज्य स्तर पर सीमेन्ट की स्थापना की गई है। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु जनपद ऊधमसिंह नगर में डायट एवं जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली, चम्पावत तथा बागेश्वर में डी०आर०सी० की स्थापना की जा रही है।

मान्यवर, अध्यापकों की कमी की बात भी सदन में कही जाती है। प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त 2700 पदों को विशिष्ट बी०टी०सी० प्रशिक्षुओं की नियुक्ति द्वारा भरा गया है। माध्यमिक स्तर पर कार्यरत 878 शिक्षा बन्धुओं को तदर्थ रूप से नियुक्ति प्रदान की गई, जबकि 1219 प्रवक्ताओं के पदों पर तैनाती की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है। 941 प्रवक्ता एवं 303 प्रधानाध्यापक (हाई स्कूल) के पदों को पदोन्नति से भरते हुए सभी विद्यालयों में अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का कार्य संचालित किया जा रहा है। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में भविष्य में रिक्त होने वाले पदों की समयबद्ध पूर्ति हेतु नियमित बी०टी०सी० प्रशिक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपदों में अध्यापक प्रशिक्षण कार्य, शिक्षा मित्र प्रशिक्षण एवं शिक्षा आचार्य प्रशिक्षण डायट के सहयोग से सम्पन्न किये जाते हैं। डायट को विभिन्न मदों के अन्तर्गत वित्तीय समर्थन दिया जाता है।

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर में डायट की स्थापना की है और जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में मिनी डायट की स्थापना की जा रही है। मान्यवर, नई नियुक्तियां हमने की हैं, नये विद्यालय खोले हैं, अनुरक्षण अनुदान में विद्यालयों को सम्मिलित किया है और अशासकीय विद्यालयों में नियुक्ति के रास्ते प्रशस्त किये हैं। मान्यवर, मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से अनुरोध करता हूँ कि शिक्षा में बहुत कार्य हुए हैं और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कटौती का प्रस्ताव न लायें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से और एक लोकलुभावन तरीके से अपनी बात को रखा। मान्यवर, शिक्षा जैसे क्षेत्र में शिक्षा के बजाय गुणात्मक शिक्षा पर जोर देना चाहिए था। मान्यवर, शिक्षकों की नियुक्ति, प्रधानाचार्यों की नियुक्ति, प्रोन्नतियां की हैं। मान्यवर, शिक्षा विभाग का जो ढांचा है, इसमें शिक्षकों के अलावा अन्य कर्मचारी भी हैं। शिक्षकों की नियुक्तियों, प्रोन्नतियों के बारे में मंत्री जी ने कहा। हम इस बात को भी मानते हैं, नियुक्तियां, प्रोन्नतियां हुई हैं। मान्यवर, शिक्षा निश्चित रूप से समाज और देश के निर्माण की कड़ी है–मानव संसाधन विकास। मान्यवर, चरित्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसी विभाग की है, इसका समायोजन भी इसमें होना चाहिए था। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इसके लिए किस प्रकार की नीति और व्यवस्था बना रही है जिससे कि हम अपने परिवार और देश को एक गुणात्मक शिक्षा दे सकें और देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। यह जिम्मेदारी इस मानव संसाधन विकास की है, जोकि शिक्षा विभाग के पास है।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हम साल में कितने दिन प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, इन्टर कॉलेज तथा महाविद्यालयों को चलाते हैं और कितने दिन वास्तव में ये चलने चाहिएं। मान्यवर, महाविद्यालयों का हाल यह है कि आये दिन वहां पर हड़तालें होती हैं, छात्र संघ चुनाव होते हैं और दो–दो महीने तक परीक्षाएं चलती हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक सीमित समय में ये परीक्षाएं हों, कम से कम समय में छात्र संघ चुनाव हों। मान्यवर, मानव संसाधन विकास के लिए, जिस पर राष्ट्र की नींव टिकी हुई है, इसके लिए कोई भी योजना सरकार के पास दिखाई नहीं दे रही है और न ही माननीय मंत्री जी ने इसका जिक्र किया है। मान्यवर, केवल पैसे से मानव का विकास नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, उससे मानव संसाधन का विकास नहीं किया जा सकता, जब तक उसमें नैतिक शिक्षा का समावेश, संस्कृति का समावेश, ठीक तरीके से नहीं किया जाता। तब तक भावी पीढ़ी का विकास नहीं कर सकते जब तक उद्देश्यपूर्ण शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे। सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, मध्याह्न भोजन के लिए। सरकार ने एक रुपये की वृद्धि की है, लेकिन इसमें कुछ विरोधाभास नजर आ रहा है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बताया है कि 18.28 लाख बच्चे 6–14 वर्ष के हैं और बताया है कि 18.28 लाख में से 18.16 लाख बच्चे हमारे विद्यालयों

में जा रहे हैं, जो कि कुल का 97.70 प्रतिशत है। वास्तव में इन आंकड़ों को देखना चाहिए। मान्यवर, इस विधान सभा के 400–500 मीटर के दायरे में सर्वे करायें तो निश्चित हो जायेगा कि वास्तव में कितने बच्चे विद्यालय में जा रहे हैं या नहीं, इसका परीक्षण कराने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक बात और है कि जो कुल 1790 विद्यालय बताये हैं, जिनमें राजकीय परिषदीय, प्राथमिक विद्यालय, शिक्षा गारन्टी केन्द्र, शिक्षा केन्द्र में 10.16 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं और इनमें जो भोजन आता है, उन विद्यालयों की संख्या 11790 है और भोजन मातायें 14610 बताया है। मेरे संज्ञान में है कि एक विद्यालय में एक भोजन माता की नियुक्ति की गई है, यह आंकड़ा प्राथमिक विद्यालय में थोड़ा विरोधाभास लगता है, इसकी जाँच होनी चाहिए।

मान्यवर, विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, इस विधान सभा से 50 मीटर की दूरी पर विद्यालय है और उसमें 11 हजार और 5 हजार रुपये, कुल 16 हजार रुपये, शौचालय व पानी की टंकी के लिए हैं, तो 16 हजार में 2 शौचालय कैसे बन सकते हैं और पानी की टंकी कैसे बन सकती है? मैंने खुद एक एन0जी0ओ0 के माध्यम से विद्यालय को एडॉप्ट किया है, इसमें 36 हजार रुपये की कॉस्ट आई, जबकि साधारण बनाया। मान्यवर, यह राशि बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, इसकी बजट में व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, दोपहर की जो भोजन योजना है, उसमें 8 लाख बच्चों को भोजन दे रहे हैं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में लिखा है कि 8 लाख बच्चों को भोजन दे रहे हैं, जबकि शत–प्रतिशत बच्चों को भोजन मिलना चाहिए। मान्यवर, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं जो मजदूरी करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, उन बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, शिक्षा प्रभावित न हो, इसलिए प्राथमिक विद्यालयों में भोजन का उचित प्रबन्ध होना ही चाहिए। मान्यवर, जो यह भोजन व्यवस्था है, इससे पढ़ाई बाधित होती है, इससे पढ़ाई बाधित न हो, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, गुणात्मक अपेक्षा हर जगह होती है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे बच्चे स्वावलम्बी बन सकें इसके लिए वानिकी, उद्यान और फलों की खेती है, हम कम से कम भूमि पर अधिकतम नकदी फसल उगा सकते हैं, इसकी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। इसका जिक्र इसमें नहीं किया गया है। इसका जिक्र इसमें होना चाहिए और इसमें सरकार की ओर से ठोस प्रयास होने चाहिए। मान्यवर, विद्यालय खुल गये हैं, जो विज्ञान का विषय है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है, जब तक प्रयोगशाला नहीं होगी, जो हम अपने बच्चों को विशेषज्ञता हासिल कराना चाहते हैं, इससे उनका विकास नहीं हो पाता है इसके लिए

सरकार को प्रयास करने चाहिए। मान्यवर, खेल के मैदानों की भी व्यवस्था विद्यालयों में होनी चाहिए और उनके लिए भी कुछ अनिवार्यतायें होनी चाहिए। मान्यवर, हम ई–गवर्नेंस की व्यवस्था करते हैं। हम सारे कॉलेजों को टेलीफोन की व्यवस्था नहीं दे पाये हैं। सभी कॉलेजों को टेलीफोन की व्यवस्था से जोड़ सकें जिससे कि हमारे नेतागण और अधिकारी कॉलेजों की नीचे देहरादून में बैठकर मॉनीटरिंग कर सकें। इस व्यवस्था से शिक्षकों की और बच्चों की उपस्थिति का पता चल सकता है। इसकी व्यवस्था हमें अपने विद्यालयों में करनी चाहिए।

मान्यवर, पी0टी0ए0 शिक्षक की नियुक्ति की घोषणा हो चुकी है, इसकी कट ऑफ डेट नहीं हुई है। यह कब हो जायेगा? उन्होंने ऐसे समय में अपना योगदान दिया, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने में। मान्यवर, उच्च शिक्षा की गम्भीर स्थिति है। एक बच्ची अभी मेरे पास आई थी तो मैंने उससे पूछा कि कितने में पढ़ती हो तो उसने कहा बी0कॉम0 में पढ़ती हूँ। तो मैंने पूछा कि कॉलेज जाती हो तो उसने कहा कि अभी तक एक दिन भी नहीं गयी हूँ। मान्यवर, यह डी0ए0वी0 कॉलेज है, इसमें देख सकते हैं कि कितने बच्चे कॉमर्स की क्लास में जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, महाविद्यालयों में कितने दिन हड़ताल में गुजर जाते हैं, कितने दिन छात्र चुनाव में गुजर जाते हैं। सेशन चल रहा हो तो परीक्षा में घपला हो रहा है। मान्यवर, कम से कम दिन निश्चित होने चाहिए। कक्षायें चलाना अनिवार्य हो, इसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाये हैं। मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कार्यसूची में दिया है, आपने जिक्र किया है, पेज–3 में कि 53 महाविद्यालयों के अतिरिक्त 15 अनुदानित महाविद्यालय हैं।

मान्यवर, और जो सूची पीछे दी गयी है उसमें 36 महाविद्यालय बताये गये हैं, अनुदानित महाविद्यालय 15 बताये गये हैं। अब क्या सही है, क्या गलत है? प्रधानाचार्यों के स्थानान्तरण की नीति है। अभी भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो अंशकालिक रूप से नियुक्त हुए थे। वे 15–16 साल से काम कर रहे हैं। इनकी संख्या 14–15 है। उत्तर प्रदेश में इनको स्थाई नियुक्ति दे दी गयी है, लेकिन उत्तरांचल में इनको स्थाई नियुक्ति नहीं दी गयी है। अन्त में मुझे यह कहना है कि शिक्षा में जब तक नैतिक शिक्षा, चरित्र निर्माण का समावेश नहीं होता, तब तक हमारी शिक्षा बेकार है। यह उसी तरह से है जैसे कि तैरने की प्रैक्टिस के लिए किसी को भाषण दिया जाये और कहा जाये कि ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर चलाओ तो इससे वह तैरना नहीं सीख सकता है, जब तक कि उसे नदी में न भेजा जाये। इसी तरह से जब तक शिक्षा में चरित्र का समावेश नहीं होगा, तब तक हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। इस दिशा में सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को कहना चाहती हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल में शिक्षा का स्तर उच्च हो। इसके लिए बार–बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस सदन में कई बार बजट भाषण के माध्यम से कहा है कि उत्तरांचल की शिक्षा का स्तर ऊँचा करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन मान्यवर, इन चार वर्षों में उत्तरांचल राज्य का 5वाँ बजट हम यहां पर पारित करने जा रहे हैं। देखा गया है कि उत्तरांचल में शिक्षा के स्तर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। बजट हर साल रखा जाता है। आज स्थिति यह है कि उत्तरांचल में विद्यालयों में भवन नहीं हैं, विद्यालय भवन विहीन हैं और दूर–दराज के स्कूलों में अध्यापकों की भी बहुत कमी है। मान्यवर, हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय खुले हैं लेकिन वे दो कमरों में और कहीं–कहीं पर तो भवन विहीन स्थानों पर विद्यालय चल रहे हैं। अगर शासन की तरफ से विद्यालय भवन पर पैसा खर्च किया गया तो भवन पूर्ण नहीं हुए हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि कुछ विद्यालय भवन पूर्ण हुए हैं या नहीं। कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पेयजल की व्यवस्था नहीं है और एक–एक अध्यापक दूर–दराज के क्षेत्रों में नियुक्त हैं। अगर दो अध्यापक कहीं पर नियुक्त करके शिक्षा की व्यवस्था की गयी तो पैसा जरूर खर्च किया गया है, लेकिन अभी भी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जाता है कि विद्यालयों में शिक्षक समय पर उपस्थित हैं या नहीं और कहीं–कहीं पर यह भी देखने में आ रहा है कि कई जगहों पर कई दिनों तक विद्यालय बन्द रहते हैं।

कहीं पर ऐसा देखने में आया है कि उस विद्यालय में एक ही अध्यापक नियुक्त था और यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह विद्यालय कई महीनों तक बन्द रहा। जन प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों के बार–बार कहने पर भी वह विद्यालय नहीं खुला। मान्यवर, मैं यहां पर 2–3 सुझाव आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को देना चाहती हूँ कि शिक्षकों की सेवानिवृत्ति सत्र समाप्ति के बाद ही देनी चाहिए। अगर हम सत्र समाप्ति के बाद सेवानिवृत्ति नहीं करेंगे तो इससे शैक्षिक कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मान्यवर, यदि कोई अध्यापक जनवरी या दिसम्बर में 60 वर्ष की आयु को पूर्ण कर रहा है तो उसके सामने ऊहापोह की स्थिति हो जाती है, न तो वह विद्यालय में पढ़ा पाता है, न ही सेवानिवृत्त हो पाता है। क्योंकि जो विषय वह पढ़ा रहा था, उसे अब कौन पढ़ायेगा तो इस प्रकार से उनकी सेवानिवृत्ति का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है। अभी कई अध्यापक सेवानिवृत्त हो गये और बोर्ड की परीक्षायें भी निकट थी। यदि शिक्षकों को सत्र के पूर्व ही सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी तो उस समय कैसे शिक्षा की व्यवस्था हो पायेगी, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसलिए शिक्षकों को पूरे सत्र का लाभ देना चाहिए। मान्यवर, दूसरा सुझाव मैं अशासकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के बारे में देना चाहती हूँ कि उनकी नियुक्ति भी प्रोन्नति के माध्यम से ही होनी चाहिए। जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, वहां पर प्रधानाचार्य के

पद पर नियुक्ति शत–प्रतिशत प्रोन्नति के माध्यम से ही हो रही है और जो अशासकीय विद्यालय हैं, वहां पर प्रोन्नति सीधी भर्ती के द्वारा हो रही है। मेरा सुझाव है कि अशासकीय विद्यालयों में भी प्रधानाचार्य की नियुक्ति प्रोन्नति से ही होनी चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति वहां पर सालों से काम कर रहा है और जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहा है, उसे ही प्रोन्नति द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार से जो सी0टी0 संवर्ग के शिक्षक हैं, 1–1–86 से जिनकी नियुक्ति है या 5 साल का जिनका कार्यकाल हो गया हो, उन्हें एल0टी0 संवर्ग में सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्योंकि सी0टी0 प्रशिक्षण की व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। जो पहले से सी0टी0 संवर्ग में हैं, उनको एल0टी0 का वेतनमान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, इसी प्रकार से जो हमारे यहां पाठ्य पुस्तकों के लिए काफी बड़ा बजट यहां पर रखा गया है जिसमें 32800 हजार का प्रावधान है। लेकिन जब हम क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं तो वहां पर अध्यापकों और अभिभावकों द्वारा बताया जाता है कि वहां पर पाठ्य पुस्तकें पहुंची ही नहीं हैं। मान्यवर, अब तो सत्र भी समाप्त होने वाला है, लेकिन अभी तक भी कई स्थानों पर पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची हैं तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी छात्रों को लाभ नहीं मिल पाता है। तो आखिर वह पाठ्य पुस्तकें कहां चली जाती हैं। आज भी कई विद्यालयों में यही स्थिति है कि या तो पाठ्य पुस्तकें समय पर नहीं मिल पाती या फिर पहुंचती ही नहीं हैं। मान्यवर, अगर इस राज्य के छात्रों के साथ, इस राज्य के बालक बालिकाओं के साथ शासन के द्वारा इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो हम जो कहते हैं कि अपने राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार करेंगे, तो वह कभी नहीं किया जा सकता है।

स्थानान्तरण होते हैं, तो उनमें कई अव्यवस्थाएं होती हैं। कई ऐसे अध्यापक–अध्यापिकाएं हैं, जो हमेशा लाभ लेते रहते हैं, वह बहुत सुविधाजनक स्थानों पर हैं। कई लोग ऐसे हैं, जो बहुत लम्बे समय से दुर्गम और बीहड़ स्थानों पर नियुक्त हैं। जिनके सोर्सेज हैं, वह मैदानी क्षेत्रों में सुविधाजनक स्थानों पर अपना स्थानान्तरण कराते रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं, जो अपंग हैं, बीमार हैं और अभी तक दूर–दराज के क्षेत्रों में हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर उत्तरांचल को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो हमें प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। मान्यवर, दूर–दराज के गाँवों में शिशु मन्दिर भी खुले हुए हैं, वहां पर कम वेतन पर एक आचार्य शिक्षा दे रहा है। आज कम से कम 10 हजार रुपया प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को वेतन मिल रहा है। इन विद्यालयों से तुलना करें तो शिशु मन्दिर के आचार्य को बहुत कम वेतन मिलता है। हमें लगता है कि जो पैसा खर्च किया जा रहा है, वह निरर्थक जा रहा है। सरकार द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। धीरे–धीरे शिक्षा का स्तर घटता जा रहा है। इस पर विचार करना होगा। शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना होगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी माननीय सदस्यों के लिए 5 मिनट का समय निर्धारित कर रहा हूँ। कृपया 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी जो बजट भाषण दिया, उससे सारा सदन विदित है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 4 साल में सरकार द्वारा जो कार्य किया गया, वह अभूतपूर्व है। इतनी बड़ी संख्या में विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया। आपने बताया कि 500 विद्यालयों का उच्चीकरण पिछले 4 सालों में हुआ। यह सराहनीय है। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जनपद ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में प्रदेश की 33 प्रतिशत जनता निवास करती है। विगत दो सालों में 14 विद्यालय ऊधमसिंह नगर में और 11 या 12 विद्यालय हरिद्वार जनपद में, कुल मिलाकर 25 विद्यालय इन दो जनपदों को मिले, जहां पर प्रदेश की 33 प्रतिशत आबादी रहती है। आपने बताया कि 500 विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया, इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में बहुत से बच्चे माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की बात कही, किन्तु ऊधमसिंह नगर का जिक्र इसमें नहीं किया। आपने जसपुर में विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 12 एकड़ भूमि के लिए 44 लाख रुपये अवमुक्त किये, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, आज 99 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं। मान्यवर, एनरोलमेन्ट बच्चों का खूब हो रहा है, छात्रवृत्ति भी मिल रही है, मिड डे मील भी मिल रहा है किन्तु एक्चुअल अटेन्डेंस बहुत कम है। इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मान्यवर, आज शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बंट गई नजर आती है। एक हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की और एक मॉन्टेसरी, पब्लिक स्कूलों और कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की। होना यह चाहिए कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का स्तर भी वही बनाया जाना चाहिए जो आज अंग्रेजी स्कूलों के बच्चों का है। इसके लिए सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमने क्वांटिटी में तो प्रगति कर ली है किन्तु क्वालिटी एजुकेशन में हम काफी पीछे हैं। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब हम सी0बी0एस0ई0 पैटर्न यहाँ पर लागू करने जा रहे हैं। सी0बी0एस0ई0 व्यवस्था के अन्तर्गत तो 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारम्भ हो जाता है। जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के विद्यालयों में तो अभी परीक्षाएं ही खत्म नहीं हुई हैं। अब यह सी0बी0एस0ई0 पैटर्न कैसे लागू होगा, यह विचारणीय प्रश्न है। मान्यवर, सरकार ने छात्रवृत्ति सभी वर्गों के लिए दुगुनी कर दी है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। कम्प्यूटरीकरण का जितना बड़ा प्रोग्राम इस सरकार द्वारा किया गया, लगभग 156 कम्प्यूटर्स विभिन्न विद्यालयों में पहुँचाये गये हैं। उससे ग्रामीण अंचलों के बच्चों को कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत मदद मिली है। अन्त में मैं पुनः जो उच्चीकरण हमारे यहाँ विद्यालयों का हुआ है, उसमें जनपद ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार जहाँ पर 33 प्रतिशत जनता हमारी रहती है, उसमें 600 विद्यालयों में से कुल 25 विद्यालयों का हमारे यहाँ उच्चीकरण हुआ है, इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहता हूँ, साथ ही सरकार द्वारा किये गये कार्यों के लिए धन्यवाद भी देता हूँ।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव भी सरकार को देना चाहता हूँ ताकि सरकार मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर अमल करे। मान्यवर, पिछले वर्ष हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षा हुई और परीक्षा परिणाम घोषित करते समय जिस प्रकार की दुर्व्यवस्था हमको देखने को मिली, मुझे विश्वास है कि इस बार ऐसी दुर्व्यवस्था देखने को नहीं मिलेगी और सरकार उस प्रकार की घटनाओं से बचने का प्रयास करेगी। मान्यवर, परीक्षाफल के मूल्यांकन में पारदर्शिता झलकनी चाहिए। खासतौर से परीक्षार्थियों को विश्वास होना चाहिए कि उत्तरांचल की बोर्ड परीक्षा का जो मूल्यांकन है, उसकी अपनी एक विशिष्टता है। साथ ही साथ परीक्षाफल के प्रतिशत में भी वृद्धि होनी चाहिए। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं कि पिछले वर्ष हाई स्कूल का परीक्षाफल 44.45 प्रतिशत और इण्टरमीडिएट का 67.99 प्रतिशत रहा है।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपनी तुलना उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से नहीं करनी चाहिए। हमें शिक्षा के क्षेत्र में अपने राज्य की तुलना शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों से करनी चाहिए। जिन राज्यों का परीक्षाफल अच्छा है, उनसे करनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है जैसा कि माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी ने शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने की बात कही है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, उत्तरांचल में नकल की प्रवृत्ति बढ़ी है, अगर पिछले वर्ष और इस वर्ष के आकड़े माननीय मंत्री जी द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किये जाय तो वस्तुस्थिति स्वयं स्पष्ट हो जायेगी। नकल सबसे ज्यादा उत्तरांचल के अन्दर हो रही है।

मान्यवर, निश्चित रूप से नकल में छात्र पकड़े जा रहे हैं और खास तौर से शिक्षा मंत्री जी के गृह जनपद में इनकी संख्या सबसे अधिक है, जोकि गम्भीर चिन्ता

का विषय है। मान्यवर, मैं माननीय राजनाथ सिंह को बधाई देना चाहता हूँ कि जब वे शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने एक शासनादेश के माध्यम से नकल रोकने का प्रयास किया था। मान्यवर, उस समय जिन छात्रों ने हाई स्कूल और इन्टर किया था, वे छात्र आज भी कहते हैं कि हम राजनाथ सिंह के जमाने में इन परीक्षाओं में पास हुए थे। मान्यवर, उत्तरांचल में नकल रुके, इस बारे में कोई कानून बनाना पड़े तो बनाया जाना चाहिए।

मान्यवर, स्थानान्तरण के बारे में बहुत चर्चाएं हुई हैं, वास्तव में इन पर रोक नहीं लगी है। सभी स्थानान्तरण अनुकम्पा से किये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि जिलों में यह अधिकार जिला शिक्षा अधिकारी और खण्ड शिक्षा अधिकारी को दिया जाय। मान्यवर, इन लोगों को जिले की भौगोलिक स्थिति की पूरी जानकारी रहती है। मान्यवर, आज सारे स्थानान्तरण शासन स्तर पर हो रहे हैं। इस दिशा में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। पाठ्य पुस्तकों के वितरण के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप विद्यालय के प्रधानाचार्य को इसकी जिम्मेदारी सौंपिए और छात्रों की संख्या के अनुपात में ही उन्हें धनराशि दे दीजिए और जहां से वे पुस्तकें क्रय की जानी हैं, उसका नाम व पता दे दीजिए। यदि प्रधानाचार्य छात्रों को यह पुस्तकें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो इन पर फिर कार्यवाही की जानी चाहिए। इससे समय पर छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध हो जायेंगी।

मान्यवर, विद्यालयों में फर्नीचर के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि आज कई विद्यालयों में फर्नीचर नहीं है। मान्यवर, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया और इस माध्यम से प्राईमरी स्कूलों को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन यहां पर फर्नीचर की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए मैंने विधायक निधि से भी पैसा दिया है। मान्यवर, जितने भी इन्टर कॉलेज, हाई स्कूल, स्तर तक के विद्यालय हैं, इनमें फर्नीचर की व्यवस्था की जाय। मैं चाहता हूँ कि यह व्यवस्था जूनियर हाई स्कूल तक की जाय, यदि यह व्यवस्था प्राईमरी स्कूल तक हो जाती है तो अति उत्तम है। मान्यवर, विशिष्ट बी0टी0सी0 के बारे में कहना चाहता हूँ कि पिछली बार हरिद्वार जनपद में एक भी आवेदन नहीं आये, इसका अर्थ तो यह हुआ कि वहां पर विशिष्ट बी0टी0सी0 के छात्र नहीं हैं, लेकिन सीमान्त क्षेत्रों में इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। मान्यवर, एक चीज जो पहाड़ों में देखने को मिलती है अध्यापक की नियुक्ति हो जाती है, लेकिन वह स्कूल नहीं जाता है। मान्यवर, मैं एक उदाहरण अपने जनपद के सिमलासू स्कूल के बारे में देना चाहता हूँ कि वहां पर अध्यापक की नियुक्ति की गयी है और यह अध्यापक नियुक्ति की तिथि से ही रजिस्टर अपने साथ लेकर वहां पर दो हजार रू0 मासिक वेतन पर गांव की किसी लड़की को रखे हुए है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ, इसको सख्ती से देखा जाय। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में कहा था कि 16 अप्रैल तक वे नियुक्तियां कर दी जायेंगी, परन्तु आज 17 अप्रैल हो गया है, आज तक ये नियुक्तियां नहीं हुई हैं। मान्यवर, ये परीक्षाएं कब तक होंगी?

डा० अनुसुया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, जो बजट प्राविधान किया गया है, उसके लिए मैं अपनी सरकार को और माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ और इसके साथ ही एक–दो सुझाव जोड़ना चाहता हूँ। मान्यवर, जो अशासकीय विद्यालय हैं, जहाँ पर नवीं–दसवीं स्तर की कक्षायें चल रही हैं, उनमें मात्र तीन अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक का पद सृजित हुआ है, जबकि वहाँ पढ़ाई विषयवार होती है, मेरा कहना है कि जो विद्यालय नवीं–दसवीं स्तर पर वित्त विहीन थे, वे अनुरक्षण अनुदान सूची में लाये गये हैं, उन विद्यालयों में विषयवार पद सृजित किये जाने का प्राविधान इस बजट में किया जाए। मान्यवर, अशासकीय विद्यालयों में 1992 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रबन्ध कमेटियों द्वारा नियुक्तियाँ दिये जाने के प्राविधान पर प्रतिबन्ध लगा दिया था। उसके बाद अभिभावक–शिक्षक संघ द्वारा जो पी०टी०ए० शिक्षक लगाये गये, उनको नियमित किये जाने का बजट में प्राविधान किया गया है, लेकिन जो अध्यापक प्रबन्धकीय कमेटी द्वारा लगाये गये हैं, उनको नियुक्ति देने का प्राविधान नहीं किया गया है, मेरा निवेदन है कि इस बजट में उनका भी प्राविधान किया जाये।

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि शिक्षा बन्धुओं के तहत जो नियुक्तियाँ की गई थी उनका नियमितीकरण कर दिया गया है, लेकिन 8 लोगों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उन्होंने विशारद के माध्यम से बी०एड० की डिग्री हासिल की है, मेरा निवेदन है कि जिन्होंने विशारद से बी०एड० की डिग्री ली है, उनको हाई कोर्ट और सी०बी०एस०ई० बोर्ड ने मान्यता दी है, तो इनकी भी नियमितीकरण का प्राविधान इस बजट के माध्यम से किया जाये। मान्यवर, अन्तिम सुझाव है कि अब तक शिक्षण सत्र के दौरान जो अध्यापक सेवानिवृत्त होते थे, शिक्षण सत्र के अन्तिम दिन तक उनकी सेवा अवधि बढ़ा दी जाती थी, लेकिन अब जिस अवधि पर उन्हें सेवानिवृत्त होना है, वही कट ऑफ डेट निर्धारित की जा रही है। इससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, मेरा निवेदन है कि शिक्षण सत्र को ही सेवानिवृत्ति की अन्तिम कट ऑफ डेट माना जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

श्रीमन्, माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी के रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जिस मांग के लिए सम्मानित सदन के सम्मुख प्रस्ताव रखा है, उसमें श्रीमन्, नई मदों में 3 मांगें रखी गई हैं। जिनमें एक है श्री पदम सिंह छात्रवृत्ति कोष के लिए एक करोड़, डॉ० शिवानन्द नौटियाल की स्मृति में 28 हजार और हिम ज्योति स्कूल, देहरादून को सहायता के लिए 50 लाख रुपये की धनराशि की मांग की है। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि जिस समय माननीय मंत्री जी अपना उत्तर दें तो इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें कि यह जो छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है, जिसके लिए एक करोड़, 28 हजार, 50 लाख हैं, इसका उपयोग सरकार कैसे करेगी।

मान्यवर, इसका लाभ उत्तरांचल राज्य में किस स्तर तक बच्चों को मिल पायेगा, इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी दे दें। मान्यवर, उच्च शिक्षा विभाग में प्रत्येक महाविद्यालय हेतु एक–एक पद की माँग की गई है, इसके आधार पर 8633 रु0 की माँग है। इसमें 7 महाविद्यालयों को लिया गया है, वर्ष 2001 में 13 महाविद्यालय खुले थे, उनके लिए सरकार ने क्या कोई व्यवस्था की है। अभी तक वह व्यवस्था नहीं हो पायी है। मान्यवर, इन चार वर्षों में जिस प्रकार 7 महाविद्यालयों की व्यवस्था की गई है, इसमें प्रवक्ता के दो पद और चतुर्थ श्रेणी के दो पद यह एक विद्यालय में अनुमान लगाया जा सकता है, इससे इन विद्यालयों में शिक्षण की व्यवस्था संचालित हो पायेगी। इस पर भी माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में प्रकाश डालने का कष्ट करें।

माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में अभी व्यवसायिक शिक्षकों के सम्बन्ध में जानकारी दी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मंत्री जी ने व्यवसायिक शिक्षकों के बारे में चिन्ता जतायी और उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता भी जतायी है। आज तक उन व्यवसायिक शिक्षकों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने जो सदन को आश्वासन दिया कि बी0एड0 को विशिष्ट बी0टी0सी0 में और आई0टी0आई0 को आई0टी0आई0 में समायोजित करेंगे। तृतीय श्रेणी में आज तक उनका शासनादेश नहीं हुआ है। विशिष्ट बी0टी0सी0 के कुछ पद विज्ञापित करने की बात मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से सुनी। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में 501 वर्तमान में स्पष्ट रिक्तियां हैं। इन 501 स्पष्ट रिक्तियों के सापेक्ष वहाँ 250 पद ही स्वीकृत किये गये हैं। मान्यवर, यह जनपद सीमावर्ती है और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर कम से कम 100 पद विशिष्ट बी0टी0सी0 के स्वीकृत करने चाहिए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वह इस विषय पर ध्यान देंगे।

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने नई माँगों के सम्बन्ध में वाणिज्य विषय पर इन्टरमीडिएट कॉलेज स्तर पर दो तीन विद्यालयों की ही जानकारी दी। मैं नीतिगत विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि वाणिज्यिक विषय को सरकार प्रत्येक इण्टर कॉलेज में स्थापित करे। जो वैश्वीकरण का दौर है, इसमें इसको प्राथमिकता दी जाय, इसके माध्यम से रोजगारपरक शिक्षा हम दे सकते हैं। मान्यवर, पी0टी0ए0 शिक्षक की कट ऑफ डेट होनी चाहिए। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने गैरसैंण के अन्तर्गत राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय खोले जाने की घोषणा की थी, उसकी स्थापना आज तक नहीं हो पायी है।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए कहना चाहती हूँ कि बालिका शिक्षा के लिए सरकार और सभी लोग बहुत चिन्तित हैं।

बालिका शिक्षा होनी चाहिए और बालिकाओं को शिक्षा मिलनी चाहिए। मान्यवर, बालिकाओं को समान रूप से शिक्षा दी जा रही है, उनको प्रशिक्षण भी समान रूप से दिया जा रहा है, लेकिन मेरा सुझाव है कि शिक्षा देने के बाद, प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, हमारे यहां पर प्रदेश में बालिका शिक्षा से सम्बन्धित बहुत कम विद्यालय हैं और सहशिक्षा के बहुत अधिक विद्यालय हैं और जो बालिका प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती है, उसके बाद उसको सहशिक्षा के विद्यालयों में नियुक्ति देने से वंचित कर दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि बालिकाओं को भी सहशिक्षा के विद्यालयों में नियुक्ति दी जाये। कई बार ऐसा होता है कि सहशिक्षा विद्यालयों में बालिकाएं अपनी खेलकूद आदि प्रतिभा दिखाना चाहती हैं, लेकिन लेडीज टीचर न होने के कारण वे अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाती हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश में साइंस भवनों की बहुत कमी है, और अन्त में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि रुद्रप्रयाग में 1998 तक के बी0एड0 पास को नियुक्ति नहीं दी गयी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि यहां की विशिष्ट बी0टी0सी0 की सीटों को बढ़ाकर 300 कर दिया जाये, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जिन विद्यालयों का उच्चीकरण हो चुका है, उनको अलग से पैसा दिया है। मान्यवर, जो वास्तव में भवन विहीन हैं, उनके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। डीडीहाट में जी0जी0आई0सी0 में भवन नहीं है। (व्यवधान)

*श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, अभी बहुत से उर्दू अध्यापकों की कमी है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उर्दू पढ़ने वालों में मुस्लिम बच्चों की संख्या ज्यादा है। लेकिन जो उर्दू अध्यापक हैं, वे वहां लगाये गये हैं, जहां उर्दू पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। ये अध्यापक वहां लगाये गये हैं जहां मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते हैं। मान्यवर, यह कैसा शिक्षा का सुधार हो रहा है, यह कैसी व्यवस्था है? सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। पिछले साल भी इस बात को कहा गया था कि कितने ऐसे स्कूल हैं और उनमें उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है और इन विद्यालयों में अध्यापक कितने हैं? इन विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं जब उनको पेपर मिलता है तो चूंकि वहां पर उर्दू अध्यापक नहीं है तो इससे इन बच्चों का बहुत नुकसान होता है। मेरे गांव में दो स्कूल हैं जहां 89 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। प्रेम जी नम्बर एक और 2 इनमें उर्दू के अध्यापक नहीं हैं। लेकिन इसी गांव से 4–5 किलोमीटर दूर जहां पर एक भी मुस्लिम आबादी नहीं है तो वहां पर उर्दू का अध्यापक है। तो मान्यवर, यह कैसी शिक्षा नीति है, यह तो दोहरी शिक्षा नीति चल रही है, मैं चाहता हूँ कि सरकार इसमें सुधार करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी–

मान्यवर, हमारे साथी माननीय त्रिवेन्द्र रावत जी ने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के बजाय नियुक्तियां कर रहे हैं, मान्यवर, यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो गुणात्मक शिक्षा कहां से आयेगी। मान्यवर, देहरादून शहर शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ही अग्रणी है और यहां पर अधिकतर विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के ही हैं तो हमारे बच्चों को भी अंग्रेजी पढ़ाई की सुविधा मिल सके, इसके लिए हमने सी0बी0एस0ई0 पाठ्यक्रम लागू किया है और अध्यापकों को इसमें प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2005–06 में 16 करोड़ तथा 2006–07 में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह प्रशिक्षण चाहे एससीईआरटी से हो या डाइट से हो। वर्ष 2006–07 में हमारे लगभग 15 हजार अध्यापकों की ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की गई है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि कई जगहों पर अध्यापक नहीं हैं तो इसमें सुधार के लिए हमने एक नीति बनाई थी, शिक्षा मित्र के रूप में। जिसके तहत शिक्षा मित्र के रूप में उसी गांव का पढ़ा–लिखा नवयुवक नियुक्त किया जायेगा जो कि अपने ही गांव में रहकर बच्चों को शिक्षा देगा। इस प्रकार से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था की गई थी।

पाठ्य पुस्तकों के बारे में यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके लिए पाठ्य पुस्तकों की जगह धन दिया जाय। यह मेरी दृष्टि से उचित नहीं होगा। यह ठीक उसी तरह की व्यवस्था है जो कि मध्याह्न भोजन की थी, यह नीति पहले भी थी, इसमें पहले राशन दिया जाता था लेकिन उसमें पूरा लाभ बच्चे को नहीं मिल पाता था, लेकिन अब पका पकाया भोजन बच्चों में बांटा जाता है। यदि उसी प्रकार से पुस्तकों के लिए भी धन दे देंगे तो हो सकता है कि मां–बाप उसमें भी कटौती कर दें और बच्चों को उसका लाभ नहीं मिल पाये। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि विद्यालयों में पुस्तकें समय पर नहीं मिल पा रही हैं तो इसमें हर साल हम सुधार कर रहे हैं। इस बार तो सत्र हमारा मई में शुरु होगा लेकिन हमारी पुस्तकें सब जगह पहुंच गई हैं। मेरा विधायकों से निवेदन है कि आप लोग अपने जिलों में इसकी जांच कर सकते हैं।

इसी प्रकार माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण की सुविधा की गई है, विज्ञान विषय के लिए कई सदस्यों ने कहा कि प्रयोगशालायें नहीं हैं तो प्रयोगशालाओं के लिए 20 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है ताकि विज्ञान की पढ़ाई में कोई बाधा न हो। माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी ने एक बात को और उठाया था कि 6 से 14 साल तक की उम्र वाले 1824944 बच्चे हैं, यह बिल्कुल सही आंकड़े हैं और 8593 बच्चे शिक्षा से वंचित थे, जिनमें से 3561 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है।

मान्यवर, माननीय रावत जी ने भोजन माता की बात कही, मैं रावत जी को बता देना चाहता हूं कि 100 छात्रों के बाद एक अतिरिक्त सहायक भोजन माता होती

है। 14 हजार 641 भोजन माता हैं, यह सही आंकड़े हैं। पेयजल के लिए, शौचालय निर्माण के लिए, चारदीवारी के लिए, सर्वशिक्षा का धन जिलाधिकारी के माध्यम से अवमुक्त किया जाता है। वही इस बात का निर्णय करता है कि किन-किन विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था होनी है, कहां-कहां शौचालय की व्यवस्था होनी है और कहां-कहां चारदीवारी की व्यवस्था की जानी है। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा कि जिन भी विद्यालयों में इनकी आवश्यकता हो, इसके लिए जिलाधिकारी को लिखकर इस योजना को फलीभूत कर सकते हैं। हमारे साथी माननीय रावत जी ने यह भी कहा कि भोजन सबको मिलना चाहिए। केवल प्राथमिक विद्यालयों में ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। हमारे यहां सभी प्राथमिक विद्यालयों में यह व्यवस्था चल रही है।

आपने सांइस लैब की बात कही, इसके बारे में मैंने बता दिया है कि 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है। आपने खेल के मैदानों की बात कही, यह सारी व्यवस्थाएं करने का हम प्रयास कर रहे हैं। श्रीमती बड़थ्वाल जी ने कहा कि शिक्षा का स्तर ऊँचा होना चाहिए। विद्यालयों के भवन नहीं हैं। भवनों के बारे में बता दूँ कि प्राईमरी स्तर पर स्कूल के भवनों की व्यवस्था जिला स्तर पर होती है और जिलाधिकारी और जिला पंचायत के माध्यम से भवनों का निर्माण होता है। प्राईमरी विद्यालयों के लिए पहले बहुत कम धन दिया जाता था लेकिन अब 3 लाख 68 हजार रुपये प्राइमरी स्कूलों के भवनों के लिए और 6 लाख रुपये जूनियर हाई स्कूलों के लिए हमने उपलब्ध कराये हैं। यह भी कहा जा रहा है कि प्राईमरी और बेसिक स्तर पर शिक्षा प्रभावित हो रही है, विद्यालय में एक ही अध्यापक रहता है और वह भी स्कूल नहीं आता। तो इसके लिए हमने संविधान में संशोधन किया है कि ग्राम पंचायत और उसके प्रतिनिधि बेसिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को देखें और उनको अपने नियंत्रण में रखें। आपने यह भी कहा कि शिक्षक की मृत्यु हो जाने पर महीनों तक विद्यालय खाली रहते हैं, पता नहीं चलता। हमने यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए एक नई व्यवस्था की है। जिला स्तर पर बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण होता है। हमने इसको ब्लॉक स्तर पर लाने की बात कही है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होंगे और ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर व्यवस्था की गयी है। इस स्तर पर देखा जाएगा कि यदि किसी विद्यालय का अध्यापक अस्वस्थ है, तो दूसरे विद्यालय से अध्यापक की व्यवस्था की जाय।

एक बात और आयी कि सत्र के बीच में किसी अध्यापक की सेवानिवृत्ति होती है, तो उसको पूरे सत्र तक बनाये रखना चाहिए। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसके लिए यदि हमको कोई संशोधन करना होगा तो हम करेंगे।

मान्यवर, हरिद्वार में सबसे अधिक विद्यालयों का उच्चीकरण किया गया है। मान्यवर, हम यह महसूस करते हैं कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे और वहाँ पर जो पर्वतीय विकास परिषद् थी उसके माध्यम से यहाँ पर स्कूलों के उच्चीकरण का कार्य हो जाता था किन्तु हरिद्वार पर्वतीय विकास परिषद् के अन्तर्गत नहीं आता था। इसी

को दृष्टिगत रखते हुए हमने सबसे अधिक प्राइमरी स्कूलों और जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण किया है।

श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि यह राज्य अपनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। किन्तु जितनी धनराशि में हरिद्वार जनपद में स्कूलों का निर्माण हो रहा है, उतनी ही धनराशि में पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्रों में स्कूलों का निर्माण हो रहा है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सुदूर क्षेत्रों में भवन सामग्री इत्यादि को वहाँ पर पहुँचाने के लिए खच्चरों आदि का भी सहारा लेना पड़ता है। इसलिए वहाँ पर मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा खर्च अधिक आता है। किन्तु धन की कमी के कारण स्कूलों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का अभाव रहता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग–अलग मानक होने आवश्यक हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में भारत सरकार के मानक हैं, फिर भी हम विभागीय बैठकों में इस पर चर्चा करेंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हैं। हमारे भी सलाहकार हैं। राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय हर जनपद में बन रहे हैं। इसके लिए हमने, जहाँ पर वन भूमि की समस्या आ रही है, उसके लिए वन विभाग को पैसे दिये हैं। आशा करते हैं, इस पर कार्यवाही होगी। किन्तु इसके लिए प्रस्ताव की भी आवश्यकता होती है, माननीय सदस्य प्रस्ताव बना कर दें, तभी सरकार भी प्रयास करेगी।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने चमोली में गैरसैण स्थान पर नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की थी।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं कभी घोषणा नहीं करता हूँ। आप अपने आप कह दें तो मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री प्रदीप टम्टा–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 28 दिसम्बर, 2005 को मेरे विधान सभा क्षेत्र सोमेश्वर के 4 विद्यालयों के ध्वस्त भवनों के पुनर्निर्माण की घोषणा की थी। ये चार स्थान थे–राजकीय इण्टर कॉलेज, गणनाथ, माकुना, कमलेश्वर तथा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खूंट। मान्यवर, इन घोषणाओं को माननीय मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग द्वारा 31–12–2005 को जारी किया गया है। मान्यवर, आपके विभाग द्वारा नये भवनों की स्वीकृति 3 मार्च, 2006 को दी गई है। आपके बजट भाषण में भी इसका

उल्लेख है। क्या वह माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का अनुपालन होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं का अनुपालन तो होना चाहिए। मान्यवर, सोमेश्वर, गणनाथ, कमलेश्वर तथा खूट की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का घोषणा अनुभाग सर्वे करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं होती हैं, वे एक शासनादेश होती हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि उच्चीकरण उन्हीं विद्यालयों का किया जायेगा जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हों, यह बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बता दी है। (व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा एक शासनादेश होती है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, आज हर विधायक अपने क्षेत्र के विद्यालयों के उच्चीकरण के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र देता है। हमारा कर्तव्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को बतायें कि कौन विद्यालय मानकों में आते हैं और कौन नहीं। इस सम्बन्ध में मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है कि कहीं पर एक–एक किलोमीटर की दूरी पर इण्टर कॉलेज, हाई स्कूल हैं और कहीं पर दस–बीस किलोमीटर की दूरी पर एक भी विद्यालय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस तरह की बातों को ध्यान में लाया जाय। (व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिथिलता में छूट को देखते हुए, उसका जिक्र किया है। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, आज इसको लिखवा कर दे दीजिए, यह हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ नेता प्रतिपक्ष समेत सारे विधायकों की एक बैठक हुई थी। बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपने–अपने क्षेत्र के विद्यालयों की जिनमें तीन जूनियर स्कूल तथा एक हाई स्कूल की सूची उच्चीकरण हेतु दे दें। इनका उच्चीकरण कर दिया जायेगा। मान्यवर, जूनियर स्कूल का उच्चीकरण हाई स्कूल में और हाई स्कूल का उच्चीकरण इण्टर कॉलेज के रूप में किया जायेगा। मान्यवर, ऐसा पत्र माननीय विधायकों के पास भी आ गया है, जिसमें कहा गया है कि अपने क्षेत्र के विद्यालयों की सूची आप विभाग के माध्यम से

उच्चीकरण हेतु भिजवायें। मान्यवर, ऐसा पत्र सत्तापक्ष को भी गया है। (व्यवधान) मान्यवर, प्रदेश में सारे कार्य तो सत्तापक्ष के लिए ही हो रहे हैं। मान्यवर, हमने सूची दी हुई है और डी०आई०ओ०एस० के यहां से भी सूचना हमारे पास आयी है कि उच्चीकरण होने वाले विद्यालयों की सूची दे दें। मान्यवर, हमने अपने-अपने क्षेत्रों में यह बता दिया कि अमुक विद्यालय का उच्चीकरण हो रहा है और अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि मानकों में नहीं आते हैं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में मानक गलत दिये हुए हैं। जहां 20-20 किलोमीटर सड़क की दूरी पर विद्यालय हैं तथा जहां पर सड़क नहीं है, वहां पर क्या मानक हैं। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। यहां पर सड़क,या पैदल मार्ग या मोटरमार्ग मानक माने गये हैं। माननीय मंत्री जी मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बाद में आप गड़बड़ा जायेंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा, प्रत्येक जगह हमने पुस्तकें दे दी हैं और एडवांस में दे दी हैं। मान्यवर, यहां पर जो प्राईवेट स्कूल हैं, उनको भी आपका विभाग ही पुस्तकें दे रहा है, परन्तु मुफ्त में नहीं बल्कि दुगुने मूल्य पर। मान्यवर, पहले मन-मर्जी से बाजार से खरीद सकते थे, पर आज बाजार में छपे भी नहीं हैं, आप उनका शोषण कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम मान्यता देते हैं, तो क्या प्राईवेट स्कूलों को किताबें देंगे और दूसरा पी०टी०ए० विद्यालय के बारे में कहा है तो क्या सन् 2005 को कट ऑफ डेट मानेंगे।

श्री नारायण राम आर्य-

मान्यवर स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जो धनराशि प्राप्त हो रही है, क्या उसका उच्चीकरण होगा या नहीं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी-

मान्यवर, उच्चीकरण नहीं हो सकता है, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कोई स्थाई योजना नहीं है।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल-

मान्यवर, शिक्षा जगत में बहुत काम हुए हैं, वहाँ पर 27 सौ बच्चे हैं, वहाँ भवन बनना जरूरी है, वहाँ पर घोषणा की है। (व्यवधान)

*श्री हेमेश खर्कवाल-

मान्यवर, चम्पावत में साढ़े चार सौ रिक्तियाँ हैं और डेढ़ सौ की नियुक्ति की है।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल-

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि ऐसे कई दूरस्थ क्षेत्र हैं जहाँ हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे क्षेत्र चलतिया, बलना आदि हैं, तो मेरा निवेदन है कि वहाँ पर हाई स्कूल बना दें। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में दे दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय अजय भट्ट जी ने कहा कि अशासकीय विद्यालयों को निशुल्क पुस्तकें दें, तो मान्यवर, यह केवल शासकीय विद्यालयों में व्यवस्था है। इतना जरूर है कि अशासकीय विद्यालय के लोग मिले तो उनके लिए बाकायदा प्रिंटर को पैसा दे दिया और उनको किताबें मिल जायेंगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उनके यूनियन के लोग हम से भी मिले और कहा कि सरकार हमसे दुगुनी कीमत वसूल कर रही है। मेरा कहना है कि या तो बाजार में एलाऊ कर दें, आप ही छपाई क्यों करना चाहते हैं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसके लिए अगर आप तैयार कर लें तो हम सहमत हैं, लेकिन वे खुद ही सहमत हैं, हमारा अनुबन्ध प्रिन्टर के साथ है कि वह जो निशुल्क पुस्तिका छापते हैं, उनमें से कुछ बाहर के लिए छापते हैं, उनके लिए प्रिन्ट आऊट निकाला गया, इसमें और कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान्यवर, इसमें 856 शिक्षकों की माँग है, प्रबन्ध तंत्र ने जिनकी नियुक्ति करके हमें सूची दी है। अगर हम आज की डेट में कट ऑफ डेट रखेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो 860 की सूची माँगी है, उसमें से कुछ विशिष्ट बी0टी0सी0 में चले गये, अब वह 274 रह गये हैं। जो ये बचे हुए हैं, उनको भी समायोजित कर दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, मैं रावत जी से निवेदन करूँगा कि शिक्षा के हित में अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष–

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, चम्पावत में सात सौ रिक्तियों के अगेन्स्ट डेढ़ सौ सीटें दी गई हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, विशिष्ट बी0टी0सी0 के सम्बन्ध में भ्रम है। हमारा निर्णय है कि जिस जनपद में जितनी सीटें बेसिक की खाली हैं, वह उस जनपद को दी जायेंगी।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, हमारे यहाँ भी।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को जो सुझाव दिये, उनमें से माननीय मंत्री जी ने कई सवालों का स्पष्टीकरण नहीं दिया है और एक दो आपत्ति की बातें कही कि मुख्यमंत्री जी की घोषणायें और अपनी घोषणाओं पर वे कहते हैं कि हमने कोई घोषणा नहीं की है। मान्यवर, माननीय विधायक कोई बात कह रहा है तो उसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और उसका जवाब गम्भीरता से देना चाहिए। माननीय भट्ट जी ने एक बात कही कि मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जिनमें बच्चे पढ़ते हैं, इनमें ज्यादा संख्या ऐसे विद्यालयों की है, जिनमें गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बारे में माननीय मंत्री जी का कोई स्पष्ट संतोषजनक जवाब सदन को नहीं मिल पाया। दूसरा जो राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय गैरसैंण में खोले जाने की घोषणा की थी, उसका भी मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, जवाब दिया है, जिला अधिकारी जब प्रस्ताव भेजते हैं, तब करते हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, घोषणाओं का संज्ञान लेना चाहिए। यह देखना पड़ेगा कि माननीय मंत्री जी ने किस समय घोषणा की। दूसरी बात व्यवसायिक शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा मंत्री जी ने की है, उसके लिए कोई समय सीमा आपने निर्धारित की है? बी0टी0ए0 शिक्षक जो लम्बे समय से अपना योगदान दे रहे हैं, उनके बारे में कोई समय सीमा निर्धारित की है?

मान्यवर, आज की तिथि को जब हम बजट पारित करने जा रहे हैं तो आज की तिथि को ही कट ऑफ डेट मानकर उनको नियुक्ति दी जाये इसका भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका में जो सूची दी गयी है, वह 36 महाविद्यालयों की दी गयी है, इसका भी स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं दिया है। वित्तीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या में जो विरोधाभास है, उसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। मान्यवर, शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है, इसकी हम सराहना करते हैं। न्यूनतम शिक्षक दिवसों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए और इसका इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा जैसे विषय पर मैं समझता हूँ कि आपको और अधिक गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। गुणवत्तापरक शिक्षा पर भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया

गया है। जो माननीय विधायकगण अपने सुझाव देते हैं, क्या सरकार उन पर क्रियान्वयन करती है? अगर नहीं करती है तो फिर चर्चा व्यर्थ है। इसका क्या औचित्य है? माननीय मंत्री जी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाये हैं इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर शिक्षा के हित में बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–11–शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 14611880 हजार (एक हजार चार सौ इकसठ करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8 (1) एवं (2) को एक साथ ले लें।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, अलग–अलग ही लेते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 755434 हजार (पचहत्तर करोड़ चौवन लाख चौंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, श्रम एवं रोजगार बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। शोषित एवं उपेक्षित लोगों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार ने समय–समय पर बहुत से कदम उठाये हैं। इस विभाग का मुख्य कार्य केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कराना है, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सेवायोजकों तथा श्रमिकों के मध्य सौहार्द बनाने में सहयोग देना, औद्योगिक विवादों का निस्तारण करना, न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान, ग्रेच्युटी, समान कार्य के लिए महिला श्रमिकों को समान वेतन, बोनस भुगतान, दुर्घटना के कारण अपंग कर्मकारों को एवं मृत कर्मकारों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान आदि से सम्बन्धित दावों का निस्तारण करना।

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण, नवीनीकरण शुल्क, लाईसेन्स शुल्क, दावों में वाद व्यय आदि के रूप में शासन के पक्ष में राजस्व भी प्राप्त किया जाता है।

श्रम विभाग द्वारा दिनांक 1-4-2005 से 28-2-2006 तक की अवधि में हमने 579 वादों का निस्तारण किया है, औद्योगिक विवादों और एवार्डों का निस्तारण तथा परिपालन करते हुए 308.69 लाख रुपये की धनराशि ग्रेच्युटी, कर्मकार क्षतिपूर्ति, वेतन, न्यूनतम मजदूरी के अन्तर आदि के रूप में 1221 श्रमिकों को भुगतान किया गया। प्रदेश में बोनस भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में अब तक 217.64 लाख की धनराशि का भुगतान विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बोनस के रूप में 6214 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया है। श्रमिकों को ओवर टाईम, वेतन वृद्धि, चिकित्सा लाभ आदि के रूप में सुविधायें उपलब्ध कराई गई जिनमें शासन के पक्ष में लगभग 62.33 लाख रुपये पंजीयन एवं नवीनीकरण शुल्क आदि के रूप में राजस्व प्राप्त किया गया।

मान्यवर, चाहे जनश्री योजना हो तो इस बीमा योजना के अन्तर्गत 2005-06 में श्रम विभाग द्वारा 228 व्यक्तियों को इस सामाजिक सुरक्षा योजना से आवृत किया गया है। हमारी सरकार ने इसे लागू किया है और समाज कल्याण व कृषि विभाग की मदद से हमारे विभाग ने न्यूनतम मजदूरी तय कर दी है, चाहे वह होटल में काम करता हो या किसी नर्सिंग होम में हो या किसी दुकान या प्रतिष्ठान में काम करता हो, उसके लिए 2500 रुपया न्यूनतम मजदूरी तय कर दी गई है और इसी प्रकार से असंगठित क्षेत्र में जो खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए दो वर्ष पूर्व 73 रुपये मजदूरी की व्यवस्था की गई थी, अब यह फिर से आ रहा है कि इसमें 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी किये जाने के बारे में प्रावधान भी है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी, कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 को देश के सभी राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने का संकल्प किया गया था तो पूरे देश में इस अधिनियम को लागू करने वालों में हमारे प्रदेश का तीसरा स्थान है और उत्तरांचल भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2005 के रूप में इसी विधान सभा में उसे प्रख्यापित करके उत्तरांचल राज्य को इस पंक्ति में शामिल कर दिया गया है। श्रमिकों के कल्याणार्थ गठित कल्याणकारी योजनाओं के संचालन के लिए राज्य में उत्तरांचल भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन भी कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत असंगठित क्षेत्र के बहुसंख्यक कर्मकार लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, हमें इस बात की खुशी हो रही है कि हमारे विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में दिये जा रहे सक्रिय सहयोग एवं सेवायोजकों तथा श्रमिकों के बीच मैत्रीपूर्ण समन्वय होने के कारण उत्तरांचल में नये उद्योग आकर्षित हो रहे हैं तथा पहले से चल रहे उद्योगों में मधुर सम्बन्ध बन रहे हैं। हमने सभी उद्योगों को एक सुझाव भी दिया है कि सभी को प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी

योजनायें चलाई जा रही हैं। जिसमें अपंग होने पर या मौत होने पर विभिन्न प्रावधान
किये गये हैं। इसमें प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत
जरूरी है। उनका पी0 एफ0 होगा तो इसका लाभ उन्हें बाद में भी मिलेगा। उसे
ई0एस0आई0 का भी लाभ मिलेगा। इस प्रकार से इनके कल्याण की कई योजनायें
इस बोर्ड द्वारा संचालित की जायेंगी। जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से
नीचे अथवा उसके आस-पास रहने वाले परिवारों के मुखियाओं को उनके बीमे का
अंशदान देकर बीमित किया गया है और वर्ष 2005-06 में नवम्बर, 2005 तक समाज
कल्याण विभाग, श्रम विभाग आदि अन्य विभागों के प्रयासों से बीमित व्यक्तियों के
931 बच्चों को 9 लाख 92 हजार रुपये की धनराशि शिक्षा सहयोग के रूप में उपलब्ध
कराई गई तथा 830 दावों में 165.578 लाख रुपये की धनराशि वितरित की गई है।
अभी तक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 61 अनुसूचित नियोजनों में
श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण किया गया है।

राज्य में चीनी मिलों के श्रमिकों की लम्बे समय से चल रही मांग का समाधान
करते हुए चीनी उद्योग के श्रमिकों की मजदूरी का पुनरीक्षण कर दिया गया है।
त्रिपक्षीय वार्ता, जिसमें यूनियन, शासन और प्रबन्ध तंत्र तीनों की बातों के आधार पर
यह निर्णय किया गया है।

मान्यवर, 800 रुपये बेसिक पर काम करने वाला मजदूर तड़प रहा था। हमारी
सरकार ने त्रिपक्षीय स्तर पर वार्ता करके 800 रुपये मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी
का वेतन 2700 रुपया बेसिक कर दिया है। इनको फिटमेंट की सुविधा दे दी है। इनके
मृतक आश्रितों को भी नौकरी मिलेगी। चीनी उद्योग में दिल्ली, महाराष्ट्र किसी भी
राज्य में फिटमेंट की सुविधा नहीं है। हमने प्रदेश में त्रिपक्षीय वार्ता करके महत्वपूर्ण
ऐतिहासिक कदम उठाया है। 18 साल से कोई इनको पूछने वाला नहीं था। कई
टैक्सटाईल जो बन्द हो गयी हैं, उनमें वी0आर0एस0 के तहत 10 करोड़ रुपये का
भुगतान किया है। इनको 10 साल से कोई पूछ नहीं रहा था। हमने इस सम्बन्ध में
क्रान्तिकारी कदम उठाया है। राज्य कर्मचारियों के हित में डी0ए0 का 50 प्रतिशत
बेसिक में जोड़ दिया गया है। केन्द्र सरकार ने जब अपने कर्मचारियों का 50 प्रतिशत
डी0ए0 बेसिक में जोड़ने की घोषणा की तो उसके एक सप्ताह के अन्दर माननीय
मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी यह घोषणा कर दी। हमारा
प्रदेश यह घोषणा करने वाला पहला प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा को
क्रियान्वित किया गया।

मान्यवर, विभिन्न कॉरपोरेशनों और उपक्रमों में कर्मचारियों की सेवा वृद्धि
नहीं हो रही थी। हमारी सरकार ने इनकी सेवानिवृत्ति उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60
साल कर दी है। तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है। हमारी
सरकार श्रमिकों और कर्मचारियों को काम से बाहर नहीं करना चाहती, बल्कि उनको
काम देना चाहती है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, उनको
नियमित किया जाय। हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते, रोजगार देना चाहते

हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच और कैबिनेट के सहयोग से हमारी औद्योगिक नीति बन गयी है। हमारे यहां 2000 उद्योग लगने हैं। हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े उद्योगपति हमारे यहां उद्योग लगाना चाहते हैं। हिन्दुस्तान लीवर, डाबर तथा एटलस सहित सभी बड़े उद्योग हमारे यहां लग रहे हैं। हरिद्वार में कांच का एक बहुत बड़ा उद्योग लगने वाला है। इन उद्योगों में 1 लाख 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। इसको हम प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इन उद्योगों में कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा के आधार पर न रख कर नियमित नियुक्ति दी जाय। अभी हमारे यहां 267 उद्योग लगे हैं। इनमें 14 हजार लोगों को नौकरी मिली है। श्रमिक कल्याण बोर्ड बन गया है। श्रमिकों के न्यायाधिकरण के लिए भी व्यवस्था कर दी गयी है। हरियाणा में होण्डा फैक्ट्री में जिस तरह की घटना हुई, वह हमारे यहां भी हो सकती थी लेकिन हमारे विभाग की तत्परता के कारण हमारे यहां इस तरह की घटना नहीं हुई। हमने फैक्ट्री के मालिकों से बात की और उन्हें सरकार की बात को मानना पड़ा। श्रमिकों का जो आन्दोलन चल रहा था, वार्ता के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया।

हमारी सरकार ने रोजगार के साधन मुहैया कराने का निश्चित रूप से प्रयास किया और इतनी बड़ी औद्योगिक नीति बनायी। आज हमारा प्रदेश पूरे देश में अकेला प्रदेश है जिसने 10 बिन्दुओं पर रोजगारपरक नीति बनायी। तकनीकी शिक्षा में, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली रोजगार योजना के तहत और वित्त पोषित संस्थाओं के माध्यम से रोजगार नीति का संवर्धन करके लागू किया जा रहा है। हमारे प्रदेश में रोजगार के बहुत सारे अवसर सृजित हो रहे हैं, यह पूरे देश में एक कीर्तिमान होगा। हमारे प्रदेश में आई0टी0आई0 और पॉलिटेक्निक में जो तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें हम विशिष्ट व्यवस्था करने जा रहे हैं। मान्यवर, उत्तरांचल के 10 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करते हुए सेंटर ऑफ एक्सलैंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस केन्द्रीय सहायतित योजना के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हल्द्वानी को ऑटोमोबाइल सेक्टर सम्बन्धी सेंटर ऑफ एक्सलैंस बनाया जा रहा है।

इसी प्रकार से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून को इलेक्ट्रिकल सेक्टर तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर को एग्रो आधारित प्रोसेस प्लान्ट मैन्टिनैंस में सेंटर ऑफ एक्सलैंस किया जा रहा है। केन्द्रीय सहायतित योजना में संस्थान पर 160 लाख की धनराशि का व्यय अनुमानित है जिसमें से 40 लाख राज्य सरकार द्वारा तथा 120 लाख केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यय वहन किया जायेगा। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा वर्ष 2005 में 1,51,945 अभ्यर्थियों का पंजीयन किया गया। विभिन्न सेवायोजकों से 5,854 रिक्तियाँ विभाग को प्राप्त हुईं। इन रिक्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा 37,049 बेरोजगार अभ्यर्थियों के नामों का सम्प्रेषण किया जिसके फलस्वरूप 6,094 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार पर लगाया गया। मान्यवर, सेवायोजित करने का क्रम निरन्तर चल रहा है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न विकास कार्यक्रमों/योजनाओं में लगभग 10.29 करोड़ मानव दिवस सृजित किये जिसमें लगभग 10.29 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विभाग द्वारा इस वर्ष बेरोजगारों को स्वतः नियोजित कराने के लिए 15 दिवसीय 'अपना व्यवसाय चुनिए पखवाड़ा' का भी आयोजन किया गया। जिसमें कम्प्यूटर के क्षेत्र में नये विकसित हो रहे विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानकारी दी गई। वर्ष 2005-06 में 08 सेवायोजन कार्यालय एवं 06 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र कम्प्यूटरीकृत किये है। आई०टी० पार्क और बायोटेक पार्क प्रस्तावित हैं, जब यह बन जायेंगे तो हम अधिक संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे। हम यहाँ पर नौजवानों को प्रशिक्षण देंगे। हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। जो बाहर की कम्पनियाँ यहाँ पर आयेंगी, वे यहाँ के नौजवानों को रोजगार देंगी, यह हमारी उनसे एक प्रकार से शर्त है। हमें खुशी है कि बाहर की कम्पनियाँ आकर यहाँ के नौजवानों को कैम्पस सेलेक्शन द्वारा सेलेक्ट कर रही हैं। विगत तीन वर्षों में केन्द्र की कम्पनियाँ यहाँ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, पॉलीटेक्निक में आई और उन्होंने यहाँ के नौजवानों को रोजगार प्रदान किया।

मान्यवर, पिछले वर्ष 700 लोगों को रोजगार मिला, इस वित्तीय वर्ष में 1700 नौजवानों को रोजगार उन कम्पनियों द्वारा दिया गया है। हमने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों से भी कहा कि वे प्लेसमेंट का काम करें तभी वे यहाँ पर सरवाइव कर पायेंगी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज भी प्लेसमेंट का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ के नौजवान विभिन्न कम्पनियों में कार्य कर रहे हैं। हम शहीदों के उन परिवारों के आश्रितों को, जिनकी आयु पचास वर्ष से अधिक हो चुकी है, को नौकरी देने पर विचार कर रहे हैं। जो जेल में सात दिन भी रहे और इंजर्ड हैं, ऐसे परिवारों को भी हमने जीविका देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है और जो 50 से ऊपर हैं, उनको नौकरियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं हम उनके बारे में भी विचार कर रहे हैं। मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं, जो 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं, उनको नौकरी दें, इस प्रकार का कार्य हम करने जा रहे हैं।

मान्यवर, जनजाति के लोगों की उन्नति के लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं, इस सम्बन्ध में हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, टिहरी और जनपद देहरादून के कालसी क्षेत्र में भी हम काउंसिलिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, प्रदेश की भौगोलिक स्थिति विषम होने के कारण यहां पर बेरोजगार नौजवानों को विभिन्न विभागों में नौकरी के लिए कब फार्म निकल रहे हैं, इसका पता नहीं चल पाता है। मान्यवर, इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हमने कैरियर काउंसिलिंग सेंटर का गठन किया है। यह सेंटर देहरादून में बनाया गया है। वहां से सारी सूचनाएं प्रदेश के बेरोजगारों को उपलब्ध हो जायेंगी कि कब पोस्ट निकल रही है, कब फार्म जमा होने की अन्तिम तिथि है, आदि सारी जानकारी सभी रोजगार कार्यालयों द्वारा मिल जायेंगी, जो कि सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। मान्यवर, रोजगार कार्यालय

के माध्यम से जहां पर बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के सम्बन्ध में समुचित जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है, इसके लिए हम दो इन्टर कॉलेजों का चयन भी कर रहे हैं। मान्यवर, इन इन्टर कॉलेजों के माध्यम से समुचित जानकारी सम्बन्धित को उपलब्ध हो जायेगी और सुदूर गांवों के जिन नवयुवकों को एम0बी0ए0, मेडिकल, इंजीनियरिंग के फार्मों के बारे में पता नहीं रहता है कि ये फार्म कब आ रहे हैं, इनकी जमा करने की अंतिम तिथि कब है, आदि सभी जानकारी मिल जायेंगी।

मान्यवर, आई0टी0आई0 के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमने प्रत्येक जिले के विकास खण्ड में कम से कम एक आई0टी0आई0 स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। मान्यवर, अभी तक 24 आई0टी0आई0 विद्यालय खोल दिये गये हैं और लगभग 15 प्रस्तावित हैं और शेष 4–5 विद्यालय बचे जायेंगे, इन विद्यालयों को खोलने का पूरा प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, इन विद्यालयों में रोजगारपरक शिक्षा दी जायेगी, ताकि जो उद्योग प्रदेश में लग रहे हैं, उनमें इन छात्रों को प्लेसमेंट मिल सके। मान्यवर, देहरादून और काशीपुर में हम प्लेसमेंट सेंटर बना रहे हैं, जो रोजगार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी में भी पॉलिटेक्निक खोले हैं। मान्यवर, हम और भी विद्यालय खोलेंगे, जहाँ पर हमें मानकों के अनुरूप भूमि मिल जायेगी, वहाँ पर जल्दी विद्यालय खोले जायेंगे। मान्यवर, राज्य कर्मचारी बीमा योजना के आधार पर अस्पतालों की व्यवस्था की है। मान्यवर, इस दिशा में एक बड़ा अस्पताल देहरादून और एक ऊधमसिंह नगर में बनाना है। मान्यवर, देहरादून में इसे खोलने के लिए स्वीकृति मिल गयी है, इसमें जमीन का चयन हो गया है, यह अस्पताल 10 बिस्तरों का बनना है। मान्यवर, इन अस्पतालों के लिए 88 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार से मिलनी है। मान्यवर, इसमें सारे मजदूरों और गरीबों के हितों की बात है।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश में हमारा पहला राज्य है, जहाँ पर महिला और पुरुषों की मजदूरी समान है। मान्यवर, हमने समान नीति बनाई है और बराबर की मजदूरी उनको मिले, यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। मान्यवर, टिहरी डैम में कार्यरत कम्पनियों पर कोई हाथ नहीं डालता था, जहाँ 15–20 साल के बाद निकाल दिया जाता है और आज वे वी0आर0एस0 मांग रहे हैं, पहला उदाहरण है कि न यूनियन बनने दी, मेरी सरकार को फख्र होता है कि मजदूर वी0आर0एस0 लेकर जा रहा है, मजदूरों का शोषण नहीं होने देंगे। मान्यवर, नए उद्योगों को हम इन्कम टैक्स, सेल्स टैक्स, बिजली, जमीन सस्ती आदि में सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मजदूर की कीमत पर नहीं, मेरा विभाग इनसे समझौता नहीं करेगा। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ प्रस्ताव करता हूँ कि इसको सर्वसम्मति से लागू करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16 –श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने 75 करोड़ 64 लाख 34 हजार रुपये की अनुदान
मांगों के लिए सदन के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी
का ध्यान कुछ विषयों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। पहले तो यह कि माननीय
मंत्री जी पिछली बार कुछ मदों पर व्यय का विवरण जो आपने हमारे सम्मुख रखे हैं
उसमें 3 करोड़ 31 लाख 83 हजार के सापेक्ष अब मात्र 2 करोड़ 84 लाख 68 हजार
रुपये का व्यय कर पाये और इसमें विशेष तौर पर जिस उदाहरण के स्वरूप राज्य
सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड जिसका जिक्र आपने किया, पिछली बार सम्मानित सदन
ने आपको अनुमति दी थी कि 10 लाख 97 हजार रुपये और उसके सापेक्ष आपके
आंकड़ा कह रहा है कि आपने 20 लाख 17 हजार रुपये स्वीकृत किया जबकि बजट
के अनुमानों की पुस्तक में लगभग-लगभग सभी आंकड़ों में अन्तर है, इसका परीक्षण
करा लें, यह अन्तर क्यों है। इसमें जो व्यय की धनराशि है रु0 20 लाख 17 हजार
जो स्वीकृत आपके विभाग को हुआ, राज्य सलाहकार संविदा बोर्ड के सापेक्ष, उसके
सापेक्ष आपने रु0 9 लाख 76 हजार व्यय किया। इस प्रकार से व्यय के अन्य अनुमानों
को देखें तो हर मद की स्थिति यही है और आप आज पुनः इतनी अधिक धनराशि की
मांग कर रहे हैं।

और उसके साथ जो औचित्य आपने अपने बजट भाषण में बताया तो उस
औचित्य के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा कि आपने बड़े जोर-शोर से इस विषय को कहा
कि राज्य के अन्दर जो इसकी मूल अनिवार्यता थी, इस राज्य की स्थापना की, तो वह
थी बेरोजगारी और उस बेरोजगारी के लिए आपने कहा कि हमने एक स्पष्ट रोजगार
नीति बनाई। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके ही द्वारा दी गई पुस्तिका इस
बात को प्रदर्शित करती है कि वर्ष 2005 में आपके जो रोजगार कार्यालय हैं, उनमें
151945 बेरोजगार पंजीकृत हैं। इन पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया
गया, यह पुस्तिका बताती है कि पाँच हजार आठ सौ चौवन रिक्तियों की सूचना
विभिन्न विभागों से प्राप्त हुई है, उनके सापेक्ष आपको 37 हजार 49 आवेदन-पत्र
प्राप्त हुए लेकिन यह पुस्तका बता रही है कि 5854 के सापेक्ष 6 हजार 94 को रोजगार
उपलब्ध कराया, यह पुस्तिका बता रही है कि रिक्तियां कम हैं और रोजगार ज्यादा
उपलब्ध कराया, यह कैसे हो सकता है। मान्यवर, स्वरोजगार में 1586 हैं, ये ऐसे
बेरोजगार नवयुवक हैं जो शिक्षित हैं, आज उत्तरांचल में 21 लाख बेरोजगार ऐसे हैं
जिनके हाथों में काम नहीं है, उनका निरन्तर शोषण जारी है, यह सरकारी विभागों
के माध्यम से हो रहा है। सदन में दो वर्ष पूर्व यह बात आई थी कि कुमायूँ क्षेत्र में
जो पार्ट टाइम चौकीदार हैं, उन्हें ढाई सौ रुपया मिलता है और गढ़वाल मण्डल में
पाँच सौ रुपये मिलता है। मान्यवर, ये पार्ट टाइम चौकीदार वर्ष भर पेयजल व्यवस्था
को देखते हैं। इनको नियमित करने की बात है, साथ ही उनको सम्मानजनक वेतन देने
की बात है, दूसरी तरफ पार्ट टाइम चौकीदारों का कितना अधिक शोषण हो रहा है।

मान्यवर, यह तो केवल जल संस्थान की बात कर रहा हूँ। ऐसे कई अन्य
विभाग भी हैं-जैसे कुमायूँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम
हैं इन निगमों ने अपने कर्मचारियों का बहुत अधिक शोषण किया है। कुमायूँ मण्डल

विकास निगम की ट्रान्सकेबिल फैक्ट्री बन्द हो गई है, फैक्ट्री के कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कुमायूँ मण्डल विकास निगम ने अपने 184 कर्मचारियों को जिनको 4–5 वर्षों तक संविदा के आधार पर रखा था और एक ही झटके में उनको निकाल दिया, उनके भविष्य की कोई चिन्ता नहीं है। आखिर उनको निकाल कर क्या दर्ज करना चाहते हैं। मान्यवर, आपने फैक्ट्रियों में रोजगार की बात कही, आपने कहा कि 267 फैक्ट्री स्थापित हुई तथा 14 हजार बेरोजगारों को इनमें रोजगार दे दिया गया है। अगर आपने इन फैक्ट्रियों के लिए अपने रोजगार कार्यालय से आवेदन माँगे होते तो कहीं भी अनियमितता नहीं होती। मान्यवर, जितने भी विभाग हैं, उनमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की रिक्तियों को भरे जाने हेतु रोजगार कार्यालय से आवेदन माँगे होते तो कहीं भी अनियमितता नहीं होती।

मान्यवर, को–ऑपरेटिव बैंक में विभिन्न रिक्तियों हेतु 96 हजार आवेदन पत्र जमा हुए थे इसमें शुल्क भी लिया गया था जब यह बात विधान सभा में सदन में उठी थी तो मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने इसका जवाब दिया था कि नियुक्तियाँ की जायेंगी। मान्यवर, 96 हजार आवेदकों का बाद में शुल्क वापस किया गया, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया ही निर्धारित नहीं थी। मान्यवर, शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी की विज्ञप्ति निकली उसमें 98 हजार आवेदन पत्र पूरे प्रदेश में जमा हुए। परन्तु ये नियुक्तियां निरस्त कर दी गयी हैं। यदि आपने अपने सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से विज्ञप्ति निकाली होती तो यह आंकड़ा काफी कम होता और नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थगित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि अण्डर टेबिल बात न बन पायी होगी।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने आई0टी0आई0 के सुदृढ़ीकरण की बात कही। आज आई0टी0आई0 के लिए भले ही 10 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया हो और साथ ही आपने विशिष्ट राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए धन की मांग की है। यह जो विशिष्ट आई0टी0आई0 आप लगाने जा रहे हैं आपने कहा कि हर विकास खण्ड में आई0टी0आई0 खोलेंगे। लेकिन जो आई0टी0आई0 के जर्जर भवन पड़े हुए हैं, उपकरणविहीन आई0टी0आई0 हैं। यह अच्छी बात है कि उनके लिए आपने रुपये 10 करोड़ का प्राविधान किया। आई0टी0आई0 से निकलने वाला हर बच्चा पूर्ण प्रशिक्षित होकर निकलना चाहिए, लेकिन आज ये बच्चे ठीक तरह से प्रशिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। कारण यह है कि आई0टी0आई0 में अनुदेशक नहीं हैं तथा बहुत पुराने उपकरण हैं। पिछले साल जो आई0टी0आई0 भूमि–भवन विहीन थे और खुल भी नहीं पाये आपने उनमें उपकरण भेज दिये। आज इन सभी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि हम अपने बेरोजगार को इतना सक्षम कर दें कि वह कहीं भी जाये तो रोजगार उसकी प्रतीक्षा करे। आपने कैरियर काउन्सिलिंग सेन्टर खोले हैं। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आज 5 वर्ष से युवक रोजगार की तलाश कर रहे हैं, परन्तु रोजगार प्राप्त न हो पाने के कारण हताश व निराश हो चुके हैं। मान्यवर, इन्हीं बातों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं माननीय प्रकाश पंत जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि 75 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी तय कर दी गयी है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वन विभाग में, सिंचाई विभाग में, जल निगम में, जल संस्थान में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनको कितना मिल रहा है। अगर इसका कैलकुलेशन करें तो 2190 रुपये बनता है और हमारे विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को 1200, 1500, 1800 रुपये दिये जा रहे हैं। जब सरकारी विभाग में ही आपके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है और आप होटलों की बात करते हैं। यह कैसे सम्भव होगा? यह ऐसे आंकड़े हैं जो धरातल में कहीं दिखाई नहीं देते।

आई0टी0आई0 में केवल एक अनुदेशक कार्यरत है। उदाहरण के तौर पर रुद्रप्रयाग आई0टी0आई0 में केवल एक अनुदेशक है। तो क्या प्रशिक्षण वहां पर दिया जाता होगा यह कल्पना आप सभी कर सकते हैं। आपने कहा कि बराबर मजदूरी, यहां पर पुरुषों को बराबर मजदूरी नहीं मिल पा रही है आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। अर्थात यह तो आंकड़े ही हैं, यहां पर माननीय मंत्रीगण जो भाषण तो दे देते हैं और सदन में आकर यह कह देते हैं कि ऐसा–ऐसा करने जा रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि आप लोगों को अवसर मिला हुआ है कि आप अपने विभाग में अच्छी नीतियां लायें, सही व्यवस्था करें। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो हम आपका निश्चित ही स्वागत करेंगे। लेकिन अगर आप केवल आंकड़ों से हमें भ्रमित करना चाहें तो मैं बताना चाहूँगा कि जो भी यहां पर माननीय विधायकगण हैं चाहे विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के सभी पढ़े लिखे हैं। अगर आप आंकड़ों से इसे भ्रमित करना चाहेंगे तो हम इसे कैसे मान लेंगे?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि 20 नये आई0टी0आई0 खोलने जा रहे हैं। यह अच्छी बात है कि जगह–जगह पर तकनीकी शिक्षा के केन्द्र खोले जायें। लेकिन जो पूर्व में आई0टी0आई0 खोले गये थे, वह आज बन्द होने जा रहे हैं। क्योंकि जो भारत सरकार के मानक हैं, जिनके आधार पर उनको मान्यता मिली हुई है जो ट्रेड मिले थे वह आज उस ट्रेड के अध्यापक न होने के कारण बन्द हो गये हैं या लगभग लगभग बन्द होने जा रहे हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के आई0टी0आई0 की बात करूं तो वहां पर 4 ट्रेड थे, लेकिन आज वहां पर मात्र टाइपिंग का ही ट्रेड रह गया है और भारत सरकार के मानकों के अनुसार वह भी समाप्त होने जा रहा है। मान्यवर, नये आई0टी0आई0 खोले जा रहे हैं और पुराने बन्द हो रहे हैं तो इसे तो विकास नहीं कहा जा सकता है। मेरा सुझाव है मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को

कि आपको इसके लिए एक सर्वे की व्यवस्था करनी चाहिए कि कितने विद्यालय बन्द हो रहे हैं और किन कारणों से बन्द हो रहे हैं। मान्यवर, स्यालदे के आई0टी0आई0 की भी यही स्थिति है। मान्यवर, यह एक नीतिगत मुद्दा है और इस पर आपको एक सर्वे कराना ही चाहिए। दूसरी बात यह है आपने कहा कि हमने पारिश्रमिक सब को बराबर कर दिया है, माननीय पंत जी ने भी इस बात को कहा था आज विधान सभा के बाहर लगभग 250 पी0टी0ई0 कर्मचारी बैठे हैं और वह अपने आपको रेगुलर करने की बात भी नहीं कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि भई आप लोग रेगुलर क्यों नहीं होना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी हैसियत नहीं है। उनका कहना है कि जो आपने 73 या 74 रुपये जो मिनिमम विजिज एक्ट में रखी है उसी के अनुसार उन्हें भी भुगतान किया जाय। किसी को आप 200, किसी को 300 किसी को 500 और किसी को 700 रुपये दे रहे हैं।

यहां पर जल संस्थान के अधिकारियों को आप बुला लें, आपने कहा कि कई यूनियनों को बुलाकर आपने बात की तब वह मजदूरी तय की गई तो मान्यवर हमारा कहना यह है कि आज पेयजल विभाग के सचिव को बुला लेते और बात कर लेते तो इस समस्या का समाधान हो जाता। मान्यवर, यह कर्मचारी तो 24 घंटे कार्य कर रहे हैं। कहीं पर सार्केट टूटता है या कहीं पर पाइप फटता है तो यही कर्मचारी जाते हैं। कहीं पर शादी के लिए पानी खोलना हो तो यही कर्मचारी काम करते हैं तो इस प्रकार से यह कर्मचारी पार्ट-टाइम न होकर होल टाइम कर्मचारी हैं। मान्यवर, इन्हीं कर्मचारियों को लोगों से गाली भी खानी पड़ती है पानी के लिए और कई बार इन लोगों की पिटाई भी लोग कर देते हैं। कई बार यह लोग डर के मारे हड़ताल में भी नहीं इकट्ठे हो पाते हैं और दूसरे जिलों से लोग आते हैं तब यह संघर्ष के लिए आ पाते हैं। मान्यवर, इनकी बातों को, समस्याओं को प्राथमिकता से लेना चाहिए। जल संस्थान के अधिकारियों को आप अपने पास बुला लें और पेयजल सचिव को बुला लें तो तत्काल ही हल निकल जायेगा। यह तो छोटी सी बात है इसे तो टेबल टॉप पर ही हल हो जाना चाहिए।

दूसरी बात आपने कही कि हमने 14 हजार लोगों को नौकरी उद्योग विभाग के माध्यम से विभिन्न उद्योगों में दी हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की जानकारी चाहूंगा कि कितने लोगों को वहां पर उद्योगों में कांट्रेक्ट के आधार पर रखा गया है और कितने लोगों को स्थाई रूप से रखा गया है? इसमें जो कहा जा रहा है कि इतने लोगों को नौकरी दे दी तो इसमें वह लोग भी शामिल हैं जो उत्तरांचल मूल के निवासी थे और इन कम्पनियों में पहले से ही नौकरी कर रहे थे बाद में वह यहां पर ट्रांसफर हो गये तो उन्हें भी इसी में गिन लिया गया है। 5 सालों से आप कह रहे हैं कि इतने लोगों को नौकरी दे दी है तो मेरा कहना है कि इस पर सरकार एक श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर देती है।

मान्यवर, जहां तक रोजगार कार्यालयों की बात आपने कही। मान्यवर, मेरे पास डाक्यूमेंट हैं, आपके विभाग से ही प्राप्त हुआ है। कुल 3 लाख 80 हजार 217

बेरोजगारों का पंजीकरण हुआ है। यह आंकड़े 31 दिसम्बर तक के हैं। आज की तारीख में और हो गये होंगे। इनमें से जिनको रोजगार मिला है, उनकी संख्या बहुत ही दयनीय है। अल्मोड़ा में 33, नैनीताल में 91, पिथौरागढ़ में 437, ऊधमसिंह नगर में 271, बागेश्वर में 11, चम्पावत में 82, देहरादून में 3183, टिहरी में 29, उत्तरकाशी में 72, हरिद्वार में 1256, पौड़ी में 114, चमोली में 258 और रुद्रप्रयाग में 257 लोगों को ही रोजगार मिला है। यह जो आंकड़े दिये गये हैं, बहुत ही पुअर हैं। जैसा कि माननीय प्रकाश पंत जी ने कहा कि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के लोगों को बुलाना चाहिए।

इसके साथ ही हमारे यहां जो वैज्ञानिक और ऊँचे पदों के लोग हैं, उनको भी रोजगार कार्यालयों के माध्यम से बुलाना चाहिए। हमें भी तो पता होना चाहिए कि हमारे यहां कितने टैक्नोक्रेट हैं, कितने स्पेशलिस्ट हैं, कितने डाक्टर हैं, कितने इन्जीनियर हैं। मान्यवर, मेरा निवेदन है और एक सुझाव है कि हमारा बहुत बड़ा राज्य नहीं है, केवल 13 जिलों का राज्य है। यहां पर इस तरह का खाका तैयार किया जा सकता है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि हमारे सुझाव को इस बजट भाषण में सम्मिलित कर लिया जाय तथा निवेदन है कि इसका स्पष्टीकरण भी उत्तर भाषण में आ जाए।

*स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, अभी मैं बाहर गया था तो चर्चा हो रही थी कि कम्पटीशन बहुत समय लेता है। जिस विषय पर प्रकाश पंत जी बोलते हैं, उस विषय पर अजय भट्ट जी अवश्य बोलते हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी ने कटौती का प्रस्ताव रखते हुए बहुत से बिन्दु उठाए। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2005 में सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से 6394 अभ्यर्थियों को रोजगार पर लगाया गया।

*श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इधर के लोगों को भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आप अपनी बात कहिए।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रणजीत सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ, आपके माध्यम से श्रम विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें बताया गया है कि लगभग 24 नये आई0टी0आई0 की स्थापना राज्य बनने के बाद हुई। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आई0टी0आई0 खोले गये थे, उनमें सभी विषयों में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ हो गया है? मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मठौंड़ में एक आई0टी0आई0 है। मैंने उसके बारे में प्रश्न भी किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अनुत्तरित रह गया। उस आई0टी0आई0 के लिए 16 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी, और वह पैसा उसी वर्ष खर्च भी कर दिया गया। वहां पर पर्यटन विषय के लिए एक बस खरीदी गयी थी। लेकिन आज तक वह बस मठौंड़ नहीं पहुँच सकी है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, वहां पर सड़क है?

श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, वहां पर सड़क बनी हुई है। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वहां पर बस पहुँचा देंगे और उस विषय की पढ़ाई भी शुरु करा देंगे। लेकिन आज तक न ही वहां बस पहुँची है और न ही वह विषय शुरु हुआ है। यह हमारी कथनी और करनी को प्रदर्शित करता है। मान्यवर, यह कथनी और करनी के अन्तर को स्पष्ट करता है। बहुत गम्भीर विषय है सदन के अन्दर दिये गये आश्वासनों पर भी साल भर में अमल नहीं होता है तो सदन में हम सभी के औचित्य पर ही प्रश्न उठता है। हमसे राज्य के लोग बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनकी समस्याओं को यहां उठायेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण भी यहीं से होगा। लेकिन वस्तुस्थिति आपके सामने है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे व्यवस्था चाहूँगा कि आप सरकार से कहें। एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम हर विकास खण्ड में एक आई0टी0आई0 खोलेंगे दूसरी तरफ चार ऐसी आई0टी0आई0 खोली जा रही हैं जिन्हें विशिष्ट दर्जा दिया जा रहा है। वे ऐसी जगहों में खोली जा रही हैं जहां पर पहले से ही उद्योग स्थापित हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में तो ऐसे भी उद्योगों का अभाव है। यदि वहां पर आई0टी0आई0 खोलकर वहां के युवाओं को प्रशिक्षित नहीं किया जायेगा तो उनको रोजगार कैसे प्राप्त होगा? तो मान्यवर, जो राज्य निर्माण की हमारी अवधारणा थी, मंशा थी, वह पूरी नहीं होगी।

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, मैं इस बजट के समर्थन में ही बोल रहा हूँ सरकार द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा भी करता हूँ। जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि वे मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं पर अमल नहीं करते हैं, क्या आप भी अमल नहीं करते हैं?

माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी विधान सभा क्षेत्र में तीन आई0टी0आई0 खोलने की घोषणा की थी किन्तु अभी तक इन घोषणाओं पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो अब माननीय मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दें तो इस पर भी प्रकाश डालें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत जी और श्री भट्ट जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय बहुत सी समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है साथ ही हमारे साथी श्री सुबोध उनियाल और रणजीत सिंह जी द्वारा जो विचार रखे हैं उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आई0टी0आई0 के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी बताया था कि अंशकालिक अनुदेशकों की वजह से हाईकोर्ट से स्टे वैकेट करना पड़ा। जैसे ही चयन की प्रक्रिया बनती है वे हाईकोर्ट से स्टे ले आते हैं। इसके लिए हमने लिखित परीक्षा का आयोजन किया। वे नियमितीकरण की बात करते हैं। दूसरी ओर हाईकोर्ट जाकर व्यवधान पैदा करते हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं किन्तु हाईकोर्ट के कारण उनको नियुक्तियाँ नहीं दे पा रहे हैं। जब तक अनुदेशक नहीं होंगे तब तक विभाग कैसे चलेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही लगभग तीन महीने के अन्दर यह सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी और 450 अनुदेशकों की नियुक्ति कर दी जायेगी। यह हमारे यहाँ के नौजवानों के रोजगार का भी विषय है। मान्यवर, जहाँ तक नियुक्तियों का प्रश्न है बहुत से विभागों में नियुक्तियाँ कर दी जाती हैं किन्तु उसकी सूचना नहीं मिलती है जैसा कि आप बता रहे हैं कि सूचना का अभाव है। आप इस बात से भी भिज्ञ हैं कि रोजगार देने के लिए एम्प्लॉयमेंट कार्यालय में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। विभाग प्रकाशन द्वारा नियुक्तियां कर सकता है और सीधे आवेदन पत्र अभ्यर्थियों द्वारा भेजे जा सकते हैं।

मान्यवर, हमने एक बेरोजगार कार्ड बनाया है, इस कार्ड के नवीनीकरण से ही यह सुनिश्चित हो जायेगा कि हमारे उत्तरांचल का बच्चा ही इन उद्योगों में रोजगार पा रहा है। मान्यवर, दूसरी चिन्ता है कि यहां पर बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं। मान्यवर, मैं इस विषय में नहीं चाहता हूँ कि उद्योग के क्षेत्र में श्रम विभाग अनावश्यक रूप से उत्पीड़न की कार्यवाही करे। मान्यवर, निश्चित रूप से आज भी ठेकेदारी प्रथा पर अधिकांश हमारे बेरोजगार नवयुवक लगे हुए हैं। इस सम्बन्ध में हमने एक लम्बी–चौड़ी चिट्ठी उद्योग विभाग को दी है। मान्यवर, इस दिशा में हम लगातार प्रयासरत हैं कि इन लोगों का उत्पीड़न न होने पाये। मान्यवर, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम मजदूरों के हितों, बेरोजगार नवयुवकों के हितों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं।

मान्यवर, जल संस्थान में जो लोग 15–15 सालों से कार्य कर रहे थे जो अभी तक लगभग रू0 200, 400, 500 पर काम कर रहे थे, इसको बढ़ाने के लिए हमने प्रयास किये हैं और इस दिशा में हम सफल हुए भी हैं। इस सम्बन्ध में संस्थान के

है आज नहीं। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं का सम्मान कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके यहाँ का आई०टी०आई० खुद देख रहा हूँ। अब मैं अपने प्रतिपक्ष के साथी आदरणीय श्री प्रकाश पंत जी से निवेदन करूँगा कि वह एक उदाहरण प्रस्तुत करें अपनी उदारता और योग्यता का परिचय देते हुए अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि चौकीदारी प्रथा आज भी फैक्ट्रियों में जारी है और यह भी स्वीकार किया कि आई०टी०आई० की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं है। पी०टी०ए० कर्मचारियों के बारे में भी आपने कहा कि इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। मैंने दो विभागों का जिक्र किया था उनमें नियुक्ति प्रक्रिया बन्द कर दी गई, उनको चिट्ठी नहीं किया। सहकारिता विभाग में जो नियुक्तियाँ 2003 में निकाली गई जिनके आवेदन पत्र थे वे आर्डर वापस किये जा रहे हैं, यह एक तरह से असत्य सिद्ध हो रहा है। 164 कर्मचारी कुमायूँ मण्डल विकास निगम के निकाल दिये गये थे उनके बारे में भी स्पष्ट नहीं कर पाये। इसलिए बजट माँगे जाने का कोई औचित्य नहीं है, अतः इसकी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। साथ में यह कहूँगा कि प्रत्येक विकास खण्ड में आई०टी०आई० खोला जाय। हमारे जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनाकोट, चमोली जनपद के घाट और द्वाराखाल यमकेश्वर में आई०टी०आई० खोला जाय। जिनमें आई०टी०आई० नहीं है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 755434 हजार (पचहत्तर करोड़ चौवन लाख चौंतीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 927311 हजार (बानवे करोड़ तिहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, परिवहन और सड़क दो चीजे ऐसी हैं जैसे शरीर में धमनियाँ होती है। मान्यवर, अगर वह स्वस्थ नही है तो शरीर संचालित नहीं होगा। इसी प्रकार राज्य के संचालन में परिवहन विभाग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमने परिवहन आयुक्त की नियुक्ति कर दी है। हमारे प्रदेश में 4 सम्भागीय परिवहन कार्यालय हैं देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी, अल्मोड़ा। सभी जनपदों में हम उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय की स्थापना कर रहे हैं। 19 चेक पोस्ट उत्तरांचल में दूसरे राज्यों से मिलते हैं। लोक सेवा आयोग से अधिकारी हमें नही मिल पा रहे हैं। आर0टी0ओ0, ए0आर0टी0ओ0 की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से नहीं हो पा रही है। इससे कार्य प्रभावित हो रहा है। इसके बावजूद भी जो हमारा बजट प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में विभाग द्वारा कुल रुपये 110.88 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया जो गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व की तुलना में 15.68 प्रतिशत अधिक है। वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये रुपये 115 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष रुपये 110.88 करोड़ की उपलब्धि रही। राजस्व की शत–प्रतिशत वसूली न होने का कारण अभी परिवहन निगम ने 10 करोड़ का टैक्स जमा किया है यदि इसे न जमा किया गया होता तो शत–प्रतिशत उपलब्धि हो जाती।

परिवहन विभाग में प्रवर्तन कार्य के लिए अधिकारियों का अभाव है। हम कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जा रही है। सुयोग्य अधिकारियों की भी हमें आवश्यकता है। हमारे प्रवर्तन दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में कुल 90287 वाहनों को चेक कर, 19428 वाहनों का चालान किया गया एवं 3432 वाहनों को थानों में बन्द किया गया। इस अवधि में मार्ग पर रुपये 936.50 लाख कर एवं रुपये 271.90 लाख प्रशमन शुल्क की वसूली की गयी। राज्य में होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए 16 दिसम्बर 2005 से 15 जनवरी, 2006 तक राज्य में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत कुल 2105 वाहनों का चालान कर 479 वाहनों को बन्द किया गया। इनमें से 267 चालान बिना पंजीयन, 578 चालान बिना नम्बर प्लेट, 145 चालान बिना मानकों के नम्बर प्लेट, 29 चालान निजी वाहनों पर नेम प्लेट, 17 चालान अनाधिकृत लाल–नीली बत्ती के एवं 115 चालान कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाने के अभियोग में किये गये। प्रदूषण नियंत्रण के लिए जगह–जगह प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की गयी है। आई0टी0 विभाग के द्वारा अपने कार्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए 4.91 करोड़ की परियोजना तैयार की गयी है जिसमें हिल्ट्रान तथा एन0आई0सी0 के माध्यम से देहरादून के ऑफिस को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। इसके बाद अब दूसरे कार्यालयों को भी कम्प्यूटरीकृत किया जायेगा।

आज दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नयी–नयी तकनीक के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसके लिए हमें 4 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। इसके लिए जमीन झाझरा में उपलब्ध हो गयी है। यहां पर ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक करोड़ पच्चीस लाख की धनराशि भारत सरकार ने हमें दे दी है। बहुत जल्दी ही 15–20 दिन के अन्दर इसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा करा दिया जायेगा। जहां पर हमारे ड्राईवर जो आई०टी०आई० और पॉलिटेक्निक के माध्यम से आये, उन्हें पूर्ण तकनीकी ज्ञान मिले, ऐसा प्रयास हम करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से इस वर्ष की चार धाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग के दो अधिकारियों को भी तैनात कर दिया गया है। वर्तमान में हमारे प्रदेश में पांच इण्टरसेप्टर हैं जिनमें से तीन पुलिस विभाग के पास हैं और 2 हमारे विभाग के पास हैं जो कि गाड़ी की स्पीड आदि को देखते हैं और ओवर स्पीड के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमने जुर्माना लगाने की भी व्यवस्था की है और इस सम्बन्ध में कई गाड़ियों के परमिट और कई ड्राईवरों के लाइसेंस भी निरस्त किये गये हैं। हम चाहते हैं कि किसी प्रकार की दुर्घटना हमारे प्रदेश में न हो और जो हमारा चार धाम मार्ग है, इसमें कोई भी दुर्घटना न हो, जो ऐसे स्थान हैं, जहां पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके वहां पर सूचना डिस्प्ले की जा रही है और आईटीबीपी के माध्यम से भी ऐसे स्थानों को चिन्हित करके पैराफिट आदि का निर्माण कराया जा रहा है। दुर्घटना होने के बाद तुरन्त बचाव और राहत कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से डी०एम० को बड़ी क्रेनें और एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा दी गई हैं। मान्यवर, दुर्घटनायें तो दुर्भाग्य से ही होती हैं लेकिन उसके बाद कैसे उनको राहत दी जाय, इसका प्रयास करने का हमारा उद्देश्य है। इन क्रेनों से वह तुरन्त ही लोगों को निकालने की व्यवस्था कर सकते हैं।

मान्यवर, आज तक ए०डी०एम० और डी०एम० को चालान बुक नहीं दी गई थी, वह वाहनों को रोककर खड़ा करवा देते थे लेकिन अब उन्हें चालान बुक भी दे दी गई है। अब पूरे आर०टी०ओ० के अधिकार उन्हें दे दिये गये हैं। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहाड़ी मार्ग हैं, उन्हें रात में बन्द कर दिया जाता है क्योंकि इससे दुर्घटना होने का खतरा रात में बढ़ जाता है और जो यात्रा मार्ग हैं, उनमें भी हमने पंजाब सरकार को पत्र लिखा है कि ट्रकों में यात्रियों को न भेजें क्योंकि हम अब ट्रकों में यात्रा को बिल्कुल बन्द कर रहे हैं। महामहिम राज्यपाल जी द्वारा भी पंजाब सरकार से कहा गया है कि नियमों के खिलाफ ट्रकों में यात्री न भेजें। मान्यवर, यह सही है, पर्वतीय क्षेत्रों में जब दुर्घटनायें होती हैं तो कैजुएल्टीज वहां पर ज्यादा हो जाती हैं। यह दुर्घटनायें न हों, इसके लिए सभी जिलों के डी०एम०, एस०एस०पी० और परिवहन विभाग के अधिकारियों को मिलाकर एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो समय–समय पर चैकिंग करेगी। जो ओवर लोड या डग्गामारी के प्रकरण हैं, उन पर इससे अंकुश लग सकेगा।

इसके अलावा मान्यवर, जो हमारे परिवहन व्यवसायी थे, उनकी एक बड़ी समस्या थी कि ओरियंटल बैंक ने उनका बीमा करने से मना कर दिया था। इस सम्बन्ध में मैंने भी भारत सरकार को पत्र लिखा था। जब दुर्घटना होती है तो ओरियंटल ने इंश्योरेंस देने से मना कर दिया था तो हमारे प्रयासों से आज यह समस्या हल हो गई है और इसके साथ ही ओरियंटल बैंक ने हमारी परिवहन निगम की बसों का भी बीमा किया है जिससे दुर्घटना होने पर भी हम पर पड़ने वाला अतिरिक्त व्यय भार कम हो जायेगा। हमारे उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन 31 अक्टूबर, 2003 को हुआ था और उस समय हमें उत्तरांचल में 950 बसें ही मिली थीं और वह भी 5 साल से अधिक चल चुकी थीं। हमने उस समय 600 बसों के बेड़े की बात कही थी और इस महीने हमने 600 बसों का बेड़ा पूरा कर दिया है जिसमें से 40 हाईटैक हैं और इसी प्रकार से 20 नई सेमी डीलक्स गाड़ियां भी चलाई गई हैं जिनमें सभी जिला मुख्यालयों से देहरादून व दिल्ली तक सेमी डीलक्स बसों को चलाया जा रहा है क्योंकि पहले यह बात आती थी कि सिर्फ देहरादून और दिल्ली के बीच ही वाल्वो और हाईटैक चलाई जा रही हैं। इस प्रकार से यातायात की सुविधा देने का हमारे विभाग ने उल्लेखनीय प्रयास किया है।

जिस प्रकार से हमारा देहरादून का आई0एस0बी0टी0 बना है, उसी प्रकार की अवधारणा हमारी हल्द्वानी और हरिद्वार के आई0एस0बी0टी0 के निर्माण की है। हमारे यहां देहरादून में वर्कशॉप भी आई0एस0बी0टी0 के पास बनाना प्रस्तावित था लेकिन तकनीकी कारणों से उसके लिए जमीन नहीं मिल पाई तो यह वर्कशॉप अब ट्रांसपोर्ट नगर में बनने जा रही है।

मान्यवर, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी है, अभी हमारे परिवहन निगम को बने हुए 2 वर्ष हुए हैं। गत वर्ष 10 करोड़ रुपये की नगद हानि इस निगम में हुई थी। एक वर्ष में इस निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मॉनीटरिंग करके, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मॉनीटरिंग की थी, पहला ऐसा निगम बना दिया है, जिसको इस वर्ष एक करोड़ 67 लाख रुपये का नगद लाभ हुआ है। हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोई फायदा नहीं उठाया, जो लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, उनको दण्डित किया। सभी लोगों ने मिल–जुलकर प्रयास किया कि इस निगम को लाभ में पहुँचाया जाय और इस प्रकार क्रान्तिकारी कदम उठाया गया है।

हम नयी–नयी गाड़ियां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून से हाईटैक बसें राजस्थान, चण्डीगढ़, हरियाणा के लिए चल रही हैं। देहरादून से दिल्ली के लिए वाल्वो बस सेवा भी चल रही है। वैट लागू होने से हमें मासिक 80 लाख रुपये का नुकसान हो रहा था। 4 प्रतिशत में पहले जो डीजल मिलता था वह बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुँच गया। इससे असर तो पड़ना ही था। हमने इस नुकसान को भी वित्त विभाग से हानि–पूर्ति करवा दिया है। हमारे ऊपर कर्मचारियों की देनदारी भी बहुत अधिक थी। इनका हिल एलाउन्स था, 10 प्रतिशत डी0ए0 का था, 12 प्रतिशत डी0ए0 का था। पचास रिटायर्ड कर्मचारियों को 25 लाख रुपया भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है। पंचम वेतनमान के अवशेष के अलावा सभी भुगतान कर्मचारियों को किये जा चुके हैं। कुल 16 करोड़ पैंतालीस लाख रुपये का भुगतान कर्मचारियों को करने के बाद भी एक करोड़ 67 लाख रुपये का फायदा होना बहुत बड़ी उपलब्धि है।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय के लिए भी हमने जमीन देख ली है। हमारे परिवहन निगम का मुख्यालय राजपुर रोड पर पुराने दिल्ली बस स्टेशन के पास स्थापित करने का काम किया जा रहा है। कई अन्य जिलों में भी हम परिवहन विभाग के मुख्यालय खोल रहे हैं। टिहरी में हमने इसके लिए बिल्डिंग ले ली है। उत्तरकाशी में भी हमारे परिवहन विभाग का अपना कार्यालय है। हमारा प्रयास है कि इसको डिसेंट्रलाईज कर दिया जाय। जहां पर वाहनों के पंजीकरण का रिन्यूवल हो सके। इस दिशा में हमने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। नागरिक उड्डयन में भी काफी प्रगति की है। जौलीग्रान्ट में पुरानी हवाई पट्टी का विस्तार करने के लिए आस-पास के क्षेत्रों में विशिष्ट कम्पनसेशन करके प्रतिपूर्ति की गयी है। 200 यात्रियों वाला जहाज वहां पर उतर सकता है। गैरसैंण, गौचर, चिन्यालीसौड़, रानीपुर और पंतनगर में भी छोटी हवाई पट्टियां बन रही हैं। जहां पर छोटे हवाई जहाज उतर सकते हैं। रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु बी0एच0ई0एल0, रानीपुर, हरिद्वार स्थित हवाई परिसर में एक उड़ान प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जा रही है। भारत सरकार के विमान पत्तन विभाग की देख-रेख में यह कार्य कर रहा है। इससे पर्यटन के अवसर भी बढ़ेंगे। हमने गत वर्ष गौचर से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए हवाई सेवा प्रारम्भ की थी, इस वर्ष भी हम इसको संचालित करेंगे। इससे पर्यटक आकर्षित होते हैं। भविष्य में जौलीग्रान्ट से सभी प्रदेशों के लिए हवाई सेवा प्रारम्भ की जाएगी। हवाई पट्टियों के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। इसके लिए भारतीय विमान पत्तन को सूचित कर दिया गया है तथा सभी जगहों पर भूमि अधिग्रहण करने के लिए जिलाधिकारियों को धन उपलब्ध करा दिया गया है और काम भी शुरु हो गया है।

मान्यवर, बहुत तेजी से कार्य हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार में पट्टी के बनने से मैं समझता हूँ, वहाँ के लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। इससे पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता राज्य को मिलेगी। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अन्तर्गत जिसने भी परमिट की माँग की हमने परमिट दिया, हमने किसी का भी परमिट नियमतः रोका नहीं और यह काम सुचारु रूप से चालू है। इससे हमारे यहाँ के नौजवानों को बहुत फायदा हो रहा है। परमिट आर0टी0ओ0 द्वारा दिया जा रहा है। जहाँ पर बस सेवा परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जा पा रही है वहाँ पर प्राइवेट बसों की सेवायें भी ली जा रही हैं। उन प्राइवेट बस मालिकों, जीप मालिकों से हमारा कहना है कि आप लोगों की बसें/जीपें इतनी अधिक दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो जाती हैं, इस ओर ध्यान दें। हमें उनके भी रोजगार का ध्यान रखना है किन्तु प्राइवेट बसों/जीपों के अधिक दुर्घटनाग्रस्त होने से लोगों की माँग परिवहन निगम की बसों की अधिक रहती है और हम उन क्षेत्रों में लोगों को सेवा देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों को अच्छी बस सुविधा मिले और अधिक से अधिक पर्यटक आयें, इस ओर सरकार कटिबद्ध है क्योंकि यह यहाँ के नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अधिक से अधिक पर्यटक हमारे राज्य में आयें, इसके लिए हम अन्य राज्यों से भी बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी हिमाचल प्रदेश और

राजस्थान की सरकारों से बात हुई है और हम कुछ क्षेत्रों में सेवायें बढ़ाने जा रहे हैं। मान्यवर, बहुत कम समय में परिवहन निगम ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। मान्यवर, वर्ष 2004–05 में राजस्व प्राप्ति जहाँ नौ हजार छियासठ करोड़ हुई, वहीं 2005–06 में रु0 10308.66 करोड़ रही है। 2004–05 में सत्तर हजार नौ सौ गाड़ियों का पंजीकरण किया गया, वहीं 2005–06 में पच्चहत्तर हजार नौ सौ बासठ गाड़ियों का पंजीकरण किया गया और यह संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से शरीर में खून की आवश्यकता होती है, वैसे ही वाहनों के लिए अच्छी सड़कों की आवश्यकता होती है।

सरकार द्वारा चैकपोस्टों को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि ठगामारी की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। ओवर लोडिंग कंट्रोल के लिए मशीन लगाई जा रही हैं। साथ ही हमने यात्रा मार्गों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की है ताकि यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो तत्काल प्राथमिक उपचार किया जा सके। मार्गों पर संकेत भी लगाये गये हैं। हमारे विभाग द्वारा हेलमेट की अनिवार्यता पूरे राज्य में की गई है ताकि नौजवानों की सुरक्षा हो सके। तेज रफ्तार के कारण हेलमेट न लगा होने के कारण उनकी जान को बहुत अधिक खतरा था।

मान्यवर, किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही यात्रा मार्ग पर नहीं होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में परिवहन विभाग और परिवहन निगम अतिमहत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मान्यवर, देहरादून में टायर रीट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की है, इससे हमें प्रतिवर्ष बहुत लाभ हो रहा है। मान्यवर, हम हिल्ट्रॉन के माध्यम से परिवहन विभाग और परिवहन निगम को कम्प्यूटराइज्ड करने का काम शुरू कर रहे हैं। इस विभाग को हम इंटरनेट से जोड़कर भी आधुनिक विभाग बनाने जा रहे हैं। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बजट भाषण समाप्त कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सर्वसम्मति से इसे पारित करेंगे।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं अनुदान संख्या–24 पर कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में खून की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सड़कें और इन सड़कों में चलने के लिए बसों की भी आवश्यकता होती है। मान्यवर, सड़कों और बसों का किसी भी प्रदेश की प्रगति में बहुत बड़ा हाथ होता है। मान्यवर, उत्तरांचल को बने हुए लगभग छः वर्ष होने जा रहे हैं और इन छः वर्षों में उत्तरांचल पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से, विकसित हो, इस दिशा में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी विभाग का हो सकता है तो वह परिवहन विभाग का है। आज

उत्तरांचल के अन्दर जो वाहन चल रहे हैं खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में, मैं कह सकता हूँ कि उन वाहनों की जो गति रहती है, या उन वाहनों में जिस प्रकार से कमियां हैं, उनके कारण आये दिन जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं। मान्यवर, इससे निश्चित तौर पर उत्तरांचल का पर्यटन प्रभावित हो रहा है।

मान्यवर, परिवहन विभाग का अपना एक ढांचा है और उस ढांचे के अनुरूप मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे प्रत्येक जनपद के अन्दर खासतौर से जो मुख्य रूप से यात्रा मार्ग हैं, चाहे वह पर्यटन मार्ग हो, इन मार्गों पर बस अड्डे अच्छे होने चाहिए, वहां पर यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस दृष्टि से किसी भी प्रकार की व्यवस्था माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में नहीं की है। मान्यवर, जहां तक अच्छे वाहन की बात है, तो इनकी भी बहुत कमी है। मान्यवर, आज वाहन चालकों और परिचालकों की बहुत कमी बनी हुई है। मान्यवर, इन वाहनों पर इतना अधिक दबाव रहता है कि जैसे एक चालक आज गाड़ी लेकर दिल्ली चला गया हो तो दूसरे दिन उसकी ड्यूटी लग जाती है, इससे दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। मान्यवर, लाईसेंसों के बारे में कहना चाहता हूँ कि नये लाईसेंस बनाने के लिए अनेक आवेदन सम्बन्धित विभाग के पास लम्बित पड़े हुए हैं। लोगों को समय पर लाईसेंस नहीं मिल पा रहा है, इस बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, वास्तव में जो वाहन चालक हैं, चाहे वह प्राईवेट हों, राजकीय हों, मान्यवर, हर वाहन चालक के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह एक नयी शुरूआत उत्तरांचल में कर सकते हैं। मान्यवर, वाहनों का पंजीकरण सरल होना चाहिए।

मान्यवर, देहरादून में 24324 वाहन पंजीकृत हुए, पर बहुत कम वाहन ही पंजीकृत हो पाये। मान्यवर, उत्तरांचल के अन्दर कितने वाहन चल रहे हैं, इनकी संख्या सम्भवतः आपने 6 लाख 25 हजार वाहन बताये, लेकिन 25 लाख से ज्यादा वाहन इस समय उत्तरांचल के अन्दर हैं, यह वाहन कहां पंजीकृत हो रहे हैं? यह पैसा उत्तरांचल सरकार को मिलना चाहिए था। हमारी पंजीयन नीति ठीक न होने के कारण लोग दिल्ली, हरियाणा में पंजीयन करा रहे हैं और मेरा आग्रह है कि पंजीयन प्रक्रिया सरल हो, जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सके।

मान्यवर, डोईवाला में चुंगी की बात कहें तो पहले तो इसको समाप्त कर दिया जाए, एक अच्छा मैसेज उत्तरांचल में जाना चाहिए, इस तरह की चुंगी से उत्तरांचल को बचाना चाहिए। मान्यवर, आपने 82 हजार 14 वाहनों को चेक किया और चालान 17537 वाहनों के हुए हैं, उनमें से 3 हजार 93 सीज हुए हैं, इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, 16 दिसम्बर से 15 जनवरी तक चैकिंग योजना चलाई। मान्यवर, आपने मात्र 17 लाल बत्ती की बात कही और इसी सदन के अन्दर कहना है कि अनेकों ऐसे राज्य मंत्री हैं जिनको अनुमन्य नहीं हैं, वो लाल बत्ती लेकर चल रहे हैं। मान्यवर, आप मैसेज देते कि जो लाल बत्ती चल रही है, इस पर अंकुश लगे, लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हुई। मान्यवर, हमने कहा कि वाहन के टायर, सीटें अच्छी हों, लेकिन स्थिति क्या है, जो प्राइवेट वाहन हैं, उन पर लोग ज्यादा बैठ रहे हैं और आपकी गाड़ियाँ खाली जा रही हैं। मान्यवर, आपने कहा कि एक करोड़ का

राजस्व प्राप्त किया, अगर आप ठीक व्यवस्था कर दें तो दुगना–तिगुना राजस्व हो जायेगा। मान्यवर, सरकारी वाहनों में जो चालक, परिचालक हैं, उनकी उम्र सीमा रखी है, लेकिन प्राइवेट में कोई उम्र सीमा नहीं है। मान्यवर, जो प्राइवेट टैक्सियाँ–गाड़ियाँ हैं, उनके चालक, परिचालक की उम्र पर नजर रखें और विभाग को दिशा निर्देश दें, कम से कम उनकी आँखों का टेस्ट कर लें, तो इससे भी सुधार हो सकता है। मान्यवर, ओवर लोडिंग बहुत बड़ी समस्या है। मान्यवर, पहाड़ों के अन्दर हमारे विधान सभा क्षेत्र चमोली में मैंने देखा कि लोग गाड़ी के अन्दर कम और उसकी छत पर ज्यादा बैठते हैं, जिस कारण दुर्घटना होने का भय रहता है, उस पर अंकुश लगाना चाहिए।

मान्यवर, शराब पीकर वाहन चलाने में बहुत दुर्घटना हो रही हैं, जो दुर्घटना हुई हैं, शराब के कारण हुई और समय रहते चैकिंग हो जाये तो दुर्घटना से बचा जा सकता है। मान्यवर, रात्रि में वाहन चलाने में रोक हो। मान्यवर, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि जो राज्य के बाहर से वाहन आते हैं, उन्हें यात्राकाल में बन्द करा दिया जाय। मान्यवर, प्राइवेट सेक्टर की कई गाड़ियाँ चोरी छिपे चल रही हैं, जो कि मानक पूरा नहीं करती हैं, इनको रोकना चाहिए। मान्यवर, ऋषिकेश और हरिद्वार से यात्रियों को जाने की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। मान्यवर, पहाड़ों में अनेक मार्ग बन कर तैयार हैं मगर आर0टी0ओ0 द्वारा स्वीकृत नहीं हैं, वहाँ पर यात्रियों को दुर्घटना बीमा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोक निर्माण विभाग के पास उनकी सूची तैयार है, इनको आर0टी0ओ0 की स्वीकृति देनी है। महोदय, मार्गों पर यात्रा काल में दबाव रहता है, इसके लिए वैकल्पिक मार्गों की दृष्टि से व्यवस्था होनी चाहिए, हमें इन बसों को किन–किन वैकल्पिक मार्गों से भेजना है, ऐसे मार्गों को चिन्हित करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, वाहनों की बिक्री बहुत हो रही है। एक तरफ तो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप परमिट नहीं दे रहे हैं। आप या तो वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दें। इसका मतलब यह हुआ कि बिना आपके परमिट के ये गाड़ियाँ चल रही हैं। सरकार इन पर कोई अंकुश लगाने में नाकाम है। मान्यवर, गाड़ियों को परमिट मिलना चाहिए। जो आपके आर0टी0ओ0 और ए0आर0टी0ओ0 ऑफिस हैं, वहाँ पर पद सृजित होने चाहिए। वहाँ पर कर्मचारियों का अभाव है, आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं इससे राज्य को राजस्व प्राप्त होगा, इस दिशा में सरकार को प्रयास करने चाहिए। मान्यवर, इन्श्योरेंस कम्पनी लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर रही हैं, यह आपके विभाग के माध्यम से हो रहा है। इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जब उत्तर भाषण आयेगा तो इन बिन्दुओं को उसमें सम्मिलित किया जाय।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, जो माननीय भट्ट जी ने सुझाव रखे हैं, मैं

उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई दुर्घटना घटती है, उसमें मुआवजा की व्यवस्था परिवहन विभाग से रहती है, वह समय से नहीं दिया जाता है। जो घायल होता है, उनके लिए अस्पताल ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है और उनके लिए मुआवजा भी नहीं है। मेरा यह सुझाव है कि ऐसी स्थिति में उनके लिए जिलाधिकारी के यहाँ ऐसी मद होनी चाहिए और तत्काल जिलाधिकारी की ओर से सहायता पहुँचे। इस पर सभी लोग सहमत होंगे।

मान्यवर, इस पर सभी लोगों की सहमति होगी। माननीय मंत्री जी बजट भाषण में इसकी संस्तुति करें। मान्यवर, दुर्घटना के समय कई वाहन ऐसे होते हैं जिनके कागजात पूरे नहीं होते हैं। ऐसे में वाहन मालिक को इसकी सजा मिलनी चाहिए, न कि सवारियों को। होता यह है कि ऐसे वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर यह कह दिया जाता है कि चूँकि वाहन के कागजात पूरे नहीं थे अतः इसमें बैठी सवारियों को कोई मुआवजा आदि नहीं दिया जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अंतिम सुझाव है कि देहरादून से चोपता, तुंगनाथ तक बस सेवा प्रारम्भ की जाये। इससे यात्रा सीजन में यात्रियों को सुविधा होगी और राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को 2–3 सुझाव देना चाहता हूँ। चार धाम यात्रा के समय हमारी जो लोकल बसें होती हैं, वे अव्यवस्थित हो जाती हैं। सारी बसें यात्रा सीजन में लग जाती हैं। इससे स्थानीय लोगों को असुविधा होती है। मैं चाहूँगा कि चार धाम यात्रा में स्थानीय बसों को न लगाया जाये। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि देहरादून शहर यातायात में अव्यवस्था का शिकार हो गया है और बहुत देर तक यहाँ जाम में फँसना पड़ता है। यदि आप इसे व्यवस्थित करेंगे तो जनता का हित होगा। मेरा तीसरा सुझाव है कि आपने 10 प्रतिशत किराये में वृद्धि की। बस में यात्रा किसान, शिक्षक, मजदूर आदि करते हैं तो गरीब लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यदि जनहित में आप इसे वापस लेंगे तो गरीबों का हित होगा।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या–24 का समर्थन करता हूँ और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हमारा राज्य अस्तित्व में आया, उससे पूर्व से, जब हम उत्तर प्रदेश में थे तब भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में परिवहन की बस नहीं जाती थी। अभी भी परिवहन की बस सेवा लागू नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि जो टिहरी बांध के विस्थापित लोग पथरी के भाग 1, 2, 3 में रहते हैं, हरिद्वार में रायवाला में रहते हैं, उनको अपने क्षेत्र में जाने के लिए, अपनी रिश्तेदारी में जाने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा निवेदन है कि उक्त क्षेत्रवासियों के लिए प्रतापनगर तक वाया घनसाली से नियमित बस सेवा लगायी जाये। श्रीमन्, मैं आभारी रहूँगा यदि कुछ छोटी बसें भी पिपलडाली हल्का वाहन पुल से वाया लम्बगांव, ओखला खाले से प्रतापनगर के लिए भी लगवायी जायें तो आपकी

बड़ी कृपा होगी। विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर भयंकर रूप से बाढ़ प्रभावित है, उनको यह सुविधा देकर वहां के आक्रोशित लोगों के आक्रोश को कम किया जा सकेगा।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय आशा नौटियाल जी, माननीय फूल सिंह बिष्ट जी, माननीय महेन्द्र भट्ट जी का आभारी हूँ, जिन्होंने कटौती प्रस्ताव के साथ–साथ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। श्रीमन्, अभी आपने एक सवाल उठाया कि चालक, परिचालक का अभाव है। निश्चित रूप से चालक, परिचालक की कमी है और उन्हें संविदा पर रखा गया है। अभी तक हमारे विभाग का ढांचा स्वीकृत नहीं हुआ था, अब हमारे विभाग का ढांचा बनकर तैयार हो गया है, शीघ्र ही नियमित नियुक्तियां कर दी जाएंगी। परिवहन निगम का ढाँचा स्वीकृत हो गया है, इससे नियमित नियुक्तियों के साथ–साथ जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी यहां पर हैं, उनको भी रिलीव करने में हमें आसानी होगी। अभी आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन के मामले लम्बित हैं तो ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है हाँ, उस पर कोई विलम्ब हो सकता है। इस दिशा में हम सभी आर0टी0ओ0 को कम्प्यूटरीकृत करने जा रहे हैं, जिससे जो यह विलम्ब हो रहा है, वह अब नहीं होगा। जो जनता को तत्काल लाभ नहीं मिल पा रहा था, वह इस प्रक्रिया के बाद मिलेगा। आपने कहा कि बाहर के राज्यों से पंजीकरण ज्यादा हो रहे हैं तो पहले हमारे प्रदेश में पंजीकरण शुल्क ज्यादा था। दो वर्ष पूर्व ही हमने इस पर विस्तार से विचार किया और पहले हम गाड़ी की कीमत का 5 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क के रूप में लेते थे अब हमने उसे जस्ट हाफ कर दिया है, मात्र ढाई प्रतिशत ही अब लिया जा रहा है। इसके बाद से हमारे प्रदेश से पंजीकृत होने वाली गाड़ियों की संख्या में इजाफा हुआ है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार से प्राइवेट वाहन का प्रयोग व्यवसायिक रूप में करता है या दो नम्बर से करता है तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है लेकिन आंकड़ों को आप देखें तो हमारे प्रदेश में पंजीकृत होने वाले वाहनों की संख्या निश्चित ही बढ़ी है।

छोईवाला चुंगी के बारे में भी आपने कहा और इस बारे में मैंने भी भारत सरकार को लिखा है क्योंकि यह मार्ग हमारे लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं आता है और भारत सरकार के विभाग का ए0ई0 यहां पर रहता है तो मैंने भी यह महसूस किया है कि पर्यटकों का ही नहीं, आम लोगों का भी एक प्रकार से उत्पीड़न सा वहां पर हो रहा है। ए0ई0 से मैंने इस सम्बन्ध में बात की तो उसने बताया है कि उन्होंने उसे फारवर्ड कर दिया है और वह खुद जाकर इसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, ओवर लोडिंग की बात आई तो हमने इस बारे में कहा है कि ओवर लोडिंग को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। प्राइवेट सेक्टर के जो वाहन हैं, उनके भी ड्राइवरों के फिटनेस के बारे में टी0जी0एम0ओ0 के माध्यम से सी0एम0ओ0 को इनके फिटनेस कराने के लिए कहा गया है कि वह फिट है या नहीं, उसे ठीक से दिखाई देता है या नहीं। इन सबका हर 6 महीने में मेडिकल कराने के निर्देश दे दिये गये हैं। मान्यवर, आपने कहा कि दुर्घटना में मुआवजा नहीं मिलता है तो हमारा विभाग जिलाधिकारियों को पहले से ही पैसा देता है। वर्ष 2004–05 में इस मद में

53.90 लाख रुपया एडवांस में दिया गया था। इसी प्रकार से वर्ष 2005–06 में 59.57 लाख रुपया दिया गया है। यह तत्काल राहत राशि है जो कि हम 20 हजार रुपया देते हैं। जो हमारा पंजीकरण राजस्व है, उसका 21 प्रतिशत हमने राहत राशि के रूप में रखा है।

जिस व्यक्ति को मुआवजा देना है, उसका एड्रेस तो वैरीफाई करना ही होता है तो इसमें विलम्ब हो सकता है क्योंकि जिलाधिकारी पहले परीक्षण तो करायेंगे ही कि किस व्यक्ति को मुआवजा दिया जा रहा है। वैसे तो हम वहां पर एडवांस में ही पैसा जिलाधिकारी को देते हैं। चूंकि व्यवसायिक गाड़ियों का तो इंश्योरेंस होता ही है और यह उसके अतिरिक्त है। हमने, दुर्घटना के दौरान यदि किसी का कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाय, तो उसके लिए 5 हजार, 10 हजार की राशि देने का भी प्रावधान किया है। लेकिन यह राशि देने से पहले व्यक्ति का परिचय तो जानना ही पड़ता है जिसमें कुछ विलम्ब हो सकता है। माननीय आशा जी ने चोपता तक बस सेवा की मांग की तो प्रयास करूंगा कि आपकी आशाओं के अनुरूप वहां तक बस चल सके। प्राइवेट बसों की ओर से भी प्रस्ताव आते हैं कि हम वहां पर बस चलाना चाहते हैं तो हमने उनसे कहा कि आप अच्छी सेवा दीजिए, हम सोचेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि इंटीरियर तक बस सेवा मुहैया कराई जा सके। माननीय कुंजवाल जी ने भी यह बात कही तो यह बात सही है कि यात्रा सीजन में विभिन्न मार्गों से प्राइवेट बस सेवाएँ हटाकर यात्रा मार्ग में लगा लेते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। पौड़ी के इंटीरियर बड़कोट नौगांव और मोरी तक यह व्यवस्था देने का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, चूंकि पहाड़ी मार्ग पर हमें कुछ कम राजस्व मिलता है लेकिन हमारा प्रयास है कि हम सभी इंटीरियर तक अपनी बस सेवा दे सकें। वहां पर अनियमितता हो जाती थी और उसी को रोकने के लिए हमने इस साल से चारधाम में अपने परिवहन निगम की बस ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक चलाने का भी निर्णय किया है। मोरी तक भी बस सेवा दे रहे हैं क्योंकि इससे यात्रा सीजन में दिक्कत होती थी।

मान्यवर, उनको वार्निंग दे दी गयी है। या तो उनके परमिट कैंसिल किये जाएंगे, या कोई और कार्यवाही की जाएगी। इसमें कोई भाई–बन्दी नहीं करने जा रहे हैं। जनता को कोई असुविधा न हो, यह बात उनको बता दी गयी है। माननीय फूल सिंह बिष्ट जी ने प्रतापनगर में पिपलमना पुल पर बस चलाने की बात कही। यह पुल बस का लोड सहन कर सकता है या नहीं, इसका पता लगा लेंगे। यदि लोड सहन कर सकता होगा तो वहा के लिए एक छोटी बस चला दी जाएगी।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने बाबा पनवाली से कहा है, वहां पर बड़ी बस भी आ सकती है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं उसके सर्वेक्षण के लिए कल ही आदेश दे दूंगा।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, वहां पर विस्थापित लोगों के लिए पथरी से जो मार्ग है, उस पर बस चलाने की बात कही है। प्रतापनगर में 7 गाँवों के लोग विस्थापित हुए हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए, इस पर विचार करेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपने बस किराये के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, डीजल के दाम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की तुलना में हमारे यहां किराया कम है। इसको और कम नहीं किया जा सकता है। मैं माननीय भट्ट जी से अनुरोध करूँगा कि अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, आपने कहा कि मृतकों को 20 हजार रुपया दिया जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रुद्रप्रयाग में केदारनाथ क्यूँजा घाटी में जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन अभी तक इन लोगों को पैसा नहीं मिला है। बसंत पंचमी के दिन बारात की एक जीप दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी, इसमें ऊखीमठ के ग्राम प्रधान की भी मृत्यु हो गयी थी। इस दुर्घटना में 11 लोग मर गये लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया। गुप्तकाशी में काटा गौरीकुण्ड में जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई लेकिन उसमें जो लोग घायल हुए, उनको अभी तक राहत राशि नहीं दी गयी है। जिलाधिकारी से बात करने पर उन्होंने अवगत कराया कि हमारे पास ऐसी कोई धनराशि उपलब्ध नहीं होती है कि घायलों को मुआवजा दे सकें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्या ने जिन दो–तीन बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित किया है, वह गम्भीर विषय है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाएगी। यदि उनके पास इसके लिए पैसा नहीं होता है तो वह अपने पास से दे दें।

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, बसंत पंचमी के दिन जो जीप दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसमें जो लोग घायल हुए थे, अभी तक श्रीनगर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है लेकिन उनको कोई राहत राशि नहीं दी गयी है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यदि वह व्यवसायिक वाहन हैं तो मृतकों के आश्रितों को 20 हजार रुपया दिया जाएगा। यदि वे वाहन व्यवसायिक नहीं हैं तो राहत राशि नहीं दे पाएंगे। उनका कम्पन्सेशन हमारी परिधि में नहीं है। टी0आर0 27 नियम के तहत व्यवस्था भी है और हमने लिखा भी है। ऐसी दुर्घटनाओं में तत्काल डी0एम0 राहत राशि दें। यह उनकी ड्यूटी भी है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जो बसें दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, चूंकि उसमें आप कुछ टैक्स लेते हैं, इंश्योरेंस का उसमें तो मिलता है, जहाँ तक जो प्राईवेट जीप चलती हैं, उसमें नहीं मिल पाता है। यदि आप प्राईवेट में भी व्यवस्था करने वाले हैं तो फिर आप बतायें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो व्यवसायिक गाड़ियाँ हैं, उन्हीं को देने की व्यवस्था है। माननीय सदस्या ने तीन चार घटनाओं का जिक्र किया है। मेरा निवेदन है कि आप लिखित रूप में दे दें। हम उसको दिखवा लेंगे। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से भी बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय महेन्द्र भट्ट जी आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मेरे द्वारा और मेरे सहयोगियों द्वारा जो प्रश्न पूछे गये, उनका कोई संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं दिया गया है इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–24, परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 627311 हजार (बासठ करोड़ तिहत्तर लाख ग्यारह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपया 4782299 हजार (चार सौ अठहत्तर करोड़ बाईस लाख निन्नानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुझे पाँचवी बार चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं आयुष विभाग का बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों से उत्तरांचल की जनता की सेवा की जा रही है। इस दिशा में मेरे तथा मेरी सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मान्यवर, पिछले वर्ष की तुलना में 21.13 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मान्यवर, राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए पुराने अस्पतालों का पुनरुद्धार तथा नये चिकित्सालय, तहसील स्तरीय अस्पताल, जिला चिकित्सालयों को सुदृढ़ बनाने का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा दून अस्पताल को एक अच्छा अस्पताल, जो आधुनिक उपकरणों से युक्त हो, बनाया गया है। मान्यवर, इसी तरह से बड़े अस्पताल और बनाये जा रहे हैं। जिसमें गोपेश्वर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टनकपुर, हल्द्वानी, रामनगर आदि का कार्य तेजी से चल रहा है। सुमन चिकित्सालय, नरेन्द्रनगर, जनपद टिहरी के चिकित्सालय के आधुनिकीकरण नवीनीकरण एवं विस्तारीकरण की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है।

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के 95 ब्लॉकों में समायोजित है। जिसमें से हमारे से पूर्व केवल 23 ब्लॉकों के अन्दर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित थे। हमारी सरकार के द्वारा 26 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चार वर्षों के अन्दर निर्माण कर स्थापित कर दिये गये हैं। इस प्रकार 49 ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उच्च चिकित्सा इकाईयाँ उपस्थित हैं। 13 ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा अवशेष 33 ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जायेगा।

मान्यवर, जिला योजना के माध्यम से ऐलोपैथिक अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र की स्थापना एवं नये भवन बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार बनने से पूर्व उत्तरांचल राज्य में 54 अस्पतालों में 1984 से भिन्न–भिन्न कारणों से कार्य अधूरे पड़े थे। हमारी सरकार के द्वारा एक संकल्प के तौर पर इन अधूरे कार्यों को पूर्ण कर दिया गया जोकि इस राज्य के लिए एक उपलब्धि है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2006–07 में हमारी सरकार द्वारा 134 नये उपकेन्द्रों की स्थापना, 350 नये उपकेन्द्रों का निर्माण,

18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण, 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, 70 राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना, 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण तथा 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा राज्य में 37 अस्पतालों का पुनरुद्धार की योजना हैल्थ सिस्टम के माध्यम से करने का फैसला लिया गया था, जिसमें से 32 अस्पतालों का कार्य पूर्ण करा लिया गया है, जिसमें आधुनिक उपकरण भी स्थापित कर दिये गये हैं। मान्यवर, हैल्थ सिस्टम के माध्यम से अन्य 05 चिकित्सालयों का कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही बागेश्वर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रामनगर, गोपेश्वर का कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा। मान्यवर, अध्यक्ष जी, हमारी सरकार हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना के माध्यम से 09 बड़ी एम्बुलेंस गाड़ियां खरीदने जा रही है, जो उत्तरांचल के पहाड़ी जनपदों में कार्य करेंगी, जिनमें आधुनिक उपकरण लगे होंगे तथा एम्बुलेंस निश्चित दिन व तारीख पर निश्चित क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगी, जिससे उत्तरांचल की जनता को लाभ मिलेगा। चिकित्सालयों में पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती संविदा पर की जायेगी। मान्यवर, हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा 456 फार्मसिस्टों को दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया गया है, 93 फार्मसिस्टों को उपकेन्द्रों पर शीघ्र तैनात करने जा रही है। इन फार्मसिस्टों को तैनाती के पश्चात् जिला चिकित्सालयों में एक माह का प्रशिक्षण दिया गया व तत्पश्चात उपकेन्द्रों पर भेजा गया है। मान्यवर, मेरे द्वारा माननीय सदन के अधिकांश माननीय सदस्यों के क्षेत्रों की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं को भी सुना गया तथा कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा लिखित रूप में भी सुझाव प्राप्त हुए। मान्यवर, प्रयास किया गया कि माननीय सदन के सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण की दिशा में स्वीकृतियां प्रदान की जायें। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा पांच स्थानों पर नये ट्रॉमा सेंटर खोलने की योजना भी तैयार की गयी है जिसमें कुल रु0 450 लाख का प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों के ब्लॉक मुख्यालयों पर स्वास्थ्य मेला लगाने की योजना भी तैयार की गयी है। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मेला आयोजन के लिए रु0 पांच लाख की धनराशि की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से तथा संविदा पर चिकित्सकों की तैनाती का प्रयास किया जा रहा है। मान्यवर, लगातार अस्पतालों में नये पदों का सृजन भी किया जा रहा है। पैरामेडिकल स्टॉफ की भी तैनाती की जा रही है, महिला चिकित्साधिकारियों के लिए विशेष रूप से पदों का सृजन किया जा रहा है। मान्यवर, राज्य निर्माण से पूर्व चिकित्सकों के कुल 1380 पद सृजित थे, राज्य निर्माण के पश्चात् हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा कुल 430 पदों का सृजन किया गया। लोक सेवा आयोग के माध्यम द्वारा 583 पदों का चयन कर चिकित्सकों की कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है तथा संविदा पर 222 चिकित्सक कार्यरत् हैं। वर्तमान में कुल चिकित्सकों के 1810 पद सृजित हैं। वर्तमान में कुल रिक्त पदों की

संख्या 762 है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा कोरोनेशन, भवाली व रेम्जे चिकित्सालय का पुनरुद्धार करने की भी योजना बनायी गई है। भवाली को चेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करने का कार्य भी प्रारम्भ किया जा रहा है। दून चिकित्सालय की तरह कोरोनेशन अस्पताल का नवीनीकरण, उच्चीकरण किया जा रहा है। कोरोनेशन अस्पताल में अंकलोजी यूनिट की स्थापना केन्द्र सरकार के सहयोग से की जा रही है तथा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अन्तर्गत हार्ट केयर सेंटर की स्थापना भी सम्मिलित है।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा व्याधि निधि का गठन किया गया है। जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को, जो गम्भीर और असाध्य बीमारी से पीड़ित हों, उनका इलाज सरकार स्वयं करायेगी, ऐसी व्यवस्था की गयी है। आप के माध्यम से, मान्यवर, इस सदन के सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब और असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को, जो आप की विधान सभा क्षेत्र के हों या कहीं और के, उनको इस योजना का लाभ दिलाने में सहयोग प्रदान करें। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा 28 अस्पतालों में भोजन, सफाई, धुलाई का कार्य ठेकेदारी पर कराने का निर्णय लिया गया है। अधिकांश अस्पतालों में कार्य शुरु कर दिया गया है। पूर्व में 9 अस्पतालों में सफाई, धुलाई का कार्य ठेकेदारी पर किया गया था। बाद में 19 जिला व संयुक्त अस्पतालों को इस योजना में लिया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा ब्लड बैंकों की स्थापना और भवनों का निर्माण किया जा रहा है। कुल 5 ब्लड बैंकों की स्थापना व 8 ब्लड बैंकों के भवन निर्माण विगत वर्षों में किये गये। दून चिकित्सालय देहरादून में ब्लड बैंक के आधुनिकीकरण एवं उसकी क्षमताओं में विस्तारीकरण हेतु ब्लड कम्पोनेंट सेपरेशनल यूनिट की स्थापना भी की गयी है एवं मानकानुसार मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का सृजन भी किया गया है। मान्यवर, इसके अतिरिक्त आई०एम०ए० ब्लड बैंक सोसायटी द्वारा राज्य में आधुनिक ब्लड बैंक का निर्माण किया जा रहा है जिसमें सरकार द्वारा उक्त ब्लड बैंकों के भवन के निर्माण हेतु अब तक रू0 1.70 करोड़ का अनुदान दिया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। जिसमें 300 शैय्याओं के विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 2006-07 में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज हेतु रू0 21.47 करोड़ का प्राविधान तथा वर्ष 2005-06 में रू0 3 करोड़ स्वीकृत किये गये थे। कुल 114 पद स्वीकृत किये गये हैं जिन पर तैनाती का कार्य किया जा रहा है।

रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज का कार्य भी हमारी लोकप्रिय सरकार के द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। पूर्व में कुल रू0 2.74 करोड़ तथा वर्तमान में रू0 2.44 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है जबकि वर्ष 2006-07 में रू0 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा एम्स मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने का प्रयास तेज कर दिया गया है। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय को मिलाकर बेस चिकित्सालय की स्थापना की गयी है। इस हेतु 7 विशेषज्ञ,

12 पैरामेडिकल एवं अन्य पद सृजित कर दिये गये हैं। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा 3 डायग्नोस्टिक सेंटर प्रारम्भ किये गये हैं। जिनमें अल्मोड़ा, देहरादून एवं श्रीनगर तीनों में सी०टी० स्कैन की सुविधा प्रारम्भ हो गई है तथा दून अस्पताल, देहरादून में डायलिसिस की व्यवस्था की गई है। डायलिसिस की एक और मशीन की व्यवस्था की जा रही है। मान्यवर, हमारे राज्य में केन्द्रीय सरकार की सहायता से ड्रग-फूड लैब का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। जल्द ही स्थापना का कार्य भी कर लिया जायेगा। मान्यवर, शंकर नेत्रालय, चेन्नई के सहयोग से नेत्र चिकित्सालय की स्थापना की जायेगी। इससे तृतीय स्तर की नेत्र उपचार की सुविधा उत्तरांचल की जनता को उपलब्ध हो सकेगी। मान्यवर, हमारी सरकार के निरन्तर प्रयासों से समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राज्य की उपलब्धियाँ बहुत अच्छी रही हैं।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के सफल संचालन से आई०एम०आर० शिशु मृत्यु दर, व टी०एफ०आर० सकल प्रजनन दर में कमी आयी है व दम्पति सुरक्षा दर बढ़ी है। मान्यवर, राज्य गठन से पूर्व उत्तरांचल राज्य परिक्षेत्र में कुल 346 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय क्रियाशील थे। इस पद्धति की लोकप्रियता को दृष्टिगत रखते हुये विगत चार वर्षों में हमारी सरकार द्वारा राज्य में 110 नये आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की स्थापना की गई। मान्यवर, आयुर्वेद पद्धति में विशिष्ट चिकित्सा सुविधा का लाभ जनसामान्य को उपलब्ध कराने हेतु राज्य के 47 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में योग, पंचकर्म एवं प्राकृतिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति वर्ष 2005-06 में प्रदान की गई है। राज्य गठन से पूर्व उत्तरांचल राज्य परिक्षेत्र में अवस्थित किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मान्यवर, वर्ष 2006-07 में राज्य में एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आय-व्ययक में रु० 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, अधिकांश आयुर्वेदिक चिकित्सालय किराये के भवन पर चल रहे हैं तथा उनमें मानकों के अनुरूप स्थान न होने के कारण समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में 34 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु रु० 6.84 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा एलोपैथिक चिकित्सालयों में आयुर्वेदिक विंग की स्थापना की जा रही है। इस हेतु चिकित्सकों के 193 पद सृजित किये जा रहे हैं, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।

मान्यवर, हमारी सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप होम्योपैथिक पद्धति में भी जनसामान्य का रुझान बढ़ा है। राज्य गठन से पूर्व उत्तरांचल राज्य परिक्षेत्र में कुल 60 होम्योपैथिक चिकित्सालय क्रियाशील थे। जनमानस को होम्योपैथिक पद्धति की चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार द्वारा 37 नये होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की गई। वर्तमान में 97 होम्योपैथिक चिकित्सालयों द्वारा राज्य की जनता को होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2004-05 में 02 तथा 2005-06 में 03 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसके

अतिरिक्त लोक सेवा आयोग के माध्यम से 20 तथा संविदा पर 33 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियां की गई। होम्योपैथिक फार्मासिस्टों के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। हमारी सरकार के प्रयासों के कारण वर्ष 2001–02 की तुलना में राज्य के होम्योपैथिक चिकित्सालयों में मरीजों की संख्या में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मान्यवर, राज्य गठन से पूर्व होम्योपैथिक चिकित्सालयों को रु0 1500.00 मात्र की दर से औषधि मद में धनराशि स्वीकृत की जाती थी। हमारी सरकार द्वारा अब इसे बढ़ाकर शहरी क्षेत्र में स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालयों हेतु रु0 38 हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होम्योपैथिक चिकित्सालयों हेतु रु0 15 हजार कर दिया गया है। मान्यवर, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में जनसामान्य को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार की सहायता से वर्ष 2005–06 में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना हेतु रु0 2 करोड़ 80 लाख तथा त्वचा विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु रु0 60 लाख अवमुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की चिकित्सा सम्बन्धी कार्यकुशलता में ज्ञान वृद्धि हेतु इन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले चार वर्षों में उत्तरांचल चिकित्सा विभाग के अन्दर उपलब्धियाँ हुई हैं। हमने प्रयास किया कि दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। मान्यवर, चिकित्सा के क्षेत्र में नये आयाम आये। मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री उत्तरांचल आये थे। उन्होंने दून अस्पताल और अस्पतालों का निरीक्षण किया था। उन्होंने पंजाब और हरियाणा को उत्तरांचल की चिकित्सा सुविधा चलाने के लिए कहा और पंजाब की एक टीम आई थी। हमें आने वाले समय में काफी काम करना पड़ेगा। इस वर्ष भी हम उत्तरांचल के अस्पतालों को ठीक करेंगे। इतना ही कहते हुए, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि कटौती के प्रस्ताव को न लायें। तब और अब में कितना अन्तर है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, बोलना तो काफी कुछ था लेकिन 9 बजे शेष हैं। इनमें रात के 10–11 बजे जायेंगे, मैं थोड़े में समेटने की कोशिश करूँगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपना बजट भाषण पढ़ा, इससे ऐसा लगा कि उत्तरांचल में अब कुछ करने को शेष नहीं रह गया है। मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मान्यवर, आज 5 साल हो गये हैं, आज तक एक डी0एम0 यहाँ पर नहीं रख सके, कहीं पर नहीं है।

उत्तरांचल की कितनी दुःखदायी स्थिति है। मेरा मतलब जिलाधिकारी से नहीं है। दूसरा एक न्यूरो फिजीशियन नहीं ला पाये। स्थिति यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विधान सभा क्षेत्र है मालधन चौड़ में चिकित्सक का काम फार्मासिस्ट देख रहा है। मान्यवर, और फार्मासिस्ट का कार्य सफाई कर्मचारी देख रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है। विभाग का व्यक्ति एक मैनेजर की भूमिका में होता है। चाहे परिवार की बात हो, विभाग की बात हो या दुकान की बात हो। सामान भी आयेगा, खूब उसकी बिक्री भी होगी लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो सब बेकार जायेगा।

मान्यवर, टिहरी के 11 गांवों में पोलियो की वैक्सीन तो गयी लेकिन वैक्सीन लगाने वाले नहीं गये। वहां पर अभिभावक खड़े रहे, 2–3 बजे तक भी जब कोई नहीं आया तो वे वापस चले गये। जबकि, मान्यवर, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उन कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, यह मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में बताएंगे, लेकिन राष्ट्रीय कार्यक्रम को कितने हल्के–फुल्के ढंग से सरकार ले रही है, यह उसका एक उदाहरण मात्र है। ए0एन0एम0 निर्धारित स्थान पर नहीं बैठ रही हैं। यह गांवों की स्थिति है। ऊधमसिंह नगर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दुगौड़ा गांव में ए0एन0एम0 नहीं बैठती हैं। इससे लोगों को परेशानी होती है। मान्यवर, कमोबेश सभी जगह की यही स्थिति है। भवाली सैनेटोरियम है जिसमें कमला नेहरू ने इलाज कराया, कई देशी–विदेशी लोगों ने इसमें इलाज कराया। वहां पर एक विदेशी टी0बी0 पेशेन्ट को कई साल पूर्व रखा गया। जब एक साल बाद विदेशी लोग उसे लेने आये तो वह स्वस्थ पायी गयी, उसकी टी0बी0 सही हो चुकी थी तो उन्होंने कहा कि यह स्वस्थ कैसे हो गयी तो पता चला कि ग्वाले उसे पिरुल से ढक दिया करते थे। पिरुल से ओ–3 गैस निकलती है जो लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है। भवाली सेनेटोरियम की ऐसी दुर्दशा है कि 11–12 डाक्टरों की पोस्ट हैं लेकिन एक डाक्टर ही वहां पर कार्य देख रहा है। पिछले बजट भाषण में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि भवाली को हम चेस्ट सेन्टर बनाने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि हम डॉट्स की स्कीम के द्वारा टी0बी0 का इलाज कर रहे हैं। यह स्कीम भी मेरे द्वारा ही स्वास्थ्य मंत्री के दौरान शुरु की गयी थी, परन्तु जिनके फेफड़े गल गये हैं, खून बहता रहता है, घर में उनका इलाज हो नहीं सकता और एक डॉक्टर वहां पर है, वह किस–किस का इलाज करेगा। मान्यवर, यह दुर्दशा भवाली सेनेटोरियम की है।

रैबीज की बात आई है। पटवा डांगर में एण्टी रैबीज वैक्सीन बनती थी। यह कहा गया था कि टिश्यू कल्चर से हम एण्टी रैबीज वैक्सीन बनाएंगे। पंतनगर विश्वविद्यालय को इसकी जिम्मेदारी दी गयी थी, लेकिन आज तक भी टिश्यू कल्चर के द्वारा वैक्सीन बनना प्रारम्भ नहीं हुआ है और हम बाजार से वैक्सीन खरीद रहे हैं। कई अस्पतालों में यह वैक्सीन उपलब्ध भी नहीं है। देहरादून के शहरी क्षेत्र में यह उपलब्ध होगी लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और बाजार से उन्हें रैबीज का टीका खरीदना पड़ रहा है, इसमें जनता लुट रही है। यह तो व्यवस्थाओं का प्रश्न है और यह छोटी–मोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात भी है और बहुत छोटी बात भी है कि मात्र 13 जिलों वाले प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चलाने का जिम्मा

यहां के स्वास्थ्य विभाग के पास है। मान्यवर, उत्तरांचल के निवासी जो लैब टेक्निशियन और एक्सरे टेक्निशियन हैं वह वर्षों से कार्य कर रहे हैं कान्ट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं। इन लोगों से 99 प्रतिशत कार्य लिया जा रहा है लेकिन जब उन्हें नियुक्ति देने की बात की जाती है तो कहा जाता है कि इनको नियुक्ति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इनके डिप्लोमा फर्जी हैं, तो मान्यवर, जब इनसे कॉन्ट्रेक्ट पर काम लिया जा रहा था तो तब डिप्लोमा फर्जी नहीं थे? यदि यह फर्जी डिप्लोमा वाले थे तो आप इनसे काम कैसे करा रहे थे? जो भी भारत सरकार की या स्टेट की योजनायें हैं, उनमें कैसे काम करा रहे हैं तो इस प्रकार से डुऐल नीति सरकार क्यों चला रही है, इसमें कोई नीति निर्धारित क्यों नहीं की जा रही है? अभी कुछ ही दिन पहले सदन में बात आई कि माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी एक पैरामेडिकल कॉलेज के फंक्शन में गये जिसके बारे में बाद में कहा गया कि वह संस्थान फर्जी था तो ऐसे फर्जी संस्थानों के कार्यक्रमों में उत्साहवर्धन करने जाते ही क्यों हैं। आप कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करा कर आइये तो अभी तो आपके राज्य में स्टेट मेडिकल रजिस्ट्रेशन सेंटर ही नहीं है तो वह कहां से पंजीकरण करा कर लायेंगे? मान्यवर, सरकार को चाहिए कि इस तरह के केन्द्र यहां पर खोले जायें, यह तो व्यवहारिक चीजें हैं और व्यवहारिक तरीके से ही इनका निराकरण भी होना चाहिए।

चिकित्सकों के बारे में कहा जाय तो मंत्री जी ने कहा कि हमने चिकित्सकों की नियुक्तिया की हैं तो हमारा कहना है कि 5 साल में आपको काम तो करना ही होगा, जब पैसा आ रहा है तो उसे लगाना ही होगा। चिकित्साधिकारियों के बारे में आपने कहा है कि 1389 स्वीकृत पद हैं जिनमें 777 कार्य कर रहे हैं, उनमें से 241 को तो हम ही नियुक्ति दे गये थे तो क्या आपने पांच साल में 612 ही नियुक्त किये। यह बात हंसने की नहीं है, यह तो रिकार्ड में है, आप चाहें तो पुराने रिकार्ड मंगाकर देख लें। मान्यवर, महिला चिकित्साधिकारी के 280 पदों पर 135 को आपने नियुक्ति दी है जबकि हम इसमें 33 को नियुक्ति दे गये थे। तो क्या 5 साल में आपने 103 ही नियुक्त किये, इसी प्रकार से दंत चिकित्सकों में 44 की नियुक्ति आपने की और अपने मंत्रीकाल में हम 18 डाक्टरों की नियुक्ति कर गये थे। लैब टेक्निशियनों के 131 पदों के विरुद्ध 57 की नियुक्ति हम करके गये थे। मान्यवर, इससे मैं कोई बड़ी बात सिद्ध नहीं करना चाहता लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि 5 सालों में आपकी जो यह उपलब्धि है, यह बहुत ही कम है। आपने कहा कि दून चिकित्सालय को बनाया गया तो हमारा यह कहना है कि जब पैसा आ रहा है तो काम होना चाहिए लेकिन जिस द्रुत गति से काम होना चाहिए था, वैसे काम नहीं हुआ है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने जो कार्य किये हैं, मैं उन पर आपका उत्साहवर्धन भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मात्र आलोचना कर रहा हूँ।

जो हमारा उत्तरांचल हैल्थ सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपकी ही दी गई पुस्तिका में लिखा गया है कि इस परियोजना हेतु समझौता हस्ताक्षर 9 नवम्बर, 2001 को हुये थे तो उस समय हम ही स्वास्थ्य मंत्री थे और हमने ही इस

पर सिग्नेचर किये थे। इस चीज को आपकी ही किताब बता रही है। जब हमने कार्य शुरु कर दिया था तो 5 सालों में आपने उसे आगे बढ़ाना ही था। कुछ चीजें हैं दून हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल के बारे में, आपने कहा कि वहां पर रैनोवेशन किया, नया भवन बनाया तो मान्यवर, जो वर्ल्ड हैल्थ सिस्टम से पैसा आ रहा है, उसे तो आपको लगाना ही है, मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमने क्या किया था। (व्यवधान)

मान्यवर, सुन लें, सुबोध जी, मैं बहुत अच्छी बातें कहने जा रहा हूँ, आप सुन लें। दून और महिला चिकित्सालय के लिए क्रमशः 75.20 लाख रु0 तथा 37.609 लाख रुपये की स्वीकृतियां हमने उस समय कर दी थीं। मान्यवर, यदि माननीय मंत्री जी यहां पर कह देंगे कि आपके द्वारा स्वीकृति नहीं की गयी थी, तो प्रजातांत्रिक प्रणाली के आधार पर मैं यहीं पर इस्तीफा दे दूँगा। अब समय भी कम ही रह गया है, अगर माननीय मंत्री जी कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूँगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, हमने 37 इकाईयों का काम पूरा कर दिया है, आपने डेढ़ सालों में कितनी इकाईयों का काम पूरा कराया, बता दीजिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यहां पर क्रिटिसिज्म सुनने की क्षमता भी रखिए। आपने कहा कि पुरानी सरकार ने कुछ नहीं किया। पुरानी सरकार क्या करती, 8–9 महीनों में। मंत्री के रूप में आप भी हमारे साथ बैठे हुए थे। इतने कम समय में पुरानी सरकार क्या कर सकती थी। जितना समय हमें मिला, उसमें हमने बहुत द्रुत गति से काम किया। आज दून अस्पताल में ऊपर से मिट्टी गिरने लगी है। दीवारों में पपड़ी उखड़ने लगी है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मिला है, उसकी किश्तें भी देनी हैं। पूरे प्रदेश का पैसा इसमें लग रहा है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बस दो–तीन प्वाइंट रह गये हैं। आपकी जो दवा की क्रय नीति है, उसके बारे में कहना चाहता हूँ, यह हमारे समय में बनायी गयी है। सुप्रीम कोर्ट तक हमारी दवा की क्रय नीति गयी थी जिसमें हमने डब्लू0एच0ओ0जी0एम0पी0 लागू किया। तब सुप्रीम कोर्ट से भी हमारी दवा नीति कटी नहीं। माननीय सदन को बताना चाहता हूँ कि आज हमारे यहां जो रैक्सा, कैडिला, ल्यूपिन और रारानाई वगैरह की दवाएं आ रही हैं, हमारी उसी नीति के कारण आ रही हैं। मैं स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से टर्न डाऊन होने के बाद भी वे रिव्यू हेतु पुनः

सर्वोच्च न्यायालय गये और कहा कि जब हम अन्य स्थानों को ठीक दवा भेजते हैं तो अपने प्रदेश में गलत दवा कैसे दे सकते हैं। हमने एक काम और किया था। हर अस्पताल में स्टोर की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी के लिए हर अस्पताल में एक बोर्ड लगा दिया गया था, जिसमें दवाओं का खास विवरण था। उस दिन कितनी दवा खर्च हुई तथा स्टोर में दूसरे दिन कितनी शेष रही, इसका पूरा विवरण उस ब्लैक बोर्ड में आ जाता था, इससे मरीज को पता चल जाता था कि कितनी दवा बची हुई है। आज के अखबारों को पढ़ने से महसूस हो रहा है कि माननीय मंत्री जी उस योजना को कन्टीन्यू रखना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है। हमारे गाँवों में अभी तक मैडिकल फैसिलिटी नहीं पहुँच पायी है, उसके लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने एड्स के बारे में अपनी किताब में छापा है। एक तो माननीय मंत्री जी ये बता दें कि केन्द्र से कितना पैसा सहायता राशि के रूप में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुआ?

माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने ड्रामा दिखाया, विभिन्न स्कूलों में नाटक दिखाये, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि हमारे यहां कितने रोगी एच0आई0वी0 पॉजिटिव के पाये गये। नेशनल एड्स कन्ट्रोल सोसायटी की जो किताब छपी, उसमें इस प्रदेश के एड्स रोगियों की संख्या नहीं बतायी गयी। इस बारे में क्रिटिसिज्म भी हुआ है। यहां तक कि अखबारों में भी छपता रहता है। माननीय मंत्री जी के क्षेत्र ऊधमसिंह नगर में ही 2–3 लोगों की एड्स से मृत्यु हुई है। लेकिन किताब में इनके आंकड़े नहीं दिये गये हैं। मान्यवर, इतनी बड़ी बीमारी है। अखबार कह रहे हैं कि एच0आई0वी0 और टी0बी0 की बीमारियों के लिहाज से देहरादून, हरिद्वार सबसे अधिक संवेदनशील हैं। पहाड़ों तक एच0आई0वी0 पॉजिटिव केसेज पाये गये हैं। तो मान्यवर, संख्या देने में क्या हर्ज था। इसमें कौन सी गोपनीयता भंग हो रही थी। सदन में यह बात आनी चाहिए कि राज्य में कितने एच0आई0वी0 पॉजिटिव पाये गये और एड्स बीमारी से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोगों का परीक्षण किया गया। यह तमाम बातें आनी चाहिए थीं।

मान्यवर, आज राष्ट्रीय दृष्टिहीन कार्यक्रम का क्या हाल है, कुष्ठ निवारण का क्या हाल है, क्षय रोग का क्या हाल है और मलेरिया नियंत्रण के बारे में सरकार क्या कर रही है? मान्यवर, जब हम व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो बिल्डिंग बनाकर अच्छे–अच्छे दरवाजे लगाकर और अच्छा रंग पुता दीवारों में कर दें तो उससे कोई फायदा जनता को होने वाला नहीं है। सबसे अधिक जरूरी है व्यवस्था को ठीक करने की। मैं, माननीय मंत्री जी, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूँ, हो सकता है यह कैबिनेट में आये। मान्यवर, आज ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की भारी कमी है। जो चिकित्सक वहां जाते भी हैं, इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण, वे वहां अधिक दिनों तक नहीं रुकते हैं। वे कुछ दिनों बाद सुविधाजनक स्थानों पर पुनः वापस आ जाते

हैं। आप चाहे उन्हें 50 हजार रुपया दे दें किन्तु सुविधाओं का अभाव होने के कारण, वे वहाँ रुकते नहीं हैं। आज सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में डाक्टर जाने को तैयार नहीं हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जब चिकित्सालय खोले तो रूरल हैल्थ प्रैक्टिस जैसी कोई योजना बनाये। ताकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला आदमी ही वहाँ के लोगों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराये। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। जैसे कि पहले आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई थी। वह ट्रेनिंग तो बहुत छोटी होती थी। इस योजना के अन्तर्गत वृहत रूप से ट्रेनिंग दी जाए। जैसा कि फिलिपींस में है। वहाँ यह व्यवस्था है कि एक वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह का एक एक्ट आसाम राज्य में भी पास हुआ है। जो रूरल हैल्थ प्रैक्टीशनर एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत तीन साल तक असम राज्य के ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ग्रामीण परिवेश के लोगों को ट्रेनिंग देने का प्राविधान है और इसमें यह शर्त रखी गई है, वे उसी परिवेश में रहेंगे कि जहाँ वे रहते हैं। तीन साल की मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह क्षेत्र में काम करेंगे, वे लोगों का उपचार करेंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो वहाँ पर महत्वपूर्ण योजना बनी है, उसका एक्ट मँगाकर अध्ययन करे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह से यहाँ के लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो तस्वीर पेश की है, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो इंतजाम इस इंतजामिया द्वारा किये गये हैं, वह सराहनीय हैं। मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ट्रॉमा सेंटर की माँग करनी है या फिर माननीय मंत्री जी को खुश करना है। फिर भी बहुत कुछ किये जाने की आवश्यकता है। मैं सुझाव के तौर पर कुछ बातों को आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। पहली बात तो डाक्टर्स की भर्ती का मामला है। जैसा कि माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी द्वारा कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक रुकते नहीं हैं, वहाँ पर चिकित्सकों को नहीं भेजा जा रहा है। यह एक ऐसा प्रश्न है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर्स किस प्रकार से पहुँचे। मान्यवर, अपने राज्य में व्याधि निधि की स्थापना की गयी है। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि एक केस ऐसा आया है जिसको जिले से चण्डीगढ़ के लिए रेफर कर दिया और चण्डीगढ़ ने उस मरीज को लेने से मना कर दिया और मान्यवर, सम्भवतया उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने सी0एम0ओ0 से डिस्कशन किया कि जो हम यहाँ से व्याधि निधि के लिए चयनित करते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को उस संस्थान में जाना पड़ता है, संस्थान में उसकी चैकिंग होती है, तब संस्थान स्टीमेट देता है। उसके बाद स्टीमेट डायरेक्टर के पास आता है और डायरेक्टर उसे स्वीकृत कर संस्थान को देता है, यह सुविधा बी0पी0एल0 के लिए है। मान्यवर, आप कल्पना कीजिए, पिथौरागढ़ की चयन समिति ने व्याधि निधि के अन्तर्गत

किसी का चयन किया और उसे पी0जी0आई0, लखनऊ के लिए भेजा। तब वह व्यक्ति लखनऊ जायेगा। मान्यवर, लखनऊ वह अकेला जायेगा नहीं, उसके साथ एक अन्य व्यक्ति भी होगा। वहां पर कितने दिन लगते हैं, इसकी कल्पना भी आप स्वयं कर सकते हैं। वहां पर बहुत दिन तक रहने के बाद उसका नम्बर आयेगा, फिर उसकी चैकिंग होगी, उसके बाद उसका स्टीमेट बनेगा, तब वह स्वीकृति हेतु डायरेक्टर के पास आयेगा। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि जो संस्थान मरीजों को नहीं ले रहे हैं, इस सम्बन्ध में भी व्यवस्था करें।

मान्यवर, इसमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि व्याधि निधि में से जिले में कुछ पैसा स्थानान्तरित कर दें। तभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मैं चाहता हूँ, इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विचार कर लें। मान्यवर, मोबाइल क्लिनिक के बारे में कहना चाहता हूँ कि एक मोबाइल क्लिनिक जनपद पिथौरागढ़ को और दे दीजिए चूंकि वह एक सीमान्त क्षेत्र है। मान्यवर, ट्रॉमा सेंटर के बारे में कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा अस्पताल नहीं है। इसमें आकस्मिक उपचार होता है। मान्यवर, यह अस्पताल केन्द्र बिन्दु पर होना चाहिए। जहां पर दुर्घटना का शिकार हुए लोगों को आसानी से लाया जा सके, चाहे जिले के किसी भी कोने में दुर्घटना हुई हो। मान्यवर, हमारे जनपद के सीमान्त क्षेत्र, चाहे वह धारचूला हो, मुनस्यारी हो, या डीडीहाट हो, ये क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं से घिरे हुए हैं। मान्यवर, इनका केन्द्र बिन्दु अस्कोट है। मान्यवर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको दृष्टिगत रखते हुए यह ट्रॉमा सेंटर अस्कोट में ही बनाया जाय। जिससे कि क्षेत्र के लोगों को समुचित लाभ मिल सकें। मान्यवर, यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि यह एक सीमान्त एरिया होने के साथ-साथ बोर्डर एरिया भी है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे और ट्रॉमा सेंटर अस्कोट में अवश्य स्थापित करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, विगत कई वर्षों से मैं इस बात को उठा रहा हूँ कि जनपद चमोली, नन्दप्रयाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की मांग की जा रही है, साथ ही घाट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूँगा।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या-12 का समर्थन करता हूँ और माननीय मंत्री जी को अब तक के स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था और उसके सुप्रबन्ध के प्रति उनकी प्रशंसा करता हूँ। मान्यवर, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब मेरे विधान सभा क्षेत्र में कौब्वलन्नगाव के चिकित्सालय के शिलान्यास हेतु पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि जब मोबाईल सेवा प्रारम्भ करेंगे तो सबसे पहले हमारे क्षेत्र

में व्यवस्था करेंगे। मान्यवर, प्रतापनगर में 1 लाख 20 हजार की जनसंख्या निवास करती है। मान्यवर, जब हम मोटना से मरूड़ीखाना आते थे तो पहले 10 मिनट लगता था और आज उसी दूरी को तय करने में चार साढ़े चार घण्टे लगते हैं और आज परिस्थिति यह हो गई कि वहाँ पर कहीं भी डाक्टर नहीं है, अगर कोई ज्यादा बीमार हो गया तो वह बच नहीं सकता है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक लाख बीस हजार की जनसंख्या भी इसी राज्य का हिस्सा है। उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था के लिए इंतजाम किया जाए। मेरी प्रार्थना माननीय मंत्री जी से है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोटना और दीनगाँव में खोले जायें, सामुदायिक चिकित्सालयों के भवन बनाये जायें। मान्यवर, चौण्ड लम्बगांव, छरेपधार, प्रतापनगर, मदन नेगी–सेमाण्डीधार चिकित्सालय का उच्चीकरण किया जाय। माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिकित्सालय खोलने की घोषणा 26 फरवरी, 2004 में की थी, पर उस घोषणा का परिपालन नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि मानक के आधार पर वहाँ पर भी व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी आपने मुझे अपने कक्ष में बुलाया था और हमसे कुछ मांगें मांगी थीं और मेरी मांग थी कि प्रतापनगर में 14 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायें, तो मेरी प्रार्थना है कि 14 नहीं तो 7 तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दें, तो ऐसे मान्यवर, मेरी यह भी मांग है कि प्राथमिक चिकित्सालय हसेथ कोटगांव–लम्बगांव–सेमण्डीधार के चिकित्सालय भवनों का निर्माण कराया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री नारायण राम आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान गंगोलीहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पोखरी, बनकोट, दिगताल की ओर दिलाना चाहता हूँ। वहाँ पर भवन 10 वर्षों से अपूर्ण हैं, इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पूर्ण करने के प्रभावी आदेश के लिए निवेदन करता आया हूँ, लेकिन आज की तिथि तक इन भवनों के लिए कोई भी धनराशि आवंटित नहीं की गई है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन भवनों को पूर्ण करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गंगोलीहाट विधान सभा क्षेत्र में जहाँ पर 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 30 प्रतिशत पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं, वहाँ पर मोबाईल वाहन की व्यवस्था करें। मान्यवर, प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र गणाई गंगोली का इसी वित्तीय वर्ष में उच्चीकरण करने का कष्ट करें।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जैसा कि हम सबको जानकारी है कि पटवा डांगर बड़ा प्रसिद्ध संस्थान था, वह अब पंत नगर को

दिये गये हैं।

ट्रांस्फर हो गया है वहाँ पर अधिकतर कर्मचारी समायोजित कर दिये गये हैं।
7 सुपरवाइजर के पद वहाँ पर हैं, वह प्रदेश में कहीं भी समायोजित नहीं किये जा
सकते हैं, उनको महानिदेशालय में समायोजित किया जाय, उनका समायोजन अभी
तक नहीं हो पाया है। इसी तरह लगभग 10 श्रमिक हैं, उनका विकल्प स्वास्थ्य विभाग
के लिए है उनका भी समायोजन नहीं हो पाया है। मान्यवर, जी0बी0 पंत हॉस्पिटल है,
उनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार किया जायेगा और सुपर स्पेशलिस्टों की नियुक्ति की जायेगी,
मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कब तक यह कार्य प्रारम्भ किया जायेगा?

श्री पुष्पेश त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, जिनमें 90 पद स्वीकृत हैं,
जिनमें कि 65 पद रिक्त चल रहे हैं, जिनमें 25 पदों पर बी0 एम0ओ0एच0 कार्य कर
रहे हैं, वह उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी हैं, जिनकी दो बार उत्तरांचल शासन द्वारा
लिस्ट भी तैयार की गई है, इनको कोई लाभ न मिल पाने के कारण वह सही ढंग से
कार्य नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ 400 बी0ए0एम0एस0 चिकित्सक युवा बेरोजगार हैं
जो में 225 पद भरे जाने हैं। अगर विकल्पधारियों को कार्यमुक्त कर दिया जाता है
एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आयुष योजना के तहत 225 पद प्रत्येक आयुर्वेदिक
चिकित्सालयों में भरे जाने हैं। कुल 225 तथा रिक्त 90 पदों में जो यहाँ के मूल
निवासी थे जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से परिचित भी हैं, उनको वहाँ पर
नियुक्ति दी जा सकती है।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट भाषण पर बोलने का
अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी को
धन्यवाद देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग ने काफी सुधार कार्य, विकास कार्य
ग्रामीण क्षेत्रों में किया है। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र ओखलकांडा
विकास खण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत कर उसको निर्माण के लिए बजट
भी स्वीकृत किया है। मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि दूरस्थ क्षेत्र
डोलीगाँव, पतलोट एवं भीड़ापानी के भी चिकित्सा भवन के निर्माण के लिए आवश्यक
धनराशि स्वीकृत करने की कृपा करें। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी के विकासोन्मुख बजट के
लिये उनको धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती विजया बड़थ्वाल—

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है, पिछले वर्ष भी हम अपने क्षेत्र के जो
अस्पताल हैं, उनके बारे में लगातार अवगत कराते रहे हैं, उनमें कोई सुधार नहीं
हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक कांडी एस0एच0सी0 है जो ब्रिटिश काल का
बना अस्पताल है, जहाँ से 10–15 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को मोटर रोड
में आना पड़ता है।

मान्यवर, उस अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि वहां पर केवल एक सफाई कर्मचारी है और इसके अलावा कोई कर्मचारी नहीं है। वहां पर लोगों को अगर बुखार की भी दवा लेनी होती है तो 15–20 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। बार–बार मैंने इस विषय को उठाया। अब तो लगता है कि सदन में बोलने से भी उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। अगर डाक्टर वहां पर नहीं रुकते हैं तो आयुर्वेदिक डाक्टर की नियुक्ति की जाये। ब्रिटिश काल का यह हॉस्पिटल है। वहां पर कोई मरम्मत का कार्य भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे स्थानों पर जहां पहले से अस्पताल बने हुए हैं और आज ऐसी दुर्दशा हो गयी है, टीकाकरण की भी वहां पर सुविधा नहीं है। ए0एन0एम0 भी वहां नहीं बैठती है। एक एस0ए0डी0 किनसुर में है। वहां एक फार्मासिस्ट नियुक्त है। डाक्टरों की नियुक्ति हुई, लेकिन किसी ने ज्वाइन नहीं किया। आज वहां पर कोई भी दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। ऐसी ही एक एस0ए0डी0 ग्राम जसपुर में है। माननीय मोती लाल बोरा जी, राज्यपाल थे तो उन्होंने कहा था कि इसका उच्चीकरण होगा। एक प्राईवेट बिल्डिंग में यह अस्पताल चल रहा है। शायद एक सफाई कर्मचारी वहां पर नियुक्त है। मेरा सुझाव है कि ऐसे अस्पतालों में एक–एक फार्मासिस्ट की नियुक्ति अवश्य की जाये और आयुर्वेदिक डाक्टर की नियुक्ति की जाये। मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देती हूं।

श्री हरीदास–

मान्यवर, मैं अपने आपको माननीय भट्ट जी से सम्बद्ध करते हुए कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। हमारे रुड़की में पोस्टमार्टम भवन बन गया है, बजट मिल रहा है और उसे आनन–फानन में खर्च किया जा रहा है। रुड़की में पोस्टमार्टम भवन बन गया है लेकिन रुड़की के लोगों को आज भी हरिद्वार जाना पड़ता है, वहां पर कोई भी डाक्टर नहीं है, कोई भी पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और है। हमारे यहां हड्डी का एक डाक्टर है। 3–4 तारीख को बी0पी0एल0 कार्डधारकों का एक एक्सीडेंट हो गया। तो वहां पर एक डाक्टर है, उसका नाम मुझे पता नहीं है। 3, 4, 5 तक हम यहां रहे और 6 को हम वहां पर गये तो लोगों ने बताया कि इनमें से 2 आदमी मर गये हैं। माननीय विधायक चन्द्रशेखर जी एवं डॉ0 यशवीर सिंह जी भी साथ में थे। हमने प्रयास किया कि उस डाक्टर को हटाकर दूसरे डाक्टर को इलाज दिया जाये तो उस डाक्टर ने कहा कि मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। यह बात उसने हमारे सामने नहीं कही। उस डाक्टर ने 5 दिन तक उन लोगों को लिटाये रखा। तो उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और तब जाकर वह ठीक हुआ। मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि कम से कम ऐसे डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाई होनी चाहिए जो कि विधायकों की बात पर भी इलाज नहीं करते हैं। इसके अलावा जो हमारा पोस्टमार्टम गृह है, वह आज भी काम नहीं कर रहा है, मैं इसके बारे में भी मंत्री जी से जानना चाहूंगा। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे चिकित्सा विभाग के बजट पर अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, सरकार द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्तरांचल में स्वास्थ्य सुविधाओं को काफी सुविधा संपन्न बनाया जा रहा है और नये उपकरणों के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने काफी अच्छे काम किये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने बागेश्वर जनपद की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, बागेश्वर में जो अस्पताल है, वह अभी निर्माणाधीन है जिसके कारण वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है जिसे जल्दी ही निर्मित किया जाय और वहाँ पर महिला डाक्टर की समस्या है, प्रसव काल में महिलाओं को अल्मोड़ा या अन्य किसी और जगह पर ले जाना पड़ता है, मैं मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वहां पर महिला डाक्टर की व्यवस्था की जाय। इसके साथ ही जो भी उपकरण उस अस्पताल में आये हैं, उनको चलाने वाले टैक्निशियन और डाक्टरों की आवश्यकता वहां पर है। इसी प्रकार से जो बैजनाथ का चिकित्सालय है जिसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री मोहन सिंह मेहता के नाम पर करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी तो उसका नामकरण आज तक नहीं हो पाया है। यह कार्य भी हो और वहां पर डाक्टर भी आयें, इसका प्रयास मंत्री जी को करना चाहिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, चूंकि माननीय मंत्री जी अपनी बात कह देंगे इसलिए एक छोटी सी बात को मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। (व्यवधान)

मान्यवर, रानीखेत हॉस्पिटल के बारे में मैं लगातार 5 सालों से कह रहा हूँ। श्रीमन्, हम तो माननीय मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी की सहृदयता के कायल हो गये। अभी एक पूर्व मुख्यमंत्री जो कि यहां के थे या कहीं और के, यह पता नहीं है तो तब वह एक्स होकर जा रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री ने उनके जनपद के जिलाधिकारी को फोन करके पूछा कि उनके क्षेत्र की कौन–कौन सी योजनायें लम्बित हैं, बतायें और मैं अभी उनको पूरा करने के आदेश देता हूँ। तो मान्यवर, राजनीति में तो इतना विशाल हृदय रखना पड़ता है तब जाकर इतना लम्बा राजनीतिक जीवन जिया जा सकता है। छोटी–छोटी बातों को ही दिल में बिठाकर कि यह स्वास्थ्य मंत्री थे या इन्होंने ऐसा कहा तो यह कार्य न किया जाय तो ऐसा नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, विगत 5 वर्षों से हम लगातार मांग कर रहे हैं, रानीखेत चिकित्सालय के विषय में, इस हॉस्पिटल की बनावट कुछ ऐसी है कि जब तक दो मंजिला बिल्डिंग नहीं बनेगी, तब तक एक मंजिले में भी डाक्टर नहीं बैठ सकते हैं। तो उसका निर्माण कराने की मांग मैं करता रहा हूँ। हमारे माननीय सांसद श्री बची सिंह रावत जी ने वहां पर रोगियों के अटेन्डेन्ट के लिए एक मकान दिया था, आज उसी में अस्पताल चलाया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जा रहा है। इसी बात को बार–बार कहने में मुझे भी शर्म आती है। इसी प्रकार से डींगा अस्पताल मेरे क्षेत्र में है तो वहां पर जो पटांगढ़ है जिसे हमारी भाषा में आंगन को कहा जाता है, तो उसका आंगन धीरे–धीरे खिसक रहा है। तो उसके लिए बचाव करना होगा नहीं तो वह 40 लाख का भवन नीचे आ जायेगा। मान्यवर, मैं तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कुछ तो उदारता और सहृदयता दिखायें।

मान्यवर मुझे बड़ा दुःख हुआ कि आपका जो बजट साहित्य है, उसके पृष्ठ 65 से आगे के 10 पृष्ठों में 2005–06 में जनपदवार जारी किये गये धन का विवरण दिया है। लेकिन इसमें अल्मोड़ा जिले के रानीखेत अस्पताल का कोई जिक्र नहीं है। आखिर ऐसी कौन सी खता हो गयी, जो इसको शामिल नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि अब तो इसको कर ही दें। आपका अंतिम बजट है। आपको और हमको भी चुनाव में जाना है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने कई सारे सुझाव दिये हैं। विशेष रूप से चिकित्सकों की कमी की बात कही गयी है, मान्यवर, राज्य बनने के बाद पदों के सृजन का भी इजाफा हुआ। काफी पदों का सृजन हुआ है। संविदा पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों को चयन किया गया। अभी माननीय सदस्यों ने जिक्र किया कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं हैं। मैंने बजट भाषण के दौरान भी दोहराया था कि ऐसे चिकित्सालयों को चिन्हित किया जा रहा है। 183 ऐसे अस्पताल हैं, जिनके अन्दर हम आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद सृजित करने जा रहे हैं। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य के ही चिकित्सकों को इसमें तैनात किया जाएगा। इसमें जो कमियाँ आ रही हैं, वह दूर होंगी। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों की बात आयी, विशेषज्ञों की उत्तरांचल के अन्दर ही नहीं अन्य राज्यों में भी कमी है। यह सब जानते हैं। हमने प्रयास किया कि सुपर स्पेशलिस्ट के माध्यम से चिकित्सकों को लाया जाए। लेकिन ज्यादा सुपर स्पेशलिस्ट नहीं आए। हमने एक बार पुनः विज्ञप्ति निकाली है। मालदनधौड़ चिकित्सालय की बात आयी। मैंने भी इसके बारे में टी0वी0 में देखा था। वहां का चिकित्सक एक माह की छुट्टी पर गया था। ऐसा नहीं है कि काफी समय से वहां पर चिकित्सक नहीं था। यह बात भी आयी कि कुछ क्षेत्रों में पोलियो ड्रॉप नहीं पिलायी गयी। निश्चित रूप से इसकी जांच करायी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। भवाली सेनेटोरियम में चेस्ट इंस्टीट्यूट बनाने की बात चल रही है। लेकिन यहां पर डॉट्स को बन्द नहीं किया जाएगा। कुछ समय से डॉट्स के मरीजों में कमी आयी है। मरीजों को अब घर पर ही दवा मिल जाती है। फिर भी भवाली में डॉट्स का इलाज बन्द नहीं होगा, वह चलता रहेगा। पटवा डांगर में बी0पी0एल0 के व्यक्तियों को वैक्सीन उपलब्ध करायी जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से वैक्सीन तैयार की जाय। इसके लिए पंतनगर से हमारी बात चल रही है।

रैम्जे का जिक्र आया। हमने बहुत सारी एजेंसियों से रैम्जे के अस्पताल को शुरु करने के लिए कहा लेकिन कोई भी एजेंसी इसके लिए तैयार नहीं हुई। अब हमने इसको हैल्थ सिस्टम को सौंप दिया है। बहुत जल्दी इसके लिए आंकलन तैयार कर लिया जाएगा। माननीय ऐरी जी ने व्याधि निधि की बात कही। मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि इसके सरलीकरण के लिए आदेश दे दिये गये हैं। डी0एम0 और एस0डी0एम0 स्तर पर पैसा मिल जाएगा। ट्रॉमा सेंटर की बात भी आपने कही। माननीय फूल सिंह बिष्ट जी ने भी कुछ सुझाव दिये हैं। मान्यवर, मैं एक दिन उनके साथ प्रतापनगर गया। निश्चित रूप से वहां पर चिकित्सालयों की कमी है। दुर्गम क्षेत्र है, वहां पर आने–जाने के साधन भी नहीं हैं। हमारी 19 गाड़ियां आने वाली हैं, उनमें से 3 गाड़ियां जल्दी ही आने वाली हैं, उनमें से पहली गाड़ी प्रतापनगर क्षेत्र को देंगे। मान्यवर, पहली गाड़ी हम उसी क्षेत्र में देंगे। मान्यवर, अस्पतालों के उच्चीकरण की बात भी यहाँ पर कही गई है। कुछ धनराशि भी रिलीज हुई है। माननीय सदस्यों के साथ जो वार्ता हुई, उसके अनुसार अधिकांशतः स्वीकृतियाँ जारी हो गई हैं, जो रह गई हैं, उनको हम करेंगे। अन्य बहुत से सुझाव माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये हैं निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी सुझाव हैं। उन पर सरकार विचार करेगी और उनको पूरा करने का भी प्रयास किया जायेगा।

माननीय अजय भट्ट जी द्वारा यह कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सक रुकते नहीं हैं। हमने डाक्टरों का मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने का फैसला किया है। साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सकों का भी मानदेय बढ़ाया गया है। मान्यवर, माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें। जहाँ तक उनके रानीखेत के अस्पताल का सवाल है, उसकी फाइल चल रही है। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत दुराग्रह नहीं है। मैं स्वयं इसकी जाँच करूँगा कि किन कारणों से वह स्वीकृत नहीं हुआ इसकी जाँच की जायेगी।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उससे मुझे बहुत संतोष नहीं हुआ है। यदि वे सीधे–सीधे रानीखेत अस्पताल की घोषणा कर देते तो मैं कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने पर विचार कर सकता था।

श्री तिलक राज बेहड़–

यदि आप मुझे आश्वासन दे दें कि यदि मैं घोषणा कर दूँ तो आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 4782299 हजार (चार सौ अठहत्तर करोड़ बाईस लाख निन्यानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, क्या इत्तेफाक है। आठ बजे से भी अधिक का समय हो गया है। क्या आबकारी विभाग के बजट को जानबूझकर इतनी देर में रखा गया है। (हँसी)

अनुदान संख्या–8, आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–8, आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 45107 हजार (चार करोड़ इक्यावन लाख सात हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जावे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से परम सम्मानित सदन को आबकारी नीति के अन्तर्गत किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, आबकारी विभाग के लिए कुल बजट में से 50 लाख रुपये की धनराशि चालू निर्माण कार्यों के लिए प्राविधानित है, मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य अवगत ही हैं कि आबकारी विभाग की मौलिक नीति प्रभावी परिवर्तन के साथ इसको प्राथमिकता देते हुए राज्य के विकास के लिए समुचित राज्यांश प्राप्त कर के संसाधन जुटाने हैं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2004–2005 में आबकारी विभाग द्वारा 292 करोड़ 9 लाख का राजस्व अर्जित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2005–2006 में 292 करोड़ 60 लाख का राज्यांश प्राप्त किया है।

मान्यवर, वर्ष 2006 में स्थाई व्यवस्था न होने के कारण लाईसेंस फीस का लगभग रु0 32 करोड़ मार्च 2006 में प्राप्त हुआ है। मान्यवर, आगामी वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए आबकारी विभाग के लिए 400 करोड़ रु0 अर्जित करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में राज्यांश अर्जित करने में पारदर्शी नीति बनायी गयी है। मान्यवर, देशी एवं विदेशी मदिरा कार्य प्रारम्भ कर दिया है। देशी तथा विदेशी मदिरा की अवस्थापना के लिए पारदर्शी व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2006–07 की आबकारी नीति के तहत मदिरा की दुकानों का दुकानवार राज्यांश निर्धारित आवंटन की प्रक्रिया अपनायी गयी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारे पास आबकारी से सम्बन्धित बजट साहित्य नहीं है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम एवं भूतपूर्व सैनिकों की पंजीकृत सहकारी संस्था से आवेदन–पत्र आमंत्रित किये हैं। मान्यवर, इस नीति के तहत एक जनपद में एक देशी अथवा विदेशी मदिरा की दुकान आवंटित की जायेगी। मान्यवर, सारी सुविधाएं वित्तीय वर्ष 2004–2005 के अनुरूप ही रखी गयी हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, जो बजट भाषण माननीय सदस्य के पास है, उसका साहित्य हमें नहीं मिला है। अगर किसी माननीय सदस्य के पास हो तो हमें भी उपलब्ध करा दें। यदि नहीं है तो यह एक गम्भीर विषय है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कम से कम विभाग के अधिकारी तो इसे देख लें। विभाग का कौन कर्मचारी यहां पर है, शायद विभाग का यहां पर कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है। मान्यवर, हम इतनी रात तक बैठे हुए हैं। मान्यवर, पिछले पांच सालों में पहली बार आबकारी बजट पेश हो रहा है।

मान्यवर, बिना बजट भाषण के कैसे चर्चा होगी, यह व्यवस्था का प्रश्न है, बहुत गम्भीर प्रश्न है। मान्यवर, विनम्रतापूर्वक बात कह रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बजट के रूप में जब कोई चीज प्रस्तुत की जाए, भले वह आलेख हो, वह माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह बजट कल रख लेंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवश्य निर्देश दिये जाने चाहिए कि सम्बन्धित जो विभाग के अधिकारी हैं, आपके निर्देशों का पालन ना करने वाले लोग भी दण्डित हों।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कितनी बार स्टाफ से पता करवाया कि लिटरेचर आया कि नहीं तो उसने कहा कि पता नहीं। मैं तो कहने वाला था माननीय आबकारी मंत्री से कि कितनी बड़ी तत्परता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसको स्थगित कर देते हैं।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह कहना उचित नहीं होगा कि आबकारी की नीति ठीक हो गई, जब तक कि यह तय न हो जाए।

अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग

श्री तेजपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 748400 हजार (चौहत्तर करोड़ चौरासी लाख मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, राज्य गठन के उपरान्त उत्तरांचल को महत्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्य बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में प्रभावी कार्यवाही की गयी है जिसके परिणामस्वरूप पर्यटकों के आगमन के आधार पर राज्य का देश में पाँचवा स्थान है। वर्ष 2004 की तुलना में वर्ष 2005 में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 18 प्रतिशत एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में 24 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पिछले तीन वर्षों में पर्यटकों के आवागमन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2004 में 64 हजार विदेशी पर्यटक, कुल 1.30 करोड़ पर्यटक आये, वर्ष 2004 में 74 हजार विदेशी, कुल 1.39 करोड़ पर्यटक आये, वर्ष 2005 में 93 हजार विदेशी, कुल 1.64 करोड़ पर्यटक आये।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया गया है। उत्तरांचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्षों में तैयार कराये गये मास्टर प्लानों तथा अध्ययनों को कार्यक्रम में परिणित करने की दिशा में वर्ष 2004–05 में भारत सरकार की वित्तीय सहायता से स्वीकृत चारधाम यात्रा मास्टर प्लान के अन्तर्गत बद्रीनाथ ट्रैवल सर्किट के समेकित विकास हेतु रु0 702.09 लाख, पौड़ी–खिर्सू–लैंसडौन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिये रु0 457.93 लाख, दयारा बुग्याल डेस्टिनेशन के लिए रु0 536.36 लाख तथा पिथौरागढ़–मुन्स्यारी–बेरीनाग सर्किट के लिए रु0 418.60 लाख की योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा दी गयी सहायता से निम्न महत्वपूर्ण महायोजनाओं में धनराशि स्वीकृत की गयी है व निर्माण कार्य प्रगति पर है। आई0एच0एम0, देहरादून में 1000.00 लाख, चारधाम यात्रा के अन्तर्गत बद्रीनाथ धाम सर्किट का विकास 702.00 लाख,

चारधाम यात्रा के अन्तर्गत केदारनाथ धाम डेस्टिनेशन का विकास रु0 453.13 लाख, चारधाम यात्रा के अन्तर्गत गंगोत्री धाम डेस्टिनेशन का विकास 461.42 लाख, पौड़ी–खिर्सू–लैंसडाउन सर्किट का विकास 457.93 लाख, दयारा बुग्याल डेस्टिनेशन का विकास 536.36 लाख, पिथौरागढ़–मुन्स्यारी–बेरीनाग सर्किट का विकास 418.60 लाख, नैनीताल अल्मोड़ा रानीखेत सर्किट का पर्यटन विकास 697.51 लाख, हेमकुण्ड घांघरिया–फूलों की घाटी सर्किट का विकास 653.64 लाख है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की वित्तीय सहायता से ऋषिकेश नीलकंठ रोप–वे, रामबाड़ा–केदारनाथ रोप–वे, उत्तरांचल में गोल्फ टूरिज्म तथा माउन्टेन एयरलाइन्स की प्री–फीजिबिलिटी स्टडी यू–टेक के माध्यम से करवाई गई है। उक्त दोनों रोप–वेज की स्थापना हेतु यू–टेक के माध्यम से योग्य संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन विकास के लिये भी भारत सरकार द्वारा पर्यटन ग्राम अगोड़ा (डोडीताल), जनपद उत्तरकाशी के लिये रु0 48.50 लाख, ग्राम मोटाड़ (उत्तरकाशी) के लिये रु0 48.05 लाख, ग्राम कोटी इन्द्रौली–तत्यूड़, जनपद देहरादून के लिये रु0 47.10 लाख एवं ग्राम सारी देवरियाताल, जनपद रुद्रप्रयाग के लिये रु0 46.14 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। इस प्रकार इस वर्ष में भारत सरकार से कुल रु0 3112.36 लाख की धनराशि प्राप्त की गई है। इस प्रकार पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास योजनाओं के लिये केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता में वृद्धि हो रही है।

उत्तरांचल में पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा चलाई जा रही वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिये योजना प्रारम्भ से अब तक 737 उद्यमियों को बैंकों द्वारा वित्त पोषण करने के पश्चात् लाभान्वित कराया गया है। इस वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में इस योजना को और अधिक उदार बनाते हुए राज्य सहायता 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है तथा राज्य सहायता की अधिकतम राशि रु0 2.00 लाख से बढ़ाकर रु0 3.75 लाख कर दी गई है ताकि अधिक से अधिक निजी उद्यमी इस योजना का लाभ प्राप्त कर उत्तरांचल में पर्यटन विकास में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकें। इस वर्ष अब तक 237 उद्यमी लाभान्वित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा, अतिथि देवो भवः, नाम से पर्यटन सेवादाताओं के लिये तथा आम जनता को पर्यटकों से सद्व्यवहार हेतु प्रेरित करने का नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इसके क्रम में राज्य में पर्यटन सेवादाताओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण दिये जाने का कार्यक्रम संचालित किया गया जिसके अन्तर्गत लगभग 484 होटल स्टाफ, ढाबा स्टाफ, टैक्सी चालक, बस चालक आदि सेवादाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के कर्मचारियों के लिये अलग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से देहरादून में स्थापित किये जा रहे होटल प्रबन्ध संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम जुलाई 2006 से प्रारम्भ किये जाने का

प्रयास किया जा रहा है। इससे पर्यटन व्यवसाय के लिये उच्च स्तरीय मानव संसाधन उपलब्ध हो सकेगा। गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटन विभाग की आवासीय इकाईयों के संचालन में सुधार लाने के लिये पर्यटन विभाग द्वारा एक तकनीकी समिति के द्वारा निरीक्षण करवा कर पर्यटकों को गुणवत्तापरक सुविधायें सुलभ कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, दोनों निगमों द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों के उच्चीकरण हेतु रुपये 1.75 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। देश–विदेश से आये पर्यटकों को उनके भ्रमण सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने के लिये महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों एवं यात्रा मार्गों पर आधुनिक सुविधायुक्त पर्यटन सुविधा, पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। वर्तमान में ऐसी 28 योजनाओं पर माह फरवरी, 2006 तक कार्य पूर्ण हो चुका है। इन इकाईयों को स्थानीय बेरोजगार उद्यमियों से संचालनार्थ उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। उत्तरांचल में पर्यटन विकास की दृष्टि से अवस्थापना सुविधाओं के सृजन की दिशा में काफी प्रयास हुआ है जिसके अन्तर्गत उत्तरांचल के यात्रा मार्गों एवं पर्यटन मार्गों पर आवासीय सुविधा, परिवहन सुविधा, पेयजल, विद्युतीकरण, चिकित्सा, प्रसाधन आदि सुविधाओं का सृजन किया गया है। पर्यटन गमनागमन में उत्तरोत्तर हो रही वृद्धि को देखते हुए राज्य शासन द्वारा यात्रा मार्गों एवं पर्यटक स्थलों के समेकित विकास के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं की स्थापना हेतु वर्तमान में लगभग 623 पर्यटन विकास योजनायें कार्यान्वित करायी जा रही हैं। इस वर्ष 2005–2006 में जनजाति क्षेत्रों में विशेष पर्यटन विकास हेतु रुपये 600 लाख का परिव्यय स्वीकृत किया गया है जिसके सापेक्ष 26 योजनाओं के लिये रुपये 525.15 लाख की स्वीकृति निर्गत करते हुए रुपये 365.18 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। इसी प्रकार स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में पर्यटन विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रुपये 115.25 लाख का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसके सापेक्ष 6 योजनाओं पर रुपये 58.39 लाख की योजनाएं स्वीकृत कर रुपये 34.40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उत्तरांचल के विश्व प्रसिद्ध चारधामों की यात्रा सेवाओं में सुधार की दृष्टि से वर्ष 2004 की भांति वर्ष 2005 में भी उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय पर चारधाम यात्रा हैल्पलाइन की स्थापना की गयी, जिससे पर्यटकों को महत्वपूर्ण पर्यटन सूचनायें उपलब्ध कराई गई तथा इस वर्ष भी यात्रियों की सुविधा हेतु चारधाम यात्रा मार्गों पर सुरक्षा, संचार तथा प्राथमिक चिकित्सा आदि सुविधायुक्त मोबाइल वैन्स का संचालन किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर पेयजल सुविधा हेतु जल संस्थान को, स्वच्छता व्यवस्था हेतु प्रमुख नगरों के स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। चारधाम यात्रा मार्ग पर प्री–फैब्रिकेटेड सुलभ शौचालय

स्थापित कराये गयें। यात्रियों की सुविधा हेतु केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा सुलभ कराई गई। वर्ष 2006 की चारधाम यात्रा में भी उपर्युक्त सभी सुविधाएं सुनिश्चित कराने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है। यात्रा मार्गों पर मूलभूत सुविधाओं के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि की रेती, स्वर्गाश्रम, कीर्तिनगर, रुद्रप्रयाग आदि स्थलों पर घाटों का निर्माण कराया जा रहा है।

रोजगार सृजन की दृष्टि से भी पर्यटन व्यवसाय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। केवल सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–2005 में 1420 स्थायी एवं 2252 अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। निजी पर्यटन इकाईयों में तथा परोक्ष रूप से पर्यटन व्यवसाय में अनगिनत रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। अल्प आय वर्ग के पर्यटकों, यात्रियों के लिए पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित 1600 शैय्याओं की 27 आवासीय सुविधाओं को गढ़वाल विश्वविद्यालय के पर्यटन डिप्लोमा प्राप्त बेरोजगार युवक–युवतियों के माध्यम से संचालित करवाकर उन्हें रोजगार प्रदान करवाया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग संस्थान की स्थापना हेतु भवन का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। इस प्रकार मानव संसाधन विकास की दिशा में भी पर्यटन विभाग सतत् क्रियाशील है। पर्यटन व्यवसाय में निजी क्षेत्र की भागीदारी के दृष्टिगत इस व्यवसाय में कार्यरत व आने वाले उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु जनपद स्तरीय पर्यटन मित्र का गठन किया गया है जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक माह बैठक कर उद्यमियों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं। उद्यमियों को पर्यटन व्यवसाय में विभिन्न स्वीकृतियों एवं अनापत्तियों आदि को निर्गत करने हेतु एकल खिड़की सूचना तथा सम्पर्क सुविधा लागू किये जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

पर्यटन इकाइयों को निजी व सरकारी क्षेत्र दोनों में प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किये जाने हेतु लैण्ड बैंक की स्थापना पर भी विचार किया जा रहा है। उत्तरांचल के नैसर्गिक पर्यटक स्थलों, हस्त शिल्प, कला एवं संस्कृति आदि का व्यापक प्रचार–प्रसार, विभिन्न विज्ञापनों, सेमिनारों, गोष्ठियों, प्रदर्शनकारियों तथा प्रचार साहित्य आदि के माध्यम से कराया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सेमिनारों, कांफ्रेंसों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ए०टी०एम दुबई, पाटा, वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट, लंदन एवं आई०टी०बी०, बर्लिन में भी उत्तरांचल पर्यटन द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाई जा रही है। उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद् के स्तर पर मीडिया प्लान तैयार किया जा रहा है जिसके आधार पर पर्यटन प्रचार–प्रसार में गतिशीलता आ रही है।

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति के अनुरूप सुविधाओं का विकास वायु, रेल, सड़क मार्ग की सम्पर्क सुविधा में सुधार, नये पर्यटक स्थलों का विकास, निजी क्षेत्र

की अधिकाधिक सहभागिता, व्यापक सुनियोजित प्रचार–प्रसार एवं विपणन रणनीति अधिक क्रियाशील सहभागिता को महत्वपूर्ण चुनौतियों में शामिल करते हुए पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2006–07 के लिए 70.60 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। जिसके सापेक्ष भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन में सम्पन्न हुई बैठक में भारत सरकार ने उक्त प्रस्तावित परिव्यय के अतिरिक्त 4 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रचार–प्रसार एवं केन्द्र पोषित योजनाओं के लिये अनुमन्य किया है। इस प्रकार इस वर्ष पर्यटन विकास हेतु 74.60 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

इसके अतिरिक्त बारहवें वित्तीय आयोग की संस्तुति पर उत्तरांचल में पर्यटन विकास हेतु 35 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए 8.75 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गई है। वर्ष 2006–07 के लिये अनुदान संख्या 26 के अन्तर्गत पर्यटन सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के लिए 81.84 करोड़, अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत केन्द्र पोषित योजनाओं, अनुसूचित जाति क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु 10.40 लाख तथा अनुदान संख्या 31 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए 4 करोड़ अर्थात कुल 96.04 करोड़ की धनराशि पर्यटन सेक्टर के लिए आवंटित की गई है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो लिखित भाषण है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, बजट भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(शेष बजट भाषण पढ़ा हुआ माना गया।)*

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में हम पर्यटन को तीर्थाटन से अलग कर के नहीं देख सकते हैं। निकट भविष्य में चारधाम यात्रा भी प्रारम्भ होने वाली है, लेकिन आज तक मूलभूत सुविधाओं की कहीं पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जिस प्रकार से पहले शौचालयों का निर्माण किया जाता था और सफाई की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन आज अभी तक विभागों के द्वारा यह व्यवस्था यात्रा मार्गों पर नहीं की गई

*बजट भाषण उपलब्ध न होने के कारण छापा नहीं गया।

है। इससे पहले की योजनाओं की बात की जाती है तो अभी तक साहसिक पर्यटन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। (व्यवधान)

मान्यवर, हम कैसे मान लें कि पर्यटन विभाग कहीं पर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है? जिन अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, वहां आज तक भी साहसिक पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है जबकि इसके लिए वर्ष 2005 में ही इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी।

मान्यवर, आज तक किसी भी जनपद में साहसिक पर्यटन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की गयी है। आज तक विभाग यह नहीं बता पाया है कि विभिन्न क्षेत्रों में कितने पर्यटक स्थल हैं? कौन–कौन से पर्यटक स्थलों को हम विकसित करने जा रहे हैं? ऐसी कोई योजना सरकार के पास नहीं है। इसके पहले की जितनी भी योजनाएं माननीय मंत्री जी ने पढ़ी या बतायी हैं, उनके बारे में हम पिछले 4 वर्षों से सुन रहे हैं। इन्हीं योजनाओं पर कार्य चल रहा है, लेकिन आज तक कोई भी पर्यटक स्थल पर्यटकों के लिए विकसित नहीं हो पाया है। ट्रैकिंग रूट्स पर मूलभूत सुविधाएं विभाग नहीं दे पा रहा है। चमोली जनपद में ट्रैकिंग रूट्स पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग होती रही है लेकिन सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की बात करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगारों को योजना की स्वीकृति पर्यटन विभाग द्वारा दी जाती है लेकिन आज तक बैंकों द्वारा इनको ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस प्रकार की योजनाओं का क्या हश्र हो रहा होगा, इसको तो माननीय मंत्री जी भली प्रकार जानते होंगे। पर्यटक पुलिस की बात की जाती है। इसके पहले पर्यटक वाहन पूरे प्रदेश में संचालित होते रहे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन पर्यटक वाहनों से प्रदेश को कोई लाभ हो पाया? आज पर्यटक पुलिस की बात कही जा रही है। यदि माननीय मंत्री जी इसकी आवश्यकता समझते हैं तो कुमाऊं मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, जो काफी समय से नियमितीकरण की बात करते रहे हैं। यदि पर्यटक पुलिस की आवश्यकता सच में है, तो इन बेरोजगारों को इसमें रखा जाय, जिनको डेढ़–दो हजार रुपये पर रखा गया है। इन कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है। मान्यवर, हमारे पी०आर०डी० के जवान हैं, जो इस पर्यटक पुलिस की व्यवस्था को भली प्रकार देख सकते हैं, उनको इसमें लगाया जा सकता है।

इसके पहले सरकार ने अनेकों बार घोषणा की है कि पर्यटक स्थलों पर रोप–वे की व्यवस्था करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, विगत 4 वर्षों में कितने पर्यटक स्थलों पर रोप–वे की व्यवस्था की गयी है?

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात जो सरकार हमेशा करती रहती है कि पर्यटक आवास गृहों में बार के लाइसेंस दे दिये गये हैं। लेकिन उसके मानक क्या हैं? मैं समझता हूँ कि आज तक किसी को नहीं मालूम है कि कौन-कौन से पर्यटक स्थलों पर बार खोलने जा रहे हैं। ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाना चाहिए। यात्रा रूट से हटकर जो स्थल हैं, वहां पर बार खोलने चाहिए। इसके माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार भी दिया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि पर्यटक आवास गृहों में बार नहीं खुलने चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो पर्यटक देव भूमि में दर्शन करने के लिए आते हैं, उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को सलाह देना चाहता हूँ कि राफ्टिंग कैम्प ऋषिकेश के आस-पास ही दिखाई देते हैं। मेरा सुझाव है कि राफ्टिंग कैम्प पहाड़ों में भी संचालित किये जा सकते हैं। मान्यवर, अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी आदि ऐसे स्थान हैं, जहाँ पर रिवर राफ्टिंग कैम्प लगाये जा सकते हैं। इसके लिए हमारे बेरोजगार नौजवानों को लाइसेंस दिये जाने चाहिए ताकि वहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सके। मान्यवर, गौचर में पर्यटन विकास के लिए एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है लेकिन आज तक इसमें हवाई सेवा प्रारम्भ नहीं हो पाई है। जबकि सरकार पिछले तीन वर्षों से लगातार कहती आ रही है कि गौचर हवाई पट्टी से सेवा प्रारम्भ कर दी गई है लेकिन आज तक कोई सेवा इन हवाई पट्टियों से प्रारम्भ नहीं की जा सकी है जबकि यह हवाई पट्टियाँ बनकर तैयार हैं। पिछली बार भी माननीय सदन के सामने यह बात आई थी।

मान्यवर, माननीय मंत्रीगण और अधिकारीगण हमेशा विदेश भ्रमण पर जाते हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनके विदेशों में भ्रमण के बाद राज्य को क्या लाभ हुआ? जो वे वहाँ पर से अनुभव लेकर आये हैं, उनका इस राज्य में कितना पालन हुआ? जो अधिकारी विदेश भ्रमण में अध्ययन हेतु जाते हैं, उनका शीघ्र ही स्थानान्तरण कर दिया जाता है। उनके भ्रमण से भी राज्य को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मान्यवर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो साईन बोर्ड राज्य में पर्यटन से सम्बन्धित लगे हैं, वे ऐसी जगहों में लगे हैं, जहाँ पर कोई पर्यटक स्थल नहीं है और न ही वहाँ पर कोई ऐसे दृश्य हैं जिन्हें पर्यटक देखें। उन बोर्डों पर पूरी सूचना भी नहीं होती है। यदि पूरी सूचना हो तो पर्यटकों को कम दिक्कतों का सामना करना पड़े और वे अधिक से अधिक स्थानों पर पर्यटक स्थलों में जायेंगे। मान्यवर, एक सुझाव और देना चाहता हूँ, शीतकालीन खेल स्थल के रूप में जनपद चमोली में औली को ही विकसित किया गया है, बहुत अच्छी बात है। किन्तु इस बार वहाँ पर शीतकालीन खेल नहीं हो पाये। उसका कारण यह था कि वहाँ पर बर्फ नहीं पड़ी। अन्य जगहों को शीतकालीन खेलों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सी राज्य में ऐसी जगहें हैं, जहाँ पर बर्फ हर वर्ष पड़ती है, औली

में कभी-कभी बर्फ नहीं भी पड़ती है जिस कारण आयोजन निरस्त करना पड़ता है। सांस्कृतिक पर्यटन को विकसित करने के लिए इस प्रदेश में बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी प्रकार से मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सांस्कृतिक पर्यटन और धार्मिक पर्यटन और तीर्थाटन आपस में जुड़े हुए हैं। हम सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहेगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय सदस्यों को 20-30 लाख की योजना प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए हमको पत्र दिया था लेकिन वह योजना धरातल में आ नहीं पाई है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि जो बिन्दु मैंने उठाये हैं, उनका उत्तर माननीय मंत्री जी अपने भाषण में देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल-

मान्यवर, आपने मुझे माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव पर बल देने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो कुछ अपने बजट भाषण में अवगत कराया और एक अंतहीन सिलसिला यहां पर सभी माननीय सदस्यों की जानकारी में आया। मान्यवर, पर्यटन के माध्यम से हमारे प्रान्त का निश्चित रूप से विकास हो रहा है। पूरे प्रान्त के जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी अपेक्षाएं सबसे अधिक यदि किसी विभाग पर हैं तो वह पर्यटन विभाग ही है। मान्यवर, कुछ लोग पर्यटन विभाग की योजनाओं से लाभान्वित भी हुए हैं, इसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

मान्यवर, यहां पर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना का जिक्र बार-बार आता है, लेकिन इस योजनान्तर्गत धनाढ्य लोग ही लाभान्वित हुए हैं, इस बात का जिक्र मैंने पूर्व में भी किया था। मान्यवर, यदि आप बैंक प्रस्ताव देखें तो 90 प्रतिशत इन्हीं लोगों का फायदा हुआ है। मान्यवर, जिन लोगों के पास बैंक में चार लाख की एफ0डी0 होगी, क्या वे लोग बेरोजगारी की श्रेणी में आयेंगे, यह भी एक सोचनीय बात है। मान्यवर, जिन बेरोजगार नवयुवकों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिन गरीब परिवारों के पास दो जून की रोटी खाने को नहीं है, इन लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिल सका है। मान्यवर, आज भी उन्हीं लोगों को फायदा हो रहा है जिनकी बैंक में चार लाख रु0 की एफ0डी0 है। मान्यवर, चूंकि बैंक वाले भी ऐसे लोगों के प्रस्ताव को मंजूर कर देते हैं।

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम पर्यटन विभाग के अधीन है और गढ़वाल मण्डल विकास निगम की दुर्दशा सर्व विदित ही है। पूरे राज्य के लोग इसकी दुर्दशा को जानते हैं। कुमायूं मण्डल विकास निगम की दुर्दशा को भी लोग जानते हैं। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा जो खनन का कार्य किया जा रहा था, वह भी कतिपय स्थानों पर अन्य संस्थानों को

हस्तगत हो रहा है। मान्यवर, पूर्व में इन निगमों को एफ0एल0-2 का कार्य दिया गया था, परन्तु अब इसकी कम्पिटीटिव दूसरे निगमों को भी यही कार्य दे दिये गये हैं, जिससे निगमों को नुकसान हुआ है। मान्यवर, पिछले तीन वर्षों में करीब ढाई सौ से तीन सौ कर्मचारियों को सेवायोजन दिया गया किन्तु फायदे के काम निगम से छीने गए। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के कर्मचारी विगत चार वर्षों से आन्दोलनरत हैं और इनका आन्दोलन बिल्कुल जायज भी है। इनको इस निगम में लगभग 18-20 वर्ष हो गये हैं, जोकि आज की तारीख तक नियमित होने की बाट जोह रहे हैं। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम में 283 पद सृजित पद हैं। अभी तक इन पदों पर नियमितीकरण नहीं हुए हैं, ये पद रिक्त हैं। गढ़वाल मण्डल विकास निगम के बोर्ड ने एक प्रस्ताव मंजूर किया है कि जो रिक्त पद हैं, उन पर वरीयताक्रम के आधार पर इन्हीं कर्मचारियों को समायोजित किया जाय। इस सम्बन्ध में गढ़वाल मण्डल विकास निगम के अध्यक्ष, कर्मचारी संगठनों के साथ माननीय मंत्री जी से भी मिले लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन आन्दोलनरत कर्मचारियों का तत्काल नियमितीकरण किया जाये।

मान्यवर, आज मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा कि गढ़वाल मण्डल के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कर्मचारी माननीय मंत्री जी से मिले और मंत्री जी ने तुरन्त कहा कि कैबिनेट की बैठक में नियमितीकरण बिल पास कर लिया जायेगा, तो मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी को, अगर आप मंजूर करते हैं तो मैं बधाई देता हूँ और अगर गढ़वाल मण्डल के अध्यक्ष को इसका श्रेय न मिले, यही आपकी इच्छा थी तो पहले ही कह दिया होता, अध्यक्ष गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने पहले ही त्याग-पत्र दे दिया होता तो कम से कम मेरे भाईयों को तीन साल से परेशान नहीं होना पड़ता। गढ़वाल मण्डल ने एक फूड पार्क के निर्माण का प्रस्ताव किया था तो मेरे संज्ञान में आया था कि उस प्रस्ताव को पर्यटन मंत्री ने खारिज कर दिया, मैं सरकार के सामने विरोध दर्ज करता हूँ कि यह सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है या रोजगार छीनने के लिए, मैं यह जानना चाहता हूँ। मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, मेरी सीमायें भी हैं जिन्हें मैं भली-भांति जानता हूँ। मा0 मंत्री जी को निगम के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष-

कृपया संक्षेप करें।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल-

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल एक स्वायत्त संस्था है, उसके प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी ने किस रूप में खारिज किया, मैं यह जानना चाहता हूँ और राज्य मंत्री को किसी विशेष व्यक्ति से लगाव हो तो हो सकता है जिनके कहने पर उन्होंने ऐसा किया, लेकिन अगर उसका परिणाम क्षेत्र की जनता भोगेगी तो यह अच्छी बात नहीं

है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका के वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक पर दिलाना चाहता हूँ कि जो वहाँ पर दिया गया है कि वर्षवार पूँजी निवेश रुपया लाख में जिसमें चमोली को वर्ष 2001–02–03–04–05 में कुल 1064 लाख रुपये दिया गया, वहीं रुद्रप्रयाग को 596 लाख रुपया दिया गया, टिहरी को 1715.16 लाख रुपया दिया गया और इन सब में बड़ा जिला होने के बावजूद पौड़ी को 647 लाख रुपये दिया तो क्या पौड़ी में पर्यटन की सम्भावना नहीं है।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में गवनी एक ऐसा स्थान है जिसकी खोज अंग्रेजों ने की थी, जिसका निर्माण कम पैसों में हो सकता है, यह नैनीताल का विकल्प हो सकता है, तो मेरा निवेदन था कि गवनी को पर्यटन स्थल में विकसित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

किन्तु सिर्फ मान्यवर, गवनी को धीरसैंण, बिन्सर, कोटियाबगड़ के मध्य रोपवे में जोड़ने के सर्वे के लिए बजट में प्राविधान किया गया है, तो मेरा कहना है कि रोपवे किस के लिए है, अगर वहाँ पर कुछ व्यवस्था हो तो रोपवे ठीक है। पर्यटन स्थान विकसित हो तो रोपवे ठीक है। अन्यथा सिर्फ रोपवे सर्वे का क्या औचित्य है?

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि वे यदि इन कार्यों को कर देंगे तो मैं उन्हें इस सदन में फूलमाला पहनाऊँगा, मैं संकोच नहीं करूँगा। यह कार्य मंत्री जी द्वारा मुझे डाउन करने के लिए किया गया है, यह उचित नहीं है, इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं जाऊँगा। मैं सदन में घोषणा करता हूँ कि सरकार ने पानी फूड पार्क पर उचित निर्णय नहीं लिया तो मैं आमरण अनशन पर बैठ जाऊँगा। इसी के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती आशा देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मान्यवर, जब तीर्थाटन और पर्यटन की बात आती है, उत्तरांचल के हर व्यक्ति, हर युवा के चेहरे पर, उत्तरांचल का पर्यटन प्रदेश नजर आता है। जो हमारी सरकार बार–बार घोषणा करती है और बार–बार मंचों से घोषणा करती है कि हम उत्तरांचल को पर्यटन प्रदेश बनाने जा रहे हैं। युवाओं को लगता है कि इस पर्यटन प्रदेश से हमको कुछ तो मिलेगा। यहाँ पर जो बजट पेश किया गया है उसके क्रियाकलापों को देखने से लगता है कि यह घोषणा जगह–जगह हो रही है जो मात्र छलावा है। इस तरह हमारे युवाओं को छला जा रहा है। यह बिल्कुल विपरीत

17 अप्रैल 2008 से

उत्तराखण्ड प्रदेश वास्तव में पर्यटन प्रदेश का सबसे अधिकारी

है। मैं सुझाव देना चाहूँगी कि उत्तराखण्ड प्रदेश वास्तव में पर्यटन प्रदेश ... प्रत्येक जिले में पर्यटन करके प्रत्येक अधिकारी ... संपूर्ण योजना बनाने की जरूरत है। प्रत्येक जिले में ... किस क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं। इस ... मंत्री महोदय बतायें और देखें कि कहाँ पर हम किस क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं ... युवाओं को किस प्रकार रोजगार दे सकते हैं। अभी ऐसा नहीं हुआ है, जिससे प्रदेश ... के युवाओं में निराशा उत्पन्न हो रही है। इस प्रदेश में ... विकास तथा ... ली जाय, इसकी गम्भीरता से सरकार कार्य करे तो यहाँ स्थानीय युवाओं को रोजगार ... दे सकते हैं। माननीय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस सदन में हम बार-बार कह ... रहे हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पा रहा है। अभी माननीय मंत्री जी ... में देवीधूरा ... में 40 लाख रुपये देने की बात कही है। इसके लिए मैं मंत्री जी का ... आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसे क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाई ... है। माननीय, हमारा ... क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर शीतकालीन क्रीड़ाओं का ... आयोजन किया जा सकता है, इसको शीतक्रीड़ा के लिए विकसित किया जाना चाहिए ...

हमारे कुछ गाँव हैं जिनको पर्यटन गाँव के रूप में विकसित किया जा सकता है। तीन गाँव हमारे क्षेत्र के हैं—... विद्युतीकरण और ... हैं ... पर कि अभी तक विद्युतीकरण और ... की सुविधा नहीं है। इसे देखने के ... से जानकारी मिली कि यहाँ यात्री देखने आते हैं कि यह पर्यटन गाँव है, यहाँ ... मूलभूत सुविधायें नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं रैन बसेरों की बात कहना चाहती हूँ। ये यात्रियों ... सुविधा के लिए बनाये गये थे, लेकिन इनमें जो लोग उनको बनाने के लिए ... हैं, उनके द्वारा कैसे चलाये जा रहे हैं। जबकि यात्रियों की सुविधा के लिए इन्हें ... बनाया गया था। मैं चाहूँगी कि इन रैन बसेरों को यात्रियों को ... और जो लोग यहाँ पर अपना रोजगार कर रहे हैं उनको रोजगार की दिशा में ... मेरे सुझाव हैं।

श्री प्रदीप टम्टा—

माननीय, पर्यटन हमारे राज्य के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है ... मैं सरकार से अनुरोध करूँगा ... विकास खण्ड क्षेत्र में एक कटारमल सूर्य मंदिर है। ... कटारमल सूर्य मंदिर को दृष्टिगत रखते हुए मैं ... मास्टर प्लान बनाया जाये। ... इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पूर्व सरकार ने भी इसको विकसित करने की ... योजना बनाई थी। उसे भी विकसित किया जाये। इसी के साथ मैं, माननीय ... अनुरोध करूँगा कि ... को ... के रूप में विकसित किया जाये। एक बात ... अल्मोड़ा को एक ... के रूप में ... पर एक घोषणा की है ... कहना चाहूँगा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने ... मैं माननीय पर्यटन मंत्री से चाहूँगा कि इसे ... आवास अवकाश पर बैठे हैं। मैं माननीय पर्यटन ... हैं। क्योंकि अगर हमारे माननीय सदस्य को यह लगा कि उनके क्षेत्र के साथ ... नहीं किया जा रहा है तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लार्ड कर्जन ट्रैक के विकास के लिए प्रावधान नहीं है, इसके लिए सरकार को धन मुहैया करना चाहिए। लार्ड कर्जन ट्रैक में सुखताल, झलताल में यात्रियों के रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। सुखताल और झलताल को भी संज्ञान में लेकर इनके विकास की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। कार्तिक स्वामी मंदिर के लिए भी पर्यटन विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए।

श्री फूल सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय पर्यटन मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान संख्या–26 का समर्थन करता हूँ और पर्यटन के क्षेत्र में माननीय मंत्री जी द्वारा किये गये कार्यों की प्रशंसा करता हूँ। मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगा कि पर्यटन के क्षेत्र में देश में और देश के बाहर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 24 केन्द्रों में अब तक जो सेमीनारें आयोजित की हैं, उसी का परिणाम है कि पर्यटन में प्रदेश ने अव्वल स्थान प्राप्त किया है लेकिन श्रीमन्, टिहरी बांध जो एशिया में पहले स्थान का बांध है, उसके लिए पर्यटन विभाग चिंतित नहीं है और यदि यह कहने की हिम्मत करूँ तो गम्भीर लापरवाही है।

मान्यवर, आपने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005–2006 में कहा है कि इस वर्ष 163 लाख पर्यटक प्रदेश में आयेंगे, तो इसका कुछ हिस्सा टिहरी बांध को देखने भी आयेंगे, उनके लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं पर्यटन की 2003–04 की कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इसके पृष्ठ 12 पर टिहरी बांध क्षेत्र के विकास का मास्टर प्लान मैसर्स जे०टी०सी०आई०, बंगलौर को 41 लाख में कन्सलटेन्सी दी और तत्काल उन्हें इसका कुछ भुगतान भी कर दिया था। मैं सितम्बर, 2004 में टिहरी में मुख्य सचिव की अध्यक्षता की बैठक का हवाला देना चाहता हूँ जो जुराग कन्सलटेन्सी के द्वारा टिहरी बांध के तैयार मास्टर प्लान के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में थी।

इस बैठक में प्रदेश के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और जनपद के भी शीर्षस्थ अधिकारी वहां पर मौजूद थे। इन अधिकारियों के बीच में जब बैठक हुई तो वहां पर मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिये थे कि यह मास्टर प्लान सही से नहीं बना है। सभी उच्च अधिकारियों के साथ पर्यटन विभाग के उच्च अधिकारी भी वहां पर थे और उन्होंने भी इस चीज को माना कि मास्टर प्लान सही नहीं बना है, इसको ठीक करने की जरूरत है और इसके लिए परामर्शी समिति, टी०एच०डी०सी० और भागीरथी विकास प्राधिकरण एवं पुनर्वास के साथ बैठक की जाय और इसे फिर से शीघ्र प्रस्तुत किया जाय। आज यह कहते हैं कि 2005–06 में यह प्लान बन गया और इस मास्टर प्लान के बनने से वहां पर 163 लाख पर्यटक आयेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब इतने पर्यटक आयेंगे तो उनके लिए मास्टर प्लान में क्या व्यवस्था वहां पर आपका

विभाग कर पाया? यह सही है कि पर्यटन विभाग ने काफी काम किया है, सेमिनारों के माध्यम से भी विदेशों में भी हमारे प्रदेश का नाम किया है।

तो इसी प्रकार से आपको टिहरी बांध के बारे में भी सोचना चाहिए। यह विश्व में एशिया का सबसे बड़ा बांध है। अभी जनवरी 2006 में माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उस बैठक में मास्टर प्लान का प्रस्तुतिकरण किया गया। यह जानकारी में आया, लेकिन उस बैठक में भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण को आमंत्रित नहीं किया गया। मान्यवर, यह भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के पालन से बना है, टिहरी बांध के विकास के लिए यह प्राधिकरण बनाया गया है। प्राधिकरण को बैठक में उसके सुझाव हेतु क्यों नहीं बुलाया गया? इस मामले की जांच भी होनी चाहिए कि 41 लाख रुपये की कन्सल्टेन्सी द्वारा हेरा-फेरी हुई है और कन्सल्टेन्सी उस कम्पनी को दी गयी है जो कि पहले से काली सूची में थी। मान्यवर, पर्यटन विभाग द्वारा उस क्षेत्र के लोगों का विकास, उनकी खुशहाली का कार्य, किया जाना चाहिए। क्योंकि टिहरी बांध बनने से वहां के लोगों के घर छिने हैं, इस बांध ने वहां के लोगों की खुशी छीनी है। लेकिन वहां पर पर्यटन की दृष्टि से काफी काम और विकास किया जा सकता है ताकि उन लोगों की खुशी लौट सके। उस बांध के चारों ओर के जो गांव हैं, उनको पर्यटन ग्राम घोषित किया जाना चाहिए. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए धन्यवाद।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे पर्यटन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पर्यटन की दृष्टि से उत्तरांचल में ऐसे कई स्थान हैं जहां पर पर्यटक जाना चाहते हैं तो ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके उनकी जानकारी और वहां पर समस्त सुविधायें देने का यदि प्रयास किया जाय तो इससे दूरस्थ और छिपे हुये पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी मिलेगी और पर्यटन भी बढ़ेगा।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र धारी के अन्तर्गत कालीचौड़, हरीशताल, छोटा कैलाश, देवगुरु जैसे पर्यटक स्थल हैं, जिनका विकास किया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, आपके क्षेत्र में हरीश ताल भी है।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इन क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाय। ऐसा प्रयास सरकार को करना चाहिए।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नौटियाल जी ने काफी अच्छे सुझाव भी दिये और कई बातें भी कहीं। यह बात सही है कि तीर्थाटन और पर्यटन को उत्तरांचल में एक साथ जोड़कर ही रखना चाहिए। इसके लिए ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुकी हैं और कई जगहों पर इस पर कार्य भी हो रहा है।

मान्यवर, इनकी जो रिक्वायरमेंट है कि वहां पर शौचालय वगैरह नहीं हैं। हमने पेयजल के लिए 32.06 लाख रुपया दे दिया है। सफाई के लिए 90 लाख रुपये की योजना बन चुकी है। शौचालय के लिए 20 लाख रुपया दिया गया है। इसमें 10 लाख रुपया ऑलरेडी दिया जा चुका है। जो प्लान बना हुआ है, उसके आधार पर तमाम अधिकारियों को बताया गया है कि उनको किस प्रकार से कार्यवाही करनी है। इसमें तमाम कार्यवाही हो रही है। अप्रैल माह के अन्त में और मई माह के प्रारम्भ में पर्यटन सीजन प्रारम्भ हो जाएगा, तब तक तमाम सारी चीजें ज़मीन पर आ जाएंगी। साहसिक पर्यटन अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। इनकी पोस्टें भी निकल चुकी हैं।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, कब निकलीं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, 10–15 दिन पहले ही निकली हैं। ट्रैकिंग रूट्स की बात आपने कही। बहुत सारे रूट्स पर काम चल रहा है। हमने इसके लिए 27 रूट्स को चिन्हित किया है। ग्रेडेशन भी हो चुका है। हो सकता है, जो रूट आपके संज्ञान में हो, उसको चिन्हित न किया गया हो, यदि ऐसा है तो आप उसके लिए हमें बता दें। पर्यटक स्थलों के बारे में बात आयी। मैं कहना चाहता हूँ कि सभी माननीय सदस्य अपने–अपने क्षेत्र के एक–एक पर्यटक स्थल का नाम दे दें, जिसको विकसित करना है। माननीय विधायक 12–13 नाम दे देते हैं। मेरा अनुरोध है कि उनमें से जो टॉप मोस्ट हो, उसका नाम आप दे दीजिए। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना की बात आई। इसमें कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। इसमें कहा जाता है कि जिनके पास पैसे हैं, उनके लिए ही यह लाभदायी है। मैं बताना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में कलैक्टर के माध्यम से तमाम बैठकें होती हैं। कलेक्टर की लीडरशिप में यह बैठक होती है, इसमें बैंक और एप्लीकेंट भी शामिल होते हैं। उस बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि कौन सी योजना स्वीकृत हो सकती है और कौन सी नहीं। कलैक्टरों को निर्देश दिये गये हैं कि 3–3 महीने में यह बैठकें होंगी। इन बैठकों में ही एप्रूवल और नॉन–एप्रूवल हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके बारे में हमको बता दें।

मोबाइल वैन के बारे में बताना चाहता हूँ कि मोबाइल वैन चलायी गयी थी। इससे 20–25 हजार लोग लाभान्वित हुए। जहां तक जी०एम०वी०एन० और पी०आर०डी० जवानों को पर्यटक पुलिस में भर्ती करने की बात है, निगम अपने लोगों को अपने ही यहां इस्तेमाल कर रहा है। हमारे यहां जो ओपन विज्ञप्तियां दी जाती हैं, यदि उनमें ये लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, तो इनको अवश्य शामिल किया जा सकता है। रोप–वे के बारे में बताना चाहता हूँ, 2 रोप–वे के लिए हमने एम०ओ०यू० साईन कर दिये हैं। ये रोप–वे केदारनाथ और नीलकंठ में है। बार लाइसेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके लिए मानक बनाये गये हैं, इन मानकों के आधार पर ही बार लाइसेंस दिये जाते हैं। मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आती है, वह रिपोर्ट बताती है कि बार मानक पूरा करता है या नहीं। मानक पूरा होने पर ही हम लाइसेंस देते हैं। जहाँ तक राफ्टिंग कैम्प ऋषिकेश के अलावा अन्य जगहों पर नहीं है तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि अन्य जगहों के लिए भी कोई लाइसेंस लेना चाहे तो उसे मना नहीं है, बस उचित जगह का चिन्हीकरण होना चाहिए। कई जगहों पर हमने लोगों को लाइसेंस दिये भी हैं।

जहाँ तक गोचर हवाई पट्टी के सेवा प्रारम्भ होने की बात है, इस कार्य को सिविल एवियेशन देख रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने दिल्ली जाकर भी बात की है। जहाँ तक विदेश भ्रमण के औचित्य का यहाँ पर सवाल उठाया गया कि इससे राज्य को क्या लाभ हो रहा है तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि साउथ के लोग उत्तरांचल के बारे में नहीं जानते थे, जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ इस राज्य के बारे में तथा यहाँ के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी तो वे लोग इस राज्य को और अच्छी तरह से समझे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर साईन बोर्ड की बात है, मैंने स्वयं भी इन साइन बोर्डों को चैक किया है। जहाँ पर नहीं है वहाँ पर साईन बोर्ड लगाये जा रहे हैं। दयारा दुग्गल इलाके को स्कीइंग के लिए विकसित किया जा रहा है, इसके लिए ऑलरेडी प्लान बन चुका है, धन का आवंटन भी हो चुका है। सांस्कृतिक पर्यटन के विकास के लिए हमारे यहाँ जो विभिन्न मेले होते हैं, उनके लिए धन आवंटित किया जाता है, मेलों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना के अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिए योजना प्रारम्भ से अब तक 737 उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से लाभान्वित कराया गया है।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

मान्यवर, एफ एल–2 का काम पूर्व की सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने दूसरा निगम बनाकर यह काम किया, इसकी वजह से फर्क पड़ा है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, उत्तरांचल सैनिक कल्याण निगम को यह कार्य दिया गया है। इसलिए प्रॉफिट मार्जिन में कमी आई है। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज प्रतियोगिता का युग है। इस बारे में बहुत अधिक बात मैं नहीं करना चाहता हूँ।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

मान्यवर, फूड पार्क निर्माण के बारे में गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने संकल्प लिया कि हम बना लेंगे। क्योंकि इसके तहत साढ़े चार करोड़ रु0 केन्द्र सरकार को देना था और पांच करोड़ रु0 माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने की घोषणा की थी। मान्यवर, इससे गढ़वाल मण्डल विकास निगम के पास लगभग दस करोड़ रु0 की प्रापर्टी बनती। गढ़वाल मण्डल विकास निगम की कोई पूँजी इस पर नहीं लग रही है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह स्कीम उद्यान विभाग को हस्तांतरित की है, जबकि उद्यान विभाग इण्डस्ट्री नहीं चलाता है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य को इस बात का भ्रम है कि किसी खास कारणवश इसको रिजेक्ट कर रहे हैं।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

मान्यवर, आप इसको गढ़वाल मण्डल विकास निगम को दे दें, मैं निगम को आदेशित कर दूंगा।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, योजना बन चुकी है और सम्बन्धित विभाग को दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप माननीय मंत्री जी के चेम्बर में चले जायें, वहां पर मिलकर इसका समाधान निकालें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, 10 बजने वाला है और अभी तीन मदें और बची हुई हैं, भोजन की व्यवस्था कर दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, भोजन की व्यवस्था कर दी जायेगी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस पीड़ा को महसूस कर सकता हूँ कि आप साढ़े तीन बजे से सीट पर बैठे हुए हैं। शेष तीन मदों को कल के लिए स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

बिजनिस तो कार्यमंत्रणा समिति ही तय करती है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, चूंकि यह एजेण्डे का हिस्सा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ही इसको तय करती है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जैसे अभी यहां पर आबकारी विभाग का बजट स्थगित कर दिया गया था, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं हुई थी, ठीक इसी तरह इन तीन मदों को भी कल के लिए स्थगित कर दिया जाय। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, जैसा कि मैंने यहां पर अपनी बात रखी थी कि चार वर्षों से यह सुनते आ रहे हैं कि इस पर योजना बनायी जा रही है, इसका मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। जैसा कि अभी माननीय सत्तापक्ष के सदस्य ने भी स्वीकार किया है कि आशानुरूप कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए। मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 748400 हजार (चौहत्तर करोड़ चौरासी लाख मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1764614 हजार (एक सौ छिहत्तर करोड़ छियालीस लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

श्रीमन्, जैसा इस सदन को जिज्ञासा थी, सुबह भी यह प्रश्न आया कि यह प्रदेश सूखाग्रस्त हो चुका है। मान्यवर, आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सरकार को और विशेष तौर पर पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से हम इस कोरम में बैठे तो जिज्ञासा बनी रही कि कैसे खाद्यान्न की व्यवस्था होगी, कैसे क्या होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि पहले हमको 4–10 घण्टे बिजली मिलती थी, आज हमको 20–24 घण्टे बिजली मिल रही है। मान्यवर, हमारे प्रदेश की आवश्यकता 14 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की आवश्यकता है और आज 17 लाख 51 हजार मीट्रिक टन खाद्यान्न दे रहे हैं, आज सबसे बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, सुबह माननीय प्रकाश पंत जी ने शंका जाहिर की थी कि प्रदेश में सूखा इतना पड़ गया कि खाद्यान्न में क्या होगा, कैसे होगा। मान्यवर, यह मैं आज भी कह रहा हूँ कि यह प्रदेश ऐसा प्रदेश नहीं है, यह मैं जानता हूँ, जो शंका जाहिर की थी, हमने यह शंका दूर कर दी है। मान्यवर, आज 20–24 घण्टे बिजली दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, जिससे खाद्यान्न की पूर्ति हो गई है।

मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में जो हमारी कृषि होती थी धान, गेहूँ, गन्ना कैश क्रॉप थी। विशेष रूप से हम जो पर्वतीय अंचल के लोग थे जिनकी 90 प्रतिशत असिंचित खेती होती है और मैदानी क्षेत्रों की 90 प्रतिशत सिंचित खेती होती है। इसके लिए हमने एक योजना शुरु की है जिसमें हम किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देते आये हैं, उनका 50 प्रतिशत शुल्क माफ कर रहे हैं। प्रमाणीकरण शुल्क 50 प्रतिशत जो निरीक्षण में है, उसमें अनुदान दे रहे हैं। इसके अलावा दो मण्डलों में कुमायूँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल में दो वैन सीड प्रोसेसिंग स्थापित किये हैं। उसमें हम जो छोटे–छोटे काश्तकार हैं जो 10 किलो से 10 क्विंटल अनाज पैदा करते हैं, उनके लिए हमने यह मोबाइल वैन प्रिविलेज की है। जहाँ हम जैविक कार्यक्रम शुरु कर रहे हैं। वहाँ यह मोबाइल वैन आयेगी। इसमें सारे प्लांट लगे होंगे। जो छोटे कृषक होंगे जो मण्डी में नहीं जा सकते हैं, वह रोड हैड तक आकर मोबाइल वैन में लायेगा। वह जो भी खाद्य पदार्थ होगा, उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करेंगे और वहीं पर उसको पैसा दे दिया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपका भाषण लगभग पूरा लिखा हुआ है, अगर आपको कोई एतराज न हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।*

---

*लिखित भाषण उपलब्ध न होने के कारण छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करती हूँ कि अनुदान संख्या-17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, हमारा प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। उत्तरांचल भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ के अधिसंख्य लोगों का कृषि ही एक व्यवसाय है। मान्यवर, कृषि द्वारा वे अपना जीवन-यापन करते हैं लेकिन आज नये राज्य के गठन के बाद भी हमारी कृषि उत्तरांचल में मुख्य व्यवसाय के रूप में विकसित नहीं हो पायी है। जिस तरह से कृषि का विकास होना चाहिए था, वह दिखाई नहीं दे रहा है अभी माननीय मंत्री जी द्वारा बजट भाषण पढ़ा गया, उससे लगता है कि सरकार कृषि के प्रति जरा भी संवेदनशील नहीं है, कृषि के प्रति उसको जरा भी चिन्ता नहीं है। हम कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय नहीं बना सके हैं। इसका विकास किस तरह से होगा, यह विचार नहीं किया गया। फसल कृषि कर्म के लिए इस बजट में 174 करोड़ 46 लाख 14 हजार मात्र की स्वीकृति दी गयी है लेकिन आज दशा क्या है। यह जो पुस्तक दी गयी है, इसमें कई आंकड़े दिये गये हैं, मैं इन्हें बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि समय कम है।

इससे यह विदित होता है कि यह सिर्फ किताबों तक सीमित है और पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के माननीय सदस्य भी यहां पर हैं, वे देखते होंगे कि कृषि क्षेत्र में हमने कोई उन्नति नहीं की है। उन्नत किस्म के बीज कृषकों को दिये जाते हैं। इसमें भी कई विसंगतियां हैं। समय पर बीज और खाद नहीं मिल पाती है। जिस माह कृषकों को खाद चाहिए होती है तो उसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, अगर बीज आज चाहिए होता है तो अगले माह उसकी आपूर्ति हो पाती है। ऐसी कई विसंगतियां हैं। कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान देना चाहिए। उत्तरांचल के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कई ऐसे कृषक हैं जिनकी छोटी-छोटी जोतें हैं और कई जगह बिखरी हुई हैं। अगर हम चकबंदी कर दें तो हमारा राज्य कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। जो हमारे यहां का स्थानीय उत्पादन है, कोदा आदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बिक्री भी की जा सकती है। जैविक खाद जिस तरीके से बनायी जाती है, अगर इसका प्रशिक्षण हम अपने कृषकों को दें तो जैविक खाद हमारे राज्य में तैयार की जा सकती है और इसकी कीमत भी कम होगी, और अन्य प्रान्तों में हम इसकी बिक्री भी कर सकेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी कार्यक्रम सरकार ने नहीं चलाया है, बजट जरूर तय किया जाता है। आज

विकास खण्डों में कृषि अधिकारी नहीं हैं। अधिकारी समय पर गांवों में किसानों के बीच में नहीं जाते हैं। इससे योजनाएं किसानों तक नहीं पहुँच पाती हैं। जबकि इसके कई आंकड़े दिये गये हैं।

इसमें लिखा गया है कि 9500 महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया है। तो मान्यवर, यह एक खानापूर्ति ही है। ऐसे काम मात्र कागजों में ही किये जाते हैं, लेकिन धरातल पर कहीं पर कुछ नहीं दिखाई देता है।

जो हमारा कृषक वर्ग है, वह आज खेती से दूर होता जा रहा है। क्योंकि जो खेती करने के लिए जाते हैं, उनमें खेती का प्रतिशत कम होता जा रहा है। लोग मात्र एक या दो ही खेतों में फसल उगा रहे हैं। क्योंकि उनकी फसलों की रक्षा जानवरों से नहीं हो पाती है। उससे भी उनका नुकसान होता है। सिंचाई के कोई साधन नहीं हैं, इन लोगों का कहना है कि हमारी फसल का दाम ही हमें नहीं मिल पाता है। जो बीज और खाद हम इसमें डालते हैं, वह भी पूरा वापस नहीं आ पाता है। जो कृषि हमारे प्रदेश का पहले मुख्य पेशा था, वह आज लुप्तप्राय होता जा रहा है। इस वर्ष भी जब पूरे उत्तरांचल में सूखा पड़ गया था तो जहां पर खेती हो सकती थी, वहां पर भी खेती नहीं हो पाई। क्योंकि वहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं थी, वहां की नहरें टूटी-फूटी थीं। और ऐसी जगहों पर नहरें बनी हैं जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। कृषि को हमारे प्रदेश के मुख्य व्यवसाय के रूप में बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। चूंकि समय बहुत हो गया है, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूँ और माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि यदि आपने कोई भी कार्य नया यहां की खेती बढ़ाने के लिए किया है तो आप सदन को बता दें।

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, जैसा कि एक सुझाव पहले भी आया था कि कार्य सूची की बाकी मदों को ड्रॉप कर दिया जाय, इसमें माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की आपत्ति थी कि बिना कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। तो मेरा कहना है कि हाउस तो अपने बिजनेस का मास्टर होता है। हालांकि नियम नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

कार्य मंत्रणा समिति की कल बैठक की जा सकती है, जिसमें यह आ सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि राजस्व विभाग तक आज ले लिया जाय।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जब बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो उसके लिए भी समय सीमा रख ली जाय और कटौती के प्रस्ताव पर भी समय सीमा निर्धारित कर दी जाय तो समय पर कार्य हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

हमारी कल की कार्य सूची बन चुकी है और आबकारी को हमने कल ले लिया है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, या तो हमें सुन लिया जाय या फिर इसे आगे बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, हम आपको सुन रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। सिर्फ माननीय मंत्री जी से मात्र एक चीज का स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

मान्यवर, आज से ठीक एक साल पहले मैंने इसी सदन में सरकार पर आरोप लगाया था कि आपने जैविक उत्पाद परिषद् का गठन किया और इस जैविक उत्पाद परिषद् ने 60 लाख की बासमती खरीदी। जिसमें से 3 लाख की बासमती कनाडा भेजी गयी और लगभग 24 लाख की बासमती भारत के बाजारों में बेची गयी। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि इस बारे में इसी सदन में बता दूँगा। जानकारी सर्कुलेट कर दूँगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। 60 लाख की बासमती में से 27 लाख की बासमती का तो विवरण प्राप्त हुआ लेकिन शेष 33 लाख की बासमती का क्या हुआ? क्या इसकी इन्क्वायरी कर ली गयी है? क्या इसको आज एक साल बाद माननीय मंत्री जी इस सदन में रखेंगे?

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं कृषि पर केवल 3 बिन्दु कहना चाहता हूँ। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि आज पूरे प्रदेश में गेहूँ की खरीद चल रही है और गेहूँ की खरीद के लिए 650 रुपया प्रति कुन्तल सरकारी रेट है और बाजार का रेट 750 रुपया प्रति कुन्तल है। इसमें 100 रुपये का अन्तर होने के कारण सारा गेहूँ व्यापारी वर्ग के पास जा रहा है सरकारी क्रय केन्द्र खाली पड़े हैं। अब होगा यह कि व्यापारी

वर्ग के पास सारा गेहूँ चला जाएगा और आने वाले समय में सरकार के पास इसके नियंत्रण के लिए कोई स्टॉक नहीं रहेगा। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने दो मोबाइल वैन की बात कही, एक कुमाऊँ मण्डल के लिए और एक गढ़वाल मण्डल के लिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, खाद्यान्न खरीदने का विषय खाद्य विभाग से सम्बन्धित है, कृषि विभाग से नहीं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ, इससे लाभ नहीं होगा। मोबाइल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें बतायी गयी है। खेती के लिए जो विपणन होता है, खेत में जब गेहूँ बोया जाता है, वह उससे पहले शुरू हो जाता है। यदि पैदा होने के बाद प्रोसेसिंग करेंगे तो छलनी से छानने के अलावा और कुछ नहीं होगा। यह मोबाइल वैन तो बनेगी, लेकिन इसका लाभ नहीं मिलेगा। मान्यवर, इन्सेक्टीसाईड के बारे में कहना चाहता हूँ, इन्सेक्टीसाईड बाजार में डुप्लीकेट आ रहे हैं, उससे किसान लुट रहे हैं। बाजार में इस प्रकार की जितनी भी दवाईयां हैं, उनमें से 99 प्रतिशत डुप्लीकेट हैं। किसान एक बार बाजार से खरीद कर इसको डालता है और जब कोई असर नहीं होता तो दूसरी बार खरीदता है, तीसरी बार खरीदता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मेरा अनुरोध है कि इनकी गुणवत्ता की छापे मारकर जाँच कराई जाए।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मदू भाई)–

श्रीमन्, मोबाईल वैन की बात कही गयी। कोर वैली कार्यक्रम कृषि विभाग के माध्यम से जिन–जिन क्षेत्रों में चल रहा है, वहीं पर ये मोबाईल वैन काम करेंगी। हमने कुमाऊँ मण्डल और गढ़वाल मण्डल में दो वैन यूटीलाईज की हैं। हमने कोशिश की है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां छोटी–छोटी जोत है, छोटे किसान हैं। मान्यवर, आज भी हमारे यहाँ का किसान दूसरे प्रदेशों और दूसरे स्थानों से अपने आलू के बीज के लिए, मडुवे के बीज के लिए लगा रहता है। हमारी सरकार की कोशिश है कि पर्वतीय क्षेत्र के गरीब किसान जो छोटी जोत का किसान होता है, के लिए उनको जो भी सुविधाएं चाहिए, आवश्यकतानुसार जिस तरह का बीज वह चाहता है, वह वहीं पैदा किया जाए। इसलिए प्रदेश में अच्छा बीज उत्पादित करने के लिए कोर वैली प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत समस्त क्षेत्र में अच्छी किस्म का बीज जिसको वैज्ञानिकों द्वारा उचित बताया गया है, उसको पैदा किया जायेगा। चूंकि हमारे यहाँ छोटी जोत का किसान अधिक है, वह मण्डियों तक नहीं जा सकता है क्योंकि वहाँ जाने पर उसे अधिक लाभ नहीं मिल पायेगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन

मार्जिन अधिक है और उसका उत्पादन बहुत कम होता है। यदि उसका उत्पादन 10 कि०ग्राम है, यदि वह उसे लाता है, चूँकि यह बीज एक शोधित संयंत्र बीज है, जिसके मानक तय किये गये हैं, तो उस स्थान पर जहाँ पर सड़क है, वहाँ एक वैन रहेगी और वहाँ पर वह 10 कि०ग्राम आलू लेकर आयेगा। उस वैन में सारे संयंत्र लगे हुए हैं। उस वैन में टी०डी०सी० के लोग होंगे, वे एक सर्टिफिकेट देते हैं, वह सर्टिफिकेट वहाँ पर किसान को मिल जायेगा और उसकी सारी दिक्कतें दूर हो जायेंगी। किसानों को उस उपज का पैसा उसी समय टी०डी०सी० के माध्यम से मिल जायेगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, क्या मार्केटिंग भी साथ–साथ होगी?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, जो स्वयंसेवी संस्था है, उनको हमने पाँच प्रतिशत कमीशन देने की बात कही है। प्रदेश सरकार का यह कार्यक्रम प्रारम्भ हो गया है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जो बीज बोया जाता है, उसकी क्वालिटी का आकलन तो एजेन्सी करती है और एजेन्सी सर्टिफिकेट तभी देगी, जब उसमें गुणवत्ता होगी। सीधे प्रोसेसिंग प्लांट में जाकर छोटी बड़ी उपज अलग करने के अतिरिक्त गुणवत्ता के प्रति क्षमता प्लान्ट में नहीं होती है। मान्यवर, फसल उत्पादित करने के बाद जो बीज बन पायेगा, इस तरीके से मशीन द्वारा प्रोसेसिंग करने को दिया जायेगा तो बिना गुणवत्ता का बीज सारी मार्केट में पहुँच जायेगा और वह बीज जहाँ–जहाँ भी जायेगा, फसल की गुणवत्ता को प्रभावित करेगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

सम्भवतः या तो आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं या फिर मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। मान्यवर, ऐसा नहीं है हमारे पर्वतीय क्षेत्र के किसान छोटी जोत के किसान हैं, उन किसानों के पास 10 कि०ग्रा० आलू और लगभग इतना ही राजमा होता है। मण्डी में जाने पर उनका ट्रांसपोर्टेशन का अधिक खर्चा आ जायेगा क्योंकि उनके उपज की मात्रा अधिक नहीं है। किसानों को बस इतना करना है कि मोटर हैड तक वे अपनी उत्पादित फसल को लेकर आयें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, जब चार वैरायटी एक साथ मिक्स हो जायेंगी तो इसका मिश्रण क्या होगा? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, तराई बीज डेवलपमेंट बहुत पुराना कॉरपोरेशन है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बासमती चावल के बारे में आपने नहीं बताया है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, बासमती 2100 रू० प्रति कुन्तल बिक रही है। आप लायें, हम खरीदते हैं। (हंसी)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)–

मान्यवर, जो भी बातें आपने इस फोरम में कही हैं, पिछली बार भी ये बातें यहां पर आयी थीं, मैंने इनका संज्ञान लिया है। मान्यवर, अब खाद, बीज सब टाईम पर मिल रहा है। मान्यवर, हमने एडवांस में रबी, खरीफ के बीज समय से सभी क्षेत्रों में पहुंचा दिये हैं। मान्यवर, के०वी०के० के बारे में भी यहां पर बात आई है। इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि एक जगह पर एक ही के०वी०के० खुल सकती है, ऐसे आदेश भारत सरकार के भी हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आज भी समय पर खाद और बीज का वितरण नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

सारी बातें आ चुकी हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये विचारों पर संतोषजनक उत्तर माननीय मंत्री जी की ओर से नहीं आया है, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि

के अतिरिक्त रुपये 1764614 हजार (एक सौ छिहत्तर करोड़ छियालीस लाख चौदह हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3167295 हजार (तीन सौ सोलह करोड़ बहत्तर लाख पंचानबे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं संक्षेप में कहूँगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद् के समकक्ष संस्था मुख्य राजस्व आयुक्त संगठन का गठन किया गया है, इसमें राजस्व विभाग के अधीन तहसीलदार तक के समस्त संवर्गों का अधिष्ठान सम्बन्धी कार्य सम्पन्न किया जाता है। यह राजस्व विभाग की सर्वोच्च न्यायिक संस्था भी है, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है तथा इसकी दो सर्किट कोर्ट जनपद नैनीताल एवं पौड़ी में भी स्थापित हैं। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश द्वारा उत्तरांचल में 5 नये जनपद सृजन किए गये थे, जिसमें से जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर कलैक्ट्रेट के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के लिए धनराशि पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत की गई थी। अब इस समय नये 3 जनपद नव सृजित जनपद बागेश्वर, चम्पावत, रुद्रप्रयाग के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

राज्य बनने से पूर्व उत्तरांचल में कुल 49 तहसीलें एवं 9 उपतहसीलें थीं और राज्य बनने के बाद 29 तहसीलों एवं 6 उपतहसीलों का सृजन किया गया है। इन तहसीलों में से 11 तहसीलों का निर्माण कार्य गतिमान है। इन तहसीलों में धनोल्टी, जखोली, त्यूनी, रामनगर, बेतालघाट, लोहाघाट, सल्ट, सोमेश्वर, बाजपुर, पाटी,पूर्णागिरी का निर्माण कार्य गतिमान है। इन तहसीलों में कुल 452 पदों का सृजन किया गया है। गत वित्तीय वर्ष में तहसील भवनों के निर्माण हेतु 13 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। किसानों में वितरण हेतु 1253957 किसान बहियां पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई थीं, जो पर्याप्त नहीं थीं।

अतः जनपदों से प्राप्त मांग के आधार पर 2 लाख 10 हजार अतिरिक्त किसान बहियों का प्रकाशन कराकर जनपदों को उपलब्ध कराई गई हैं। ये किसान बहियां बहुउद्देशीय हैं, जिससे किसानों को सुविधा हुई है। प्रदेश की समस्त तहसीलों में भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण को पूर्ण किया जा चुका है। राज्य में भूमि के

अनियंत्रित क्रय-विक्रय को नियंत्रित किये जाने हेतु उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि
व्यवस्था अधिनियम, 1950 में संशोधन कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत अब तक
142 विभिन्न संस्थाओं, फर्मों, कम्पनियों को भूमि क्रय की अनुमति प्रदान की जा चुकी
है जिसके अन्तर्गत 90 प्रतिशत अनुमतियाँ औद्योगिक प्रयोजन की हैं।

मान्यवर, पटवारी चौकी के निर्माण के लिए रु0 3 करोड़, तहसीलों के
अनावासीय भवन के निर्माण के लिए रु0 10 करोड़, आवासीय भवनों के निर्माण के
लिए 5 करोड़ रुपये दिये गये हैं। फर्मों, कम्पनियों को इस शर्त के साथ अनुमति
प्रदान की गई है कि फर्म में 70 प्रतिशत रोजगार उत्तरांचल के निवासियों को दिया
जायेगा। जिन गांवों में चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जाती है
और कतिपय कारणों से चकबन्दी प्रारम्भ नहीं हो पाती है तो उन गांवों के राजस्व
अभिलेखों में अन्तरण एवं विरासत दर्ज नहीं हो पाता है। अब उत्तर प्रदेश जोत
चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 6 में संशोधन करते हुए यह अधिकार चकबन्दी
अधिकारियों को दे दिया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी योजना
सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधार परिषद् का गठन किया गया है, इसमें एक
अध्यक्ष, दो विषय विशेषज्ञ एवं चार गणमान्य व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है।
परिषद् द्वारा जनपद अल्मोड़ा, पौड़ी एवं उत्तरकाशी के गांवों में जाकर उत्तरांचल के
पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक चकबन्दी योजना लागू करने की सम्भावनाओं के सम्बन्ध में
अध्ययन किया गया है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–06, राजस्व
एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि
घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की
आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, यह प्रदेश का बड़ा अहम विषय है। मैं इस को ज्यादा लम्बा नहीं
कहूँगा, लेकिन ऐसे कुछ सुझाव जरूरी हैं जो सरकार को दिये जाने हैं और जिनके
ऊपर सरकार अगर विचार करे तो प्रदेश को लाभ होगा, वे सुझाव अवश्य देना
चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य तौर पर प्रदेश में भू-प्रबन्धन की व्यवस्था के प्रति
तहसीलों में जो रिकार्ड हैं, उनको 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। समय की कमी के
कारण मैं 6 श्रेणियों का नाम न लेकर श्रेणीवार जिन श्रेणियों के प्रति सुझाव देना है,
मैं उन्हीं के बारे में कहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, श्रेणी–4 जिसके लिए आज पूरे प्रदेश
में किसान इसको वर्ग–4 के नाम से पुकारते हैं। यह वर्ग–4 की ऐसी भूमि जो पुराने
लम्बे समय से किसानों के नाम पर अलॉट नहीं हुई थी और बिना स्वीकृति के किसान
का कब्जा चला आ रहा है, यह वह भूमि है।

मान्यवर, किसान इसके विनियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी खामी है। इस भूमि के प्रति विरासतन नाम दर्ज करने का कोई प्राविधान नहीं है। इस पर अगर 50 साल पहले जो नाम अंकित किया गया है, मान्यवर, या फिर जो 50 साल पहले मर गया है, अभी तक उसका नाम उस पर दर्ज है। श्रेणी–5 बंजर भूमि है जो पूरे राज्य में श्रेणी 5 में अंकित है। वह ऐसी भूमि है जिसके सरकार समय–समय पर पट्टे काटती रहती है और दो संस्थायें हैं जो इसके पट्टे काटती हैं। एक राज्य सरकार और दूसरी भूमि प्रबन्धन समिति है। ये दोनों संस्थान इनके पट्टे काटती हैं। राज्य सरकार एवं भूमि प्रबन्धन समिति द्वारा काटे गए पट्टों की भूमि पर किसानों को 10 साल की अवधि पूरी होने पर अधिकार मिल जाता है। मान्यवर, 10 साल तक उसको स्वामित्व का अधिकार नहीं होता तो कोई बैंक उसको ऋण नहीं देता। जब वित्तीय सहायता नहीं मिलती है तो वह वित्तीय कमी के कारण उस जमीन को बेच देता है। वह फिर भूमिहीन हो जाता है।

मैं, सरकार का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जो दस साल की अवधि है, उसे समाप्त कर देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसे ही रेवेन्यू रिकार्ड की श्रेणी, जिसमें बड़ी–बड़ी ग्राम सभाओं की आबादी अंकित रहती है, वहाँ किस स्थान पर किस आदमी का स्वामित्व है, वह अंकित नहीं है। जहाँ पर वह बैठा है, उसके नीचे की भूमि किसकी है, दर्ज नहीं है, उसमें खाली आबादी अंकित है। इसके लिए गाँवों में झगड़ा होता है, मान्यवर, रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं है कि किसकी जमीन कहाँ है। इसमें मेरा सुझाव है कि थोड़ी सरकार को मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी, इससे भूमि के मालिकाना अधिकार का रिकार्ड हमारे रेवेन्यू रिकार्ड में आ जायेगा। श्रेणी–5 की जो पट्टे की भूमि का प्रबन्धन समिति द्वारा आबादी हेतु आवंटित किया जाता है उस भूमि पर ग्रामवासी को कभी भी भूमिधर होने का कोई कानून नहीं है। मैं यह कहूँगा कि उसमें भूमिधरी का अधिकार, वहाँ के निवासियों का होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, ऊधमसिंह नगर में गांधी नगर एक गांव है, 1963 में 55 परिवारों को श्रेणी–1–क में 8–8 एकड़ भूमि आवंटित की गयी थी। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान से आकर ये लोग बसे थे। जिस क्षेत्र में ये लोग बसे थे, वह गंगा में डूब गया फिर इनको यहां पर बसाया गया। ये किसान बहुत गरीब थे। तहसील वालों ने इनसे सुविधा शुल्क मांगा तो उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। तो तहसील वालों ने उन्हें पट्टे तो नहीं दिये और यह कह दिया कि ये इतनी–इतनी जमीन

तुम्हारी है, आज तक उनके पट्टे नहीं हुए हैं। दो बार उस जमीन के बंदोबस्त के आदेश हुए। जमीन की कीमत का 50 प्रतिशत हर बार उनसे बंदोबस्त वालों ने लिया और आश्वासन दिया कि आपकी जमीन पक्की कर दी जायेगी, लेकिन आज भी उनको पट्टे नहीं दिये गये हैं। आज 60 फाइलें वर्ग–1–क में लाए जाने हेतु निर्णीत होने के लिए उपजिलाधिकारी न्यायालय में पड़ी हुई हैं। जसपुर में 20 साल से 868 छोटे–छोटे किसान परिवार सुमड़िया ग्राम की अतिरिक्त भूमि में बसे हैं। यह सब अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के हैं। वह भूमि आज तक उनके नाम पर नहीं है। लोग चीख पुकार कर रहे हैं। आज तक उनके नाम रिकार्ड में अंकित नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जसपुर में मोहपुर ग्राम से जुड़ी 153 हैक्टेयर भूमि 75 परिवारों के पास है। यह गांव अब तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं है। जिला स्तर से इसका प्रस्ताव लम्बित है। शासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस ओर मैं शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में वर्ग–4 की जो भूमि है, उसमें 37 हजार 804 परिवारों के पास वह भूमि है। 10 हजार 486 हैक्टेयर भूमि है। इतनी बड़ी भूमि का नियमितीकरण न होने से सरकार को रेवेन्यू भी नहीं मिल पा रहा है। इसमें सरकार को अतिशीघ्र कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। चकबन्दी से पहले बंदोबस्त होना जरूरी है। प्रदेश में ऐसे स्थान हैं जहां बंदोबस्त हुए 50 साल हो गये। किसान न्यायालय में चले गये और 10–10 साल हो गये हैं। तहसील के रिकार्ड चकबंदी वालों के पास पड़े हुए हैं। अभी न्यायालय का स्थगन आदेश चल रहा है। इस रिकार्ड को तहसील में पहुँचाने का सरकार को प्रयास करना चाहिए। हमारे यहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जिसमें पर्वतीय एवं मैदानी दोनों प्रकार का भू–भाग है और केन्द्र सरकार ने दोनों के लिए एक ही मानक बनाये हुये हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को ऐसा प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए कि मानक हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप बनाये जायें। मान्यवर, हमारे मैदानी क्षेत्रों में बहुत बड़ी–बड़ी ग्राम सभायें हैं, जहां पर 10–10 तोकें बन गए हैं। तोकों का मतलब है कि आबादी दूर–दूर तक फैल गई है। वहां पर मजरे भी बन गये हैं जो कि अलग आबादी होती है। लेकिन आज तक वह ग्राम भू–राजस्व ग्राम नहीं बनाये गये हैं। जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत परेशानी है, एक तो उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने में भी परेशानी होती है, बहुत दूर उन्हें आना पड़ता है, वहां गांवों के नाम राजस्व विभाग के रिकार्ड में भी अंकित नहीं हैं, जिससे बहुत

परेशानी होती है। मेरा अनुरोध सरकार से है कि इन तोकों और मजरों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाय। (व्यवधान)

*श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने खटीमा तहसील भवन के लिए कृषि विभाग की जमीन दी है। मान्यवर, जो यह खटीमा और सितारगंज के क्षेत्र हैं, यह ट्राइबल लैंड हैं। आज वहां पर चकबंदी भी लागू है। लेकिन भू कानून नाम की कोई चीज वहां पर काम नहीं कर रही है। माननीय वन मंत्री जी ने भी कहा कि चकबन्दी में धारा 6–ए जोड़ दी गई है, इससे तो कुछ राहत भी हुई है। मान्यवर, 20 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, इन 20 सालों में इन भूमियों के लिए इतना विवाद हुआ है कि यदि उनको सुलझाना शुरू करें तो 20 साल लग जायेंगे। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस व्यवस्था को सुलझाने के लिए कोई न कोई समाधान ढूंढा जायेगा। यू0पी0जेड0ए0 की धारा 211 में साफ कहा गया है कि जो ट्राइबल लैंड है उसे नान–ट्राइबल एरिया में नहीं खरीदा जा सकता है। लेकिन आज वह 5 से 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में बिक रही है। लेकिन इसकी परमीशन नहीं मिलनी चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में एक पावरफुल कमेटी बनाई जाय। क्योंकि 20 साल में यहां पर भू कानून की कोई व्यवस्था नहीं रह गई थी और इसका फायदा उठाया, वहां के भू माफियाओं ने। इस बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि जो ग्राम प्रहरी थे, पुलिस क्षेत्र में जिनकी नियुक्ति की गई थी। उन्हें अभी तक मानदेय नहीं दिया गया है। माननीय मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि उन्हें मानदेय अभी तक क्यों नहीं दिया गया, मेरे पास जनपद अल्मोड़ा के ग्राम प्रहरियों के एपाइण्टमेंट पेपर भी हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वर्ग 4 की भूमि की जो बात कही गई है, उसके बारे में अवगत कराना है कि यह मामला मंत्रिपरिषद् की गठित उपसमिति में लम्बित है और यथाशीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जायेगा। माननीय चीमा जी को भी याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि वर्ग 4 की भूमि को लिया जायेगा। इसी प्रकार से श्रेणी 5 के बारे में तो उसमें जो पट्टे देने की बात है तो यदि उसमें 10 साल का प्रतिबंध नहीं होता तो जो पट्टे लेने वाले लोग हैं, वह पट्टा मिलते ही जमीन को बेच देंगे। उन लोगों को भूमि का लाभ नहीं मिल पायेगा जो कि पट्टेदार हैं, जिनके नाम पर पट्टा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, तराई में बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। जहां आपने अभी कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीन को हस्तांतरित कर बेचा नहीं जा सकता है। इसके बाद की बहुत सारी कठिनाईयों के बारे में हम बात करते रहते हैं। चकबन्दी के लिए पट्टे आपसी आदान-प्रदान से होते हैं। उसमें कोई सरकारी मान्यता नहीं है। वर्ग-क के बारे में आपने बताया कि जमीनें नहीं आयी हैं, इसका परीक्षण कराया जाएगा। सुबरिया ग्राम के बारे में कहना चाहती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सम्मेलन में, हो सकता है आप उस सम्मेलन में न आये हों, पता नहीं आप थे या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सुबरिया ग्राम में 20-25 वर्षों से लोग बसे हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा। उनको वहीं पर स्थापित कर दिया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि वह जमीन सिंचाई विभाग की है, इस पर शासन निर्णय ले सकता है। जहां तक राजस्व ग्राम घोषित करने की बात है, अभी हमारे यहां परिसीमन आयोग काम कर रहा है। हम अभी किसी भी ग्राम की सीमा घटा-बढ़ा नहीं सकते हैं। कई जगहें ऐसी हैं, जहां राजस्व ग्राम घोषित होने हैं, जो कि नहीं हो पा रहे हैं। परिसीमन आयोग के कारण हम राजस्व ग्राम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। ट्राईबल एरिया के बारे में आपने कहा, आपने यह भी कहा कि इसमें एक कमेटी बना दी जाए। हम तो यह चाहेंगे कि आपको ही इस कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाय। आपने इसे 20 वर्ष पुरानी बीमारी कहा। हम तो चाहेंगे कि इसको दूर भी आप ही करें। चकबन्दी की ओर आपने ध्यान दिलाया। जमीन से सम्बन्धित तराई, भावर और पर्वतीय क्षेत्रों के बहुत सारे प्रकरण आते रहते हैं। इसके बारे में सरकार कार्यवाही भी करती है। वर्ग-4 अलग विषय है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जमीन खुर्द-बुर्द न की जाय, वह बेची न जाये, यह कानून है माननीय चीमा जी, आपकी सारी बातों का उत्तर आ गया है, क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री अजय भट्ट-

मान्यवर, ग्राम प्रहरियों के बारे में भी बता दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, ग्राम प्रहरियों के बारे में आपने बताया। आप यह जानकारी दे रहे हैं कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है। उनको मात्र 200 रुपया तो वेतन मिलता है, यदि वह भी नहीं मिल रहा है तो हम इसका संज्ञान लेते हैं और इसकी जांच करवाई जाएगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा-

मान्यवर, पंजाब सरकार ने परिसीमन आयोग से राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए अनुमति ले ली है। यदि प्रदेश सरकार इसके लिए प्रस्ताव करे तो अनुमति मिल सकती है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय चीमा जी बहुत तेजी से पंजाब की ओर चले जाते हैं। यदि पंजाब में इस तरह अनुमति ली गयी है तो इस पर अवश्य विचार किया जाएगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, हमने जो छोटे–छोटे सुझाव दिये हैं, सरकार ने उन सब पर आश्वासन दे दिया है कि यह काम हो जाएंगे। लेकिन जब तक यह काम हो नहीं जाते तब तक मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06, राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 3167295 हजार (तीन सौ सोलह करोड़ बहत्तर लाख पंचानवे हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, मद संख्या 8 (ग), मद संख्या–9 (क), (ख) और मद संख्या 10 पर कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में पुनः विचार किया जायेगा।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से पहली सूचना श्रीमती विजय बड़थ्वाल, दूसरी सूचना श्री प्रीतम सिंह पंवार, तीसरी सूचना श्री नारायण सिंह जन्तवाल, चौथी सूचना श्री अनिल नौटियाल, पाँचवी सूचना श्रीमती आशा देवी, छठी सूचना श्री प्रकाश पंत, सातवीं सूचना श्री महेन्द्र भट्ट, आठवीं सूचना श्री पुष्पेश त्रिपाठी, नवीं सूचना त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा दसवीं सूचना श्री नारायण पाल की है। मैं इनमें से शासकीय सेवाओं में पदोन्नति के रोस्टर की आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति कार्मिकों की पदोन्नति में आरक्षण के साथ परिणामी ज्येष्ठता प्रदान करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री नारायण पाल की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा दूसरी सूचना

जनपद रुद्रप्रयाग में ऊखीमठ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मक्कूमठ के ग्राम जेवांज में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में माननीय सदस्या श्रीमती आशा नौटियाल की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

उत्तरांचल राज्य के कुमाऊँ एवं गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुल सचिव, उप कुल सचिव एवं सहायक कुल सचिवों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में श्री नारायण सिंह जंतवाल स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य

संसदीय मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों (जिनकी स्थापना राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत की गयी है) के कुल सचिव, उप कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव की एक सामान्य पृथक सेवा के सृजन के लिए तथा ऐसी किसी सेवा में भर्ती को एवं उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, 1975 प्रख्यापित की गयी थी। यद्यपि इस सेवा नियमावली में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संशोधन भी किये गये हैं। इस सेवा नियमावली में मुख्यतः कुल सचिव तथा सहायक कुल सचिव के पदों पर विभागीय कार्मिकों को पदोन्नति के लिए समुचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण प्रदेश शासन द्वारा नई नियमावली प्रख्यापित की जा रही है, जिसके प्रख्यापन का कार्य अन्तिम चरण में है। नियमावली के प्रारूप पर उत्तरांचल लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त हो गयी है। नियमावली के प्रख्यापित होने के उपरान्त यथा शीघ्र विश्वविद्यालयों में केन्द्रीयित सेवा संवर्ग के पदों पर नियमानुसार प्रोन्नतियाँ की जायेंगी।]

जनपद पिथौरागढ़ के नाचनी गाँव में सिंचाई हेतु रामगंगा नदी से लिफ्ट योजना की माँग के सम्बन्ध में श्री निशान सिंह कुफाल, स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर केवल वक्तव्य

संसदीय मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी में वर्ष 1982–83 में नाचनी नहर का निर्माण किया गया था। इस नहर की कुल लम्बाई 7.40 किमी0 तथा निर्माण लागत रू0 10.70 लाख थी। यह नहर वर्ष 2000–01 में नाचनी–मैसकोट मार्ग के निर्माण से किमी0 0.30 से किमी0 0.610 तक क्षतिग्रस्त हो गयी थी तथा नहर के शीर्ष से 0.30 किमी0 तक भूस्खलन से क्षतिग्रस्त है। नहर के किमी0 1.00 से किमी0 1.070 में नया स्लिप जोन आ जाने तथा इसी प्रकार 3.53 किमी0 से 7.40 किमी0 तक यह नहर मोटर मार्ग निर्माण एवं भूस्खलन/दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। इस प्रकार प्रश्नगत नहर का अधिकांश भाग मोटर मार्ग निर्माण तथा भूस्खलन से क्षतिग्रस्त होने के कारण इस नहर के कमाण्ड एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इस नहर का पुनर्निर्माण, लोक निर्माण विभाग की निर्माणाधीन नाचनी-मैंसकोट मोटर मार्ग के पूर्ण हो जाने तथा पहाड़ के भूस्खलन के स्थिर होने तक किया जाना उचित नहीं है।

अतः जनहित को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक लिफ्ट योजना "नाचनी लिफ्ट योजना" नाम से तैयार की गयी है। प्रस्तावित योजना का सी०सी०ए० (कृषि योग्य क्षेत्र) 60 हेक्टेयर एवं इसमें प्रस्तावित नहरों की लम्बाई 3.0 कि०मी० है, इस योजना की अनुमानित लागत रु० 60.60 लाख है, जिसे नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित किया जाना प्रस्तावित है। वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के पत्र दिनांक 28-04-2005 द्वारा नाबार्ड से वित्त पोषण हेतु प्रेषित जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं बागेश्वर के लिये प्रस्तावित विभिन्न 11 लिफ्ट योजनाओं के प्रस्ताव में प्रश्नगत लिफ्ट योजना भी सम्मिलित है। नाबार्ड द्वारा इन लिफ्ट योजनाओं के सम्बन्ध में उनके पत्र दिनांक 06-06-2005 द्वारा कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका समाधान करते हुए नाबार्ड को पत्र दिनांक 24-09-2005 द्वारा स्थिति से अवगत करा दिया गया है। नाबार्ड द्वारा इन योजनाओं का वित्त पोषण चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में होने की सम्भावना है। इस प्रकार नाबार्ड से इन योजनाओं का वित्त पोषण होने पर प्रश्नगत लिफ्ट योजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल दिनांक 18-04-2006 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 10 बजकर 46 मिनट पर अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून

दिनांक–17 अप्रैल, 2006

महेश चन्द्र,

सचिव, विधान सभा,

उत्तरांचल।

पी०एस०यू०(आर०ई०) 1 वि०स०/6-10-4-2007-200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।